राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या: 22

मंगलवार ,

29 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

लाडनूं व चूरू की बंद ऊन मिलें

666. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित लाडनूं चूरू की ऊन मिलें बन्द पड़ी हैं? यदि हाँ, तो कब से और क्यों?

(2) उक्त मिलों पर बन्द करने के बाद अब तक कर्मचारियों के वेतन आदि पर कितना व्यय हो गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भविष्य में इनको चलाने/बन्द करने या बेचने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

(4) उक्त मिलों को लगाने पर कुल कितना खर्चा अब तक हुआ और अब तक घाटा कितना हुआ?

(5) उक्त मिलों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किया गया और उसका क्या नतीजा रहा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। दोनों मिल वर्ष 1989-90 (सितम्बर/अक्टूबर) से निरन्तर घाटे के कारण बन्द हैं।

(2) बन्द होने के पश्चात् वेतनादि पर दिसम्बर, 93 तक 120.32 लाख रुपये व्यय हुए। वर्षवार तालिका संलग्न है।

(3) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) उक्त मिलों को लगाने में पूंजीगत व्यय करीब 42.59 लाख रुपये का था और 92-93 तक संचित घाटा 293.77 लाख रुपये का है जिसमें 93-94 का घाटा अनुमानित रूप से लगभग 30 लाख की और वृद्धि होगी।

(5) मिलों को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में निम्न प्रयास किये गये :—

(क) सुधार हेतु तकनीकी अध्ययन कराया गया।

(ख) संयुक्त क्षेत्र में चलाने एवं लीज पर देने हेतु जनवरी, 87 में विज्ञापन प्रसारित किया गया, किन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकलें।

(ग) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम तथा राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से भी मिलों को चलाने के प्रयासों में सफलता नहीं मिली।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(घ) जनवरी, 88 में श्री के.एन.सेठ. टैक्सटाइल विशेषज्ञ की सेवाएं सलाहकार के रूप में ली गयीं किन्तु सफलता नहीं मिली।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, इन मिलों को लगाने में कुल 42.59 लाख रुपये का व्यय हुआ था। इसमें अब तक घाटा जो मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है वह 323.77 लाख रुपये का हो गया। भाग-3 में यह कहा है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इन मिलों को चलाना है या बन्द करना है, क्या कर रहे हैं?

आपने भाग-5 के उत्तर में इनमें सुधार के लिए प्रयत्न करने को कहा है। 1987-88 में आपने प्रयत्न किये। अब इसकी पूंजी में करीब 9 गुणा घाटा हो गया और 87-88 के बाद में आपने कोई प्रयत्न नहीं किया और अभी भी आप यह बता रहे हैं कि वह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। तो विचाराधीन क्या है? आप इसमें क्या करना चाहते हैं? इतने लम्बे समय तक आप निर्णय नहीं ले सके जिसके कारण से इतना लम्बा घाटा हुआ। घाटे की राशि आपने 323.77 लाख रुपये बतायी है। तो इस राशि में तो आप ऐसे कई उद्योग लगा सकते थे और इन मजदूरों को और अन्य मजदूरों को काम पर लगा सकते थे। इसका आप उत्तर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को और सदन को निवेदन करना चाहता हूँ, यह बात सच है कि 42.5 लाख रुपये की लागत से काम प्रारम्भ हुआ और वह घाटा जैसा मैंने वहां तालिका में अंकित किया है, सचमुच जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसी प्रकार का है किन्तु प्रश्न यह आकर खड़ा होता है, वहां कार्यरत मजदूरों का। जिस समय श्रीमान् हरिदेव जोशीजी मुख्य मंत्री थे उन्होंने 86-87 में निर्णय लिया था कि वह मिल बन्द करनी है। किन्तु प्रश्नवाचक चिन्ह आकर वही मजदूरों का खड़ा हो जाता था। मिल अगर चलती तो जो घाटा होता वह घाटा कर्मचारियों को जो तनख्वाह देने का होता है उससे बहुत अधिक होता। इसलिए यह तय किया गया कि इनको तनख्वाह देते चले जाओ। क्योंकि उसके कम्पेरीजन में ऊन उत्पादन पर जो पैसा खर्च होता था वह ज्यादा होता था। नयी सरकार जब आयी तब मुख्य मंत्री ने तय किया कि इसको बन्द कर देते हैं बन्द करने की सूचना निगम को चली गयी कि इनके द्वारा प्रयास करना है। दो बार प्रयास हुए। एक बार तत्कालीन सरकार के समय और एक बार इस सरकार के समय। किन्तु जो ऑफर आयी वह इतनी कम ऑफर थी, मैक्सीमम ऑफर 25 लाख रुपये की आयी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ कि यह समस्या है, इसकी डेप्रीसिपेटेड वैल्यू 40 लाख के बजाय 4 लाख रह गयी है और जो जमीन की कीमत है वह इतनी अधिक है। और मजदूरों की समस्या लगातार बनी रही। यह कोशिश की गयी राज्य सरकार के समय और तत्कालीन सरकार में भी क्योंकि 84-85 से विचार शुरू हुआ। मेरे पास क्रोनोलोजिकल आर्डर में सारे प्रयास किये गये हैं वह मौजूद हैं। अब 107 कर्मचारी रह गये हैं। इन 107 कर्मचारियों को गोल्डन हैण्ड शेक के द्वारा जो सेवामुक्त कर सकते हैं वह प्रयास किया जा रहा है। यह भी प्रयास हम करेंगे कि इसमें ऐसे कर्मचारी हैं उनको किसी और कॉरपोरेशन में उनकी योग्यता के अनुसार लगाया जाना सम्भव हो तो उनको लगायें। केन्द्र सरकार भी इसमें कुछ सहयोग करती है उसकी भी चिन्ता कर रहे हैं। प्रश्न यह था किन्तु अभी भी उन कर्मचारियों की मनःस्थिति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पूरी नहीं बनी है। अब समस्या है कि उनको तनख्वाह देते हैं तो घाटा हो रहा है, किन्तु उसके परिप्रेक्ष्य में फैक्ट्री चलाने में घाटा बहुत ज्यादा है और खरीदने वालों का पैसा इतना कम है। यह इसमें ट्राइएगल बन रहा है। इसलिए मैं तो, माननीय सदस्य महोदय, चूंकि आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपसे भी मार्गदर्शन चाहता हूँ क्योंकि एक बार केबिनेट ने निर्णय ले लिया था बन्द कर दो। मुख्य मंत्रीजी के पास जब दुबारा फाइल आयी तो उन्होंने कहा कि यह तो ठीक है किन्तु मानवीय आधार इन कर्मचारियों का उस पर जरूर विचार करो। जब तक यह लग नहीं जाते, इनको लगाने की व्यवस्था नहीं हो सकती तब तक फैक्ट्री बन्द करना विधिवत् दृष्टि से ठीक नहीं है। 1988-89 में यह बात सच है कि उत्पादन बन्द हो गया। जैसा मैंने निवेदन किया कि इन कर्मचारियों की जो तनख्वाह है। उसका जो घाटा है वह घाटा शायद कम है एज कम्पेयर्ड टु उस घाटे का जिसमें फैक्ट्री चला कर और खर्च करेंगे। यह समस्या हमारे सामने हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वास्तविकता से परे जा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है। मैं कोई बन्द करने का नहीं कह रहा हूँ और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मजदूरों को आप हटा दो। मैं यह कह रहा हूँ कि जब आपने 323 लाख रुपये खर्च किये तो इन रुपयों में तो आप दूसरे जो चलने लायक उद्योग थे उनको चला कर आप इन कर्मचारियों को लगा सकते थे। जहां तक प्रयत्न करने का सवाल है, 88 के बाद में आपने कोई प्रयत्न नहीं किये इन मिलों का क्या करना है। मेरा सीधा सा सवाल है।

दूसरा मेरा सवाल है कि इसमें इतना बड़ा स्टाफ नहीं है, इस स्टाफ को आप अपने निगम में लगा सकते थे जो बड़े सेठ बने हैं, यह उद्योग नहीं चलता तो आप दूसरा लगा सकते थे। जैसा आपने बताया कि जमीन की कीमत अधिक है और खुली जमीन भी पड़ी है, आपके पास पैसा नहीं था तो उसी जमीन में से बेच कर आप इसमें लगाते तो इन कर्मचारियों को काम भी मिलता और आपका घाटा भी नहीं होता। यह भी प्रयत्न आपने नहीं किया। इस क्षेत्र में मान लो ऊन उद्योग नहीं चल रहा है तो उस शैड्स में कोई दूसरा उद्योग लगा सकते थे। आपको पता है कि कई उद्योग ऐसे हैं जो आज राजस्थान में प्राइवेट लोग चला रहे हैं और आप नहीं चला रहे हैं। इतने लम्बे समय तक आपने ऐसे अधिकारियों को सौंपा है जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और साल में 30 लाख रुपये कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में देते रहे और कुछ भी नहीं किया। उन अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे? 1987 के बाद जिन्होंने प्रयत्न नहीं किया कि इसको चलाना है, बन्द करना है, क्या करना है, चुपचाप बैठे-बैठे तनख्वाह देते रहे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? भविष्य में इसको किस प्रकार से चलाना है या बैठे-बैठे लोगों को तनख्वाह देनी है और कुछ नहीं करना है? यह बात बतायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सवाल है और उत्तर भी यही है।

मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य महोदय, कि 1967 से लेकर अभी तक की प्रक्रिया_____

श्री अध्यक्ष : बात यह है, मंत्री जी न तो आप व्यापारी हैं, यह थोड़े बहुत व्यापारी हैं, यह रह गया व्यापारी का मामला।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करूं, इसमें लास्ट आफर आयी थी

श्री अध्यक्ष : यह दूसरी बात कह रहे हैं। इनका कहना यह है_____

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं कोई व्यापारी_____

(५)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये आप। यह जमीन बेच देते तो जो पैसा आता उससे आप नया उद्योग शुरू करते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर रहा हूँ, जमीन बेच देते। जब तक कर्मचारियों का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ___

श्री हरजीराम बुरडक : मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप उसमें दूसरा उद्योग चालू करके कर्मचारियों को लगाते ताकि वे बैठे-बैठे तनख्वाह नहीं लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : It is correct. इसलिए प्रश्न वही आकर खड़ा हुआ। यह विषय इसी में नहीं है राजस्थान में राजकीय उपक्रम चलाने वाली कई संस्थाओं में इस प्रकार की स्थिति आती है। निजी क्षेत्र में सिक मिल्स में इस प्रकार की स्थिति आती है और एक लम्बे समय से चली आयी है। इसलिए मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार___

श्री हरजीराम बुरड़क : अब क्या करना चाहते हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा मैंने कहा नम्बर एक, यह तय किया है कि यह जो 107 कर्मचारी इसमें रह गये हैं, परस्युएट् करके जिनसे गोल्डन हैण्ड शेक ..

श्री अध्यक्ष : घाटे के कारणों का पता लगाया क्या आपने?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां। वही बताता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वही बताइये असली क्यों हो रहा है घाटा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इसमें तो निरन्तर घाटा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह आपके चरागाह हैं।

श्री अध्यक्ष : खैर, आप कोई रास्ता निकालिये इसमें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, इसमें रास्ता निश्चित रूप से निकालेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर तो दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : यह तो कारण बता रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अब क्या करना चाहते हैं यह तो बतायें। उनको निकालेंगे कि बन्द करेंगे? इसमें दूसरी कोई इण्डस्ट्रीज लगाकर___

श्री अमराराम : मजदूरों को संभला दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कारखाना ही संभला दिया जाए, घाटा तो नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो इन्होंने बता दिया है कि कर्मचारियों को दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा मेरा प्रश्न था कि आठ साल तक जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों ने यह घाटा पहुँचाया आठ साल तक, उनके विरुद्ध क्या करेंगे? यह नहीं बताया। या मंत्री महोदय यह कह दें कि अधिकारियों की कोई गलती नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अधिकारी में दोष कहां है? गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकी। हरिदेव जोशी जी के निर्णय के पश्चात् भी 85-86 में हम इन मिलों को बन्द करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। मैंने नहीं किया। फिर कर्मचारी या अधिकारी क्या करेंगे?

श्री हरजीराम बुरड़क : 87 के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया आपने। आपका यह उत्तर है, 87 के बाद आपने कोई परिवर्तन नहीं किया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आप कर्मचारियों को कब तक नौकरी पर लगा देंगे, यह बता दीजिए ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज चार साल तो हो गये राज करते हुए, आप चार साल में निर्णय नहीं ले सके छोटी सी मिलों के मामले में।

हरिदेव जी जोशी का दस-ग्यारह साल पहले का आप जिक्र कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : चार साल नहीं, आठ साल। आठ साल की बात है। आठ साल में कुछ नहीं कर सके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह 67-68 के हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : और आप चार साल हो गये छोटा सा निर्णय नहीं कर सके। आप बताइये, आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चार साल का जिक्र किया है। मैं कहना चाहता हूँ, 1967-68 से घाटे में चलने वाली संस्थान है। विभिन्न तत्कालीन उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्रीजी के इस निर्णय के पश्चात् ह्यूमेनीटेरियन ग्राउण्ड कर्मचारियों का आ गया इसलिए कठिनाई है। इसलिए क्या करने वाले हैं वह बताना चाहता हूँ। नम्बर एक, कोशिश यह की जा रही है अब भी प्रयत्नों के द्वारा कि 107 कर्मचारियों में से गोल्डन हैंड शेक करके जो लोग अपना सारा कुछ लेकर जा सकें, उनको देकर विदा किया जाए। शेष लोगों का एब्जोर्शन उनकी योग्यता के अनुसार कारपोरेशन में करने की व्यवस्था हम कर रहें हैं। हम इस नाते से रूल्स में भी संशोधन कर रहे हैं। तीसरी बात, हम यह करना चाहते हैं कि मशीनरीज को कहीं डिस्पोज ऑफ कर दें और वह जो लैण्ड है उसको कन्वर्ट कर दें आबादी क्षेत्र में और उसको बेचने की व्यवस्था करें। यह चार कदमों का निर्धारण करने का हमने निश्चय किया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कर्मचारियों का जो आप कह रहे थे, कब तक कर दोगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जल्दी से जल्दी।

श्री जुबेर ख़ान : आप तो समय सीमा बांध दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : महीने का, छह महीने का, साल का, पाँच साल का।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : एक मिनिट, साहब।

श्री अध्यक्ष : अब यह कोई इतना इम्पोटेन्ट नहीं हो गया। बहुत इसकी चर्चा हो चुकी है। इसके सम्बन्ध में नहीं पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : सवाई माधोपुर की सीमेण्ट फैक्ट्री का भी ऐसा ही मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाई माधोपुर बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसको कब चालू करा रहे हैं ? पहले मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। अब उसके बारे में बतावें। आपने कह दिया चालू कर दी जाएगी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर): मेरा एक सुझाव है। मेरी यह प्रार्थना है, जैसा मंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि वह आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दी जाये। तो जो मजदूर हैं उनको वहां एक-एक प्लाट दे दिया जाये तो वैसे ही समस्या का हल हो जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, सुझाव भिजवा दें, विचार कर लेंगे।

(6)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाई माधोपुर की.....

श्री अध्यक्ष : अब यह नहीं है। यह सब भ्रम है कि वह जमीन बड़ी भारी वैल्यूएबल है। इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितना भाषण दे रहे हैं आप। क्योंकि मुझे मालूम है।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो मजदूर बेरोजगार पड़े थे उनको रोजगार देने की क्या व्यवस्था कर रही है सरकार?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी चिन्ता कीजिये पहले।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मेरी चिन्ता कर रहा हूँ पहले।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री बाबूलाल।

एनीकट निर्माण से दूदू तहसील कालख बांध में जल संकट

667. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दूदू जिला जयपुर में सिंचाई हेतु निर्मित बांध कालख के पीछे 20 किलोमीटर दूर दो एनीकट्स का निर्माण सरकार द्वारा गत वर्षों में कराया गया है? यदि हां, तो कब एवं इस पर कितनी लागत आयी?

(2) उक्त बांध की कितने गांवों की कितने रकबा भूमि की सिंचाई क्षमता थी एवं वर्तमान में क्या है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट्स के निर्माण करवाने से इस बांध में आने वाले पानी की आवक क्षमता बन्द हो गयी है जिससे इस बांध से होने वाली हजारों बीघा कृषि भूमि की सिंचाई बन्द हो गयी है?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एनीकट्स को तुड़वाकर इस बांध में आने वाली आवक क्षमता के पानी को पुन : चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि इस बांध का सबसे बड़ा पानी का आवक स्रोत बांडी नदी में भी मिट्टी आने से उसमें पानी की आवक क्षमता कम हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मिट्टी को साफ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी नहीं।

(2) कालख बांध के अन्तर्गत तहसील दूदू व फागी के 54 गांवों की 7300 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(3) जब एनीकट बने ही नहीं तो पानी की आवक क्षमता कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने एनीकट देखे थे क्या?

श्री बाबूलाल : हाँ, बिलकुल मैंने देखे हैं।

श्री अध्यक्ष : मौजूद हैं?

श्री बाबूलाल : मौजूद हैं और, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूँगा कि

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे दूसरों ने सूचना दी थी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से कह रहा हूँ। वह कह रहे हैं देखे हैं मैंने।

श्री बाबूलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह लीपापोती से दिया है। आज भी वहां पीछे दो एनीकट बने हुए हैं। यह जब भी चाहें मेरे साथ-साथ जाकर देख लें।

श्री जुबेर खान : सिंचाई विभाग ने नहीं बनाये होंगे, पंचायत ने बनवा दिये होंगे।

श्री बाबूलाल : किसी भी विभाग ने बनाये हैं लेकिन बने हुए हैं आज के दिन। दूसरा, मेरा सवाल यह था कि इस बांध से दूदू और फागी के 54 गांवों की 7300 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, अब इस बांध में पानी क्यों नहीं आ रहा है अगर उसमें एनीकट नहीं बने हुए हैं तो? एक बात मेरी यह थी कि सरकार ने जब करोड़ों रुपये लगाकर इस बांध का निर्माण करवाया था, तो क्या सरकार इसको पुनः चालू करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : बांध को चालू करने का।

- **श्री बाबूलाल** : हां।

श्री अध्यक्ष : बांध में पानी आयेगा चालू हो जायेगा। हां बोलिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के अधिकारियों ने माननीय सदस्य से भी जानकारी की कि आपने स्वयं वहां मौका देखा है, कहीं एनीकट बने हुए हैं। क्योंकि मेरे अधिकारी वहां बीस किलोमीटर दूर स्वयं मौके पर जाकर आये हैं, उन्हें कहीं ऐसा एनीकट नजर नहीं आया। माननीय सदस्य को मुझे अधिकारियों ने बताया कि वह किसी दूसरे ने सूचना दी, उस आधार पर उन्हें यह सूचना मिली है। दूसरा, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि इसमें पानी की आवक कम क्यों हो रही है? क्या कारण हैं, और सिंचाई क्षमता कम क्यों हो गयी। अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट "ब" में यह सारा बताया है। एक्चुअल में इसमें रेनफाल का जो एवरेज माना जाता है उससे पिछले वर्षों में वरसात कम हुई है और उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें भी ज्यादातर रेतीला क्षेत्र है। एकदम फ्लड फाल उठता है तब तो उसमें भराव आता नहीं हैं। उसमें जैसे-जैसे वरसात बांध के आस-पास कैचमेंट के क्षेत्रों में अगर बराबर होती रही तो निश्चित तौर पर उसके अन्दर जो भराव क्षमता है वह हम हासिल कर सकते हैं। इसके जो कैचमेंट एरिया है वहां किसानों ने खेतों में मेडबंदी कर दी है। तो कई कारण रहे। रेनफाल की कमी होने की वजह से इसके अन्दर पानी कम आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जमदेवा का जो बांध बना है धौली पंचायत में, क्या वह बांडी नदी के कैचमेंट एरिया में नहीं है? वह बांध बना है तो उसके बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था और उससे क्या पिछले चार साल में कोई सिंचाई हुई है?

श्री अध्यक्ष : यह कौनसा बांध आ गया?

श्री गोपीराम जाट : जमदेवा का बांध, धौली पंचायत शाहपुरा। वह बांडी नदी के कैचमेंट में बना है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से है।

श्री गोपीराम जाट : यह इसी से रिलेटेड है। कालख बांध में पानी नहीं आने का कारण है जमदेवा के बांध का निर्माण होना। पिछले चार साल से उसमें कोई सिंचाई नहीं हुई और उसी वजह से कालख बांध में पानी नहीं आता है।

श्री बाबूलाल : अध्यक्ष महोदय, यही एनीकट बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यही है?

श्री बाबूलाल : हां। मंत्री महोदय को गुमराह किया है अधिकारियों ने और उन अधिकारियों की लापरवाही रही है बराबर। आज 6-7 साल से उसमें पानी नहीं आ रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : एनीकट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बांध है और उसी को वह एनीकट बता रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रश्नों का सार बनता है पिछले वर्षों में बरसात कम होने से रेनफाल जो माना है, उस औसत से बरसात कम होने से—

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह जो बता रहे हैं वह जमदेवा का बांध जो है उसकी वजह से आवक कम हुई है।

श्री देवीसिंह भाटी : उसमें भी यही कारण है। उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। लगातार यह पिछले वर्षों में बरसात कम हुई और रेतीला क्षेत्र होने से और जगह-जगह किसानों ने जो मेड़बंदी की उसके कारण यह हुआ है। जो बरसात का औसत माना है, उसके अनुरूप बरसात हुई तो निश्चित तौर पर उसके अन्दर पानी आता।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

भरतपुर जिले में विभाग के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सुविधा

668. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में शिक्षा विभाग के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन व नौकरी उपलब्ध करा दी गयी है। ऐसे कितने प्रकरण शेष हैं और किन कारणों से, और कब तक शेष प्रकरणों में वांछित कार्यवाही कर दी जायेगी? शेष प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : जी, हां। वर्ष 1993-94 में 21 मृत राज्य कर्मचारियों आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है। नियुक्ति के 10 प्रकरणों के आवेदन में कमी पूर्ति हेतु पुनः सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है।

पेंशन के 7 प्रकरण बकाया हैं। इनमें से 5 निदेशक, पेंशन विभाग के यहां स्वीकृति जारी करने हेतु भेजे जा चुके हैं। एक प्रकरण विभागीय जांच लम्बित होने के कारण लम्बित है एवं एक प्रकरण वेतन निर्धारण न होने से लम्बित है।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मृत राज्य कर्मचारियों के पेंशन के केसेज हैं, मेरा प्रश्न इस सम्बन्ध में हैं। तो मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने दो प्रकरणों में यह लिखा है कि एक प्रकरण विभागीय जांच लम्बित होने से लम्बित है एवं एक प्रकरण वेतन निर्धारित न होने से लम्बित है। यह मृत राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में है या किसी दूसरे के?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, मृत राज्य कर्मचारियों के।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था, श्रीमान् कि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मृत्यु के पश्चात् तो क्रिमनल केसेज भी ड्राप हो जाते हैं इस सिद्धान्त के ऊपर कि मृत व्यक्ति अपने बचाव में आकर के अपने को रिप्रजेण्ट नहीं कर सकता है। यह जो आप बता रहे हैं कि मृत राज्य कर्मचारी के विरुद्ध भी कोई जांच लम्बित है, तो किस प्रकार की जांच लम्बित है? आप एक संवेदनशील शिक्षा मंत्री हैं, क्या इस प्रकार की जांच मृत राज्य कर्मचारी के खिलाफ चलना मुनासिब है? किस कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही है, किस प्रकार की जांच चल रही है और कब से जांच चल रही है। दूसरा, श्रीमान् यह वेतन निर्धारण की प्रक्रिया कितने दिन से चल रही है जिसकी वजह से उसके आश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है? आपने तो अनाउंस यह किया है कि हम जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उसी दिन उसके हाथ में ग्रेचुएटी भी दे देंगे, पेंशन भी दे देंगे। तो यहां

(श्री हरिसिंह)

मृत्यु के पश्चात् भी यह प्रकरण कितने दिन से लम्बित चले आ रहे हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 9,18,27 में इनके वेतन का निर्धारण नहीं हो पाया उसके कारण से यह लम्बित है। इसमें कोशिश कर रहे हैं। कि बहुत शीघ्र इनके वेतन का निर्धारण करें। क्योंकि पेंशन बनेगी उसके आधार पर ही। पेंशन का मुद्दा जब तक वेतन में स्थिरीकरण नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से कर नहीं पाऐंगे। इसलिए इसके लिए जितना जल्दी से जल्दी सम्भव है, इस प्रकरण में वेतन निर्धारण करके इनकी पेंशन निर्धारित कर देंगे। जो लम्बित जांच है उसमें पूरी डिटेल तो मैं आपको अभी नहीं कह सकता हूँ लेकिन कोई न कोई आर्थिक दृष्टि से ही, उनके ऊपर आरोप हैं, इसलिए उसके निर्धारण में पेंशन देने के पहले उसमें से क्या किस तरह से उसकी पूर्ति करनी है या नहीं करनी है उसके कारण से वह लम्बित है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या मृतक कर्मचारी के विरुद्ध भी कोई जांच लम्बित हो सकती है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं आज, जो कुछ भी उनसे रिकवरी होगी वह तो जो उनकी पेंशन है उसमें से लेकर के ही होगी बाकी बची हुई उनको देनी पड़ेगी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप कोई भी आर्थिक रकम किसी के ऊपर बकाया निकालेंगे तो मृत व्यक्ति पर तो उसका जबाव कौन देगा, रि-प्रजेण्ट कौन करेगा कि आप जो रकम निकाल रहे हैं वह सही निकाल रहे हैं अथवा नहीं निकाल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सहानुभूति पूर्वक उस केस को मैं व्यक्तिगत रूप से मंगाकर देख लूंगा। उसमें जितनी मदद करना सम्भव होगी उतनी निश्चित रूप से मैं करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह फिक्सेशन के मामले वर्षों तक चलते रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। मैं मंत्री महोदय से आपके मार्फत जानना चाहूँगा कि क्या एड-हॉक पेंशन दे कर के तुरन्त रिलीफ नहीं दी जा सकती है ? कर्मचारी का फिक्सेशन होता रहेगा, उसके बाद में पेंशन रिवाइज हो जाएगी। एडहॉक तो तुरन्त दी जा सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तदर्थ दे कर के आप उनको निपटा दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एडहॉक पेंशन तो निश्चित रूप से दी जा रही है। एडहॉक का चक्कर नहीं है, पूरी पेंशन प्रकरण निपटाने का चक्कर है और इसमें कोई कमी रह गयी है तो एडहॉक के हिसाब से उसकी भी पूर्ति करेंगे।

प्रश्न संख्या 669

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री कालूलाल गुर्जर। अनुपस्थित

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

स्थगित-प्रश्न

नैक्स्ट, श्री परसादी लाल मीणा।

(दिनांक 18 मार्च, 1994)

ऋण माफी योजनान्तर्गत कृषकों को ऋण माफी

416. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि माफी की गयी ? राशि का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऋण

(10)

(श्री परसादी लाल मीणा)

भरण राहत योजना में ऋण माफ करने के बाद भी विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों की भूमि मुक्त नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब ही नहीं आया। यह स्थगित कर दिया। जवाब दिलायें, मेरे को जवाब की कॉपी

श्री अध्यक्ष : जवाब अभी दिला रहा हूँ। मेरे पास पत्र आया है कि जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं उन्होंने जो भी कर्जा माफ किया है वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट के कहने से किया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल हमारा को-ऑपरेटिवज का है, वह आपको जवाब दे दिया था।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी तो यह सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हुए थकते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप मत दीजिये श्रेय उनको। आप मत दीजिये वह श्रेय।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना करवा दिया, आप यह तो बता दीजिये कि कितना करवा दिया, कहां से करवा दिया, हमें मालूम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : को-ऑपरेटिव का तो आपको जवाब दे दिया था, वही है.....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : वह तो ताऊ की कृपा हुई थी।

श्री अध्यक्ष : वह तो वही है और सैण्ट्रल का इन्होंने यह जवाब दिया है। अब यह

श्री रामनारायण चौधरी : सैण्ट्रल का भी कितना कर्ज माफ हुआ है उसका तो जवाब आता न हमारे पास.....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कह दिया स्थगित है

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था तो.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि चूंकि नेशनलाइज बैंक ने जो कर्ज माफ किये वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट से हैं, हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है उसका। यह वित्त विभाग कह रहा है। (व्यवधान) हमारे पास नहीं है। हमारे यहां तो केवल को-ऑपरेटिव ने किये हैं वह आपको जवाब दे दिया था।

श्री परसादी लाल मीणा : बाकी का इनके पास कोई रिप्लाई नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई नहीं है।

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : अध्यक्ष महोदय, वह रिकार्ड केन्द्र सरकार के पास ही रहता है, हमारे पास उसका रिकार्ड नहीं रहता है और जो.....

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब तो दे दो आप

श्री अध्यक्ष : वही जवाब दे रहे हैं। वही जवाब दे रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : सहकारी बैंकों के माध्यम से जो कर्ज माफ किये गये हैं उसका जवाब पहले भी यहां दिया जा चुका था।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपये राजस्थान के काश्तकारों के.....

श्री अध्यक्ष : हां तो वह अरबों रुपये हो गये न, 335 का दिया है तो तीन अरब तो हो गये.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आंकड़े इनके पास होने चाहिए या हवा में यूं छोड़े जा रहे हैं कि हमने इतने कर दिये।

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो मंत्रीजी से

(श्री परसादी लाल मीणा)

मैं जानना चाहूंगा, इन्होंने जो नेशनलाइज बैंक हैं उनका कितना कर्जा राजस्थान के किसानों का माफ हुआ? यह भी रिकार्ड नहीं है इनके पास?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं है इनके पास।

श्री परसादी लाल मीणा : फिर वह क्यों कहते हैं कि हमने कर्जे माफ कर दिये, यह कर दिया और वह कर दिया।

श्री अध्यक्ष : सहकारी बैंको के किये हैं वह आपको बता दिये हैं.....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : यह कहें कि को-ऑपरेटिव के माफ किये हैं हमने।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, लीगली वह बात ठीक है, कानूनन वह बात ठीक है लेकिन व्यवहारिक जो सैण्ट्रर की स्कीम हैं जो सैण्ट्रर गवर्नमेंट राजस्थान में (व्यवधान) उनके तो यह आंकड़े नहीं देते। सारे आंकड़े इनके पास होते हैं, हालांकि वह लीगली.....

श्री अध्यक्ष : नहीं, राजस्थान में तो जो सहकारी बैंकों के कर्जे माफ किये हैं वह आपको बता दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : आंकड़े सरकार के पास हैं, सैण्ट्रल स्कीम जितनी भी हैं, सबके आंकड़े हैं। सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने कहां कितने पैसे खर्च किये हैं, आंकड़े आपके पास आ जाएंगे.....

श्री अध्यक्ष : वित्त विभाग कह रहा है कि आंकड़े नहीं हैं और आप कह रहे हैं आंकड़े हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, आंकड़े हैं यहां।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, जब किसानों पर यह भारी कृपा हो रही थी.....

श्री अध्यक्ष : ऐसा करिये, आप इस प्रश्न को प्रश्न कमेटी को भेज दो। हम जांच कर लेंगे आंकडे हैं कि नहीं, प्रमाण मिल जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, एक बात यह जो कही गयी, चूंकि नेशनलाइज बैंक का मुद्दा है, क्या राज्य सरकार इस मामले में हैल्पलेस है? क्या राज्य सरकार ने केन्द्र के वित्त मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है? और क्या राज्य सरकार ने यह जानकारी महज इसलिए प्राप्त नहीं की क्योंकि यह पूरी कृपा केन्द्र सरकार की हुई?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं

श्री जगदीप धनखड़ : ढोल तो यहां बजाया है, मान्यवर, और काम हमने वहां दिल्ली बैठकर किया था। (व्यवधान) ताऊ की कृपा पूरे देश के किसानों पर हुई और उसी की कृपा की वजह से आप क्रेडिट ले रहे हैं।

प्रश्न संख्या 670

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री राम गोपाल बैरवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए ताऊ को छोड़कर गये।

श्री जगदीप धनखड़ : ताऊ को कोई नहीं छोड़ता। ताऊ किसानों के दिल में बसे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ताऊ से नाराज क्यों हो गये?

श्री जगदीप धनखड़ : ताऊ से नाराज हुआ ही नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : छोड़ा क्यों? छोड़ क्यों गये? (व्यवधान) उनको छोड़ क्यों दिया?

श्री जगदीप धनखड़ : ताऊ से न मैं नाराज हुआ, न भैरोंसिंह जी हुए।

श्री अध्यक्ष : अब आप ताऊ की प्रशंसा करते रहिए.....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : प्रशंसा का काम मुख्यमंत्रीजी का है। (व्यवधान) उम्मीद पूरी रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

उदयपुर–चित्तौड़ वाया मावली के मध्य मिडवे

671. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर चित्तौड़ वाया मावली होकर पर्यटन विभाग का कोई मिडवे है ?

(2) क्या उदयपुर डबोक अड्डे से नाथद्वारा जाने के लिए मावली होकर जाना पड़ता है ?

(3) क्या उदयपुर से चित्तौड़ के बीच एक मिडवे मावली-फतेहनगर के लिए स्वीकृत किया गया था और उसकी राशि के बाद में अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। डबोक हवाई अड्डे से नाथ द्वारा जाने के लिये वाया मावली कम दूरी होने के कारण इस मार्ग का उपयोग किया जाता है।

(3) जी हां। मावली में पर्यटकों के लिये मार्गस्थ सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया था। किन्तु उपयुक्त स्थान पर जमीन का आवंटन नहीं होने के कारण इस राशि को पाली-सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शिवगंज में मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया। यह स्थल जोधपुर माउन्ट आबू तथा माउण्ट आबू-उदयपुर जाने वाले पर्यटकों के लिये सुविधाजनक तथा उपयुक्त है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से जाने वाले, चित्तौड़ होकर वहां जो जाते हैं उदयपुर की तरफ या नाथद्वारा की तरफ, फतेहनगर और मावली एक ऐसा स्थान हैं जो बीच में पड़ता है और हजारों-लाखों यात्री उधर से गुजरते हैं और स्थान भी उपलब्ध करवा दिया था। मैं मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में इसको ले रहे हैं, या क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : देखिये, स्थान आपने नहीं कराया और अभी भी है खराब सी जगह (व्यवधान) हां, बढ़िया जगह दिलाओ, अगले साल ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

निदेशालय व अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों का बैकलॉग

672. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निदेशालय, समाज कल्याण विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति वर्ग के आरक्षित कितने पद रिक्त हैं ? पद अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं

(श्री मदन दिलावर)

पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधी के पदों को भरे जाने के लिये पूर्व में भेजी गयी अभ्यर्थना से पिछड़ी जाति के निर्धारित रोस्टर के आधार पर संशोधित अभ्यर्थना भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ सेवा संवर्ग के अन्य पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मंत्रालयिक संवर्ग के पदों को भरने के लिये रिक्तियों की सूचना कार्मिक विभाग को भिजवाई जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि विभागीय पदोन्नति से जो पद भरे जाने चाहिए थे और जो काफी लम्बे समय से रिक्त हैं, आपने उनको भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की छात्रावास अधीक्षकों के पद जो काफी लम्बे समय से रिक्त हैं आपने बीच में उनके प्रार्थना पत्र मांगे और उसमें गड़बड़िया हुई क्या आप उन पुराने प्रार्थना पत्रों, जो विचाराधीन हैं, भरेंगे या नये यहां पर प्रार्थना पत्र मांगेंगे ? इन पदों को आप कब तक भरेंगे ? सारे छात्रावास खाली पड़े हैं और यह पद काफी लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं। जब आप इधर माननीय सदस्य थे तो बहुत जोर-शोर से कहते थे कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पदों को नहीं भर रहे हैं। तो, मंत्री महोदय, आप तो स्वयं ही भरने वाले हैं, आप निश्चित अवधि बता दीजिये कि कब तक इन सारे पदों को भर देंगे और इन पर जैसे कि विभाग का यह कायदा है, इस वर्ग के उपयुक्त अभ्यार्थी नहीं मिले तो क्या आप सामान्य वर्ग से भरेंगे या उन्हीं से भरेंगे ? आपकी क्या नीति है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार छात्रावास अधीक्षकों के 22 पदों के लिए हमने एडवरटाइजमेंट किया था। प्रार्थना पत्र आये थे और 47 हजार से भी अधिक प्रार्थना-पत्र हमें मिले थे। उनके इन्टरव्यूज लिए परन्तु कई लोगों ने शिकायतें की। माननीय न्यायालय में भी गये और कई केसेज अभी विचाराधीन हैं। तो सारा कुछ देखने के बाद और इतनी सारी शिकायतें मिलने के बाद उन प्रार्थना पत्रों के आधार पर जो मरने वाले थे, हमने सारी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पहले तो 22 पद ही थे, इस समय 115 पद भरने हैं इसलिए हम नये सिरे से या तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से नाम मांगेंगे या और एडवर्टाइजमेंट करके नाम मांगेंगे। इस पर विचार चल रहा है। लेकिन माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अतिशीघ्र इन पदों को भर लिया जाएगा। माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको अभ्यर्थी नहीं मिले तो सामान्य से भरेंगे क्या। मैं ऐसा नहीं मानता कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बेरोजगार हैं। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से ही उन पदों को भरा जाएगा जितना उनका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से और जितने सामान्य से भरे जाने हैं उनको सामान्य से भरा जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महादेय, आपके पास जैसे 19 जिला समाज कल्याण अधिकारी के 4 एस.सी. के, 2 एस.टी. के और 4 ओ.बी.सी. के पद रिक्त हैं, यदि आपके विभाग में ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं तो क्या आप इनको विभागीय पदोन्नति से भरेंगे ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको शीघ्र ही भरा जायेगा।

(१५)

श्री परसादी लाल मीणा : विभागीय पदोन्नति से भरने का विचार है क्या यदि आपके पास उपयुक्त हैं तो ?

श्री मदन दिलावर : इस मामले में जो भी नियम हैं उनके अनुसार भर्ती किये जाएंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : जब आपके पास विभाग के उपयुक्त अधिकारी हैं तो आप सीधी भर्ती से क्यों भरते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सीधी भर्ती के नियम हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : जब आप विभागीय पदोन्नति से यह पद नहीं भर रहे हैं इसलिए लम्बे समय से यह पद रिक्त हैं। एस.सी., एस.टी. में जो विभागीय पदोन्नति होनी चाहिए वह विभाग में हुई नहीं है इसलिए काफी लम्बे समय से यह पद रिक्त चल रहे हैं। जब विभागीय पदोन्नति से पद भरे जा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं भर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : सर्विस रूल्स में जो पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए वह अलग हैं और सीधी भर्ती के अलग हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : जिला समाज कल्याण अधिकारी के कितने पद आप सीधी भर्ती से भरेंगे और कितने पद आप पदोन्नति से भरेंगे ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 पद हमारे पास रिक्त हैं आपने पूछा है कि किस तरह से इनको भरेंगे। तो जैसा नियमों में प्रावधान होगा, जितने पद सीधे भर्ती से भरे जा सकते हैं उससे भरेंगे और जितने प्रमोशन करके लिये जा सकते हैं उससे लिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

केकड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

673. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भिनाय एवं केकड़ी विधान सभा क्षेत्रों में कहां-कहां पशु चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु चिकित्सालय के अलावा कहां-कहां अन्य ऐसे केन्द्र हैं जहां कम्पाउन्डर या अन्य कर्मचारी पशुपालन विभाग की ओर से बैठते हैं ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय या अन्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) भिनाय विधान सभा क्षेत्र में चार चिकित्सालय एवं तीन औषधालय कार्यरत हैं। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में आठ पशुचिकित्सालय तीन औषधालय एवं दो उप केन्द्र स्थापित हैं। सूची संलग्न है।

(2) चिकित्सा संस्थाओं के अलावा मेहरू कलां एवं जूनियां में उपकेन्द्र स्थापित हैं। जिसमें केवल एक पशुधन सहायक पदस्थापित है।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोई भी पशु चिकित्सालय अथवा औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि औषधालय, चिकित्सालय और उप-केन्द्र खोलने के सरकार के क्या प्रावधान हैं, क्या नीति है और नीति के अनुरूप क्या केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र में सभी जगह औषधालय, चिकित्सालय और उप-केन्द्र खोल दिये गये हैं ? इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि सभी चिकित्सालय, औषधालय और उपकेन्द्रों में प्रावधान के अन्तर्गत जो पद सृजित किये गये हैं उनकी पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक केकड़ी विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, यहां पर दो पशु चिकित्सालय हैं, उनमें सभी पद भरे हुए हैं। एक सावर में जो पद रिक्त था तो माननीय सदस्य और हम सावर गये थे। उस समय उन्होंने मेरे सामने यह समस्या बताई थी तो उस पद को भी भर दिया गया है। जहां तक पशु चिकित्सालय, औषधालय खोलने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, पशुधन की जनसंख्या, गांव, सड़क, डाक आदि जो भी सुविधाऐं हैं और आसपास में 10-15 किलोमीटर क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, इन सबको देखते हुए नया पशु चिकित्सालय खोला जाता है। माननीय सदस्य ने अभी मुझे दो तीन जगहों के बारे में प्रस्ताव दिया था उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिनारायण बैरवा।

डांग विकास बोर्ड का गठन

674. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार, सपोटरा, करोली, हिण्डौन के डांग क्षेत्र में बसे अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े उपेक्षित एवं विपन्न लोगों के विकास के लिए पृथक से योजना बनाकर उनका विकास करने का विचार रखती हैं ?

(2) क्या दिनांक 20-12-1991 को तहसील खण्डार के ग्राम वहरांवड़ा कलां की जन सभा में मुख्य मंत्री महोदय ने इस डांग क्षेत्र के विकास के लिए पृथक से योजना तैयार कर उसके लिए बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसके क्रियान्वयन के लिए 'डांग क्षेत्र', 317 ग्रामों की पहचान कर उनके विकास के लिए डांग विकास बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर विचार हुआ ? यदि हां, तो डांग विकास बोर्ड कब तक गठित कर डांग क्षेत्र के विकास कार्य प्रारम्भ कराये जावेंगे ? उक्त प्रस्तावित बोर्ड के स्वरूप, कार्य पद्धति के सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, नीति निर्धारण (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) डांग क्षेत्र के विकास हेतु ग्रामों की पहचान, डांग विकास बोर्ड के गठन व योजना बनाने व क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री हरिनारायण बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, डांग क्षेत्र का जो बोर्ड का गठन हुआ है उसमें यह तो कह दिया कि गांवों की पहचान भी कर ली गयी है, योजना भी लागू करने के लिए कार्य चालू कर दिया है लेकिन इसको कब तक चालू करने की आशा है ? जो 1995 वर्ष खतम होगा इसमें इन गांवों को लाभ मिलेगा या नहीं ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ क्षेत्रीय विकास मण्डल का जिस तरह से गठन हुआ है उसकी लाइन के ऊपर इस बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्री अध्यक्ष : कब तक हो जाएगा, यह पूछ रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर रहे हैं और प्रयास यह कर रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना का लाभ वहां के क्षेत्र वालों को मिल सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ओमप्रकाश

बूंदी जिले में बोरका खाल बांध का नवीनीकरण

675. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में बोरका खाल (बड़कू) में पुराने बांध के स्थान पर नया बांध बनाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में इसी बांध में 3 किलोमीटर आगे नया बांध बनाने का ठेका हुआ था? यदि हां, तो अब तक क्या स्थिति है?

(3) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में नये बांध बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कौन-कौन सी?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। बोर के खाल बांध से लगभग ढाई किलोमीटर डाउन स्ट्रीम (नीचे) में बड़कू नाम से नया बांध बनाने का ठेका वर्ष जनवरी, 1989 में हुआ था। इस बांध के निर्माण पर दिनांक 26-4-89 को न्यायालय बूंदी से स्थगन आदेश प्राप्त होने पर बांध का कार्य रोक देना पड़ा। तब से कार्य यथास्थिति में है।

(3) जी हाँ। जिले में 61 लघु सिंचाई योजनाओं के स्थल चिन्हित किये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक, क्या यह सही है कि बड़कू में बोर के खाल का जो पुराना बांध है उसको ठीक करने से लगभग 500 एकड़ भूमि सिंचित होगी? दो, क्या यह सही है कि नये बड़कू के नाम से नया बांध बनाने से जमीन सिंचित होगी? यदि हाँ, तो कितनी? तीन, क्या यह सही है कि केवल इस गांव को उक्त स्थान से हटाने के लिये इस बांध का निर्माण राजनैतिक आधार पर किया गया था, इसी कारण अदालत में ग्रामवासी गये? चार क्या यह सही है कि बूंदी जिले की 61 लघु सिंचाई योजनाओं के गरडा की फाइल केन्द्रीय जल आयोग के पास बरसों से पड़ी हुई है और बार बार कोई न कोई कमी निकाली जाती है। इसकी स्वीकृति करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि क्या बड़कू बांध की कोई राजनैतिक कारणों से स्वीकृति जारी की गयी है तो अलग-अलग योजनाओं के लिये अध्यक्ष महोदय, जन-प्रतिनिधि और जनता से मांग होती है और यदि वह स्कीम वायबल होती है और उस काम और लागत अनुमान भी देखा जाता है, पानी का आवक क्षेत्र भी देखा जाता है, यह सारी परिस्थितियाँ देखकर ही इसकी स्वीकृति जारी की गयी। यह बात सही है कि जैसे ही इसका निर्माण कार्य चालू हुआ उसके बाद में स्थानीय काश्तकारों ने बूंदी कोर्ट से स्टे ले लिया और तब से इसके अन्दर निरन्तर स्टे चल रहा है और अभी तक इसमें कोई कार्य चालू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि बड़कू बांध से कितना क्षेत्र सिंचित होगा। तो बड़कू बांध जो बनना प्रस्तावित है उससे 329 एकड़ क्षेत्र में भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है। बोर का खाल के बारे में आपने जानकारी चाही है तो इसमें पूर्व से ही 40 एकड़ भूमि सिंचित होती आयी है और यह अलग-अलग वर्षा के औसत के ऊपर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि गरडा जो लघु सिंचाई योजना है उसकी क्या स्थिति है? यह सेन्ट्रल वाटर कमीशन से स्वीकृत हो गयी है, अभी पर्यावरण मंत्रालय से इसकी स्वीकृति होनी है। यह स्वीकृति जारी होने पर काम कर लिया जाएगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि 326 एकड़ भूमि सिंचित होगी। वहाँ पर अब कोई जमीन नहीं है, सारी खाने लग चुकी हैं। पुराना बांध था उससे 500 एकड़ जमीन सिंचित होती थी। नया बांध जो बन रहा है वहाँ खानें लग गयी हैं, जमीन नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह सही है कि इसका जो कैचमेंट एरिया है उसके अन्दर पत्थर की खानों में खनन कार्य शुरू हो गया। मौके पर अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी किया है। जो वास्तव में इसका कमाण्ड क्षेत्र माना गया था वह घट गया है। उस परिस्थिति में अब पुनः इसके ऊपर हम विचार करेंगे। क्योंकि बूंदी कोर्ट से स्टे है, लम्बित पड़ा है, इस पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी काफी हो गया है और न इसका कोई निर्णय हो रहा है, इसके बारे में हम जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

प्रश्न संख्या 676

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जोगेश्वर गर्ग।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भगवानदास।

तहसील चौहटन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

677. **श्री भगवान दास** (चौहटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन में किस-किस श्रेणी के चिकित्सालय/चिकित्सा केन्द्र कहाँ-कहाँ पर हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौन सी श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार सभी चिकित्सालयों/केन्द्रों में अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा इनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्यरत चिकित्सक अपने मुख्यालयों पर रहते हैं? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्राप्त सूचना के आधार पर सामान्यतयाः सभी चिकित्सक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री भगवान दास : माननीय अध्यक्ष महोदय, 71 स्थान तो पदस्थापन के कारण खाली हैं और 27 स्थान स्थानान्तरण के कारण खाली हैं। मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूँ कि ये कब भरे जाएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो स्थान पदस्थापन के कारण भरे जाएंगे वे तो, जिस तरह मैंने सदन में पहले भी आश्वासन दिया है, छह माह में डी. पी. सी. कराके पदोन्नति के सारे स्थान भर दिये जाएंगे और चिकित्साधिकारी के जो पद रिक्त हैं, वे अप्रेल के आखिरी सप्ताह तक सारे पदों को भर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल गरासिया।

राजस्थान हाई कोर्ट बैंच की उदयपुर में स्थापना के प्रस्ताव

678. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान हाई कोर्ट बैंच की स्थापना उदयपुर में करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उदयपुर डिवीजन में प्रति माह की सात तारीख को बैंच की स्थापना के लिये हड़ताल होती है व न्यायालय का बहिष्कार होता है ?

(3) क्या राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जिन्हें जोधपुर पेशियों पर जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो कब तक सरकार उक्त कार्यवाही सम्पूर्ण करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में छुट्टियों की वजह से जवाब नहीं आया इसका। पोस्टपोन कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पहले ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हाँ जल्दी लेंगे।

प्रश्न संख्या 679

नैक्स्ट, श्री गोपीचन्द।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 680

नैक्स्ट श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 681

नैक्स्ट, श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

पिछौला, फतहसागर व स्वरूपसागर (उदयपुर) में पानी की भराव क्षमता

682, श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर के मुख्य पेयजल स्रोत पिछौला, फतहसागर एवं स्वरुपसागर में पानी की भराव क्षमता कुल प्रत्येक की कितनी है और क्या इसकी भराव क्षमता में दिनों दिन कमी आ रही है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार की इन झीलों की भराव क्षमता को कम नहीं होने देने के लिए क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर के तालाबों में बढ़ती जलकुम्भी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई नीति बनायी है ? यदि हाँ, तो क्या ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) पिछौला तथा स्वरुपसागर की सम्मिलित भराव क्षमता 483 मिलियन घन फीट एवं फतहसागर की 427 मिलियन घन फीट है। इनकी भराव क्षमता में निम्न कारणों से निरन्तर कमी आ रही है :

1. वर्षा ऋतु में जल आवक के साथ सिल्ट आना।

2. स्थानीय नागरिकों द्वारा समय समय पर इसमें मलवा डालना।

3. पेटे में किनारों पर भरती भरकर अन्य निर्माण कार्य कराना।

4. झीलों के चारों ओर बसी आबादी के अधिकांश सीवरेज की आवक।

5. झीलों में जलकुम्भी का फैलाव।

झीलों में भराव क्षमता की कमी को रोकने के लिये जिला प्रशासन के माध्यम से ज़लकुंभी

(श्री देवीसिंह भाटी)

निकाली जा रही है तथा जलकुम्भी की वृद्धि को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं। मकानों व होटलों का गन्दा जल झील में नहीं गिरे, इसके लिये सीवरेज योजना बनायी गयी है। झीलों को स्वच्छ रखने हेतु एक 4.56 करोड़ रुपये का पायलट प्रोजेक्ट भी विचाराधीन है।

(2) जी हाँ, उपरोक्तानुसार।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर दिया गया है, यह उत्तर देने में राज्य सरकार को लज्जा महसूस होनी चाहिए। राज्य सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि वर्षा ऋतु में सिल्ट आती है, उसको हटाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे। इसमें यह भी दिया गया है कि नागरिकों द्वारा इसमें मलबा डाला जाता है, इसके किनारे भरकर अन्य निर्माण कार्य कराये गये हैं, झील के चारों ओर बड़ी आबादी होने से इसमें सीवरेज का पानी आता है और जलकुम्भी पनपती है। इस पानी को उस नगर के लोगों को पिलाया जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि खण्ड दो-तीन-चार-पाँच के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? सिंचाई विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, यू. आई. टी. के अधिकारी जिम्मेदार हैं या नगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं? अगर ये अधिकारी सब जिम्मेदार हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ आज तक राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? अगर नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी?

मान्यवर, जो प्रोजेक्ट बनाया गया, सीवरेज योजना की बात की गयी, मेरा ख्याल है गुलाब चन्द जी कटारिया इस सदन के सदस्य थे तब से लेकर सीवरेज योजना के बारे में अनेक प्रश्न उठाते रहे, अनेक बार उन्होंने कहा। करोड़ो रुपये उस जमीन के अन्दर दबा दिये गये, आज भी वहां की सीवरेज योजना ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। पिछली बार उसको ठीक कराने की कोशिश की गयी। यह 4.56 करोड़ की योजना किसी न किसी ऋण से पूरी होने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरी हो जाएगी आर इन अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही हो जाएगी?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि पिछौला, स्वरुपसागर और फतहसागर जो झीलें हैं, ये सिंचाई विभाग की सिर्फ देखरेख में हैं। जैसे आपने अभी चिन्ता जाहिर की कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, तो इसमें उदयपुर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गयीं कि एकदम झीलों के ऊपर ही लोगों ने मकानों का निर्माण कर लिया। पुराने मकान बने हुए हैं उनमें कुछ तोड़फोड़ करके नया बना रहे हैं तो भी मलबा झील के अन्दर, सीवरेज है उसका पानी भी झील के अन्दर डाल रहे हैं। इसमें आपकी चिंता बिल्कुल सही है।

इसमें आपने एक चिन्ता यह भी जाहिर की कि इसमें सिल्ट की आवक क्यों होती है। जैसे फतहसागर का आठ वर्ग मील का जलग्रहण क्षेत्र है, इसका अधिकांश पानी चिकलवास फीडर से इसमें आता है तालाब के डाइवर्शन से। यहां भी इसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। पिछौला और स्वरुपसागर में सिसरमा नदी पर जल नियन्त्रण योजना, नांदेसर बनायी गयी है, उससे भी सिल्ट की आवक काफी कम हुई है। यह प्रयास निरन्तर हमारे जारी हैं। इसमें अलग-अलग विभाग जुड़े हुए हैं अलग-अलग स्तर पर। पूर्व में भी शायद आपने सहयोग दिया होगा, वहां की जनता ने सहयोग दिया। जलकुम्भी की समस्या ने जो विकराल रुप धारण कर लिया उसका कारण है सिल्ट का आ और सीवरेज का गन्दा पानी।

(20)

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसमें वहां की जनता ने पूरा सहयोग दिया। वहां के प्रशासन ने भी लगकर काफी वीड्स और जलकुम्भी निकाली।

आपने जो पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाही है, हमारे टाउन प्लानर वहां से स्कीम बनाकर भेज दी है। यह सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही उसके अंदर प्रयास करके निर्णय करवा देंगे जिससे आपकी समस्या का काफी समाधान हो जाएगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसमें जो मूल समस्या है वह यह है कि इसके किनारे बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनके होटल हैं इस क्षेत्र में। बहुत प्रभावशाली लोग हैं जिनके मकान इस क्षेत्र में हैं, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से पानी की क्षमता को कम किया गया है। अगर इसके चारों तरफ एक सड़क आप बनवा दें तो इस पर अतिक्रमण रुक जाएंगे। होटल वाले लोग जो बहुत प्रभावशाली हैं, जिनके मकान हैं, जिन्होंने इस तालाब के अंदर जमीन पर कब्जा कर लिया है, उनके कब्जे निरस्त करा दिये जाएं। जहां तक सिल्ट आने का सवाल है, रायल्टी लेते हैं इस पर। जिस समय ये खाली रहते हैं, सूख जाते हैं आप किसानों को छूट दे दें तो किसान सिल्ट की मिट्टी को खोद खोद कर ले जाएंगे और उनके खेत आबाद होंगे। उस वजह से यह सिल्ट जमा हो रही है और जैसा आपने कहा कि नांदेसर की वजह से, उस फीडर की वजह से यह सारा का सारा होता है। ये नहरें तो कभी साफ होती ही नहीं हैं। अगर इन नहरों को साफ किया जाए तो यह मिट्टी आनी रुक सकती है। इसमें निश्चित रुप से अधिकारियों की नेग्लीजेन्स है क्योंकि आपकी, शासन की कम्प्लीट जिम्मेदारी है। इसलिए सभी मंत्री जो इससे सम्बन्धित हैं उनके साथ बैठकर इस नगर की आप चिन्ता करें तो हम लोगों का कष्ट दूर हो सकता है। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी।

श्री पूनम चंद विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न केवल फतेहसागर, पिछौला और स्वरुपसागर तक का ही नहीं है। जितने राजस्थान में बड़े-बड़े शहर हैं उनमें बहुत ही बढ़िया-बढ़िया तालाब थे जो करोड़ों-अरबों की लागत से भी अब नहीं बन सकते। एक तरफ पेयजल की समस्या भयंकर रुप से खड़ी हो रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है कि बड़े-बड़े शहरों के जो प्राचीन तालाब और दूसरे जल के स्रोत हैं उनकी रक्षा की जाए, उनके सम्बन्ध में नीति बनायी जाए। आनासागर कितना बढ़िया तालाब था, उसके किनारे शहर का शहर बसा लिया। तो इसके बारे में राज्य सरकार कुछ सोचती है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : प्यासी मारना चाहती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आप तो मोटे हो रहे हो। वे तो सूख रहे हैं बिना पानी के, आप मोटे हो रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्त्ता ने जो चिन्ता जाहिर की वह मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है____

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह चिन्ता बिल्कुल वाजिब है और अलग-अलग विभाग इससे जुड़े हुए हैं। जो भी उनके सुझाव हैं, जो उन्होंने आज दिये हैं, पूर्व में भी इस प्रकार के सुझाव आये हैं। तो हम विभिन्न विभाग चाहे पी.एच.ई.डी. से सम्बन्धित है, पर्यटन विभाग है, वहां स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, सबसे बातचीत

(श्री देवीसिंह भाटी)

करके उस पर निश्चित तौर पर जितना समाधान हो सकता है करेंगे। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया वह चिन्ता भी सही है, इससे कोई ना नहीं कर सकता। लेकिन यह समस्या आज से नहीं है। पूर्व में जो भी हमारे ये ट्रेडीशनल सोर्स थे, हमें पी.एचई.डी. की ये ऐसी रीजनल स्कीम बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि हम शुरु से इन पुराने तालाब कैचमेंट को संभाल लेते। इतने वर्षों में तो समस्या ने बड़ा विकराल रुप धारण कर लिया। अब मेरे ख्याल से हम उस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि सारों को तो संभालना मुश्किल है पर बचे खुचों को निश्चित तौर पर राज्य सरकार विचार करेगी। ऐसे जो पुराने स्रोत हैं उन पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोपीराम जाट।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : इसमें सारा सीवरेज का पानी पीना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब आप तो सलाह बाद में दीजिये। आप सलाह दे दीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जलकुंभी विकरालरुप से वापस आने लग गयी है और सारा का सारा पानी सूख जाएगा। हमारा तो मैन सोर्स पीने का पानी का वह पिछौला सागर ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

पंचायत समिति आमेर, झोटवाड़ा की प्राथमिक शालाओं को शहरी क्षेत्र में लेना

683. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति आमेर व झोटवाड़ा की काफी प्राथमिक शालाएं जयपुर नगर निगम की सीमा में आ गयी हैं? यदि हाँ, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन शालाओं को शिक्षा विभाग अपने अधीनस्थ लेने की कार्यवाही कर रहा है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(3) क्या यह भी सही है कि इन शालाओं को अध्यापक सहित शिक्षा विभाग अपने अधीन ले रहा है? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग इन शालाओं को अपने अधीन लेने की कार्यवाही करने में टाल-मटोल कर रहा है? जबकि पंचायत समितियाँ तुरन्त हस्तांतरित करना चाहती हैं? यदि हाँ, तो अब कब तक सरकार हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण कराने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। यह प्रकरण सरकार के प्रक्रियाधीन है।

(3) शालाओं को उनमें स्वीकृत पदों सहित शिक्षा विभाग शीघ्र ही अपने अधीनस्थ लेगा।

(4) जी नहीं, हस्तांतरण की कार्यवाही शिक्षा एवं विकास विभाग दोनों की सहमति से शीघ्र की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया कब-कब शुरु हुई और इनको शिक्षा विभाग अपने अधीन कब तक ले लेगा? इस क्षेत्र के अन्दर नगर निगम में आ जाने से जो स्कूलों के भवनों का अभाव था, पंचायत समिति उन भवनों

(श्री गोपीराम जाट)

का निर्माण नहीं कर रही है और उनकी मरम्मत का काम नहीं कर रही है तो उस स्थिति में उन भवनों की स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग क्या उनके मरम्मत के लिए जल्दी कोई व्यवस्था करा पायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत ही गम्भीर समस्या के रुप में है क्योंकि आमेर पंचायत समिति के 6 विद्यालय, सांगानेर पंचायत समिति के 43 विद्यालय और झोटवाड़ा के 26, ऐसे 75 विद्यालय इसकी सीमा बढ़ाने के कारण से अब इस नगर की सीमा में सम्मिलित हो गये। पिछले दो वर्षों से यह प्रयास था कि विकास विभाग हमको इनको सौंप दें। उसके लिये बराबर पत्र लिखे। इस बार हमने विकास विभाग के साथ बैठ कर के एक नीतिगत फैसला कर लिया कि अब जब भी हम किसी विद्यालय को लेंगे तो उनके पद सहित उनका स्टाफ तो उनको लौटा देंगे लेकिन वे सारे के सारे पद हमारे पास हस्तांतरित हो जाएंगे और उस समय से हम अपने सारे अध्यापक और उसकी सारी व्यवस्था अपने पास ले लेंगे। मैं सोचता हूं कि अगले सत्र तक इस सारी व्यवस्था को हम व्यवस्थित रुप से कर लेंगे।

प्रश्न संख्या- 684

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कमल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम।

हर्ष एवं देवगढ़ शाकम्बरी के पर्यटन स्थलों का विकास

685. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ऐतिहासिक और रमणीय स्थल हर्ष एवं देवगढ़ शाकम्बरी के पर्यटक स्थलों को विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सरकार द्वारा हर्ष एवं शाकम्बरी को आज तक राजस्थान के नक्शे में स्थान क्यों नहीं दिया गया ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) हर्ष एवं देवगढ़ शाकम्बरी में अधिकांशतः श्रद्धालुओं का आवागमन है। वर्तमान में इन स्थलों को विकसित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) पर्यटन विभाग किसी स्थल विशेष को पर्यटन के नक्शे पर नहीं लाता है। जिस स्थल पर वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का आवागमन रहता है, वह स्थल स्वतः ही पर्यटन स्थल के रुप में विख्यात हो जाता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से मैं जानना चाहता हूं। जहां इन्होंने लिखा है, केवल श्रद्धालु वहां जाते हैं यह सही नहीं है। श्रद्धालुओं के अलावा वह पर्यटन स्थल भी है और स्थानीय पर्यटक शाकम्बरी और हर्ष में काफी संख्या में जाते हैं। इसलिए अगर उनको विकसित किया जाए और जो सुविधाएं पर्यटन स्थल के रुप में ठहरने की और चाय-पानी की होती है मिडवे जैसी व्यवस्था की जाए शाकम्बरी और हर्ष में तो मैं समझता हूं कि शेखावाटी इलाके के दोनों तीनों स्थल पर्यटन स्थल के रुप में विकसित हो सकते हैं। काफी स्थानीय, विदेशी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन स्थानीय हजारों-लाखों की संख्या में हर्ष और शाकम्बरी में जाते हैं। रमणीय स्थल है। बरसात में तो ऐसे रमणीय स्थल हैं, शायद राजस्थान में ऐसे ऐतिहासिक कोई स्थान नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सुझाव पर गम्भीरता से विचार करिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : ये फरमा रहे हैं वह सही है। जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। देवगढ़ के नीचे देवगढ़ बसा हुआ है और वह ऊपर है। वहां पर ले जाने के लिए पैसों का बहुत साधन चाहिये।

श्री अमराराम : मंत्री महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं, हर्ष पर निजी सार्वजनिक संस्थाओं ने रोड चढ़ाई है, आपका एक पैसा नहीं लगा।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मेरी बात सुन लीजिये आप। इसमें हमने एक लाख और 11 हजार रुपये टंकी बनवाने के खर्च किये थे। टंकी बन गयी है। अभी पैसा इस साल में नहीं है, नैक्स्ट ईयर में हम इसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, आप पूछेंगे ?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मेरा एक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदया या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि हरियाणा और पंजाब की तरह ये जो मिडवे हैं, सारे राजस्थान में जगह-जगह इसका विकास हो ?

श्री अध्यक्ष : यह मिडवे का सवाल थोड़े ही है।

श्री राधेश्याम : ऐसा निवेदन है कि जैसे हमारे गंगानगर में पंजाब और हरियाणा लगता है बराबर में, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहां पर पर्यटक बहुत आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में इसकी कमी महसूस की जाती है तो क्या मंत्रीजी का कोई इस तरह का विचार है, वहां भी कोई बनाने की स्कीम है क्या इनकी ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह आप दुबारा प्रश्न कीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये
कृपया परिशिष्ट – 6 देखें।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा जिले के ग्राम बागौर के अस्पताल का जीर्णोद्धार

669. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के ग्राम बागौर के अस्पताल का भवन जीर्ण-शीर्ण हो रहा है जिसकी मरम्मत आवश्यक है।

(2) क्या इस अस्पताल भवन की मरम्मत व परिवर्तन हेतु वर्ष 1992 में बागोर निवासियों के निवेदन पर तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी ने भवन का अवलोकन कर 2 लाख रुपये भवन मरम्मत व निर्माण हेतु स्वीकृत किये थे ?

(3) क्या यह राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करादी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक इस भवन की मरम्मत व निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम बागौर के अस्पताल की बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है, किन्तु कुछ मरम्मत आदि की आवश्यकता है।

(2) जी हां,

(3) जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला भीलवाड़ा से मररम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत का ब्यौरा प्राप्त नहीं होने के कारण दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। अनुमानित लागत का ब्यौरा (एस्टीमेट) प्राप्त होने पर, यथानुसार राशि उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

(२५)

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभिभाषकों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ

670. श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर एवं बैंच जयपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभिभाषकों में से कितने राजकीय अभिभाषक, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें उक्त पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के और अधिक अभिभाषकों को उक्त पदों पर लगाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) सरकार ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के अभिभाषकों को नियुक्ति दिये जाने के पक्ष में है। लेकिन सात वर्ष की वकालत के अनुभव के योग्य व इच्छुक अभिभाषकों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्तियां उक्त पदों पर नहीं की जा सकी हैं।

राज्य में शिक्षाकर्मी योजना

676. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह वतान की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में शिक्षा कर्मी योजना कव से चल रही है? यह योजना वर्तमान में किन-किन पंचायत समितियों में चल रही है ?

(2) इस योजनान्तर्गत कुल कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं तथा उनमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं? इस योजनान्तर्गत कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) उक्त शिक्षकों को कुल कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होता है तथा उसके लिए उन्हें क्या-क्या वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जाती हैं? क्या सरकार इन सुविधाओं को पर्याप्त एवं न्यायोचित मानती है ?

(4) क्या सरकार इस योजना की सफलता के प्रति आशान्वित है ? यदि हां, तो इस योजना के और विस्तार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना जुलाई, 87 से चल रही है। वर्तमान में राज्य की 23 जिलों की 58 पंचायत समिति में यह योजना संचालित है। पंचायत समितियों की सूची संलग्न है।

(2) इस योजना में 940 प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं जिनमें 2205 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं एवं 102454 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(3) शिक्षाकर्मी (शिक्षक) जो दिन के विद्यालय में कार्य करते हैं उन्हें सामान्यतः 5 से 6 घंटे तक कार्य करना होता है। प्रत्येक शिक्षाकर्मी को इसके अतिरिक्त 2 घंटे प्रहर पाठशाला चलानी होती है।

1. मानदेय—दिन का विद्यालय एवं प्रहर पाठशाला चलाने पर शिक्षाकर्मी को 900 रुपये प्रति माह, 3 वर्ष वाद 50/-, 5 वर्ष वाद 100/- प्रति माह प्रोत्साहन राशि (कार्य मूल्यांकन के आधार पर) देने का प्रावधान है।

(शिक्षा मंत्री)

2. अवकाश—15 दिन का सी.एल., 20 दिन का अर्द्ध चिकित्सा अवकाश, महिला शिक्षाकर्मी को मातृत्व अवकाश, शिक्षाकर्मियों द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का 90% पुनर्भरण सुविधा।

3. भ्रमण—3 वर्ष बाद शैक्षिक भ्रमण सुविधा। जी, हां। उक्त सुविधाओं को सरकार पर्याप्त एवं न्यायोचित मानती है।

(4) जी हां। शिक्षाकर्मी योजना का प्रथम चरण जून 94 में समाप्त हो रहा है। इस परियोजना को द्वितीय चरण वर्ष 1994-99 तक संचालित करने की योजना है। इस चरण में विस्तार की अपेक्षा गुणात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट– 7 देखें।)

पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का पर्यटन के नक्शे में अंकन

679. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार काम्यवन के पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के तीर्थराज विमलेश्वर, चौरासीखम्भा, चील महल, चौरसी मंदिर एवं चौरासी कुण्डों के साथ सुरम्य प्रकृति के अंचल में विकसित हो रहे आदि बद्री एवं सेवल मंदिर, सीकरी को पर्यटन के नक्शे में रखने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन के नक्शे पर नहीं रखा जाता है, अपितु जिन स्थलों पर वर्षवार पर्यटकों का आवागमन रहता है, वे स्थल स्वतः ही पर्यटक स्थल हो जाते हैं। पर्यटन विभाग अपने वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाता है। वर्तमान में इन स्थलों के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सेवा में आरक्षण

680. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की सूची जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक दिनांक 1.9.1993 को प्रकाशित की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(2) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुसार सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण के आदेश प्रकाशित किये थे ? यदि हां, तो उनको लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 1.9.1993 में प्रकाशित अन्य पिछड़े वर्गों/जातियों की सूची में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के अलावा अन्य जातियों/वर्गों को सम्मिलित किये जाने अथवा सूची में पूर्व में ही सम्मिलित किये गये वर्गों/जातियों में से किसी वर्ग एवं जाति को हटाने के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण कर राज्य सरकार को सुझाव देगा। आयोग के द्वारा प्रस्तुत सुझावों

(26)

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा उक्त सूची में अन्य वर्ग/जातियों को सम्मिलित किये जाने अथवा पूर्व में सम्मिलित किय गये वर्गों/जातियों को हटाने के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

(2 एवं 3) जी हां, दिनांक 1.9.93 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प 11 (125) आर.एण्ड पी./एस. डब्ल्यू. डी/46631 दिनांक 27.8.93 के द्वारा अधिसूचना पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गई जातियों ओर वर्गों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प 9(8)क-5/90 दिनांक 28.9.93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21% अंश आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 28.9.93 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट-अ

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना

681. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु भू-खण्ड उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो खाजूवाला के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि 33 के.वी. की बिजली की लाइन उपलब्ध न होने से भी उद्योग धंधों के बढ़ने में रुकावट होती है? यदि हां, तो खाजूवाला में 33 के.वी. की विद्युत लाइन के लिए विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है की खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में विस्तार के लिये कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज निर्धारित सीमा से कम मिलने के कारण इस क्षेत्र के कुछ उद्योगों को वोल्टेज की परेशानी हो सकती है। चूंकि यह लाइन लम्बी तथा लोड अधिक होने के कारण वोल्टेज की समस्या तथा भविष्य में लोड बढ़ने के मध्यनजर रखते हुए राज. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इस वर्ष (93-94) के सब ट्रांसमीशन कार्यक्रम में रावला से खाजूवाला 33 के.वी. लाइन तथा खाजूवाला 33 के.वी. सबस्टेशन के निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया है, जिसके लिये आवश्यक सामान उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपलब्ध सामान के अनुसार इस 33 के.वी. लाइन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन में अनियमितताएँ

684. **श्री कमल (हिण्डौन)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन में विभिन्न संवर्गों के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, चिकित्सकों ने घरों पर क्लिनिक खोल रखे हैं, अस्पताल में खून व पेशाब की जांच नहीं होती है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन सिटी में विभिन्न संवर्गों के कुल 63 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं, उपलबध सूचना के आधार पर कर्मचारी समय पर उपस्थित होते हैं। चिकित्सकों के द्वारा घरों में निजी क्लिनिक नहीं चलाया जाता तथा अस्पताल में खून व पेशाब की जांच की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की खनिज सम्पदा

1025.**श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश खनिज बाहुल्य प्रदेश है? यदि हां, तो यहां कौन-कौन से खनिज उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उपलब्ध खनिज राष्ट्रीय सम्पदा दोहन को सुनियोजित, वैज्ञानिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक वनाने की सरकार की कोई घोषित नीति है। यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खननकर्ताओं को सरकार द्वारा तकनीकी, आर्थिक व व्यावसायिक सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रदेश खनिज वाहुल्य प्रदेश है, जिसमें संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित खनिज उपलब्ध हैं।

(2) जी हां, उपलवध खनिजों का वैज्ञानिक व सुनियोजित तरीके से दोहन किये जाने के लिये राज्य सरकार संतत प्रयत्नशील है। इस दृष्टि से राज्य सरकार विशिष्ट खनिजों के मामले में ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करती रही है, जो खानों का मशीनीकरण करने और खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करने के लिये इच्छुक हों। सरकार की यह भी नीति है कि स्थानीय महत्व के खनिज जिसमें कम विनियोजन की आवश्यकताओं व उनका खनन कार्य स्वयं मैन्युल तरीके से सम्भव हो, उनके खनन पट्टे /लाईसेन्स कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष रुप से शिड्यूल-ट्राईब, शिड्यूल कास्ट व मजदूर वर्ग को दिये जायें। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान किये हुये हैं।

(3) जी हां, राज्य के खननकर्ताओं को विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय समय पर तकनीकी सलाह वक्त खानों के निरीक्षण दी जाती रही है। जहाँ तक व्यावसायिक सुविधा का प्रश्न है, सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज जैसे - मार्बल, ग्रेनाईट आदि के मामलों में उन व्यावसायियों को नियमों में शिथिलता बरतते हुये उद्योग की आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या से अधिक खनन पट्टे स्वीकार किये जाने की नीति बनाई है। इसके अलावा उद्योग की स्थापना के लिये आवश्यक व्यावसायिक परामर्श एवं आर्थिक सहायता भी विभिन्न माध्यमों से दी जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट – 8 देखें।)

जिला नागौर में लाइम स्टोन के खनन पट्टाधारी

1026. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में खनिज लाइम स्टोन के खनन पट्टे निजी व्यक्तियों को देने के लिये सरकार ने रोक लगा रखी है?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या यह सही है कि इसके उपरांत भी खनिज अभियन्ता, नागौर द्वारा खनिज लाइम स्टोन की एस.टी.पी. जारी कर रखी है और जारी की जा रही है, जिस पर रायल्टी का भुगतान उसी दर से प्राप्त किया रहा है जो कि खनन पट्टे से लाईम स्टोन निर्गम पर लागू है? यदि हां, तो जिनको एस.टी.पी. जारी कर रखी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, नागौर का यह कृत्य सरकार के नीतिगत आदेश के विरुद्ध है? यदि हां, तो क्या इससे उच्च श्रेणी के लाईम स्टोन का खनन इसकी आड़ में नहीं होगा, जिससे राज्य सरकार को रायल्टी की दर में परिवर्तन से भारी हानि होगी?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने नागौर, जैसलमेर जिलों में खनिज लाइम स्टोन (एस.एम.एस. ग्रेड) को विज्ञप्ति दिनांक 9.2.1987 एवं 9.3.89 से अन्वेषण एवं उत्खनन के लिये आरक्षित किया हुआ है।

(2) जी, हां। खनिज अभियन्ता, नागौर द्वारा खनिज लाईम स्टोन के एस.टी.पी. जारी कर रखें हैं, जिस पर रायल्टी का भुगतान लाईम स्टोन के खनन पट्टे से निर्गम पर लागू दर से प्राप्त किया गया। खनिज अभियन्ता, नागौर से जारी एस.टी.पी. की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। अब ऐसे परमिट जारी नहीं करने के निर्देश खनिज अभियन्ता, नागौर को दे दिये गये हैं।

(3) यह सही है कि खनिज अभियन्ता, नागौर द्वारा इस प्रकार के एस.टी.पी. जारी करना राज्य सरकार की नीति के अनुकूल नहीं था, किन्तु जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र से उच्च श्रेणी का लाईम स्टोन उत्खनित नहीं किया गया है एवं भट्टी में काम आने वाला लाईम स्टोन ही निकाला गया है। अतः राज्य सरकार को रायल्टी की दर में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। फिर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि अब भविष्य में कोई एस.टी.पी. जारी नहीं किये जायें।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट –9 देखें।)

प्रधान खनिजों के पुर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र प्राप्त आवेदन-पत्र

1027. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में प्रधान खनिजों के पुर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र आवंटित किए जाने हेतु कितने आवेदन पत्र किन किन क्षेत्रों व खनिज हेतु कब से लम्बित पड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आवेदनों में वन विभाग की अनापत्ति शीघ्र प्राप्त हो इसके लिए विभाग द्वारा क्या-क्या सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं व उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

(1) राज्य में प्रधान खनिज के पुर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र आवंटन किये जाने हेतु 1038 आवेदन-पत्र पेंडिंग हैं, जिनका क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" व खनिजवार विवरण परिशिष्ट "ब" अनुसार संलग्न है।

(2) इन आवेदन-पत्रों में वन विभाग को अनापत्ति शीघ्र प्राप्त हो, इस दृष्टि से वन विभाग से वन क्षेत्रों के प्रमाणित नक्शे उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निवेदन किया गया था, जिसके तहत वन विभाग ने कुछ क्षेत्रों के प्रमाणित नक्शे उपलब्ध कराये, लेकिन चूंकि समय-समय पर वन क्षेत्रों की स्थिति बदलती है इसलिये किसी एक समय के प्रमाणित नक्शे को सदैव के लिये सही मानने में कठिनाई आने

(खनिज मंत्री)

से वन विभाग ने प्रत्येक मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की ताकीद की। अनापत्ति प्रमाण-पत्र शीघ्रता से प्राप्त करने हेतु वन विभाग एवं खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाते हैं। इस बारे में खान विभाग तथा वन विभाग के अर्न्तविभागीय मामलों को निपटाने के लिये 25.3.94 को एक आदेश द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "वन, पर्यावरण एवं खान क्षेत्र हेतु अधिकार प्राप्त समिति" गठित की है जिससे आशा है कि भविष्य में प्रकरणों को निपटाने में सुविधा रहेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

रामगंज मण्डी क्षेत्र में अवैध खनन

1028. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी क्षेत्र में खनिज विभाग की आय वर्ष 1985 से अब तक कितनी रही है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रामगंज मण्डी क्षेत्र में अवैध खनन के मामले पिछले 5 वर्षों में कितने पकड़े गये व कितना जुर्माना किस-किस व्यक्ति से वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रामगंज मण्डी क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या लीज या पट्टेधारी द्वारा अवैध खनन करने पर उसका मूल पट्टा निरस्त करने का विभाग विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी क्षेत्र में वर्ष 1985-86 से अब तक वर्षवार प्राप्त आय निम्न प्रकार रही है:-

वर्ष	आय (लाखों में)
1985-86	188.00
1986-87	129.72
1987-88	209.58
1988-89	211.09
1989-90	242.43
1990-91	311.86
1991-92	326.69
1992-93	433.17
1993-94	417.39

(दिनांक 22.3.94 तक प्राप्ति)

(2) रामगंज मण्डी क्षेत्र में अवैध खनन के गत 5 वर्षों में कुल 36 मामले पकड़े गये जिनमें से 27 मामलों में नियमानुसार खनिज की कीमत रुपया 41,542/- वसूल की गयी है शेष 9 मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वसूल किये गये मामलों का व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "अ" अनुसार संलग्न है।

(3) रामगंज मण्डी क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु विभाग के रीजनल अधिकारी एवं सर्तकता अधिकारी/कर्मचारी क्षेत्र की समय समय पर चैकिंग कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 48 के तहत कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने अवैध खनन को रोकने हेतु राजस्व अधिकारियों को भी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

जी, नहीं। किसी पट्टाधारी का खनन पट्टा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर ही खण्डित किया जा सकता है। नियमानुसार पट्टाधारी द्वारा अवैध खनन करने पर उसके विरुद्ध अलग से कार्यवाही करने का प्रावधान है क्योंकि अवैध खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर ही हो सकता है। अवैध खनन से निकाली गयी राशि बकाया होने पर पट्टाधारी के खनन पट्टे का नवीनीकरण रोका जा सकता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

(30)

प्रतापगढ़ क्षेत्र में निःशुल्क विस्फोटक सामग्री का वितरण

1029. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों के लिये फ्री ब्लास्टिंग द्वारा कुंए गहरे करवाये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ उपखण्ड में विभाग द्वारा पाँच वर्षों में अनुसूचित जाति के 351 व्यक्तियों के फ्री ब्लास्टिंग द्वारा कुंए गहरे किये गये हैं। वर्षवार सूचना निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	अनु.जाति के कृषकों की संख्या
1.	1989-90	119
2.	1990-91	33
3.	1991-92	18
4.	1992-93	109
5.	1993-94 (फरवरी, 94 तक)	72
	योग	351

जाखम परियोजना में मत्स्य आखेट व बीजारोपण

1030. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या मत्स्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से अब तक जोखम परियोजा के मत्स्य आखेट एवं मत्स्य बीजारोपण पर अब तक कितनी आय एवं व्यय हुआ है तथा किस-किस संस्थान को कब-कब मत्स्य आखेट की स्वीकृति दी गयी है? मत्स्य आखेट के लिये क्या किसी समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्तावधि में चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ उपखण्ड के तालाब बरड़िया, बोरिया एवं तलाया इत्यादि में मत्स्य बीजारोपण कब-कब करवाया गया एवं मत्स्य आखेट हेतु कब-कब किस-किस को स्वीकृति दी गई?

(3) जनजाति उप योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के आदिवासियों की मत्स्य आखेट हेतु इन समितियों को कब-कब स्वीकृति दी गयी है एवं मत्स्य आखेट से जीविकोपार्जन हेतु उनकी कितनी-कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां, उक्तावधि के वर्ष 1991 में तालाब "तलाया" में बीजारोपण किया गया तथा तालाब बरडिया, बोरिया में बीजारोपण नहीं किया गया। मत्स्याखेट हेतु संबंधित मत्स्य कृषक को प्रदान किये गये लेबर परमिट का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) जनजाति उप योजना क्षेत्र में राजस संघ द्वारा जयसमंद, माही बजाज सागर एवं कड़ाना बेक वाटर पर आदिवासियों की गठित समितियों से मत्स्याखेट कार्य करवाया जाता है। उनको मत्स्याखेट से मछली पकड़ाई का भुगतान एवं इससे अतिरिक्त आय का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ग")

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

प्रताप नगर (सांगानेर) में अवैध शराब की दुकान

1031. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या आवकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि प्रतापनगर, (सांगानेर

(श्री राकेश मेघवाल)

हाऊसिंग बोर्ड) जयपुर में सैक्टर आठ के अल्प आय वर्ग एवं अनुसूचित जाति के परिवारों के आवासों के मध्य अवैध शराब की दुकान चल रही है ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार इसे बन्द करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

प्रताप नगर, हाऊसिंग बोर्ड सांगानेर जयपुर के सैक्टर नं. 8 में कोई मदिरा दुकान संचालित नहीं है। अतः दुकान बन्द करने का प्रश्न ही नहीं होता।

ग्राम थाणा (भीलवाड़ा) में शराब की दुकान

1032. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थाणा तहसील-माण्डल में स्कूल के पास शराब की दुकान है ? यदि हां, तो उक्त दुकान कब से चालू है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकान से शराब पीकर लोग उत्पात मचाते हैं ? जिससे स्कूली बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस दुकान को कब तक बन्द कराने का विचार रखती है।

(3) किसकी गलती से उक्त दुकान स्कूल के पास चालू करने की स्वीकृति दी गयी ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम थाणा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से लगभग 300 मीटर की दूरी पर देशी मदिरा उप दुकान स्वीकृत होकर अवस्थित है। यह देशी मदिरा उप दुकान दिनांक 3.8.1993 से आरम्भ होकर नियमानुकूल है।

(2) उक्त देशी मदिरा उप दुकान से शराब का सेवन कर उत्पात मचाने बाबत कोई शिकायत इस कार्यालय में आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण बन्द करने की जरुरत नहीं है।

(3) दुकान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुरुप है। इसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

जिला डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी

1033. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनके क्या-क्या नाम है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डूंगरपुर जिले में स्वतन्त्रता सैनानियों की ऐसी फाइलें हैं जिनकी स्वीकृति होना शेष है ? यदि हां, तो कितनी तथा इनकी स्वीकृति कब तक की जायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक और कितनी राशि देय होगी ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में कुल 27 स्वतन्त्रता सेनानी हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

प्रदेश में जूनियर इन्जीनियर्स की भर्ती

1034. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या आयोजना (जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जूनियर इंजीनियर्स की सीधी भर्ती किन-किन विभागों में की जाती है ?

(2) विगत पांच वर्षों में किस-किस विभाग में कितने-कितने जूनियर इन्जीनियर्स भर्ती किये गये हैं तथा वर्तमान में किस- किस विभाग में

(श्री शिवनाथ सिंह)

जूनियर इंजीनियर्स के पद रिक्त हैं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में जूनियर इंजीनियर्स की सीधी भर्ती निम्नलिखित विभागों में की जाती है—

1. भू-जल विभाग
2. विद्युत निरीक्षणालय
3. कृषि विभाग
4. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
5. सिंचाई विभाग
6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
7. उपनिवेशन विभाग
8. कृषि विपणन बोर्ड
9. सार्वजनिक निर्माण विभाग
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
11. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
12. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

तहसील बूंदी में उद्योग की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन

1035. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बूंदी तहसील में आर.टी.एक्सपोर्ट नामक संस्था उद्योग लगाने जा रही है ? यदि हां, तो यह भूमि कहां पर है ? किस विभाग द्वारा दी गई है, यदि यह भूमि राजस्व विभाग द्वारा नहीं दी गई तो कहां से आई और उक्त भूमि का रुपान्तरण हुआ या नहीं, यदि हुआ तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि आर.टी. एक्सपोर्ट को आराजी खसरा नं. 857 लगायत 861 आवंटित (सम्परिवर्तित) कर दी गई है ? यदि हां, तो किस नियम के आधार पर और कब ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग निर्माण से पूर्व जिलाधीश से इजाजत लेनी होती है ? यदि हां, तो क्या इस उद्योग की सभी कानूनी कार्यवाही पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(4) क्या यह सही है कि इस निर्माण के संबंध में तहसील कार्यालय बूंदी में राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत कार्यवाही हुइ है तो क्या कार्यवाही हुई कितने क्षेत्र में और वर्तमान में क्या हो रहा है।

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में इस भूमि पर कोई पैनल्टी लगी थी, यदि हां, तो यह पैनल्टी किस बात की थी और कितनी जमीन पर लगी थी ?

उत्तर

(1) जी हां। आर.टी. एक्सपोर्ट नामक संस्था द्वारा उद्योग हेतु आवेदित भूमि ग्राम देवपुरा तहसील बूंदी की है जो इस फर्म की खातेदारी भूमि है। आवेदित भूमि का अभी तक रुपान्तरण नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) उद्योग स्थापित करने से पूर्व नियमानुसार निजी खातेदारी भूमि का रुपान्तरण/आवंटन करवाना आवश्यक है। आवेदित भूमि के रुपान्तरण/आवंटन की कार्यवाही जैरकार है तथा अभी तक भूमि का रूपान्तरण/आवंटन नहीं हुआ है।

(4) जी हां। खातेदारी की 40 बीघा 17 बिस्वा एवं राजकीय सिवाय चक 15 बिस्वा भूमि पर बिना रुपान्तरण करवाये निर्माण कार्य करवाने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए एवं 91 के अधीन तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर रुपये 2307/- की शास्ती आरोपित कर बेदखली के आदेश दिये गये थे, जिनके विरुद्ध इकाई आर.टी. एक्सपोर्ट द्वारा अपील दायर कर रखी है।

(उद्योग मंत्री)

(5) खातेदारी की 40 बीघा 17 बिस्वा एवं राजकीय सिवाय चक 15 बिस्वा भूमि पर बिना रुपान्तरण कराये निर्माण कार्य करवाने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए एवं 91 की कार्यवाही में तहसीलदार बूंदी द्वारा 2307/- रुपये की पेनल्टी आरोपित की गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि का रुपान्तरण/आवंटन करवाये बिना 2772 वर्गफीट अवैध निर्माण पर 2,77,200/- रुपये की पेनल्टी राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण) नियम 1961 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार लगाई गई है।

सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन को जारी आदेश

1036. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयन डवलपमेण्ट कारपोरेशन को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्टिवज आदेश अथवा निदेश जारी किए हैं? यदि हां, तो किस-किस विषय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिए गए डाइरेक्टिब्ज, आदेश एवं निर्देशों का पालन किया है? यदि हां, तो किस-किस रूप में? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निदेश का पालन नहीं किया है और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किए जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हाँ। राज्य सरकार द्वारा रीको को गत 3 वर्षों में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं—

(अ) अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में ही प्रशिक्षण दिलाया जाये तथा प्रशिक्षण ऐसे विषयों में ही दिलाये जायें जो रीको के कार्यकलापों से संबंधित हों।

(ब) अधिकारियों/कर्मचारियों को निजी उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिलाये जाने की संभावना का पता लगाया जाये।

(स) सिक इन्डस्ट्रीयल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को बेचने की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

(2) जी हाँ।

(अ) निर्देशानुसार रीको के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में ही प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है जिनकी विषय-वस्तु रीको के कार्यकलापों से सम्बन्धित होती है।

(ब) रीको के पास प्रतिष्ठित निजी उपक्रमों की सूची है, जो प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य करते हैं। इन प्रतिष्ठानों में रीको के कार्यकलापों से सम्बन्धित कार्यक्रमों में रीको के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर भेजा जाता है।

(स) सिक इन्डस्ट्रीयल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को वेचने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की जा रही है।

(3) जी नहीं।

राज्य की वस्त्र निर्यात इकाइयां

1037.श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : — क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वस्त्र निर्यात इकाईयां कितनी पंजीकृत हैं और उनका कितना-कितना निर्यात प्रतिवर्ष होता है? तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाईयों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता किस प्रकार से कब से दी जा रही है?

(3) भविष्य में इन इकाईयों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग में निर्यातक इकाइयों का पृथक से पंजीकरण केवल उन लघु उद्योग इकाइयों का होता है जिनका प्लान्ट एवं मशीनरी पर पूंजी विनियोजन में 60 लाख रुपये से अधिक एवं 75.00 लाख रुपये से कम होता है तथा वे यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है कि उनके द्वारा कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत माल का निर्यात किया जावेगा, फिलहाल ऐसी किसी इकाई के पंजीकृत होने की सूचना नहीं है। 75.00 लाख रुपये से अधिक प्लांट एवं मशीनरी में विनियोजन की इकाइयों का पंजीयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एक्सपोर्टस टायरेक्ट्री ऑफ राजस्थान 1993 के अनुसार राज्य में टैक्सटाईल, तैयार वस्त्र एवं हाथ करघा वस्त्र निर्यातक इकाइयों की संख्या क्रमशः 95, 216 एवं 10 अर्थात् कुल 321 है।

निर्यातक इकाइयाँ उद्योग विभाग को निर्यात सूचना नियमित रूप से देने के लिए बाध्य नहीं है परन्तु विभाग द्वारा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों एवं निर्यातक अभिकरणों से निर्यात सूचना प्राप्त की जाती है। जिसके अनुसार राज्य से वस्त्र निर्यात का गत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	आईटम	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपयों में)		
	वर्ष	90-91	91-92	92.93
1.	रेडीमेड गारमेंट	57.00	68.00	123.67
2.	टैक्सटाईल	50.00	142.72	130.30
योग-		**107.00**	**210.72**	**253.97**

(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य औद्योगिक इकाईयों का कई विशेष सुविधायें प्रदान की जा रही है जिनमें पूंजी विनयोजन अनुदान दिनांक 1.4.90 से बिक्री कर प्रोत्साहन/ डेफरमेंट योजना दिनांक 5.3.87 से तथा चुंगी मुक्ति की सुविधा दिनांक 1.4.90 से सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त शत प्रतिशत निर्यातक इकाईयों को जिनका पंजीयन भारत सरकार के सेक्रेटेरियट ऑफ इण्डस्ट्रीयल अप्रुवल द्वारा किया जाता है उनको निम्न प्रकार की विशेष सुविधायें प्रदान की गई है—

(अ) शत प्रतिशत निर्यातक इकाईयां जिनका पूंजी विनियोजन 100 करोड़ रुपये से ऊपर है। 11 वर्ष के लिए कच्चे माल पर दिनांक 7.9.91 से बिक्री कर मुक्त रखा गया है तथा 5 वर्ष के लिए दिनांक 7.9.91 से विद्युत कर से मुक्त रखा गया है।

(ब) शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयां, जिनका पूंजी विनियोजन 100 करोड़ रुपये से ऊपर है उन्हें 11 वर्ष के लिए दिनांक 7.9.91 से विक्री कर मुक्त रखा गया है।

(उद्योग मंत्री)

(स) शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयां जो प्रेस्टिजिएस/प्रायोनियरिंग इकाई की श्रेणी में आती है उन्हें 9 वर्ष के लिए दिनांक 5.3.87 से बिक्री कर भुगतान से मुक्त रखा गया है।

(द) शत प्रतिशत निर्यातक इकाईयों को दिनांक 1.4.90 से पूंजी विनियोजन 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यदि अप्रवासी भारतीयों द्वारा 40 प्रतिशत का अंशदान इकाई में है तो अनुदान की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये रखी गई है।

आयात निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम के अधीन दो संस्थान क्रमश : एयरकारगो काम्पलेक्स सांगानेर तथा इन्लैंड कंटेनर डिपो सांगानेर कार्यरत है जहां आयात निर्यात माल के भण्डारण, सीमा शुल्क परीक्षण व अनुमति तथा हवाई मार्ग व सड़क से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अधिकृत निर्यात का परिवहन होता है।

(3) (अ) पश्चिमी राजस्थान के निर्यातकों को अपना माल बन्दरगाह तक पहुँचाने में सुविधा प्रदान करने हेतु जोधपुर में स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा इन्लैड कन्टेनर डिपो की स्थापना की जा रही है।

(ब) निर्यातक उद्योगों को उच्च स्तर की आधार-भूत सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये है।

(स) राज्य की नई औद्योगिक नीति बनाई जा रही है जिसमें निर्यात प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट प्रावधान किये जाने की सम्भावना है।

धौलपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ का संचालन

1038. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :—क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का संचालन भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक जिले का कार्य उसी जिले के संघ द्वारा संचालित किया जाता है? यदि हां, तो धौलपुर के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर दुग्ध उत्पादक संघ का संचालन भरतपुर संघ से होने के कारण न तो किसानों को समय पर भुगतान मिल पाता है और न ही अन्य सुविधायें?

(4) क्या सरकार धौलपुर जिले के दुग्ध-उत्पादक संघ का संचालन उसी जिले के संघ को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) जी नहीं। धौलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अलग से कोई गठन नहीं किया गया है। अपितु भरतपुर एवं धौलपुर जिले में पंजीकृत दुग्ध समितियों का संचालन भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है।

(दुग्ध विकास राज्य मंत्री)

(2) यह सही नहीं है। तथ्य यह है कि कई दुग्ध संघ ऐसे है कि जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में है। जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। धौलपुर के दुग्ध उत्पादकों को भी वही सुविधाऐं दी जाती है एवं उसी समय अवधि में दुग्ध भुगतान प्राप्त होता है जैसाकि भरतपुर जिले के दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है।

(4) जी नहीं। धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के दुग्ध क्षेत्रों से अभी भी पर्याप्त मात्रा में दुग्ध संकलन नहीं होता है, अतः दोनों जिलों के दुग्ध क्षेत्रों का संचालन अलग-अलग जिला संघों से करने पर भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सवल नहीं बन पायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

जिला झालावाड़ की स्वीकृत परियोजनाएं

1039.श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में पिछले 3 वर्ष में कितनी सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है? लागत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत योजना में से किस-किस परियोजना पर कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है?

(3) वर्तमान में झालावाड़ जिले में उपलब्ध सिंचाई योजनाओं से प्रत्येक योजनानुसार कितनी भूमि को सिंचित किया जा रहा है?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में गत तीन वर्षों में मथानिया लघु सिंचाई परियोजना वर्ष 92-93 में रुपये 81.04 लाख की तथा दो जलोत्थान योजनाएं भुमाड़ा 12.90 लाख व अमलावदा 10.66 लाख की स्वीकृत हुई हैं।

(2) उक्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब तक आवंटित राशि निम्नानुसार है—

मथानिया	55.00 लाख रुपये
भूमाड़ा	12.00 लाख रुपये
अमलावदा	0.10 लाख रुपये
योग	67.10 लाख रुपये

(3) विभिन्न परियोजनाओं द्वारा सिंचित भूमि का विवरण संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बांधों एवं तालाबों का निर्माण

1040.श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक सिंचाई विभाग द्वारा कितने बांध/तालाब एवं एनिकट के नये निर्माण एवं पुराने तालाबों के रख-रखाव के लिए विभिन्न मदों में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? मदवार स्वीकृत राशि का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के कितने बांध एवं तालाब तथा एनिकट पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए क्या सभी सिंचाई स्रोत जो क्षतिग्रस्त हुए उनकी मरम्मत करा ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 में अब तक दो लघु सिंचाई योजनाएँ अम्बापुरा एवं पीपलाज पर निम्नानुसार राशि स्वीकृत हुई—

वर्ष	अम्बापुरा बांध (राशि लाख रु.)	पीपलाज बांध (राशि लाख रु.)
1990-91	21.00	42.21
1991-92	15.00	30.00
1992-93	6.58	60.00
1993-94	–	70.00

वर्ष 1990 से अब तक केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी नये एनीकट का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

वर्ष 1990 से अब तक पुराने तालाबों के रख-रखाव के लिए स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार से है—

वर्ष	एम.एण्ड.आर मद (लाख रु. में)	बाढ़ रेस्टोरेशन कार्य (लाख रु. में)
1990-91	3.48	–
1991-92	5.75	2.00
1992-93	1.00	41.40
1993-94	1.62	48.50

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कुल 47 बांध/तालाब टूटे/क्षतिग्रस्त हुए बांधों/तालाबों से 12 बांधों/तालाबों की मरम्मत करा दी गई है। बांध अम्बापुरा का रुपांकन कार्य किये जाने के उपरान्त इसके रेस्टोरेशन का कार्य किया जा सकेगा। शेष समस्त क्षतिग्रस्त बांधों/तालाबों की मरम्मत का अधिकतम सम्भव कार्य आगामी बरसात से पूर्व किया जाना प्रस्तावित है। अधूरे एवं क्षतिग्रस्त एनीकट्स को राहत कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में राहत विभाग द्वारा समुचित निर्देश सभी जिला कलक्टर्स को जारी किये जा चुके हैं।

श्री आई माताजी देवस्थान ट्रस्ट बडेर, बिलाड़ा का पंजीयन

1041. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) :— क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री आई माताजी देवस्थान ट्रस्ट बडेर बिलाड़ा का दिनांक 31 जनवरी 1964 को देवस्थान विभाग के सहायक देवस्थान आयुक्त जोधपुर द्वारा पंजीयन किया गया ?

(2) यदि हां, तो उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु दिये गये आवेदन की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) आवेदन के साथ अचल सम्पत्ति की सूची नक्शा व पूर्ण विवरण जो पेश किये गये हैं, की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंजीयन के समय इस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन-कौन थे व उनमें कब-कब परिवर्तन किया गया व किस कारण व अब इस ट्रस्ट के कौन-कौन ट्रस्टी हैं ?

(5) दिनांक 31 मार्च, 1993 तक इस ट्रस्ट की वार्षिक आय किन-किन से कितनी बताई गई थी व उनकी वृद्धि या कमी किस-किस मद में कितनी-कितनी हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

38

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(6) प्रश्न के भाग 3 में बताई सूची दिनांक 1-1-1994 तक क्या-क्या परिवर्तन हुए ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंजीयन हेतु दिये गये आवेदन की नकल उपलब्ध नहीं हुई है, बाद में प्रेषित की जायेगी।

(3) आवेदन के साथ अचल सम्पत्ति की सूची व नक्शा पेश नहीं किया गया। आवदेन में श्री आईमाता जी का मंदिर अचल सम्पत्ति में लिखा था लेकिन ट्रस्ट डीड में अचल सम्पत्ति में श्री आई माता जी का मंदिर रहवासीय क्वाटर्स व कृषि भूमि वर्णित है।

(4) पंजीयन के समय इस ट्रस्ट के ट्रस्टी निम्न थे :

1. श्रीमती राजकुंवर माजी झाली जी, बिलाड़ा

2. ठा. श्री गोविन्द सिंह चण्डावल

3. श्री नैना बाबा उर्फ जती महाराज बिलाड़ा

4. श्री माधोसिंह दीवान (21 वर्ष के होने पर ट्रस्टी होंगे-ट्रस्ट डीड में वर्णित है)

इसके बाद ट्रस्ट के ट्रस्टी कब-कब परिवर्तन हुए, सूचना उपलब्ध नहीं है।

(5) सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। बाद में भेजी जायेगी।

(6) प्रश्न के भाग-3 में बतायी गयी सूची में दिनांक 1.1.94 तक हुए परिवर्तन की सूचना न्यासियों द्वारा पंजीयन के बाद प्रस्तुत नहीं की है।

देवस्थान महोत्सव की स्वीकृति

1042. श्री **दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) :— क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या देवस्थान महोत्सव वर्ष 1993 को सरकार द्वारा प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) महोत्सव में कुल कितना व्यय हुआ और कितनी-कितनी राशि कहां-कहां से प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस महोत्सव में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा देवस्थान महोत्सव वर्ष 1993 के आयोजन की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) कुल 50,891/- रु. व्यय हुआ है। राशि व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

1. प्रचार प्रसार आदि पर	10161.00
2. टेन्ट लाईट व्यवस्था	33000.00
3. वाहन किराया	7000.00
4. फोटोग्राफी, वर्तन किराया	730
	50891

राशि प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है :

राजकीय बजट से 22000.00

(देवस्थान मंत्री)

सार्वजनिक प्रन्यास से

1. नाकोड़ाजी ट्रस्ट	20000.00
2. मंदिर श्री खाटूश्यामजी ग्राम खाटूश्याम जिला सीकर	7000.00
अन्य से—	
1. श्रुति सिटेक्स केशरियाजी	2000.00
	51000.00

(3) देवस्थान महोत्सव वर्ष 1993 के संबंध में प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

गऊ शाला जहाजपुर की इमारत प्रकरण

1043.**श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग (राजस्व) ग्रुप-3 के आदेश क्रमांक प. 15 (1) राजस्व/3/84 दिनांक 31-8-1984 को गऊशाला, जहाजपुर की पुरानी इमारत एवं राशि, औषधालय भवन हेतु आयुर्वेदिक विभाग को दी गई थी ? यदि हां, तो क्या विभाग को जनता द्वारा राशि सम्वत 1985 (सन् 1927-28) से ब्याज सहित आदेशानुसार नहीं लौटाई ?

(2) क्या राज्यादेश की पालना में गऊशाला तो आयुर्वेदिक विभाग को जनता की सम्पत्ति होने से लौटा दी गई और राशि जिन शर्तों पर मेवाड़ सरकार के देवस्थान विभाग से ब्याज सहित दी गई उसके अनुसार राशि मय ब्याज आयुर्वेदिक विभाग को जनता की संख्या के अनुसार नहीं लौटाई गई ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और राज्यादेश की पालना किसने व क्यों नहीं की ?

(3) क्या विभाग ने विधान सभा प्रश्न के उत्तर में पूर्व में राशि लौटाने की कार्यवाही की जा रही है संबंधी आश्वासन दिया था। यदि हां, तो यह राशि 7 वर्ष में कार्यवाही पूर्ण कर आयुर्वेदिक विभाग को नहीं लौटाई जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या देवस्थान विभाग, उदयपुर में जनता की अमानत राशि ब्याज सहित तुरन्त आयुर्वेदिक विभाग को औषधालय भवन हेतु लौटा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प. 15(1) राज/3/84 दिनांक 31-8-84 की अनुपालना में जहाजपुर स्थित पुरानी गोशाला की इमारत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रभारी आयुर्वेद औषधालय जहाजपुर को 30-1-88 को सुपुर्द कर दी गयी है। गऊशाला हेतु तहसील जहाजपुर में जमा राशि आयुर्वेद विभाग को नहीं लौटाई है।

(2) जी, हां। राज्यादेश की पालना में गऊशाला आयुर्वेद विभाग को सम्भला दी गयी। राशि मय ब्याज के आयुर्वेद विभाग को नहीं लौटाई गयी इसका कारण तहसीलदार जहाजपुर के यहां तत्सम्बन्धी अभिलेख का उपलब्ध नहीं होना है।

(3) जी हां। विधान सभा प्रश्न के उत्तर में विभाग ने आश्वासन दिया था, किन्तु तहसीलदार जहाजपुर के यहां वर्ष 1960 के पश्चात् का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण राशि आयुर्वेद विभाग को नहीं लौटाई गयी है।

(५०)

(देवस्थान मंत्री)

(4) गौशाला फण्ड की राशि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पी.डी. एकाउण्ट में जमा कराई थी उक्त राशि का ए.जी. से मिलान होने के पश्चात् राशि आहरित कराई जाकर राशि लौटाई जा सकेगी।

जिला जयपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

1044. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों (बालिका) में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के काफी पद रिक्त है ?

(2) क्या सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर जिले में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की सूची निम्न प्रकार से सदन की मेज पर रखें।

क्र. स. विद्यालय का नाम ग्राम/शहर पदों की संख्या

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रश्न नहीं उठता है।

(3) पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के विद्यालय

1045. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 5000 या इससे अधिक आवादी वाले ऐसे कौन-कौन से गांव है जिनमें माध्यमिक विद्यालय (छात्र/छात्राएं) संचालित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय (छात्र व छात्राएं) है जिनकी कक्षा 10 में छात्र संख्या 50 व छात्रा संख्या 40 है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस प्रकार के विद्यालयों के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 5000 से अधिक आवादी वाले गांवों में निम्नलिखित माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं—

1. माध्यमिक विद्यालय, रुन्दनी
2. माध्यमिक विद्यालय, महुआ
3. माध्यमिक विद्यालय, जोजला
4. माध्यमिक विद्यालय, चांदजी की खेड़ी
5. माध्यमिक विद्यालय , श्यामपुरा
6. माध्यमिक विद्यालय, कोटी बिजोलिया
7. माध्यमिक विद्यालय, लाड़पुरा

(शिक्षा मंत्री)

8. माध्यमिक विद्यालय, सिमाली
9. माध्यमिक विद्यालय, मानुपरा
10. माध्यमिक विद्यालय, अंकोला
11. माध्यमिक विद्यालय, आमा
12. माध्यमिक विद्यालय, बन का खेड़ा
13. माध्यमिक विद्यालय, सुठेपा
14. माध्यमिक विद्यालय, सवाईपुर
15. रा. बा. मा. वि., वडलियास

(2) माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी छात्र माध्यमिक विद्यालय नहीं जिसकी कक्षा 10 में छात्र संख्या 50 तथा छात्रा में 40 है।

(3) माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के 10 किमी की दूरी तक निम्न उच्च प्राथमिक विद्यालय है—

1. रा. उ. प्रा. वि., सरधला
2. रा. उ. प्रा. वि., राजगढ़
3. रा. उ. प्रा. वि., धाकड़खेड़ी
4. रा. उ. प्रा. वि., रूटवाड़ा
5. रा. उ. प्रा. वि., सलावटिया
6. रा. उ. प्रा. वि., तिलस्वा
7. रा. उ. प्रा. वि., माजीसा की खेड़ा
8. रा. उ. प्रा. वि., छोटी बिजोलिया
9. रा. उ. प्रा. वि., धड़ोदा
10. रा. उ. प्रा. वि., विक्रमपुरा
11. रा. उ. प्रा. वि., उमाजी का खेड़ा
12. रा. उ. प्रा. वि., गणेशपुरा
13. रा. उ. प्रा. वि., कल्याणपुरा
14. रा. उ. प्रा. वि., जलिन्डी
15. रा. उ. प्रा. वि., मालका खेड़ा
16. रा. उ. प्रा. वि., वीकरण
17. रा. उ. प्रा. वि., टारण
18. रा. उ. प्रा. वि., बाड़खेड़ा
19. रा. उ. प्रा. वि., मोहनपुरा
20. रा. उ. प्रा. वि., खावरेल
21. रा. उ. प्रा. वि., श्रीनगर
22. रा. उ. प्रा. वि., छामनिया
23. रा. उ. प्रा. वि., जस्सुजी का खेड़ा
24. रा. उ. प्रा. वि., जालिया
25. रा. बा. उ. प्रा. वि., वरूदनी
26. रा. बा. उ. प्रा. वि., सिशोली

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस

1046. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 1 जनवरी, 1993 से शिक्षा विधेयक लागू कर दिया था और इसकी क्रियान्वित के नियम 1 अप्रेल, 1993 से लागू किये ? यदि हाँ, तो इन दोनों के बीच की अवधि में उत्पन्न विवादों का फैसला किस आधार पर किया जायेगा।

(2) सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस देना क्यों बन्द कर दिया है? क्या इसे पुनः दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) विशिष्ठ शिक्षा सचिव के आदेश दिनांक 6 अगस्त, 1993 जिस पर वित्त विभाग की भी सहमति अंकित थी, की अनुपालना में जिन संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं मकान किराया भत्ता का भुगतान किया था, उसे अस्वीकृत व्यय क्यों माना गया है और उस पर संस्थाओं को अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

1 जनवरी, 93 के बाद उत्पन्न सभी विवादों का निस्तारण शिक्षा अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किया जाना है।

(2) बोनस भुगतान कर्मचारियों की सेवा शर्तों का भाग नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में इस सम्बन्ध में निर्णय लेना होता है। वर्तमान में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस भुगतान सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) मकान किराया/शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता को अनुमोदित व्यय माना जाकर नियमित अनुदान जारी करने हेतु इस विभाग के पत्र संख्या प. 10(8) शिक्षा-5/93/पार्ट-1, दि. 17-3-94 के द्वारा शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों को पुनः निदेशित कर दिया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय सावली (जयपुर) की क्रमोन्नति

1047. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सावली में उच्च प्राथमिक विद्यालय कब से कार्यरत है ?

(2) क्या इस विद्यालय में अध्यापकों की पूर्ति स्ट्रेन्थ के हिसाब से की हुई ? यदि हां, तो स्ट्रेन्थ कितनी है तथा वर्तमान में कितने अध्यापकों का पदस्थापन किया हुआ है ? यदि अध्यापक की कमी है तो सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम सावली व उसके आसपास ग्रामों में 10 किलो मीटर तक कोई माध्यमिक विद्यालय कार्यरत नहीं है जिससे गांवों के विद्यार्थी अग्रेत्तर अध्ययन नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में इसी सत्र में क्रमोन्नित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आदेश कब तक प्रसारित कर दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र दूदू के ग्राम सावली में उच्च प्राथमिक विद्यालय सत्र 1976-77 से संचालित है।

(2) जी, हाँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सावली में कुल छात्र संख्या 203 है तथा विद्यालयों में 1 प्रधानाध्यापक, 5 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं सभी पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की हुई है। कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(3) जी, नहीं। 8 कि.मी. पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय झाग स्थित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावली को वर्ष 1994-95 में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमा व निर्धारत मानदण्डों की पूर्ति करने एवं गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लेगी।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बन्थली (टौंक) का भवन का आवंटन

1048. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

(1) क्या शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय भवनों की शादी समारोह आदि के लिये दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस नियमों के तहत, नियमों के प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बन्थली तहसील देवली, जिला टौंक के भवन के लिए 20 फरवरी, 1994 हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये आवेदन-पत्रों की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही कि उक्त दिवस के लिये विद्यालय को कार्यालय आदेश संख्या 1964 के द्वारा किसी पार्टी को आवंटित किया गया था तथा इस आदेश को किस कारण से निरस्त किया गया? क्या निरस्तीकरण सूचना संबंधित आवेदनकर्त्ता को दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या आदेश निरस्त करने के बाद पार्टी को जमा राशि लौटाई गई? यदि नहीं तो क्यो?

उत्तर

(1) जी, हां।

इस सम्वन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) 20.2.94 को रा.उ.प्रा.वि. वनस्थली तह. देवली में कमरे दिये जाने हेतु श्री गौरीशंकर एवं श्री प्रकाश चंद जैन ने आवेदन किया था।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) टोंक के आदेश क्रमांक 1963-64 दिनांक 10.12.93 के द्वारा रा.उ.प्रा.वि., बन्दली के 2 कमरे श्री प्रकाश चंद जैन को आबंटित किये गये थे। आदेश दिनांक 10.12.93 में परिवर्तन कर दोनों आवेदकों को आदेश दिनांक 5.2.94 के द्वारा 4-4 कमरे आबंटित किये गये तथा इसकी सूचना दोनों पार्टी को दी गई।

(4) आदेश निरस्त नहीं किये गये।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट– 18 देखें।)

राजस्थान साहित्य अकादमी को आर्थिक सहायता

1049. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान साहित्य अकादमी को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ व सहायता वर्ष 1991 तक दी जाती रहीं हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1993-94 में सरकार ने उक्त सुविधाएँ व सहायता दोनों कम कर दी है? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधा/सहायता कम की गई है और उसके क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष आयोजना तथा गैर आयोजना मद में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदानअकादमी की आवश्यकताओं तथा वित्तीय स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा देय होता है। सन् 91 से पूर्व 5 वर्षों में जो अनुदान दिया गया उसका विवरण इस प्रकार है—

(५५)

(शिक्षा मंत्री)

सत्र	आयो.	गैर आयो.	योग लाख रु.
87-88	4.25	6.73	10.98
88-89	5.00	6.90	11.90
89-90	6.00	8.02	14.02
90-91	4.00	10.10	14.10
91-92	4.50	9.62	14.12
			65.12

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है उसमें कमी नहीं की है। सत्र 93-94 में वार्षिक अनुदान आयोजना 6.00 लाख व गैर आयोजना 13.60 कुल 19.60 लाख रुपया प्रदान किया गया है।

प्रौढ़-शिक्षा निदेशालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति प्रकरण

1050. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर में महाविद्यालय शाखा के दो व्याख्याताओं को उप निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां तो क्या शिक्षा विभाग में उप निदेशक के लिए कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो कब तक इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगा दिया जावेगा?

(2) क्या ये प्रतिनियुक्तियों एक वर्ष के लिए की गई थी? यदि हां, तो फिर ये व्याख्याता एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी कार्य क्यों कर रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के दो ही पद स्वीकृत हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि दो ही स्वीकृत 34-निदेशकों के पद होते हुए भी सितम्बर, 1993 से जनवरी, 1994 तक अर्थात् लगभग पांच माह तक यहां तीन उप निदेशक कार्य करते रहे? यदि हां, तो सरकार को बिना किसी प्रयोजन के करीब 25000/- रुपये का घाटा उठाना पड़ा, इसके लिए उत्तरदायी कौन है?

(5) क्या यह सही है कि इसी कारण शिक्षा विभाग के एक व्यक्ति को इस पद से हटा दिया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ उपरोक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है एवं उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार नहीं है।

(2) जी हाँ। प्रौढ़ शिक्षा में इन अधिकारियों की आवश्यकतओं को देखते हुए उनके प्रतिनियुक्तकाल में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। (प्रौढ़ शिक्षा द्वारा)

(3) जी नहीं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 3 पद उपनिदेशक, 1 पद संयुक्त निदेशक एवं एक पद अतिरिक्त निदेशक का स्वीकृत हैं।

(4) जी नहीं। सितम्बर, 1993 से जनवरी, 94 तक पांच उपनिदेशक कार्यरत रहे हैं।

(5) जी नहीं।

जिला उदयपुर के शारीरिक शिक्षकों को पदोन्नति

1051. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति लम्बे समय से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शारीरिक शिक्षकों की पिछले 15 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि शारीरिक शिक्षकों का बैंक लॉग चला आ रहा है ? यदि हां, तो कब से और कितनें पद है ? क्या राज्य सरकार बैंक लॉग को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। समय-समय पर पात्रता रखने वाले शारीरिक शिक्षकों को पदौन्नति दी जाती है।

(2) पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति के 2 शारीरिक शिक्षकों को पिछले 5 वर्षों में पदौन्नति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आशार्थी पदौन्नति हेतु प्राप्त रिक्तियों के 5 गुणा आशार्थियों की सूची में उपलब्ध न होने से नहीं दी जा सकी।

(3) प्राप्त सूचनानुसार बैंक लॉग नहीं चल रहा है। वर्ष 93-94 में द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को निम्नानुसार नियुक्तियाँ दी गई—

सामान्य-	1
अनुसूचित जाति-	1
योग-	2

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

1052. **श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना, जिला नागौर कार्यालय में वर्ष 1990 से अब तक किन-किन अध्यापकों को कब से कब तक प्रति नियुक्ति पर रखा गया तथा प्रति नियुक्ति के आदेश कब-कब जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना (नागौर) के कार्यालय में निम्नांकित अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति किया गया था—

क्र.सं.	नाम अध्यापक	प्रतिनियुक्ति अवधि
1.	श्री बन्ने सिंह	8-6-92 से 30-6-92 23 दिन
2.	श्री भंवरलाल शर्मा	5-6-92 से 30-6-92 26 दिन
3.	श्री महमूद सिद्दकी	5-6-92 से 30-6-92 26 दिन 2-7-92 से 14-7-92 13 दिन 17-5-93 से 30-6-93 45 दिन
4.	श्री राम सिंह	5-6-92 से 30-6-93 26 दिन 27-2-93 से 4-3-93 6 दिन
5.	श्री उम्मेद हसन	9-6-92 से 14-7-92

(५६)

(शिक्षा मंत्री)

36 दिन
17-5-93 से 30-6-93 45 दिन
18-12-93 से 15-2-94 60 दिन

6. श्री मोहन सिंह 14-9-92 से 3-10-92
20 दिन

7. श्री हेमाराम 14-9-92 से 3-10-92
22 दिन

8. श्री फरहदअली 2-3-93 से 31-3-93
30 दिन

9. श्री महावीर प्रसाद 18-5-93 से 30-6-93
44 दिन

10. श्री शकील अहमद 18-5-93 से
30-6-92 44 दिन

11. श्री पेमाराम 18-5-93 से 30-6-93
44 दिन
1-10-93 से 5-11-93 36 दिन
6-12-93 से 16-2-93 42 दिन

12. श्री राम कुमार 18-5-93 से 30-6-93
44 दिन
20-1-94 से 13-2-94 23 दिन

3. श्री अहमीद 27-2-93 से 9-3-93 11 दिन
25-5-93 से 30-6-93 41 दिन
1-7-93 से 5-2-94 240 दिन

14. श्री गोपीकिशन 20-5-93 से 30-6-93
41 दिन

(2) आदेश (तार) की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विद्यालय भवन

(किशनगढ़)

1053. श्री जगदीप धनखड़ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कहां-कहां स्कूल भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है ? यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में किन-किन स्कूलों को कब तक क्रमोन्नत करने की सरकार की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 93-94 में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से किसी भी विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सीमा में राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

वर्ष 94-95 के लिये विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर क्षेत्रीय मांग, जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, निकटतम शिक्षा सुविधा की उपलब्धता, गुणावगुण एवं वित्तीय सीमा में विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विद्यालयों में रिक्त पद

1054. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के कई उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की मौके पर नियुक्तियाँ नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की समय-समय पर रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति दी जाती रही है। लूणकरणसर क्षेत्र के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है—

(शिक्षा मंत्री)

स्तर	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1. उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	145	144	1
2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय	323	314	9
योग	468	458	10

ये पद 93-94 हेतु जून माह में विभिन्न वरीयता सूची में आशार्थी शेष रहने की स्थिति में 31 मार्च तक, तथा वरीयता सूची में आशार्थी शेष नहीं रहने की स्थिति में वर्ष 94-95 की रिक्तियों के साथ भरे जा सकेंगे।

माध्यमिक विद्यालय डूंगरा छोटा व छोटीसरवा (कुशलगढ़) की क्रमोन्नति

1055. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय, डूंगरा छोटा व छोटीसरवा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 9 माध्यमिक विद्यालय हैं जो निम्नानुसार है :—

1. रा.मा.वि. वड़वास
2. रा.मा.वि. नोहरा कुशलगढ़
3. रा.मा.वि. कलिजरा
4. रा.मा.वि. छोटी सरवा
5. रा.मा.वि. बड़ी सरवा
6. रा.मा.वि. कंसार वाड़ी
7. रा.मा.वि. छोटा डूंगरा
8. रा.मा.वि. ताम्बेसरा
9. रा.बा.मा.वि. सजनगढ़

(2) वर्ष 94-95 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। मा. विद्यालय डूंगरा छोटा व छोटी सरवा के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमा एवं गुणावगुण के आधार पर इन विद्यालयों की क्रमोन्नति पर विचार कर सकेगी।

परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की पदोन्नति

1056. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं का 50% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों की पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि रोकी जाये एवं 70% से ऊपर परीक्षा परिणाम देने वालों को जिला मंडल स्तर पर सम्मानित किया जायेगा? यदि हां, तो इन आदेशों की पालना कहाँ-कहाँ, कब-कब की गई व नहीं, तो क्यों?

(2) 1992-93, 1993-94 में शिक्षा मंत्री के उक्त आदेशों के अन्तर्गत कितने अधिकारी दण्डित/सम्मानित किये जा चुके हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(48)

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी के पत्र के संदर्भ में शिविरा/निप्र/डी-1/21901/TT/प/90-91 दिनांक 30-9-91 के द्वारा दिनांक 21-10-88 के परिपत्र के संदर्भ में संशोधित परिपत्र जारी किया गया। प्रत्येक अध्यापक वर्ष 90 से 93 तक के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करवाई जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष, 1992-93 में 227 व्याख्याता एवं 563 वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशंसा पत्र दिये गये। 21 व्याख्याता एवं 12 वरिष्ठ अध्यापकों के विरुद्ध न्यून परीक्षा परिणाम रहने के कारण कार्यवाही प्रस्तावित की गयी।

पिपाड़ शहर (जोधपुर) का नर्सिंग छात्रावास

1057. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में नर्सिंग (महिला) ट्रेनिंग एवं छात्रावास खोलने की स्वीकृति सरकार ने कहां-कहां पर जारी की है?

(2) क्या सरकार ने पिपाड़ शहर (जोधपुर) में नर्सिंग ट्रेनिंग छात्रावास खोलने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो कब? क्या वर्तमान में यह छात्रावास पिपाड़ शहर (जोधपुर) में कार्यरत है? यदि हाँ, तो कितनी छात्रायें वहां रह रही हैं?

(3) यदि नहीं, तो क्यों? क्या छात्रावास पुनः पिपाड़ शहर में स्थानान्तरित करने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, पिपाड़ शहर में खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 1-8-85 द्वारा जारी की। पिपाड़ शहर में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपयुक्त भवन व्यवस्था न होने के कारण राज्य सरकार ने उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को जोधपुर मुख्यालय पर प्रारम्भ करने की स्वीकृति दिनांक 1-10-85 के द्वारा जारी की।

(2) जी नहीं! शेष बिन्दुओं का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर शहर में स्थानान्तरित कर दिये जाने के कारण, छात्रावास पुनः पिपाड़शहर में स्थापित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता

1058. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी को नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता देय है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या विभाग में कार्यरत संयुक्त निदेशक को भी इस तरीके का भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? क्या यह भत्ता नॉन प्रेक्टिसिंग के नाम से दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(3) क्या यह सही है कि दोनों पदों की पेंशन में उप निदेशक के पद पर कार्यरत व्यक्ति को अधिक पेंशन मिलती है? यदि हां, तो क्यों जबकि यह पद संयुक्त निदेशक के पद से छोटा है?

उत्तर

(1) जी हां।

रु. 800/- प्रतिमाह की दर से।

(2) जी नहीं, वेतन नियमों में प्रावधान नहीं हैं।

(3) ऐसे उप निदेशक जो लगभग चार वर्ष तक सेवा करने के उपरान्त सेवा निवृत्त होते हैं, उनकी पेन्शन, ऐसे संयुक्त निदेशक जो चार वर्ष तक कार्य करने के उपरान्त सेवा निवृत्त होते हैं से अधिक होना सम्भव है, क्योंकि उप निदेशक को रु. 800/- प्रतिमाह नान प्रेक्टिशिंग भत्ता दिया जाता है जो संयुक्त निदेशक को देय नहीं है।

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद के चिकित्सा मुख्यालय

1059. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) एवं **श्री रंगजी** (सपोटरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसीलों में कहां-कहां, किन-किन गांवों में एडपोस्ट, कम्पाउण्डर डिसपेन्सरी, एल.एच.वी. व एन.एन.एम. के हैड क्वाटर हैं?

(2) क्या उन सभी हैड क्वार्टर्स पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था है? यदि हां, तो कार्यरत कर्मचारी का नाम व हैड क्वार्टर के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील के गांवों की एडपोस्ट, डिस्पेंसरी, कम्पाउन्डर डिस्पेंसरी एवं चाहे गये स्टाफ के हैडक्वार्टर की सूची संलग्न है।

(2) दो प्रसाविका एवं तीन मेल नर्स के पद रिक्त हैं। कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 20 देखें।)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1060) (स्थगित)

राज्य के चिकित्सालयों में सर्जरी

1061. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राजस्थान में कितने बड़े अस्पताल हैं उनमें डाक्टर्स की संख्या क्या है?

(2) प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में कितने मरीजों को औसतन मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं?

(3) क्या राजस्थान में सर्जरी की कोई नई तकनीक की खोज की जा रही है? यदि हां, तो कौन सी?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 50 शैयायुक्त व उससे अधिक शैयाओं वाले 106 अस्पताल हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणी के कुल 2846 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं।

50

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) औसतन लगभग 13231 बाह्य एवं अन्तः रोगियों को प्रतिदिन 106 अस्पतालों में निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जाता है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण

1062. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) गत दो शताब्दियों में राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है और किस दर से ?

(2) अखिल भारतीय जन संख्या वृद्धि दर गत दो शताब्दियों में कितनी रही है ?

(3) राज्य सरकार ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए क्या नीति अपनाई है और क्या उपाय किये हैं ?

(4) परिवार नियोजन के प्रसंग में सरकारी कर्मचारियों के मामले में सरकार की क्या नीति है और इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

उत्तर

(1) दो शताब्दियों का विवरण उपलब्ध नहीं है। दो शताब्दियों का विवरण निम्न है—

वर्ष 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2.58 करोड़ थी जो 1981 में 3.42 करोड़ एवं 1991 में 4.40 करोड़ हो गई है। इस प्रकार दो शताब्दियों में 1.82 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1971-81 में 32.97 प्रतिशत तथा 1981-91 में 28.44 प्रतिशत रही है।

(2) भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1971-81 में 24.66 प्रतिशत थी जबकि 1981-91 में 23.50 प्रतिशत रही है।

(3) भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम में निम्न कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु चलाये जा रहे हैं।

1. नसबन्दी 2. लूप निवेशन 3. निरोध व खाई जाने वाली गोलियों का वितरण 4. स्टेटी संस्थाओं द्वारा नसबन्दी सेवाऐं उपलब्ध कराना। 5. ए.एन.एम/एल.एच.वी. प्रशिक्षण के दौरान लूप निवेशन एवं ओरल पिल्स के उपयोग का ज्ञान 6. पिछड़े जिलों में सोशियल सेप्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशुओं में अन्तर हेतु निरोध वितरण के लिए डिपो होल्डर बनाकर कार्यक्रम चलाया जाता है। 7. सुरक्षित मातृत्व व सुरक्षित बाल कल्याण कार्यक्रम (टीकाकरण) 8. विशाल कैम्पों का आयोजन 9. हैण्ड बिल बांटना 10. फिल्म-शो दिखाना 11. नुमाइश लगाना 12. कार्यशालाओं का आयोजन 13. राजलक्ष्मी योजना 14. जनमंगल योजना 15. रेडिया/टी.वी. प्रचार प्रसार आदि कार्य।

उपरोक्त माध्यमों से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं।

(4) भारत सरकार की नीति के अनुरूप परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वेच्छिक है। इस संबंध में अभी कोई नीति नहीं बनाई गयी है।

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद के चिकित्सालय में रिक्त पद

1063. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री रंगजी** (सपोटरा) एवं **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(1) बांरा जिले की छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसीलों में किस-किस जगह किन-किन गांवों में विभाग द्वारा चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि संचालित हैं ?

(2) क्या सभी जगह स्टाफ पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ? अब कब तक पूर्ण स्टाफ लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांरा जिले के छबड़ा व छीपाबड़ौद के गांवों में विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी तथा लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त हैं जिन्हें अब शीघ्र ही भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें।)

न्यायालयों में सरकारी पक्ष के गवाहान का भुगतान

1064.**श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 4 दिसम्बर, 1993 से 4 फरवरी, 1994 के बीच 3 माह की अवधि में राज्य की विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायालयों में फौजदारी मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से उपस्थित हुए समस्त गवाहान का खर्चा अदा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त राशि अब कब तक अदा कर दी जावेगी ?

(2) क्या अदालतों में सरकारी पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले गवाहान के लिए शहादत हेतु स्वीकृत राशि कम पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहादत देने वालों को बिना किसी देरी के खर्चा राशि अदा करने हेतु बजट प्रावधान बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 4 दिसम्बर, 1993 से 4 फरवरी, 1994 के बीच 3 माह तक की अवधि में केवल भरतपुर, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों में ही यह गवाहान व्यय अदा नहीं किया गया, क्योंकि भरतपुर में दिनांक 3.1.94 से 23.1.94 तक पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे तथा दिनांक 26.1.94 से 4.2.94 तक न्यायालय में पद रिक्त रहा एवं उक्त शेष जिलों में कुछ मामलों में धनाभाव के कारण खर्चा अदा नहीं किया गया। परन्तु नये बजट आवंटन के बाद गवाहान खर्च का भुगतान कर दिया गया है।

(2) यह राशि अधिकांशतः कम नहीं पड़ती है कभी कम पड़ने पर और बजट स्वीकृत किया जाकर भुगतान कर दिया जाता है।

पंचायत समिति मांडल व सुवाणा के आंगनबाड़ी केन्द्र

1065.**श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की मांडल व सुवाणा पंचायत समितियों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और कौन इन केन्द्रों को चला रही है तथा किन-किन गांवों में केन्द्र चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(2) उक्त पंचायत समितियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के अलावा कितनी महिला सुपरवाइजर लगी हुई हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मांडल पंचायत समिति के बकाया गांवों में और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति में वर्ष 85-86 से बाल विकास परियोजना संचालित हो रही है। मांडल बाल विकास परियोजना के लिए 140 केन्द्र स्वीकृत हैं और समस्त केन्द्र संचालित हो रहे हैं। मांडल परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रों एवं उनमें कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति के लिए बाल विकास परियोजना की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हो रहा है।

(2) बाल विकास परियोजना मांडल के अधीन 7 पद महिला पर्यवेक्षकों के स्वीकृत हैं, उनमें से एक पद रिक्त है। शेष 6 पदों पर महिला पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। सूची निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	नाम महिला पर्यवेक्षक
1.	श्रीमती श्यामा शर्मा
2.	श्रीमती जतन हींगड़
3.	श्रीमती राजेश शर्मा
4.	श्रीमती रंजिता श्रीवास्तव
5.	श्रीमती रंजना व्यास
6.	श्रीमती ललिता पाटोदिया

(3) जी हां। प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जा रहे हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शेष गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र खोल दिये जाएंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र उनियारा के ऐतिहासिक किले

1066. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उनियारा विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐतिहासिक महत्व के किले हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं?

(2) उनमें से कितने किले हैं जो सरकार के स्वामित्व में हैं एवं ऐसे कितने किले हैं जो ऐतिहासिक महत्व के तो हैं लेकिन सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं? सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उनियारा विधान सभा क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के किले उनियारा किला, किला नगर तथा किला ककोंट पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(2) उनियारा विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वामित्व में कोई भी किला नहीं है।

सीताबाड़ी (किशनगंज) का विकास

1067. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज को बांरा जिले का पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान मानती है? यदि हां, तो उसके विकास हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) यदि कोई योजना विचाराधीन है तो उसके क्रियान्विति किस प्रकार और कब तक हो जावेगी? पुरातात्विक सर्वेक्षण अनुसार विस्तृत जानकारी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीताबाड़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल वे होते हैं, जहां वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का आवागमन रहता है। वर्तमान में इस स्थल के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पर्यटन विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर पर्यटकों की सुविधा हेतु राज्य के विकास की योजना बनाता है।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर की जीवनधारा योजना

1068. **श्री नरेन्द्र बुड़ानिया** (सरदारशहर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में जीवनधारा योजना के तहत कितने कृषि कुओं का निर्माण हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में जीवनधारा योजना के तहत अब तक (93-94 तक) कुल 204 कुए स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 107 कुए पूर्ण, 95 कुएं अपूर्ण एवं 2 कुओं का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन 204 कुओं की विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर से प्राप्त कृषकवार ग्रामवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सुनिश्चित रोजगार योजना

1069. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना राज्य में कब से लागू है तथा इसके लिये किस-किस जिले को कितनी कितनी राशि आवंटित की है?

(2) यह योजना किस प्रकार से लागू की जा रही है तथा इसके तहत रोजगार चाहने वालों को किस प्रक्रिया से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किये हों, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वालों का चयन किस प्रकार से किसके द्वारा कब तक कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) भारत सरकार की सुनिश्चित रोजगार योजना देश में 2 अक्टूबर 1993 से लागू है। परन्तु राज्य में विधान सभा चुनावों के कारण क्रियान्वयन देर से शुरू हुआ। इस योजना के अन्तर्गत जिलेवार राशि का आवंटन परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) यह योजना केन्द्र प्रयोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो सामान्यतया सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आने वाले खण्डों के जिलों में रहते हैं, 100 दिन के रोजगार का आश्वासन है। प्रति परिवार अधिक से अधिक 2 वयस्कों को रोजगार चाहने पर कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा तैयार विभिन्न कार्यों में से आरम्भ किए कार्यों में पंजीकरण के आधार पर परिचय पत्र उपलब्ध करवा कर रोजगार दिलवाया जायेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) इस योजनान्तर्गत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण ग्राम पंचायतों में किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मे रोजगार चाहने वालों का रजिस्टर संधारण किया जा रहा है तथा उसके आधार पर जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, कार्य योजना के अनुसार नए कार्य खोलकर इच्छुक वयस्कों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान मुख्यतया गैर कृषि मौसम में है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति घाटोल व पीपलखूंट को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति राशि

1070. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत समिति घाटोल व पीपल खूंट की ग्राम पंचायतों में वर्ष 1990/1991 से आज तक किन-किन मदों से तथा किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने कार्य स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों पर कितनी धनराशि अब तक व्यय हुई? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत समिति घाटोल एवं पीपलखूंट की ग्राम पंचायतों में वर्ष 90-91 से अब तक 1123 कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत लिये गए मदवार एवं कार्यवार सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) इन कार्यों पर रुपये 463.32 लाख की राशि व्यय की गई है। 996 कार्यपूर्ण हो चुके हैं। एवम् 127 कार्य अधूरे हैं सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जोधपुर की निर्बन्ध राशि योजना

1071. **श्री रामनारायण डूंडी** (भोपालगढ़): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण डूंडी)

(1) निर्बन्ध राशि के तहत जोधपुर ज़िले में कितने कार्य करवाये गये ? पंचयात समिति वार कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ? वर्ष 1990 से जून 1992 तक कार्यों व आवण्टित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जोधपुर नगर निगम व ज़िले की तीनों नगरपालिकाओं को कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु आवंटित क़ी गयी ? वर्ष 1990 से जून 1992 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) निर्बन्ध राशि के अन्तर्गत जोधपुर जिले में वर्ष 1990 से 1992-93 तक रुपये 96.18 लाख के 133 कार्य स्वीकृत किये गये तथा 84.92 लाख रुपये व्यय किये गये। पंचायत समितिवार खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है । स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है ।

(2) जोधपुर नगर निगम को वर्ष 1990 से 1992-93 तक निर्बन्ध राशि अन्तर्गत रुपये 16.60 लाख 13 कार्यो हेतु स्वीकृत किये गये जिसके विरुद्ध रुपये 14.23 लाख व्यय किये गये तथा जिले की तीनों नगर पालिकाओं को वर्ष 1990 से 1992-93 तक रुपये 10.39 लाख के 13 कार्य स्वीकृत किये गये । कार्यो का ब्यौरा एवं आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

ग्राम महावीर पुरा (बूंदी) में कुए का निर्माण

1072.**श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23-3-1991 एवं 30-5-1991 को ग्राम महावीर पुरा तहसील नैनवां के सरकारी कुएं को गहरा किये जाने बाबत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी की बैठक में तथा 7 जिला परिषद बूंदी की वैठक में दिनांक 21-9-1990 में विचार विमर्श किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कुआ गहरा करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक गहरा करवा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए को गहरा करवाने बाबत भू-जल विभाग द्वारा राशि की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी राशि जमा करवाई जा चुकी है ?

(3) उक्त कुए को गहरा करवाने बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या उक्त कुए को गहरा करवाये जाने बाबत राशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि दिनांक 23.3.91 एवं 30.3.91 को महावीरपुरा तहसील नैनवां के सरकारी कुए को गहरा किए जाने का विन्दु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की वैठक में आया परन्तु यह कार्य डी. आर. डी. ए.

(56)

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

द्वारा क्रियान्वित कराई जा रही किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आता था इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जावे। ग्राम महावीर पुरा का सार्वजनिक कुआ अभी गहरा नहीं कराया जा सका है। ग्रामवासी सहयोग देकर कुए से मलवा एवं पानी निकाल देंगे तो कुआ गहरा कराया जाना सम्भव होगा।

(2) जी हां। भू-जल विभाग की मांग के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राशि केवल ब्लास्टिंग हेतु रु. 600/- भू-जल विभाग में दिनांक 18.1.92 को जमा कराई जा चुकी है।

(3) पंचायत द्वारा राशि जमा करवाने के उपरान्त कुए को गहरा करने हेतु भू-जल विभाग कोटा की टीम गाँव में आई थी।

(4) पंचायत समिति द्वारा 600/- रुपये व्यय करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा राशि भू-जल विभाग में जमा करवा दी गई है।

जिला बांसवाड़ा में जीवन धारा योजना के कार्य

1073.श्री दलीचन्द (दानपुर) : — क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में कितने कुओं की स्वीकृति जारी की गयी? स्वीकृति के अनुसार कितने कुओं का कार्य पूर्ण हुआ तथा कितनों का अपूर्ण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृति के अनुसार कितने कुओं पर किये गये कार्य का भुगतान किया गया है तथा कितने शेष रह गये हैं? शेष को अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में जीवन धारा योजनार्न्तगत वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में कुल 586 कुओं की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृत कुओं में से 152 कुओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा 434 कुए अपूर्ण एवं निर्माणाधीन हैं। पंचायत समितिवार विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृत किये गये 152 पूर्ण कुओं का तथा 388 अपूर्ण कुओं का भुगतान ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किये गये कार्यों के अनुपात में किया गया है।

अपूर्ण 46 कुओं में निर्धारित माप दण्ड के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इन कुओं पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य करने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 22 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्वीकृत कार्य

1074.श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली

(श्री भरत सिंह)

वाली ग्राम पंचायतों में गत विधान सभा के भंग हो जाने के बाद से किस-किस योजना के तहत कितने कार्य करवाये गये ?

(2) इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने कार्य अभी निर्माणाधीन हैं ?

(3) इन कार्यों पर अलग-अलग मद में से कितनी-कितनी राशि व्यय हुई हैं तथा कितनी राशि व्यय होना शेष हैं ?

(4) क्या पूर्ण हुये कार्य का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब ?

उत्तर

(1) खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में गत विधानसभा भंग हो जाने के बाद से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 191 कार्य करवाये गये, कार्यों का विवरण परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(2) इन कार्यों में से 109 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 82 कार्य निर्माणाधीन है।

(3) इन कार्यों पर मदवार व्यय एवम् अवशेष राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है।

(4) जी हाँ, पूर्ण हुए कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र कार्य पूर्ण होने के साथ ही जारी कर दिए गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट- 23 देखें।)

कोटड़ा (उदयपुर) का जनजाति छात्रावास

1075.**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर जनजाति के छात्रों का राजकीय छात्रावास स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से एवं कितने छात्रों का ?

(2) क्या छात्रों की आवास व्यवस्था के कोई मापदण्ड निर्धारित है ?

(3) क्या मापदण्ड के अनुसार छात्रों को आवास व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार मापदण्ड के अनुसार छात्रों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जन जाति बालक छात्रावास वर्ष 1952 से संचालित है जिसकी स्वीकृत छात्र संख्या 125 है।

(2) जी हाँ छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास संचालन नियम 1982 के अनुसार निम्न आवासीय सामान उपलब्ध कराने का प्रावधान है—

1. दरी, 2. दो कम्बल, 3. एक तकिया मय दो गिलाफ, 4. दो चद्दर, 5. एक गद्दा, 6. एक थाली, 7. एक मग प्लास्टिक का बड़ा, 8. कटोरी दो, 9. चारपाई या तख्ता, 10. अलमारी या लोहे का बक्स।

(3) जिन छात्रावासों को खोले हुये काफी समय हो गया है और पूर्व में उपलब्ध कराया

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

गया समान खराब हो चुका है उनमें वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नये समान क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। यह राज्य सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

समाज कल्याण अधिकारी राजसंमद का जांच प्रकरण

1076.**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर राजसंमद द्वारा तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हरी मोहन मिश्रा के विरुद्ध छात्रावास संबंधी घोटाले की जांच कर निदेशक समाज कल्याण विभाग को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति मय जांच रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त घोटाले से संबंधित अधिकारी को नाजायज रूप से पनाह देकर वचाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है? यदि हां, तो निलम्बन आदेश एवं की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस अधिकारी को सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो दिये गये आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अ.शा. पत्र एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(जांच/रिपोर्ट एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गयी।)

पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का आरक्षण प्रमाण-पत्र

1077. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षण हेतु पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है? यदि हां, तो माह नवम्बर, 1993 से अब तक जिला चूरू एवं जिला जयपुर में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रमाण पत्रों को जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा है? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो जिला चुरू व जयपुर के कार्यालयों से प्रमाण-पत्र क्यों नहीं जारी किये जा रहे हैं?

(3) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की क्या प्रक्रिया है?

(4) जिला जयपुर व चुरू के कार्यालयों में अब किन-किन व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र बकाया है सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बकाया आवेदकों को कब तक प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जावेंगे?

(श्री किशनाराम)

(6) क्या यह सही है कि भविष्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की विज्ञप्ति में 21% आरक्षण जारी रहेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) सितम्बर 1993 के बाद की विज्ञप्तियों में जिन व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये है उनको आरक्षण का फायदा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है परिशिष्ट - क

(2) जी नहीं। पिछड़ी जाति के व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर जिला चूरू एवं जयपुर में प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(3) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जाति की जांच, आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पटवारी, ग्राम सेवक या नगर पालिका की रिपोर्ट अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति की तस्दीक के आधार पर करने के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

(4) जिला जयपुर व चूरू में कोई आवेदन पत्र बकाया नहीं है।

(5) बिन्दु संख्या चार के अनुरूप में कोई प्रमाण पत्र बकाया नहीं है।

(6) जी हाँ।

(7) 28 सितम्बर, 1993 के बाद की विज्ञप्तियों में नियमानुसार उन्हीं व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देय होगा जिनके द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सभी सक्षम अधिकारियों को प्रमाण-पत्र का प्रारूप एवं समुचित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील सरदारशहर का मरु विकास कार्यक्रम

1078. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** (सरदारशहर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरदार शहर तहसील में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पशु पेयजल कुन्ड स्वीकृत किये गये है? इनमें से कितने कुण्डों का निर्माण हुआ है तथा कितने शेष हैं? अब कब तक शेष कुण्डों को सरकार बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

चूरू जिले की सरदारशहर तहसील में मरु विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में अभिकरण द्वारा व्यक्तिगत लाभकारी योजना के अन्तर्गत 457 पशु पेयजल कुण्ड निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं। उक्त कुण्डों में से 147 कुण्ड पूर्ण हो गये हैं। 163 प्रगति पर हैं। अपूर्ण 163 कुण्डों का कार्य कास्तकारों द्वारा शीघ्र पूर्ण कराये जाने की संभावना है। शेष 120 स्वीकृत पशु पेयजल कुण्डों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने के कारण कार्य रुकवा दिया गया है और इस प्रकरण की जाँच करायी जा रही है।

जिला बीकानेर के अभावग्रस्त गांव

1079. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) बीकानेर जिले के विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर कोलायत एवं नोखा के कितने-कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये? मय जनसंख्या के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ किये गये हैं एवं उन पर कितने-कितने प्रभावित लोगों को रोजगार दिया जा रहा है?

(4) जो कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके उसका क्या कारण है?

(5) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों के अभाव ग्रस्त ग्रामों के पशुओं के चारे दाने की क्या व्यवस्था की गई है?

(6) पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है?

(7) क्या सरकार के ध्यान में है कि कम वर्षा का प्रभाव नहरी क्षेत्र के चक 28 के.जे.डी. से 43 के.जे.डी. 38 के. वाई. डी. से 44 के. वाई. डी. में भी परिलक्षित हो रहा है तथा क्या वहां पर अभी पेयजल का संकट है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के विधान सभा क्षेत्र लूनकरणसर, नोखा एवम् कोलायत के निम्नलिखित गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है : —

विधान सभा क्षेत्र	अभावग्रस्त घोषित गांव
लूनकरणसर	212
नोखा	173
कोलायत	162
	547

अभावग्रस्त गाँवों की सूची मय जनसंख्या सदन की पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-"अ")

(2) बीकानेर जिले की उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये है :—

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि जे.आर.वाई. (लाखों में)	आश्वासित रो.यो. (लाखों में)
1.	लूणकरणसर	90.38	52.85
2.	नोखा	105.21	27.458
3.	कोलायत	50.93	42.20

उक्त लागत के कार्यों के अतिरिक्त अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रानुसार कार्यों की लागत सहित विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं. विधान सभा क्षेत्र	स्वी. कार्य	स्वी. श्रमिक	स्वी. लागत
1. लूणकरणसर	78	4500	187.35
2. नोखा	59	3150	178.00
3. कोलायत	52	3650	180.18

स्वीकृत कार्यों की सूचियां संलग्न परिशिष्ट "ब" है।

(3) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत 189 कार्यों में 91 कार्य प्रारंभ हो चुके है। इन पर अभावग्रस्त क्षेत्रों के 5125 श्रमिकों को नियोजित किया गया है।

(सहायता राज्य मंत्री)

आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत 65 कार्यों में से 53 कार्य चालू है एवं जवाहर रोजगार योजना में कुल 616 स्वीकृत कार्यों में से 62 कार्य चालू है। इन योजनाओं में कुल 2669 श्रमिकों का नियोजन किया गया है।

(4) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों को प्रारम्भ त्वरित रूप से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हुये हैं। कार्य प्रारम्भ करने में कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक कठिनाई नहीं है, तथापि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के प्रयोग में आनेवाली विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसे एकत्रित करने में कुछ समय लगता है।

(5) जिले के उक्त विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोले जा रहे है। वर्तमान में कोलायत एवं लूनकरणसर में चारा डिपो प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। पशु आहार के संबंध में राजस्थान डेयरी फैडरेशन के माध्यम से 24600 पशुओं को पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है।

(6) पेयजल समस्या के समाधान के लिये जिले में उपलब्ध तीन टैंकर्स में से एक टैंकर को मुख्यालय कोलायत पर एवं एक टैंकर को मुख्यालय नोखा भिजवाया गया है। जल प्रदाय की विभिन्न योजनाओं से जुड़े ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जन स्वा. अभि. विभाग के माध्यम से पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिले के दूरदराज के ग्रामों में पेयजल की समस्या होने पर ऊंटगाडों व टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा।

(7) मुख्य अभियन्ता (उत्तर) सिंचाई हनुमानगढ़ ने बताया है कि नहरी क्षेत्र के चक 28 के.जे.डी. से 43 के.जे.डी., 28 के.वाई.डी. से 44 के.वाई.डी. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा पर स्थित है। स्वीकृत रेगूलेशन प्रोग्राम के अनुसार अनूपगढ़ शाखा की नहर 2250 क्यूसैक की चलाई गई थी एवम् अब 26 दिन बाद 11.4.94 से 20.4.94 तक चलाई जावेगी। इन्दिरा गांधी परियोजना नहर 26 दिन के अन्तराल से चलाई जाती है। पीने के पानी की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पशु चिकित्सालय की स्थापना

1080. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार करने की योजना रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) नये चिकित्सालय, औषधालय खोलने का क्या मानदण्ड है?

(3) जोधपुर जिले में वर्तमान में कहां-कहां पर कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधायें कब-कब से दी जा रही हैं?

(4) क्या सरकार बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों रामड़ावास कला, झाक, हरियाड़ा के आस-पास में पशुओं की आवादी को देखते

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हुए पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उप खण्डीय चल चिकित्सा इकाई भ्रमणशील शल्य चिकित्सा एवं बांझ निवारण इकाई के द्वारा पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है।

(2) नये चिकित्सालय/औषधालय खोलते समय पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधायें जैसे भवन, डाक व्यवस्था आवागमन के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

(3) जोधपुर जिले में चिकित्सा सुविधा हेतु 52 पशु चिकित्सालय, 16 पशु औषधालय, 2 चल पशु चिकित्सा इकाई, एक उप खण्डीय चल चिकित्सा इकाई तथा 31 उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। क्यों कि नये चिकित्सालय/औषधालय खोलने का प्रावधान अभी तक नहीं है।

पशु चिकित्सकों के वेतनमान

1081. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पशु चिकित्सकों को वेतनमान 1968 से पूर्व अन्य राज्य स्तरीय तकनीकी सेवायें जैसे सहायक अभियन्ता, डेन्टिस्ट, सहायक सिविल सर्जन के समान थे ? यदि हां, तो 1968 में किस आधार पर वेतनमान कम किये गये ?

(2) वर्तमान में पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर कितने-कितने रिक्त पद है और कब से रिक्त चल रहे हैं ? क्या इसका वेतनमान कम होने से संबंध नहीं है ?

(3) क्या गत विधान सभाओं में 11-7-1982, 18 मार्च, 1986 एवं 10-11-1987 को सदस्यों द्वारा पुरजोर मांग पर तत्कालीन मंत्रियों द्वारा तीन माह में पशु चिकित्सक के वेतनमान शुद्धिकरण का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इतना समय गुजरने के बाद भी आश्वासन की पूर्ति हेतु निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या वर्तमान में पड़ौसी राज्य यू.पी., पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल व अन्य राज्यों में पशु चिकित्सकों के वेतनमान मानव चिकित्सकों के समान है तथा राजस्थान में राज्य डेयरी फैडरेशन में भी समान है ? यदि हां, तो राज्य में पशु चिकित्सकों के वेतनमान 1968 से पूर्व की भाँति मेडिकल के समान करने में क्या परेशानी है ?

उत्तर

(1) जी हां। राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों पर पशु चिकित्सकों के वेतनमान कम किये गये हैं। इसका आधार पशु चिकित्सकों की स्नातक स्तर को प्रवेश के समय शैक्षिक योग्यता कम आँकना था।

(2) वर्तमान में पशुपालन विभाग में 223 पद सहायक पशु शल्य चिकित्सकों के रिक्त है जो कि वर्ष 1990 से 1993 की अवधि से है। जी नहीं। रिक्त पद होने का वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(3) जी हाँ। यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है।

(4) जी हाँ। राणावत वेतन आयोग 1968 तथा वेरी वेतन आयोग 1981 में पशु चिकित्सकों का वेतनमान कम रखा तथा समाता समिति ने पूरे, प्रकरण का अध्ययन कर वेतनमान को यथावत रखा है।

राज्य के पशु चिकित्सा महाविद्यालय

1082. **श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं?

(2) क्या राजस्थान में एक ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय होने से राजस्थान में पशु चिकित्सकों की कमी है? क्या यह भी सही है कि इसी कारण राजस्थान में अन्य प्रदेशों के महाविद्यालयों से प्रशिक्षित चिकित्सकों को नौकरी पर रखना पड़ता है?

(3) क्या सरकार का प्रदेश में एक और पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का विचार है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस महाविद्यालय की स्थापना क्षेत्रिय संतुलन की दृष्टि से भीलवाड़ा में खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में एक ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में स्थित है।

(2) जी हाँ, एक ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय होने से चिकित्सकों की उपलब्धता में कमी है। रिक्त पदों को भरने के लिए अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों को नौकरी पर लेना पड़ता है।

(3) जी नहीं, वर्तमान में राज्य सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया हुआ है।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति में कथित भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाऐगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम हरसौर के बन्द किये गये प्राथमिक विद्यालय को पुनः प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्राम सावोरा से कुरवारा सड़क निर्माण में काश्तकारों की आयी भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के नये विद्युतीकृत गांवों में कृषि कनेक्शन दिये जाकर राहत दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र वामनवास की कतिपय ग्राम पंचायतों को डामर की सड़कों से जुड़ाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में इटावा ई.वी.सी. से टेल पोर्शन तक लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री दलीचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा में अवैध रूप से किये जा रहे खनन को रोकने तथा आदिवासियों को खनन कार्य हेतु क्वेरी लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने तथा उनमें सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम कानोता की खसरा नम्बर 216 भूमि का नियमन नहीं होने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के बगरु कस्बे के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बल्लुपुरा, राबडियावास, रास बलाड़ा के अनुसूचित जाति, जन जाति के काश्तकारों की भूमि को एक सीमेण्ट फैक्ट्री हेतु अवाप्त किये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(11) श्री दीपेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम मऊ, नाथूसर, गढ़टकनेस एवं अजीतगढ़ की सरकारी भूमियों में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से नगरपालिका मण्डल बगरू में सांवा की बगीची स्थित एक हनुमानजी की प्रतिमा व गाय-भैंसों के पीने के पानी की खोली तोड़कर दुकानें बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती में कथित धांधलियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास शून्यकाल के लिए बहुत सी चिट्ठियाँ आयी है, मैं एक-एक का नाम बोल रहा हूँ। श्री उगमराज मेहता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27-3-1994 को जीप नम्बर आर. जे-1, 971 अजमेर से ब्यावर की ओर आ

(श्री उगमराज मेहता)

रही थी, उसमें अंधाधुंध सवारियाँ भरी हुई थी। सरमालिया के पास में सामने से आ रहे ट्रक और जीप दोनों भिड़ गये। जीप में बैठी हुई सवारियों में से 5 पुरुष और 1 महिला की उसी समय घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। उसके बाद में 5-6 व्यक्तियों को अमृतकौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह जो जीप थी वह अन-आथोराइज्ड थी और रोजाना अजमेर से ब्यावर आती थी और ब्यावर से अजमेर जाती थी। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह जो अवैध रूप से जीपें चलती हैं उनको रोका जाए और इसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति-पूर्वक विचार कर उनको मुआवजा दिया जाए। इसमें सिंधी समुदाय के लोग थे जिनका ब्यावर के अन्दर धार्मिक आयोजन था उसमें भाग लेने आ रहे थे।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। एक घटना सनवास के पास में हुई। उदयपुर से एक ट्रक आ रहा था। एक सिपाही जो मसूदा का था, रतनसिंह रावत नाम का जवाजा के पास का रहने वाला था और किसी सरकारी काम से कहीं जा रहा था। विक्की पर था उसे उस ट्रक ने टक्कर मार दी और श्री रतनसिंह रावत की मृत्यु हो गयी। ट्रक फरार हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिपाही रतनसिंह रावत के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उसके लड़के को राज्य सरकार की नौकरी में लिया जाए। नौकरी दिलाने का इंतजाम किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर और ब्यावर के बीच में आये दिन जीप दुर्घटनाएं होती रहती है। इतनी अन-आथोराइज्ड जीपें चल रही हैं और उनमें इस तरह से सवारियां भरी जाती हैं जैसे भेड़ बकरियां भरी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का और यातायात मंत्रीजी का स्पेसिफिक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जीपें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हैं और उन्हीं के संरक्षण में पिछले 4 सालों से डी. टी. ओ. की मिलीभगत से चल रही हैं। जो वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गये उनकी बेनामी कम से कम 10-12 जीपें हैं जो रोज अजमेर और ब्यावर के बीच में चलती हैं उसमें होली के पहले 4 आदमी मरे, उसके पहले 8 आदमी मरे और कल 6 आदमी मरे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वे तुरन्त प्रभाव से इन जीपों को बन्द करवायें और जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी मिली-भगत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं उसकी जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोटवानीजी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : पूरे कांग्रेस के लोगों की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री टीकमचन्द कान्त : कांग्रेस के लोगों के गठबन्धन से चलती है। व्यवस्था यह है___

श्री अध्यक्ष : बैठे, बैठे। श्री मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस दुर्घटना की ओर

(श्री किशन मोटवानी)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका कारण अवैध वाहन तो हैं ही किन्तु दूसरा कारण यह है कि हमारे पास परिवहन व्यवस्था नहीं है। आज अगर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था हम उपलब्ध करवायें, कोई शटल सर्विस वहां चालू करवायें ब्यावर-अजमेर, अजमेर-किशनगढ़ के बीच में तो मैं समझता हूं कि ऐसे अवैध वाहन नहीं चलेंगे। यह दुर्घटना हुई, इससे दो दिन पूर्व दुर्घटना हुई जिसमें 4 आदमी मरे और यह ठीक होली के दिन दुर्घटना हुई जो मैं समझता हूँ कि अत्यन्त ही दिल दहलाने वाली दुर्घटना है। आप इसको सीरियसली लेंगे और अवैध वाहन बन्द करेंगे। साथ ही साथ ऐसी परिवहन व्यवस्था आप उपलब्ध करवायें जिससे आम जनता को राहत मिले। क्योंकि कम्पयूटर्स बहुत हो गये हैं उस अनुपात में आपने परिवहन व्यवस्था बढ़ायी नहीं। उसको बढ़ाये। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूँगा कि वे जो मृतक हैं उनके संदर्भ में आज तक कोई संवेदना राज्य सरकार की तरफ से आयी नहीं है, कोई घोषणा आपकी तरफ से आयी नहीं है कि मृतक के परिवार वालों को आप क्या देना चाहते हैं। न तो पूर्व के मृतकों के परिजनों को दी, न इन मृतकों के परिजनों को दी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनका कोई दोष नहीं है। अवैध वाहनों में क्यों बैठे उनका कोई दोष नहीं है। अगर उनको सरकारी वाहन मिल जाएं तो उनमें बैठेंगे और सुरक्षित जाएंगे। इसलिए राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वह इसकी भी घोषणा करें।

दूसरा, पुष्कर से आने वाले मेरे मित्र ने कहा, इस बात की मैं ताईद करता हूँ क्योंकि उनमें कमल का फूल लगाकर वाहनों पर वह चलते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है.. (व्यवधान).. देखिये, आप मेरे संजीदापन को जानते हैं, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : कमल का फूल ट्रकों पर है, कई बसों पर कमल का फूल लगा हुआ है, बीमा के निशान में कमल का फूल है।

श्री किशन मोटवानी : यह हो सकता है, यह हो सकता है..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप अपराध का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप उन को बचाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आप मुझे कहने दीजिये,... मैं क्या कह रहा हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप राजनीतिकरण करना चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस का है....(व्यवधान)....सब कांग्रेस के लोग हैं।, मुसलमानों के वोट कांग्रेस पार्टी को मिले है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल के फूल का चिन्ह लगाकर..(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : आपकी मरने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....कृपया बैठें।

श्री टीकमचन्द कान्त : जो अव्यवस्था पूरे राजस्थान में चलती आ रही है इस अव्यवस्था को मिटाने की बात कहनी चाहिये। अव्यवस्था मिटनी चाहिये, यह बात कहो। आप राजनीतिकरण करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी की जीप चल रही है इसलिए इनको दुःख हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री रामस्वरूप मीणा : श्री गोपीरामजी की जीप चल रही है इसलिए इन्हें दुःख हो रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कोगटा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये सारी जीपें श्री विष्णु मोदी के चुनाव में लगी हुई थी। (व्यवधान) सारे अवैध धंधे कांग्रेस कर रही है और आप भी शामिल है उसमें। आप बचाना चाहते हैं उनको।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं इसमें कोई शामिल नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके चुनाव में काम रही थीं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप मेरे पर व्यक्ति गत रूप से आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे। आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूँ।

श्री किशन मोटवानी : जीरो आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। आप पहले एक मिनट बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : श्री घनश्यामजी की चल रही इसलिए दुःख हो रहा है आपको।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक महोदय, आप विराजिऐ। बड़ी अजीब बात है, कोई दुर्घटना होती है, कहीं कुछ होता है और इस हाउस में हम एक-दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अजीब बात है।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। ऐसा है, जो मूल प्रश्न है, दुर्घटना हुई है, उनको मदद मिलनी चाहिये, यह एक सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर हम आपस में एक दूसरे पर आरोप लगायें, किसकी जीप थी, किसकी जीप नहीं थी, मैं समझता हूँ, यह प्रश्न गौण है। यह प्रश्न आना ही नहीं चाहिये था। इस तरह प्रश्न बोला ही नहीं जाना चाहिये था। जो मुख्य घटना है कि दुर्घटना हुई है, उनको सरकार क्या मदद दे रही है या सरकार भविष्य में इस प्रकार के अवैध वाहन चल रहे हैं उनकी रोकथाम में और अधिक सतर्कता वरते, यह बात समझ में आती है मगर इस प्रश्न की डाइल्यूट करके इस तरह से आपत में आरोप लगाना अच्छी वात नहीं है। अव कोगटा जी वोल रहे हैं। (व्यवधान)

68

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक बोलिये। एक-एक बोलिये। (व्यवधान) बैठिये, एक मिनट। आप बोलिये। आप बोल रहे हैं। आपका नम्बर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूँ कि मेरी इस बात से आपको इतना रोष हुआ है तो मैं वापस लेता हूँ। आप खुली छूट दीजिये, मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, चलिये।

श्री किशन मोटवानी : मेरा कहना तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हैं या कांग्रेस की है___

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका, कोगटा जी बोल रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : उन अवैध वाहनों की रोकथाम जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : घटना के बारे में बोलिये।

श्री किशन मोटवानी : नहीं रोकेंगे, और कैसे नहीं रोकेंगे। आप वाहन दीजिये और वे रुक जाऐंगे अपने आप। उसको आपने गलत ले लिया, मेरा कोई आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोगटा जी बोल रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर घाटी और नसीराबाद घाटी में भी अनाप-शनाप जीपों में आदमी भरकर चलते हैं और उनकी रफ्तार पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं। सुबह से लेकर रात तक 25-25 आदमी उनमें भरकर चलते हैं। उसमें राजनैतिक संरक्षण है। हमारा यह कहना है उस पर चैक लगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसका है, नाम बताओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाँ बताइये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। ये आज से नहीं चल रही हैं, ये पिछले 10 साल से समस्या है। पूर्व के राज में राजनैतिक संरक्षण दिया हुआ है, उसका यह फैलाव मात्र है। जिस रफ्तार से ये अवैध वाहन चल रहे हैं और ब्यावर ही नहीं...

श्री किशन मोटवानी : आप कापी कर रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पुष्कर घाटी में और नसीराबाद घाटी में इतनी खतरनाक रफ्तार से चलते हैं। यह आज से नहीं है, पिछले 10 साल से चल रहे हैं और पिछले राज के राजनैतिक संरक्षण में चल रहे हैं। वह बढ़ गया है। अधिकांश गाड़ियों में तीन रंग की लाइनें खींचीं हुई है, लाल, सफेद और हरी, इससे पता लग जाएगा कि किसका संरक्षण है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जगदीप धनखड़। अपने विषय पर बोलिये। श्री धनखड़ साहब, अपने विषय पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी :अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : ये पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाये गये हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। मुझ पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी जी बैठिये, बैठिये।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मुझ पर आरोप लगाये गये हैं और आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : किस पर आरोप लगाया गया है ?

श्री विष्णु मोदी : मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मेरा उसमें हाथ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां है, आरोप नहीं यह तो सही बात है। यह आरोप नहीं है, यह तो सही बात है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब आप। ये आरोप-प्रत्यारोप बन्द कीजिये। अब आप बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ। मैंने जो इस सदन के सदस्य की हैसियत से (व्यवधान) मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर घनश्याम जी तिवाड़ी, इस बात को प्रूव कर दें कि इन अवैध वाहनों में किसी प्रकार का हाथ था तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो प्रमाणित है और आप अभी दे जाओ त्याग पत्र, अभी देकर नक्की करो काम।

श्री अध्यक्ष : एक दुर्घटना हुई है और यहां एक नयी दुर्घटना कर रहे हो। (व्यवधान) श्री धनखड़ साहब, बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको तो क्या कहूं, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उन अवैध जीपों की संरक्षक है, है, है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये कांग्रेस पार्टी के विष्णु मोदी के संरक्षण में चल रही है और आपके चुनाव में काम कर रही थी जीपें और ये मरने वालों की सारी जिम्मेदारी आप पर है और ये बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर चार्ज लगा रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इन अवैध जीपों में एक भी जीप मेरे चुनाव में हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप दे दीजिये, आप दे दीजिये (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ये जो अवैध जीपें चल रही हैं, एक भी जीप.....वे सब भारतीय जनता पार्टी

(श्री विष्णु मोदी)

के उम्मीदवारों का प्रचार कर रही थीं और इनके साथ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये सब आपके आदमी हैं।

श्री विष्णु मोदी : ये गलत बात बोल रहे हैं और मेरे चुनाव में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं करें।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय पर बोलिये, अपने विषय पर। आर्डर प्लीज। बैठिये, बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ढाई महीने की बात है, क्योंकि ये बातें सुनकर मेरा मन दुःखी हुआ कि किशनगढ़ शहर के 5 नवयुवक एक दुर्घटना में मारे गये। राजनैतिक भेदभाव भूलकर हम सब लोगों का मन दुःखी था। हम इकट्ठे हुए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, पूरा शहर इकट्ठा हुआ। हमने उस मामले में किसी भी राजनैतिक दृष्टि से कुछ नहीं देखा। भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, अन्य पार्टी के लोग भी थे, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत पूरे सदन से एक निवेदन है, यह दुर्घटना का मामला है उसमें परिवार दुःखी हो जाता है, 2-4 दिन तो आप और हम उनको सांत्वना देते हैं समय के साथ आप और हम उनको भूल जाते हैं और उनकी पीड़ा उन तक रह जाती है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राजनीति से इस सदन को ऊपर उठना चाहिये। आरोप और प्रत्यारोप की बात छोड़कर किस तरीके से सही सुधार किया जाए, मात्र यह कहना कि जीप आदमियों को ले जा रही थी—

श्री अध्यक्ष : अब अपनी बात कहिये। यह छोड़िये, यह तो हो गया। इस प्रकरण को बन्द कीजिये। हो गया

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में नीतिगत निर्णय लेकर कोई न कोई फैसला करे ताकि जनता को नुकसान नहीं हो और जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिले।

अब मैं मेरे मुद्दे पर आता हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कितनी बार पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है और उन्होंने इस पर चर्चा कर दी। पहले जो चर्चा चल रही थी, उस पर बोलकर अब अपनी बात उठा रहे हैं–

श्री अध्यक्ष : काहे की चर्चा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जबकि मैंने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया था।

श्री जगदीप धनखड़ : आसन की व्यवस्था की चुनौती—

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। इस प्रकार से खुली छूट हो गयी इनको।

श्री अध्यक्ष : कोई छूट नहीं है। आप बोलिये। बोलिये, बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल क्राइम जब देश में बढ़ने लगा तो जो कानून बनाते हैं उन्होंने कानून में परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया और कस्टोडियल क्राइम को एक नयी दृष्टि से देखा जाने लगा। कस्टोडियल क्राइम के मामले में सख्ती आने लगी और करीब-करीब सब पीनल लॉज में अमेंडमेंट्स कर दिये गये। कस्टोडियल क्राइम की स्थिति को देखते हुए हमारे गृह मंत्रीजी ने भी घोषणा की कि राजस्थान में जहां भी थाने में कस्टोडियल क्राइम होगा, ये सख्ती से उसको निपटेंगे और पूरे थाने के अधिकारी हैं उनका तबादला कर देंगे। माननीय गृह मंत्रीजी की घोषणा को हम सबने गम्भीरता से लिया और उम्मीद की कि इनके द्वारा ऐसा कार्य करने की नौबत नहीं आएगी, शायद इनकी घोषणा से यह अंकुश लग जाएगा, इनका जो डिक्लेरेशन हुआ है, that will act as a deterrent. अध्यक्ष महोदय, स्थिति इस प्रकार की नहीं है। कस्टोडियल क्राइम में विशेष बात यह है कि जो क्राइम करता है वही इन्वेस्टीगेट करता है। इसलिए पूरा अवसर मिलता है उसको कि यदि कस्टोडियल क्राइम हो गया। तो उसको वह इस तरीके से इन्वेस्टीगेट करता है कि सुसाइड का रूप दे देंगे, दुघर्टना का रूप दे देंगे और आप और हमारे सामने इस प्रकार की स्टोरी को आगे लायेंगे कि आप और हम भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस हिरासत में जहर खाने से जो डैथ हुई थी प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में, मैंने इसको पढ़ा है। जो कहानी गढ़ी है वह इतनी_

श्री अध्यक्ष :आप वहां गये थे क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा होता कि आप जांच कर लेते और फिर बोलते। अभी आप अखबार का अर्थ निकाल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं आपको फिर मौका दूंगा। आप वहां जाइये और जांच करके फिर सदन को बताइये।

श्री जगदीप धनखड : फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ_

श्री अध्यक्ष : आर्ग्युमेंट पर मत बोलिये। (व्यवधान) देखिये, यह कोई मतलब नहीं है। अखबार का अर्थ मत निकालिये।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम जी, अध्यक्ष महोदय मुझे फिर मौका देंगे, वर्तमान मौके को थोड़े ही ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान मौके को जारी रखते हुए कहा है कि भविष्य में भी मुझे मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसमें अब जरूरत नहीं है इसकी। अब ये तो अखबार में आयी है वह सरकार ने भी पढ़ ली है और आपने भी पढ़ ली है, इसमें अर्थ क्यों निकाल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बात कई बार आती है कि.....

(72)

श्री अध्यक्ष : इसलिए देखिये, जब तक उसकी जांच नहीं हो कोई मतलब नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं, मैं पुरजोर शब्दों में एक बात आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि देश के पत्रकार बड़े रेस्पोंसिबल हैं। उनकी इज्जत दाव पर लगती है यदि उनकी कोई खबर असत्य हो। और मैं मानकर चलता हूं कि जो भी चीज अखबारों में छपती है उसको हम पूरी क्रेडिबिलिटी दें। जब अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस देश के अखबारों को दोनों तरह के प्रमाण-पत्र मिलते हैं। आप अभी यह प्रमाण-पत्र दे रहे हैं और कल दूसरा प्रमाण-पत्र दे देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, मैंने व्यक्तिगत जानकारी हासिल की है, उसके आधार पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : हां, वह बताइये।

श्री जगदीप धनखड़ : खबर मेरा आधार है, मैंने व्यक्तिगत जानकारी हासिल की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसने दी ?

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्यामजी, मैं आपको सोर्स बता दूं, इतनी बड़ी गलती यहां नहीं करूंगा। प्राइवेटली आ जाइये, बता दूंगा। जिनसे मैंने जानकारी की वे यहां बैठे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं घनश्यामजी क्यों एक सीरियल इश्यू को नान सीरियस करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : कस्टोडियल क्राइम हुआ, क्योंकि डैथ हुई। दूसरा, डी.आई.जी. ने एक्शन लिया और डी.आई.जी. ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की। दोनों का निलम्बन किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे यह बात पूरी तरह एस्टेब्लिश होती है कि थाने में क्राइम हुआ जिस तरह की घोषणा माननीय गृह मंत्रीजी ने की थी, उसके निलम्बन की कार्यवाही नहीं हुई और अब बनावटी कहानी दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको इतना अनुभव है–

श्री अध्यक्ष : दो आदमियों से पूछ लें।

श्री जगदीप धनखड़ : कुछ भी असत्य बोला जा सकता है। Circumstances will never lie.

यह जो सरकॅटांसेज बताये गये हैं–

श्री अध्यक्ष : वहां दो कांस्टेबल को सस्पैण्ड किया है ?

श्री जगदीप धनखड़ : एक सब इंस्पेक्टर को और एक कांस्टेबल को।

श्री अध्यक्ष : सस्पैण्ड कर दिया ? मैं पूछ रहा हूँ, किया या नहीं ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां, कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया आपका।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, गृह मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि सम्पूर्ण थाने का निलम्बन कर दिया जाऐगा।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।–(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम तिवाड़ी जी, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं तो आप उनका रोल करने लग गये।

श्री अध्यक्ष : घनश्यामजी, प्लीज। प्लीज, घनश्यामजी।

Please, don't pass remarks. Be patient. हाँ बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके बहुत ही वाजिब निर्देश हैं कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक व्यक्तिगत जानकारी कर लें। मैं जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं होता लेकिन इस प्रकरण के बारे में ज्यों ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने पर्याप्त जानकारी अब तक की मंगवा ली। जैसा आप कह रहे हैं थाने में यह अपराध हुआ, यह कतई गलत है। प्रतापगढ़—

श्री जगदीप धनखड़ : मैं थाने नहीं, कस्टोडियल कह रहा हूँ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप बैठें। सुनिये तो सही, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : रहा नहीं, मैं वर्तमान में हूँ। आप बार-बार मुझे कभी दिल्ली रिटर्न करते हैं—

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपका और मेरा व्यवहार एक जैसा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे ख्याल से आपको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से यहां आना पड़ा। थोड़ा तर्क सुनने की क्षमता रखिये। पूरी बात सुन लीजिये क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपके सामने स्पष्टीकरण कर दूं, मुझे सदन से कुछ छिपाना नहीं है। सवाल यह है कि मोटर साइकिल चोरी हो गयी। दो व्यक्ति मंदसौर से लेकर आये और प्रतापगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अम्बा माताजी के स्थान पर ही सौदा कर रहे थे। उस सौदे की जानकारी मालूम होने पर डीवाई.एस.पी. प्रतापगढ़ गये। धमोतर थाने का यह केस था, धमोतर के एस.एच.ओ. वहां आ गये, एक कांस्टेबल वहां आ गया और उनको वहां पर मौके पर पकड़ लिया। उन्हें पकड़ने का निर्देश देकर डीवाई एस.पी. प्रतापगढ़ की तरफ रवाना हो गये। उनको लेकर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में सेल्फॉस की गोलिया खा ली गयीं। एक ने चार खायीं, एक ने एक खायी। ए.सी.जे.एम. के यहां दोनों के हल्फिया बयान हैं, एस.डी.एम. के यहां पर दोनों के हल्फिया बयान हैं। प्रतापगढ़ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग से बनी है और उदयपुर में सावधानीपूर्वक सैकण्ड मेडिकल बोर्ड बिठा करके हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा ली है। तथ्य यह है कि जो लोग इनको लेकर लौट रहे थे उन्होंने इनकी तलाशी ठीक ढंग से नहीं ली। इनके पास सेल्फॉस की गोलियां थीं। यह तथ्य सामने आया कि सेल्फॉस की गोलियां खाने से मरे हैं। तो इस लापरवाही में आपको इनको गिरफ्तार करते ही इनकी तलाशी लेनी चाहिए थी, कि सेल्फॉस की गोलियां इनके शरीर पर कैसे रह गयीं, ये धमोतर के थाने में पहुँचने से पहले ही इन्होंने खा ली थीं तो बीच में ये जिनकी कस्टडी में थे उन दोनों को सस्पैण्ड कर दिया गया है। प्राथमिक कार्य चालू है। अब इसमें किसी तरह

(७५)

(श्री कैलाश मेघवाल)

की सरकारी स्तर पर कोई कोताही नहीं है। केवल यहां बोलने के लिये इनको माध्यम बना लिया। मेरे से पूछ लेते।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री ज़ुबेर ख़ान (रामगढ़) : आपने एक बात कही, अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर जाकर आया हूँ। इनके परिवार के सदस्यों ने_

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज, बैठिये। प्लीज, सिट डाउन।

श्री ज़ुबेर ख़ान : मैं कल उदयपुर था जब यह घटना हुई। उस परिवार के घर पर मैं गया था_

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बैठिये। प्लीज, सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आई से सिट डाउन। यह क्या तरीका लगा रखा है आपने कि रामनारायण जी का नाम बोल रहा हूँ और आप खड़े हो और बोलना शुरू कर दिया।

This is not the way. हाउस ऐसे नहीं चलेगा। बैठ जाइये आप। श्री रामनारायण जी। (व्यवधान)_ आप बैठिये। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब यह व्यवस्था नहीं होगी। This is no time for any point of order. विराजिये आप। हाँ बोलिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना, पहले रामनारायण जी बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह इससे सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चौधरी जी को बोलने दीजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत् जलदाय मंत्री, माननीय भंवरलाल जी का ध्यान पीने के पानी की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, वैसे तो सारे राजस्थान के अंदर यह समस्या है। अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह जी मुझे बस में बता रहे थे कि उनके नागौर में भयंकर स्थिति हो गयी। मेरे जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 96 गांव ऐसे हैं जहां खारे पानी की समस्या है। सरकार की जितनी भी जलदाय योजनाएँ हैं वे होली के अवसर पर सब फैल हो गयीं। गांव वालों को पानी नियमित नहीं मिला। यही हाल मेरे मानसरोवर में जहां पर मैं रहता हूँ होली के दिन और दूसरे दिन हआ और आज तक वे पानी की योजनाएँ ठप्प पड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि त्यौहार के दिन काम करने वाले न जाने कहां नदारद थे और लोग पानी के लिये परेशान हो रहे थे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कृपा करके मानसरोवर के अन्दर जो पानी की गंभीर समस्या है, दो लाख की आबादी है वहां पूर्ण इंतजाम करें। वहां का पानी जवाहर नगर, मालवीय नगर, बरकत नगर, दूसरी कालोनीज में दिया जा रहा है। वहां लोग प्यासे मर रहे हैं। वे सारी योजनाऐं

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पैसे से अलाटीज के पैसे से बनी हुई हैं। उनके अंदर लोग प्यासे मर रहे हैं। मैं आपकी मार्फत् मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हालांकि वे वहुत सतर्क हैं, इस मामलें में सीरियस हैं लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत्...

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी, मैं आपको तो नहीं बुलवाऊंगा।

I will not call you now. I don't want any further explanations. Wether you have gone or not, this is not a debate.

आप डिबेड चाहते है तो डिबेट के तरीके के करिये। शून्यकाल में डिबेट नहीं होगी। मंत्रीजी जवाब दे देते हैं तो उसका आप नाजायज फायदा उठाते हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आप जाकर आये हैं...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे नहीं पूछा। जिन्होंने रेज किया है उनसे पूछा है। आप बैठिये, प्लीज। (व्यवधान)...प्लीज, जुवेर खान। वैठिये आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अकाल के कार्यों में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। हकीकत यह है कि इस वार के जो अकाल के कार्य खोले जा रहे हैं और जिनमें मजदूर बढ़ायें जा रहे हैं उनमें बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है। जोधपुर जिले का ही मैं आपसे खासतौर से निवेदन करूंगा। अब अकाल मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं तो ऐसे सीरियस केस में मैं आपसे क्या निवेदन करूं? जिस मिनिस्टर के पास हमारी बात पहुँचनी चाहिये वो तो हाजिर ही नहीं हैं और दूसरे जो यहां बैठे हैं उनमें एक रेवेन्यू मंत्री हैं वे अपना कोई कागज पढ़ रहे हैं। तो यह ख्वाहम ख्वाह की बात जिसको कोई सुनता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिख रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं? आप मुझे जवाब भी दे देंगे? मैं यही निवेदन कर रहा था...

श्री कैलाश मेघवाल : मुख्य सचेतक महोदय, आप तो प्रकिया जानते हैं। आप अचानक उठा रहे हैं तो फिर जवाब कैसे होगा। विधिवत् अगर आप इसका स्टेटमेंट ले या कोई वात उठायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह इसलिए उठाया है कि मंत्रीजी को मालूम हो जाए जोधपुर जिले में लेबर वढ़ा दें तो लोगों को मजदूरी मिलना शुरू हो जायेगी। इतना ही हमारा मकसद है, कोई ज्यादा लम्बी वात नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम जयरामपुरा, पंचायत समिति खण्डेला में एक चौथू और त्रिलोका नाम का

(श्री महादेव सिंह)

व्यक्ति अपने कुएं पर आबाद थे और अब भी हैं लेकिन अचानक 23 तारीख की रात को अग्निकाण्ड हुआ और उसका सारा छप्पर जल गया। जितना भी सामान था वो सारा जल गया। इसलिए उनको तुरन्त सहायता मिले ऐसे कोई निर्देश जारी करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश के अन्दर जब होली मन रही थी, लोग खुशियों से झूम रहे थे, गुलाल लगा रहे थे, ऐसे माहौल के अन्दर जिला सवाईमाधोपुर में अनेक गांवों में, खैर, मैं और जगह तो मौके पर नहीं गया, लेकिन मेरे क्षेत्र में तीन-चार गांवों की बात है, मोहनपुरा, सुजानपुरा, बिशनपुरा, गुढ़ाचन्द्रजी, गढमौरा, गढखेरा गांवों के अन्दर मैं स्वयं गया हूँ, वहां हालात यह पाये गये कि लोगों के एक बुखार आता है जिसका नाम वह कह रहे थे लाल बुखार होता है, बड़ा भारी टेम्प्रेचर इसके अन्दर हो जाता है, 104-105 डिग्री तक बुखार हो जाता है, कई बच्चे तो तुरन्त ही मर गये बुखार होने के बाद ही, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बुजुर्ग थे, उनका बुखार होने के बाद ही, कुछ व्यक्ति ऐसे थे बुजुर्ग थे, उनका बुखार आने के बाद शरीर अकड़ गया, हाथ-पैर बिलकुल सीधे रह गये, मुड़ नहीं रहे थे और आखिर परिणाम यह हुआ कि अस्पताल ले जाते-ले जाते कईयों की मौत हो गया। इस प्रकार के हालात हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। अखबार में तो जो कुछ है सो है ही लेकिन मैं स्वयं भी मौके पर गया हूँ, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवदेन है। मैंने सी.एम.एच.ओ. से बात की तो सी.एम.एच.ओ. महोदय कहते हैं, मरीज आते हैं ऐसे तो, श्रीमान्, बूढ़े होगें, मर गये होंगे, बालक होंगे, मर गये होंगे। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप स्वयं पधारों, मौका देखों। उन्होंने कहा कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं। दवाईयां नहीं हैं तो मैंने कहा कि आप इन्तजाम करो इस बात का। यह उनका जवाब था, अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह भयंकर बीमारी जो क्षेत्र के अन्दर फैल गयी है इसको तुरन्त रुकवाया जाय ताकि लोगों की जान बच सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इसकी ओर ध्यान दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल, टीम भिजवा देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : टीम भिजवा दोगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाँ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, इन बीस दिनों के अन्दर अन्दर मेरे इलाके में सात अग्निकांड हुए। नरपतियावास में प्रभातराम के घर में आग लगी, आस-पास के चार-पांच झोंपड़े जल गये। प्रार्थी और सब लोग मिलकर थाना जमुवारामगढ़ में शिकायत दर्ज कराने गये। उन्होंने उन्हें डांट कर भगा दिया और यह कहा कि अपने घर में आग लगा दी, यहां काहे के लिये आये हो। कोई अपने घर में आग नहीं लगाता। कष्ट की बात है, तीन-चार बार प्रयास करने के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सुमेल में दिन-दहाड़े

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किसी से झगड़ा हुआ और घर में नौ बजे के करीब आग लगा दी किसी ने, वस्सी थाने में गये तो बस्ती थाने में भी उनके साथ वही हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी। अगर अनिवार्यता आग लगने पर रिपोर्ट दर्ज करने की है तो जिनके वहां आग लगी, उनको पुलिस/थानों की ओर से परेशान नहीं करना चाहिए मैं निवेदन करना चाहूंगी एक मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा-एक गंगाराम के घर में आग लगी नटाटा गांव में, उसके आस-पास के झोपड़े जल गये और भैंस को बचाने के लिए जब लक्ष्मण अन्दर घुसा तो वह भी झुलस गया। इस प्रकार के मामले हैं। टाटूडों की ढाणी में अनुसूचित जाति, जन-जाति के घरों में आग लगी है और कोई भी आर्थिक सहायता इन सब में से किसी को नहीं मिली है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पटवारी की रिपोर्ट के बगैर काफी परेशानी है। अब पटवारी हड़ताल पर है तो सरकार अपना कोई भी नुमाइन्दा भेज कर जांच कराये किसी प्रकार से। यह जो अग्नि से पीड़ित लोग है, जिनके घर में कुछ भी नहीं बचा उन्हें तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पटवारी की रिपोर्ट हो जाती तो तहसीलदार के द्वारा झोंपड़ी बीमा के माध्यम से भी उन्हें डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रुपये मिल जाते तो सिर पर छान डाल लेते। दिन में धूप तपती है और रात में ठंड पड़ती है। तो कुछ खाने को अनाज मिल जाता, कुछ छान-छप्पर भी वह डाल लेते। जो मैं बता रही हूँ, सात केस मेरे इलाके के बीस दिन में हुए, कुछ भी सहायता नहीं मिली है। मुख्यमंत्रीजी तो यहां पर हैं नहीं, वह आएंगे तो उनको यह सारी चीज तो दे दूंगी लेकिन सरकार निर्णय करें कि ऐसे केसेज में इस हड़ताल के दिनों में क्या करेंगे और थाने भी रिपोर्ट में आनाकानी न करें। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वह मुझे बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये। श्री रिछपाल सिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान नागौर तहसील व पंचायत समिति नागौर के कुछ काश्तकारों की समस्या

(12.34)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सभापतिजी, तहसील नागौर व पंचायत समिति नागौर में एक भेड़ सब स्टेशन है। भेड़ सबस्टेशन से 135 काश्तकारों को कृषि कनेक्शन मिले हुए हैं। उन काश्तकारों को पूरे सीजन में तीन घंटे से ज्यादा सप्लाई कभी भी नहीं मिली। तीन घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं मिली और उन सबसे फ्लैट रेट से पैसे वसूल किये जा रहे हैं। वह लोग लम्बे समय से वहां के अधिकारियों को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि फ्लैट रेट समाप्त करके हमको मीटर उपलब्ध करवाये जाएं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस सम्बन्ध में, माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करता चाहूंगा कि आज वहां के चालीस-पैंतालीस काश्तकार वहां आये हुए हैं, उनकी फसल नष्ट हो गयी, फ्लैट रेट से पैसे वसूल नहीं किये जाएें, उनके बिलों में कुछ छूट की जाए और उनको तुरन्त मीटर उपलब्ध करवा कर मीटर लगवाये जाऐं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, आप ग्राम हरसौरा में वंद प्राथमिक

78

(श्री सभापति)

विद्यालय को पुनः प्रारम्भ कराने के सिलसिले में पढ़ता चाहते हैं न, पढ़िये। कृपया विराजिये, 295 चल रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : व्यवस्था का सवाल है मेरा। सभापति महोदय, जब आसन की तरफ से यह व्यवस्था की हुई है अध्यक्ष महोदय ने किसी माननीय सदस्य को कोई बात कहनी है तो एक स्लिप लिखकर अध्यक्ष महोदय को देते हैं। मैंने भी आज एक स्लिप दी थी और अध्यक्ष महोदय खास तौर से पूछते हैं और लिखवाते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट पर बोलना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है + + + कि मैंने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लड़कों की जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में एक पर्ची दी थी। मैं आसन से यह जानना चाहता हूँ कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा।

श्री सभापति : अध्यक्ष का डिस्क्रिशन था। माननीय श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

श्री जुबेर खान : नहीं, सभापति महोदय, हमारे

एक माननीय सदस्य : यह तो कोई डिस्क्रिशन नहीं।

श्री सभापति : अध्यक्ष का डिस्क्रिशन होता है इसमें। उन्होंने डिसीज़न दिया है इसलिए...

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि + + + + नहीं मैं पूछना चाहता हूँ जब अध्यक्ष महोदय ने...

श्री टीकमचन्द कांत : उस व्यवस्था के ऊपर क्या व्यवस्था होगी। यह तो अध्यक्षजी की व्यवस्था हो गयी।

श्री सभापति : जीरो आवर में...

श्री जुबेर खान : पूरी जानकारी करने के बाद मामले पर बोलेंगे...

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं जवाब दे दूंगा। माननीय जुबेर खान, बिराजिये अब आप।

श्री जुबेर खान : फिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, विराजिये आप। पर्ची आपने दी। जीरो आवर के अन्दर कई लोग बोलना चाहते हैं, उसमें अनुशासित तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय एक-एक का नाम पुकारते हैं। अब कोई बात आपके सिलसिले के अन्दर हुई तो अध्यक्ष महोदय का डिस्क्रिशन था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर आप बातचीत कर लें, आपका निराकरण हो जाएगा।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, वह दूसरा इश्यू था। मेरी तो बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है...

श्री सभापति : मैं समझ गया, पर आप वहां पधारें, आपका निराकरण हो जाएगा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है।

श्री सभापति : क्या यह एडवाइज मैं गलत दे रहा हूँ आपको कि आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर चर्चा कर लीजियेगा? आपकी समस्या का निराकरण हो जाऐगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य इस आसन पर विराजमान होता है उस समय उनको माननीय अध्यक्ष के सर्वाधिकार हैं और यह कहीं भी नहीं है कि...

श्री सभापति : सही कर रहे हैं आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप यह फरमायें कि अध्यक्षजी से जाकर बात कीजिये। जो कोई भी निर्णय होता है जिस वक्त आप बैठे हैं, आपको पूर्ण अधिकारी होता है।

श्री सभापति : मैं अपने पूर्ण अधिकारों का उपयोग करके ही माननीय सदस्य को...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप उचित समझते हैं तो कह दीजिये और नहीं तो आप ना दे दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, दो मिनट का समय दे दीजिये, यह वहां मौके पर जाकर आये हैं, बहुत ही एनीहेटेड हैं, इनको दो मिनट बोलने दीजिये, है क्या।

श्री जुबेर खान : उस संबंध में नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। एक मिनट बिराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष की व्यवस्था पर...

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है कि मैं अपने पूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए ही माननीय सदस्य को एडवाइज दे रहा हूँ कि वह वहां जाकर बातचीत कर लें। बिराजिये, मुझे सुनिये आप। परन्तु यदि ऐसी कोई बात है कि जो अभी भी मेंशन करना चाहते हैं तो समय दे दूंगा। परन्तु जो बात उस वक्त की थी उसमें उनका निर्णय था उस निर्णय के खिलाफ तो मैं इस वक्त कोई निर्णय नहीं दे सकता।

श्री जुबेर खान : वह अलग था, सभापति महोदय उससे कोई सम्बन्धित नहीं है यह मामला। मैंने साफ कहा है कि यह विश्वविद्यालय में छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में था और वह पुलिस कस्टडी में कोई डैथ हुई उससे सम्बन्धित था। वह तो क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जाकर आये हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं कल उसे मौके पर वहां मौजूद था इसलिए मैं कहना चाहता था कुछ तथ्य, अध्यक्ष महोदय ने अलाउ नहीं किया, वह नहीं चाहते कि मैं तथ्य सदन के सामने रखूं, मैं नहीं रख रहा।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय सदस्य, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये। अब आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री जुबेर खान : यह तो मेरा दूसरा इश्यू है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं सदन में उपस्थित था उस समय। चूंकि माननीय अध्यक्ष ने रामनारायणजी का नाम बोल दिया था और व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष के यहां से

(श्री सभापति)

किसी माननीय सदस्य का नाम बोल दिया जाए तो उनको बोलने का मौका होना चाहिये, उसके बीच के अन्दर यदि कोई व्यवस्था का हनन करता है, उसके लिए आपको टोका गया था। अब आप बिराजिये। माननीय रिछपाल सिंह जी मिर्धा।

श्री जुबेर खान : मुझे इसमें तो मौका दीजिये, सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय वाले पर, यह तो दूसरा इश्यू है।

श्री सभापति : आप विश्वविद्यालय वाले पर बोलना चाहते हैं...

श्री जुबेर खान : उसी की तो पर्ची है।

श्री सभापति : बोल दीजिये, बोल दीजिये। हां, बोल दीजिये। कोई बात नहीं।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, कल मैं उदयपुर गया हुआ था। वहां विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू हो गयी और छात्रों का अजीब सा माहौल था, हड़ताल हो रही थी। मालूम चला कि विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष खुम्मीलाल मिनारिया हैं। जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनकर आये थे, डेढ़-दो महीने पहले उसके चुनाव हुए थे, यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष और कर्मचारी के बीच कोई कमरे के रिजर्वेशन के मामले में कोई "तू-तू", मैं-मैं हो गयी। उसमें कर्मचारी ने एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज करा दी औ छात्र संघ के अध्यक्ष ने भी करा दी। पुलिस ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया कि मामला छोटा सा है, माइनर है, विश्वविद्यालय का मामला है, आप अपने स्तर पर ही निबटा लें। वाइस चांसलर महोदय ने कहा कि नहीं, पुलिस में एफ.आई.आर. जाने दो। फिर, सभापति महोदय, दुःख की बात यह है कि एक कमेटी भी माननीय कुलपति महोदय ने बैठा दी कि इस प्रकरण की जांच की जाएगी और दूसरे दिन उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, पुलिस ने अपनी कोई तफ्तीश नहीं की,। उस छात्र संघ के अध्यक्ष को विश्वविद्यालय आथोरिटीज ने निलम्बित कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि, अध्यक्ष कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है, यह चुनी हुई संस्था है, छात्र संघ का नाम है, एक तरफ परीक्षा शुरू हो रही है कल से वहां, दूसरी तरफ विश्व विद्यालय परिसर में नारेबाजी, क्लासेज बन्द कराना हड़ताल का माहौल बन गया। मेरा सरकार के माध्यम से निवेदन है कि आम छात्र-छात्राओं पर परीक्षाओं के समय कोई असर गलत नहीं पड़े कोई डिस्टर्बेन्स हो कानून व्यवस्था में, इसके लिए या तो समिति की रिपोर्ट पहले आ जाए, जो विश्वविद्यालय ने गठित की है कि किसका कसूर है, उसके बाद एक्शन ले तो बात ठीक है। या पुलिस जो इन्वेस्टीगेशन कर रही है वह किसी को दोषी ठहरा दें तो कोई बात नहीं। वरना ऐसे मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को दोनों पार्टियों को बुलाकर, समझौता कराकर निबटा देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह मामला नहीं दबा, कल अजीब सा माहौल था विश्वविद्यालय परिसर में तनाव था, आज अखबारों में भी छपा है और वहां स्थिति यह है कि छात्रों की गुटबंदी कराने की कोशिश की जा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यह परीक्षाओं के लिए हितकारी नहीं

(श्री जुबेर खान)

होगा। मेरा इसलिए राज्य सरकार से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करे और इस मामले को किसी भी तरह से बैठाकर के हल करने की कोशिश करे। क्योंकि आगे बढ़ेगा, हड़ताल वगैरह होगी, परीक्षाओं पर असर पड़ेगा, यह बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री रिछपाल सिंह।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को पौने ग्यारह बजे पर्ची देकर शून्यकाल में बोलने की अनुमति चाही थी कि गीजगढ़ के अन्दर 14 राष्ट्रीय पक्षी मोर मार दिये गये हैं। उसके बारे में मैंने निवेदन किया था_(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, नियम यह है कि 11.00 बजे पहले अपनी पर्ची भिजवाइयेगा तो समय मिल जाता_(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, पौने ग्यारह बजे खुद व्यक्तिगत रूप से गया, अध्यक्ष महोदय को लिखित में निवेदन किया कि 14 राष्ट्रीय पक्षी मोर मारे गये_(व्यवधान)_

श्री सभापति : कोई बात नहीं, ऐसी चीज नहीं है, कल बता देना। अब आप इसको कल आराम से बता देना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, क्या ऐसे लोक महत्व के विषय में कोई मौका___ (व्यवधान)_

श्री सभापति : मेरी सुनिये। कल बोलने में कोई हानि नहीं होगी। कल बोल दीजिऐगा इसको। (व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ, मेरे को पूरा अधिकार है, इस बात को जानने का कि क्या औचित्य है_(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या इतना संयम नहीं बरत सकते कि आप इसको कल तक रोके रखें? कल बता दीजिये। (व्यवधान)_आप बोलिये ना अपना।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : यह व्यवधान तो समाप्त हो_(व्यवधान)_

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं नहीं, व्यवधान नहीं है। पाइण्ट ऑफ आर्डर का जवाब मैं अब चाहता हूँ। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : बोलिए, क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर है। पूछिये।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी जिस विषय पर बोलने के लिये, क्या सभापति पद ग्रहण करने के बाद, कुर्सी पर विराजमान होने के बाद माननीय सदस्य को उसी विषय पर अनुमति देने का अधिकार है। मुझे बताइये।

श्री जुबेर खान : उसको नहीं पूछा, माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं वह कस्टडी में डैथ_(व्यवधान)_माननीय सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं था, दोनों अलग-अलग थे_(व्यवधान)_

श्री नरपतसिंह राजवी : मुझे आपसे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे सभापति महोदय से चाहिए।

श्री सभापति : माहौल बदल जाने के बाद दुबारा स्वीकृति दी जा सकती है। माननीय श्री रिछपाल सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख हरसौर ग्राम (डेगाना) का प्राथमिक विद्यालय

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम हरसौर में एक सीनियर हायर सैकण्डरी (बालक), उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक) हैं जो वर्तमान में आबादी क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, जिसके कारण छोटे बालक-बालिकाओं के लिए दूर जाकर पढ़ना दुष्कर कार्य है। ग्रामवासियों की मांग पर छोटे बच्चों के लिए वर्ष 1986-87 में एक प्राथमिक विद्यालय फीडर विद्यालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा खोला गया था, बाद में उक्त विद्यालय को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 33 दिनांक 3-2-1989 के द्वारा नियमित कर दिया गया था। इसके पश्चात् एक अन्य आदेश क्रमांक 1714 दिनांक 4-10-1989 के द्वारा उक्त विद्यालय को पुनः पंचायत शिक्षा केन्द्र में परिवर्तित कर दिया गया। पंचायत शिक्षा केन्द्र में केवल एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है। जिसको केवल 500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, जबकि इस केन्द्र में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं और तीन अध्यापक एवं दो अध्यापिकाएं अर्थात् कुल पांच शिक्षकों का स्टाफ है और प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ायी करवायी जाती है।

इस ग्राम की आबादी पांच हजार से अधिक है तथा यहां पर उक्त प्राथमिक विद्यालय खोलने का मकसद यह था कि यहां पर कार्यरत अन्य विद्यालय आवादी से दूरी पर स्थित है तथा छोटे बच्चों को अध्ययन करने हेतु वहां जाने में दिक्कत हो रही थी। आबादी के बीच में इस केन्द्र के खुल जाने से छोटे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो गयी थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस केन्द्र को पुनः पंचायत शिक्षा केन्द्र में बदले जाने से ग्रामवासियों के सामने छोटे बच्चों को पढ़ाने में फिर से कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय पंचायती राज राज्य मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ कि हरसौर ग्राम के इस प्राथमिक विद्यालय को पुनः प्राथमिक पाठशाला के रूप में ही चलाने की स्वीकृति जारी कराने की व्यवस्था करावे ताकि छोटे बच्चों का भविष्य अन्धकारमय होने से बचाया जा सके।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह कुम्हेर।

साबोरा से कुरवारा ग्राम के काश्तकारों का मुआवजा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, भरतपुर जिले के कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 10-12 वर्ष पूर्व साबोरा गांव से कुरवारा गांव तक एक पक्की सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। यह सड़क काश्तकारों के खेतों में होकर बनायी गयी और इस सड़क में 30-35 फुट से अधिक जमीन काश्तकारों के नाम में आती है। सड़क के निमार्ण कार्य के लिए खेतों में से मिट्टी उठायी गयी तथा अब भी सड़क की पटरी ठीक करने के लिए मिट्टी डाली जाती है। जिन काश्तकारों की जमीन पर होकर सड़क निर्माण हुआ है, उनसे अभी तक सरकार राजस्व वसूली बदस्तूर कर रही है।

कितनी विडम्बना की बात है कि 10-12 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इन गरीब काश्तकारों को राज्य सरकार के सार्वजनिक

(श्री हरिसिंह)

निर्माण विभाग ने जमीन का मुआवजा नहीं दिया है जबकि ये लोग इनकी काश्त की भूमि से बेदखल हो चुके हैं और अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तथा इस भूमि की पैदावार से भी 10-12 साल से वंचित हैं। यह आवश्यक है कि इन गरीब काश्तकारों को, जिनकी कि जमीन सड़क निर्माण कार्य में चली गयी है, अतिशीघ्र ही मुआवजा दिया जाए और तब से लेकर अब तक उस मुआवजे की राशि पर मुनासिब ब्याज भी दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पिड़ावा में कृषि कनेक्शन

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र पिड़ावा में जो गांव नये विद्युतीकृत हुए हैं, उनमें विद्युत मंडल द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु मात्र दो कनेक्शन देकर उन गांवों में आगे कनेक्शन देना बन्द कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो गांव तीन-चार वर्ष से विद्युतीकृत हो चुके हैं, उनमें दो कनेक्शन से आगे बढ़ाकर कृषि प्रयोजन हेतु अधिक कनेक्शन दिलाये जाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मंडल का जितना खर्चा होना था, ट्रान्सफॉर्मर लगाना था___

श्री सभापति : पढ़िये। कृपया बीच में भाषण मत दीजिये। जो आपके पास है, पढ़िये आप। दर्ज वही होगा जो आपको पढ़ना है। बोलिये, श्री हीरालाल मीणा (अनुपस्थित) श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामस्वरूप मीणा : हाजिर है सर।

श्री हीरालाल मीणा : उपस्थित है।

श्री सभापति : प्रारम्भ कीजिये।

बामनवास की ग्राम पंचायतों की सड़कों को ड़ामर रोड़ से जोड़ने बाबत

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : महोदय, नियम 295 के अर्न्तगत विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार का ध्यान बामनवास क्षेत्र की और दिलाना चाहता हूँ कि बामनवस विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अभी तक 20 प्रतिशत भी डामर से नहीं जुडी हुई है। सरकार बार-बार घोषणा करती आ रही है कि ग्राम पंचायतों को डामर की सड़कों से जोड़ा जाएगा परन्तु गत चार वर्ष की अवधि बीत जाने पर बामनवास विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनायी गयी हैं, यह सरकार की उपलब्धि है। तहसील बौंली एवं तहसील बामनवास के ग्राम पंचायत मुख्यालय को जिस प्रकार से जोड़ा जाए उसका निवेदन निम्न है।

(1) तहसील बौंली विचपुरा से पीपल्दा रोड बनाने में ग्राम पंचायत उदन गांव, दुतली, गातोड बीन से जुडती है।

(2) सिसोलाव से मित्रपुरा रोड़ बनाने से ग्राम पंचायत मोरन, ग्राम पंचायत बदुई रोड से जुड़ती है।

(3) उदन गांव से कुशलपुरा रोड बनाने से ग्राम पंचायत कुशलपुरा रोड से जुडती है।

(4) बौंली से लाखनपुर रोड वाया घाटी में होकर बनने से ग्राम पंचायत लाखनपुरा रोड से जुडती है।

(श्री हीरालाल मीणा)

(5) अपूर्ण रोड बौंली से खेपी को पूर्ण कराने पर तहसील बौंली से जुड़ती है।

(6) कोडाई से गालदरोड बनाने से ग्राम पंचायत रालंद कलां रोड से जुडती है।

(7) बालाजी रोड़ से मामारोली तक रोड बनाने से ग्राम पंचायत मासरोली रोड से जुडती है।

(8) गनबाडा मोड़ से पिपलवाड़ा तक रोड बनाने से ग्राम पंचायत पिपलवाड़ा रोड से जुडती है।

(9) पीपलवाड़ा से राठोद नीमोद वाया गुडलाचन्दन बनाने से ग्राम पंचायत राठोद रोड से जुडती है।

(10) बहलाई से बामडोली रोड बनाने से ग्राम पंचायत बामडोली रोड से जुडती है।

(11) निवाई रोड से पकाला वाया लोतकोलाड़ गोलपुर, बन्दावल रोड बनाने से ग्राम पंचायत थडोली व कोलाड गेड से जुडती है।

(12) मिमल से करेल तक रोड़ बनाने से ग्राम पंचायत करेल रोड से जुडती है।

तहसील बामनवास

(1) ग्राम पंचायत विचपुरी को आम रोड से जोड़ने हेतु 2 किलोमिटर लिंक रोड बनावें।

(2) ग्राम पंचायत रिवाली को आम रोड से जोड़ने हेतु डेढ किलोमीटर लिंक रोड।

(3) ग्राम पंचायत भवरा को रोड से जोडने हेतु डेढ किलोमीटर लिंक रोड।

(4) ग्राम पंचायत अमरवरा को रोड से जोड़ने हेतु डेढ किलोमीटर लिंक रोड।

(5) ग्राम पंचायत कोयला को रोड से जोड़ने हेतु एक किलोमीटर लिंक रोड।

(6) सतीपुरा रोड से दातासूली रोड बनाने से ग्राम पंचायत राणीला रोड़ से जुड़ती है।

(7) आरामपुरा रोड से ग्राम पंचायत कुलवाड़ा, से विनजारी को रोड से जोड़ा जाए।

(8) बाटोरा से मीरया रोड बनाने से ग्राम पंचायत मीरया रोड से जुड़ती है।

(9) विछोछ से मोर्य नहीं पुलिया तक रोड बनाने से ग्राम पंचायत सुन्दरी, मरावड़ साचोली तीन पंचायत रोड से जुड़ती है

(10) रामसिंहपुरा रोड से खुर्दा माताजी तक रोड बनाने से तहसील लालसोट और बामनवास तक जुड़ती है।

(11) ग्राम पंचायत सुरगढ़ को तिपाई रोड से जाड़ने पर ग्राम पंचायत सुरगढ़ रोड से जुडती है।

(12) मादाल गांव रोड से बेराड़ ग्राम पंचायत को जोड़ा जाए।

(13) पीपलाई से रिवाली को रोड से जोड़ा जाए।

(14) बामनवास से मोरा सागर रोड को पूर्ण कराया जाए।

(15) आम रोड से जीवद को लिंक रोड से जोडा जाए।

(16) गण्डाल को नादौती रोड से जोड़ा जाए।

(श्री हीरालाल मीणा)

उपरोक्त लिंक रोड एंव रोड बनाने से ग्रामीण जनता को आवागमन का साधन मिल सकेगा और बरसात एंव नहर चालू हो जाने पर रोड के अभाव में ग्रामीण जनता को मरीजों का इलाज करवाने हेतु वर्तमान में चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है जिससे अधिकतर मरीज आवागमन के साधन नहीं होने के कारण मौत के मुहं में चले जाते हैं उससे भी राहत मिलेगी । अतः सरकार से निवेदन है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाकर आवागमन का साधन उपलब्ध कराने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित) श्री दलीचन्द ।

डूंगरपुर एवं बासवांड़ा में अवैध खनन एवं आदिवासियों को क्वेरी लाइसेंस

श्री दलीचन्द (दानपुर) : सभापति महोदय, डूंगरपुर बांसवाडा इत्यादि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूमि पर अवैध रूप से चलाये जा रहे खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोकने एवं आदिवासियों को खनन कार्य करने हेतु क्वेरी लाइसेंस जारी करने के सम्वन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जिला डूंगरपुर एवं बांसवाडा में मुख्यतया आदिवासी काश्तकारों की भूमी पर अवैध खनन कार्य अन्य लोगों द्वारा चलाये जा रहे है जिसे खान विभाग आखं मींचकर देख रहा है क्योंकि ये अवैध खनन कार्य करने वाले लोग खान विभाग के अधिकारियों को बड़ी मात्रा में रिश्वत दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो अवैध खनन कार्य किस मेलाकाइड इन्टेन्शन से चलने दिया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को खनन कार्य करने हेतु लीज कराना आवश्यक नहीं समझा गया है जबकि सीधे काश्तकारों को क्वेरी लाइसेंस जारी किये जाने की योजना प्रतिपादित की गई है। राज्य सरकार से किये गये प्रश्न में भी राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन कार्य की पुष्टि की गयी है, तो क्या सरकार इस अवैध खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोकना नहीं चाहती है? और गरीब आदिवासीयों का लगातार हो रहा शोषण चालू रखना चाहती है? यह एक गम्भीर विषय है। इस पर पूर्ण रुप् से ध्यान दिया जाकर उचित कार्यवाही करके अवैध कार्य कर रहे लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए मेरे सर्वे के अर्न्तगत कुछ खानें देखने में आयी हैं जो मालूम करने पर कि ये आदिवासियों की भूमि पर ही चलायी जा रही है एक फर्म रवि मार्वल के नाम से है । जो ग्राम पंचायत पाडीकला के गांव मलवाया से चल रही है। दूसरी खान श्री आनन्द कुमार अग्रवाल के नाम से चल रही है। ये अवैध खनन कार्य करने वाले मुख्यतः वन भूमि पर इन खानों के मलबे को डाल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप वन दिन पर दिन नष्ट होते जा रहे हैं। और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कई इस प्रकार की खानें भी चलायी जा रही है जिनकी लीज सिवाचक या काश्तकारी भूमि पर ली गई। लेकिन वास्तविक स्थिति में ये खानें वन विभाग के रकवों में चलायी जाती हैं। जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं वन्य प्राणी वनों के अभाव में अपना जीवन दुष्कर समझ रहे हैं।

एक तरफ सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षक बन रही है दूसरी तरफ भक्षक का

(श्री दलीचन्द)

रोल अदा कर रही है। यह एक आश्चर्यजनक विषय है जिस पर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए । सरकार इन अवैध खनन कार्य की जांच हेतु एक समिति गठित करे एवं समिति के माध्यम से जांच करायी जाकर अवैध कब्जे हटवायें एवं आदिवासी काश्तकारों को खनन कार्य करने हेतु मौके पर क्वेरी लाइसेंस जारी करवाये। यह कार्य पूर्ण रूप से तभी सम्भव हो सकता है जब खान विभाग,वन विभाग एवं बासंवाडा व डूंगरपुर जिले के विधायकों को समिति में लिया जाकर मौके पर पूर्ण कार्यवाही कर विभागों को पाबन्द कर कार्यक्रम प्रतिपादित किया जाए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पत्र की ओर पूर्ण ध्यान देकर उपरोक्त कार्यवाही को प्रतिपादित कर आदिवासियों के हितों कि पूर्ण रक्षा करेगी।

(13.00)

श्री सभापित : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (अनुपस्थित) श्री कन्हैया लाल मीणा।

कानोता ग्राम (बस्सी) के खसरा न. 216 की भूमि का नियमन

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : सभापति महोदय, ग्राम कानोता तहसील बस्सी जयपुर की खसरा न216 के काश्तकारों की भूमि का नियमन नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम कानोता की खसरा न. 216 की भूमि पर सम्वत् 2035 पूर्व से पुस्तैनी रूप से काश्तकार काश्त कार्य तो चले जा रहे थे जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकार भी थे। वर्ष 1989 में आवंटन सलाहकार समिति ने इन काश्तकारों का कब्जा एवं काश्त सम्वत् 2035 के पूर्व से मानते हुए सर्वसम्मति से इनका नियमन करने का निर्णय लिया और तहसीलदार बस्सी को इनकी काश्तकारी हक भूमि अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिये।

सम्वत् 2035 से जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन भी नहीं हुआ और जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व के कारतकारों की कृषि भूमि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई हक नहीं था।

आबंटन सलाहकार समिति ने जो निर्देश दिया था उसकी पालना में उप खण्ड अधिकारी,जयपुर ने यह राय दी कि जयपुर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही उक्त भूमि का विनियमन किया जा सकता है और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया इसलिये विनियमन नहीं हो सका। इसके पश्चात इन काश्तकारों के विरुद्व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और इनसे पेनल्टी भी वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं इनके विरुद्व मुकदमें बनाकर गिरफ्तार भी किया जा रहा है।

आबंटन सलाहकार समिति ने ग्राम हरचन्द्रपुरा की खसरा नं. 95 की भूमि का नियमन करने का आदेश ग्राम कानोता की उपरोक्त भूमि के आदेश के पश्चात् दिया था। जिसके नियमन की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा कर दी गयी है। इस प्रकार ग्राम कानोता के उपरोक्त काश्तकारों के साथ भेदभावपूर्ण जो नीति अपनायी गयी है वह न्याय संगत नहीं है।

ग्राम कानोता के काश्तकार जो सम्वत् 2035 से पूर्व के काश्तकार हैं और जिनकी

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

भूमि को नियमन करने का आंवटन संलाहकार समिति ने आदेश दिया है तथा उनकी भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई हक नहीं है इसलिए उन्हें न्याय मिल सके इसके लिये यह आवश्यक है कि उनकी भूमि का नियमन अविलम्ब किया जाकर उनके नाम भूमि अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाएं।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (अनुपस्थित) श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में सीमेण्ट फैक्ट्री हेतु भूमि अवाप्ति

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में डी एल एफ कम्पनी द्वारा सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु बारानी जमीन व सिवाय चक जमीन होते हुए भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की चाही जमीन व कुए अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बलुपुरा रावडीयावास, रासवलाड़ा के गरीब और अनुसुचित जाति के व्यक्तियों के कुएं व जमीन उनके जीवनयापन का आधार हैं । उनकी जमीन, कुएं डी एल एफ कम्पनी की फैक्ट्री हेतु अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है जबकी सिवाय चक जमीन व बारानी जमीन उपलब्ध है। इससे गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में भंयकर आक्रोष है क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन अवाप्त की जा रही हैं उस पर रोक लगाकर न्याय प्रदान करने का विचार रखती हैं। मुझे यह भी बताया जाएं कि इस फैक्ट्री हेतु लाइम स्टोन की कितनी लीज स्वीकृत की गयी है व कितनी जमीन अवाप्त करने का प्रावधान है व फैक्ट्री हेतु क्या-क्या उपकरण लगाये जाएंगे। जमीन अवाप्त करने की कार्यवाही कहां तक हो चुकी है व कौनसी संस्थान लोन दे रही है इस फैक्ट्री का मालिक कौन है व सरकार का कितना हिस्सा है। कितने मजदूर लगाने की व्यवस्था हैं? क्या उक्त फैक्ट्री लगाने से पूर्व वहां के ग्रामवासियों से सहमति ली गयी थी? अगर सहमति नहीं ली गयी तो उनकी बहुमूल्य जमीन क्यों अवाप्त की जा रही हैं? फैक्ट्री के लिये कितने पानी की आवश्यकता होगी पानी कहां से लाया जाएगा प्रदूषण विभाग की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी है? सभी तथ्यों से अवगत करवाया जाए व गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन जो अवाप्त की जा रही हैं भूमि को बागुजास्त करने का विचार राज्य सरकार का है बताने की कृपा करावें।

श्री सभापति : माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

नगरपालिका माण्डल बगरु में सावां की बगीची स्थित हनुमानजी की प्रतिमा व गाय-भैंसों की खोली तोड़ कर दुकान निर्माण

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत नगरपालिका माण्डल बगरु में सांवा की बगीची हनुमान जी के सामने सरकारी जमीन पर हनुमानजी की प्रतिमा (पट्टी) को हटाकर, गायों के पानी पीने की

(88)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

खेली को तोड़कर तथा अनुसूचित जाति के परिवारों का आम रास्ता बन्द कर छोटू समोता जाट द्वारा दुकानें बनाने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं जांच कराने हेतु।

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वगरु कलां तथा आस-पास पूर्व की तरफ के गांव की जनता एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को उक्त समस्या से भारी परेशानी हो रही है। अधिकतर बस्ती अनुसूचित जाति के परिवारों की है अतः इस विषय में जनता में भारी आक्रोष है तथा कभी भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वगरु कलां में एक सार्वजनिक सांवा की बगीची है। जिसमें हनुमानजी का मन्दिर है तथा मन्दिर के बाहर चौक में स्व. श्री छोटूदासजी महाराज के चबूतरे पर बने हुए हनुमान जी के मन्दिर की बगल में साधुओं के चरण चबूतरों पर बने हुए हैं और पास में कुआ शिवजी का मन्दिर है। स्व. श्री छोटूदासजी महाराज के स्वर्गवास के बाद महाराज श्री लक्ष्मणदासजी हनुमानजी के मन्दिर में सेवा पूजा करते हैं। महाराज श्री लक्ष्मणदास जी ने हनुमान जी के मन्दिर के सामने दक्षिण की तरफ महायज्ञ 10-15 वर्षों पहले कराया था। सामने महायज्ञ के समय यज्ञ कुण्ड तथा एक हनुमानजी की प्रतिमा में सिन्दूर लगाकर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के परिवारों के खेत में जाने के रास्ते को छोड़ कर गहरी खेली कर रखी थी और उसके पास दक्षिण को देखता मकान डण्डा युक्त था। डण्डे के पीछे गाय-भैंसों के पानी पीने की खेली थी जो सार्वजनिक काम के लिये बनाई थी जिसका गांव की जनता के सहयोग से निर्माण कराया गया था। गाय-भैंसों के पानी पीने की खेली तथा सिन्दूर लगी हुई हनुमानजी की प्रतिमा को हटाकर तथा खेली को तोड़कर श्री छोटू द्वारा 9 दुकानों का अवैध निर्माण करा लिया गया है। प्रत्येक दुकान पर नाम अंकित कर दिये गये हैं जिससे दुकानें टूट न पायें। साथ ही दुकानों के अधीन सरकारी जमीन पर कुण्ड बना दिया गया है। इस वजह से यह आम रास्ता काफी संकड़ा (तंग) हो गया है। गांव के अनुसूचित जाति के परिवार के सदस्यों ने उक्त निर्माण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगरपालिका बगरू को कई बार लिखित में कानूनी कार्यवाही करने हेतु लिखा है किन्तु कर्मचारियों की मिली भगत होने के कारण आज तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः इस विषय में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कृपया इस पर सदन में चर्चा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करायी जाए।

श्री सभापति : श्री एमादुद्दीन अहमद खान के द्वारा दी जाने वाली सूचना पढ़ी हुई मानी जाएगी।

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भर्ती में कथित धांधली

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वास्तविक स्थिति व कुछ रोचक तथ्य सदन को बताकर माननीय गृह मंत्री जी से सही जानकारी चाहता हूँ।

(1) सरकार ने 20-7-92 को प्रयोगशाला में तीन नये अनुभाग सृजित किये गये थे। नये अनुभागों में पदों की स्वीकृति अनुभागवार

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

दी है तो फिर चयन समिति ने कैसे अनुभागों की अवहेलना करते हुए भर्ती की ? इन पदों को भरने के लिये शैक्षणिक योग्यता आदि के सेवा नियम शिड्यूल में अभी तक भी सम्मिलित नहीं किये गये हैं। जबकि सहायक महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) की ओर से पत्र क्रमांक नं. 5/3 पुलिस ए/निरी /85 पार्ट– III 1700-170 दिनांक 20-7-93 द्वारा निदेशक एफ एस एल जयपुर को नियम अनुसूचित होने के बाद ही नवसृजित खण्डों की पूर्ति हेतु लिखा। सेवा नियम के अभाव में इन पदों को किस आधार पर और क्यों भरा गया ?

(2) सहायकों के पद वर्तमान में लागू अन्य अनुभागों के नियमानुसार नहीं भरे गये हैं नियमानुसार प्रयोगशाला सहायक का पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है जबकि सभी पद सीधी भर्ती से भर लिये गये हैं।

(3) चयन समिति ने कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया। सहायक के 10 पदों के लिये लगभग 6,700 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिये क्यों बुलाया गया? और वे उम्मीदवार जो हायर सैकण्डरी (विज्ञान) से स्नातकोत्तर, (एम एस सी) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं एवं प्रयोगशाला में अनुचर के पद का 7 से 10 वर्ष का अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यार्थी चयन से वंचित कैसे रहे? सहायक पद के लिए उन व्यक्तियों का चयन किया गया जो बी.ई. (सिविल, केमिकल व मैकेनिकल) परीक्षा उत्तीर्ण हैं जिनकी प्रयोगशाला कार्य पद्वति में कोई आवश्यकता नहीं है। क्या राज्य सरकार प्रयोगशाला में इंजीनियरिंग अनुभाग खोलने का इरादा रखती है, या प्रतिनियुक्ति पर अन्य अनुभागों में खपाने के इरादे से इनकी नियुक्तियां की गयी है? माननीय अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि प्रयोगशाला में किस हद तक भ्रष्टाचार एवं धांधली व्याप्त है।

(1) माननीय प्रमुख गृह सचिव महोदय ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी तथा प्रयोगशाला कर्मचारियों की तरफ से न्यायिक अभिवक्ता नोटिस मिलने पर निदेशक महोदय ने दिनांक 15-1-94 को सभी चयन प्रक्रिया पूर्ण की तथा कार्यालय रिकार्ड में इसे 30-12-93 में अंकित किया। यह बात इससे भी सावित होती है कि भेजे गये नियुक्ति पत्र वाले लिफाफों पर जी. पी. ओ. जयपुर की ही सील 17-1-94 की अंकित है। नियुक्ति पत्र जिन्हें रजिस्टर्ड भिजवाने चाहिए थे साधारण डाक से क्यों भिजवाये गये जबकि साक्षात्कार पत्र यू. पी. सी. से भिजवाये गये।

(2) विधि विज्ञान प्रयोगशाला अधीनस्थ सेवा नियम 1980 के अनुसार चयन वोर्ड के निदेशक, सहायक निदेशक (सम्बन्धित अनुभाग) मैम्बर एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा मनोनीत एक सदस्य होता है लेकिन श्रीमान् आपको हैरानी होगी कि इस बोर्ड में निदेशक के अतिरिक्त सभी उपनिदेशक एवं सहायक निदेशकों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के दौरान अवकाश पर रहे अधिकारी एवं साक्षात्कार के दिन सरकारी वाहन से दुर्घटना की नामजद रिपोर्ट जिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज है उन अधिकारियों से भी चयन सूची पर हस्ताक्षर करवाये गये।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

(3) अनुचर के पद पर ऐसे उम्मीदवार का चयन किया गया जो इसकी निर्धारित योग्यता (सैकेण्डरी विज्ञान) ही पूर्ण नहीं करता है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति 10+2+3 से उत्तीर्ण सैकण्डरी विज्ञान परीक्षा के समकक्ष नहीं मानी जाती। अतः जब तक निदेशक अपने पद पर बने रहेंगे तो कार्यालय रिकार्ड में बचाव में हेराफेरी कर सकते हैं। निष्पक्ष जांच होने तक के लिए निदेशक को निलम्बित करें या ओ. एस. डी. पुलिस मुख्यालय में रखा जाए।

ध्यानाकर्षण–प्रस्ताव
नकली व मिलावटी दवाओं का निर्माण

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालूलाल गुर्जर मिलावटी दवाइयों के बनाये जाने से जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, नकली एवं मिलावटी दवाइयों की रोकथाम के लिए नियम 131 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं, दिनांक 16 जुलाई 1959 से प्रभावी हैं। औषधियों का आयात, निर्माण, वितरण, विक्रय तथा दवाइयों की क्वालिटी का निर्धारण इसी अधिनियम के द्वारा नियन्त्रित होता है। उक्त अधिनियम व नियमों में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधन किये जाते रहे हैं। सारे देश में समान रूप से प्रभावी इस तरह के संशोधन होते हैं।

भारत सरकार द्वारा 12 अप्रेल, 1989 को अधिसूचना जारी कर ड्रग्स एवं कास्मेटिक नियम, 1945 में नियम 49 ए एवं 50 ए को जोड़ कर लाइसेंसिंग ओथोरिटी एवं कण्ट्रोलिंग ओथोरिटी की योग्यता व अनुभव निर्धारित किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

सभापति महोदय, नियम 49 ए, लाइसेंसिग आथोरिटी की क्वालिफिकेशन और नियम 50 ए, कण्ट्रोलिंग आथोरिटी की क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में है। नियम 49ए कोई व्यक्ति एक्ट के अधीन लाइसेंसिंग आथोरिटी होने के लिए जब तक क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक कि वह विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री या मेडिसिन जिसमें क्लिनिकल फार्मोलोजी या माइक्रोबाइलोजी के साथ स्पेशलाइजेशन हो, के साथ ग्रेजुएट न हो और उसके पास औषधि मैन्युफैक्चरिंग या जांच करने या एक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्समेंट करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव न हो परन्तु यह एकेडमिक क्वालिफिकेशन इस अधिनयम के अधीन नियुक्त ऐसे ड्रग्स इन्स्पेक्टर पर लागू नहीं होगी जो औषधि एवं प्रसाधन साम्रगी (नाइन्थ अमेण्डमेण्ट) नियम, 1989 की प्रारम्भ की तारीख को इस पद पर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नियम 50 ए, उपरोक्त वर्णित नियम, 49ए के अनुसार ही दिनांक 12.4.89 की उक्त अधिसूचना जारी होने से पूर्व लाइसेंसिंग आथोरिटी एवं कण्ट्रोलिंग आथोरिटी के लिए इस प्रकार की क्वालिफिकेशन व अनुभव निर्धारित नहीं था। राज्य में जब से ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट के प्रावधान लागू किये गये हैं तब से निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (पदेन) को कण्ट्रोलिंग व लाइसेंसिंग आथोरिटी के नियमों के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की जाती रही हैं जिनके द्वारा राज्य सरकार की सहमति से जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को औषधि विक्रय हेतु लाइसेंसिंग आथोरिटी की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, यह व्यवस्था अभी भी लागू है। वर्तमान में लाइसेंसिंग आथोरिटी का जो कार्य जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है उसकी एवज में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के पद जिलों में उपलब्ध नहीं होने से इसे अंजाम देने में कुछ विलम्ब हुआ है। इस प्रक्रिया में वर्ष, 1992-93 में तीन औषधि निरीक्षकों के पदों को सहायक औषधि-नियत्रंक के पदों में क्रमोन्नत किया गया है तथा वर्ष 1994-95 में तीन और पदों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है जिससे औषधि नियंत्रकों के पदों की 1994-95 में कुल संख्या आठ हो जाएगी, दो पद पहले से स्वीकृत हैं। इस व्यवस्था के प्रारम्भ होने से क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंसिंग ऑथोरिटी नियुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यालय पर पद उक्त औषधि नियत्रंक का स्वीकृत है जिस पर निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्त कर के उसे कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी की शक्तियां प्रदान किया जाना प्रस्तावित है जिसमें नियमों की पूर्ति हो सके। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा रिट याचिका संख्या 5977/90 में दिनांक 16.2.92 को दिये गये निर्णय में भी यह उल्लेख किया गया कि राज्य में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लाइसेंसिंग ऑथोरिटी की नियुक्ति हेतु उचित समय में कदम उठाये जाएं अतः उक्त प्रस्तावित व्यवस्था में न्यायालय के निर्णय की अनुपालना शीघ्र ही किये जाने का प्रावधान है और जो नियंत्रक संगठन के अधिकारियों के सेवा नियम नहीं बनने से अधिकारियों को नियमित पदोन्नति नहीं दी जा सकी इसी के कारण से पूर्व में दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति में समय लगा जिसे अब शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहां तक नकली व घटिया दवाओं के प्रचलन और उन पर नियंत्रण का प्रश्न है इसमें कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है। औषधियों के मामले में राज्य में कुल 317 मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं जिनमें 242 नकली व घटिया किस्म की दवाओं के हैं। मुकदमें औषधि निरीक्षकों द्वारा दायर किये गये हैं तथा दवाओं के नमूनों की जांच राजकीय विश्लेषक द्वारा की जा रही है जो नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता रखते हैं, अतः न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों पर करीब-करीब प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा। मेरा नम्र निवेदन होगा कि प्रश्नों की भाषा में बात की जाए तो ज्यादा उचित होगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

जुड़ा हुआ मसला है इसलिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, पहले तो मैं उनको यह धन्यवाद दूंगा कि उन्होनें जो आठ सहायक निरीक्षक अभी नियुक्त किये हैं उसके लिए बजट में प्रावधान रखा है। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि मुकदमें चल रहे हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी 16.2.92 को इस प्रकार के आदेश दिये हैं। मुकदमें चल रहे हैं, लेकिन उन मुकदमों का फैसला क्या हुआ? आज तक किसी को सजा क्यों नहीं मिली? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी वह होती है जिसमें नियम 50 ए में निर्धारित योग्यता व अनुभव हो और वर्तमान में जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है वह योग्य नहीं है और इसीलिए न्यायालय में जाने के बाद वहां पर वह मुकदमें हारते हैं जो दवा पकड़ी जाती है वह सही नहीं मानी जाती इसलिए लाइसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्माता व विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द व निलम्बित करने की कार्यवाही की जाती है। मिलावट को रोकने के लिए 12.4.89 के बारे में जैसा मंत्री महोदय, ने भी जिक्र किया है, केन्द्र सरकार के नियमों में संशोधन कर नियम 49 ए के तहत योग्यता व अनुभव निर्धारित किये हैं, यदि उक्त नियमों के अभाव में निरीक्षण किया जाता है तो उनकी कार्यवाही को न्यायालय में भी नकार दिया जाता है। इसी प्रकार की रिट याचिकाएं पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चली है और राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार का फैसला दिया है। सभापति महोदय, राजस्थान में केवल एक प्रयोगशाला है जहां पर सालभर में 500 सैम्पल लिये जाते है और हिन्दुस्तान में कलकत्ता और गाजियाबाद में दो प्रयोगशालाएं हैं जहां पर राजस्थान के सैम्पलों की जांच के लिए भेजा जाता है और राजस्थान सरकार को उसके लिए भारत सरकार को पैसा देना पड़ता है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में एक प्रयोगशाला और बनायी जाए, जिससे ज्यादा परेशानी नहीं हो इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक राज्य में 100 दवाओं की दुकान पर एक तथा 25 दवा निर्माताओं पर एक औषधि निरीक्षक होना चाहिए था। राजस्थान सरकार ने भी भनोत समिति की ऐसी ही सिफारिश की थी और प्रत्येक जिले में कम से कम एक औषधि निरीक्षक तो होना ही चाहिए।

सभापति महोदय, आम आदमी में आज यह चर्चा है कि दवा में मिलावट है, ग्लुकोज की जो बोतलें आती हैं, उनमें मिलावट होती है कई बार सैम्पल लिए गये हैं परन्तु दुर्भाग्य यह है कि पकड़ा नहीं जाता और पकड़ते हैं तो मुकदमा चलता है उसके बाद बरी हो जाता है....

श्री सभापति : कह चुके आप यह बात ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं जल्दी खतम कर रहा हूँ , सभापति महोदय। इसी प्रकार की घोषणा पूर्व में हमनें इसी विधान सभा में की थी कि इन सब पदों को तीन महीने के अन्दर भर दिया जाएगा, परन्तु दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है मंत्री बदलने से सरकार नहीं बदला करती, मंत्री बदला है सरकार नहीं बदली है,और मंत्री कोई घोषणा करता है, कोई बात कहता है तो सरकार की जिम्मेदारी है और अगर मंत्री के घोषणा करने के बाद उसको अमल में नहीं लाते तो सरकार की बदनामी होती है इसलिए

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो मंत्री की बात नहीं मानें, कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्त में मैं यही निवेदन करूँगा कि पूर्व में भी मंत्री महोदय ने यहां पर घोषणा की थी और आज भी मंत्री महोदया ने यहां पर घोषणा की है, यह घोषणा अमल में लायी जानी चाहिए। आपने जो निरीक्षकों के पद स्वीकृत करने की घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजें। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (अनुपस्थित), श्री जगदीश चन्द दरक (अनुपस्थित) श्री राजपाल सिंह शेखावत (अनुपस्थित) श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपुस्यित) श्री जगदीप धंनखड।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, नकली और घटिया दवाइयों का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि इसकी गम्भीरता पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जन स्वास्थ्य पर इसका कितना प्रतिकूल असर पड़ता है, इसकी चर्चा पूर्व में इस सदन में हो चुकी है। माननीय सभापतिजी, 1989 में कानून में तब्दीली आयी, कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी और लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के लिए कुछ क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब किये, सम्पूर्ण देश में इसकी अनुपालना हो गयी, केवल राजस्थान को छोड़कर। राजस्थान में जब इसकी अनुपालना नहीं हुई तो राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गयी माननीय सभापति जी, 14 फरवरी, 1992 को दी राजस्थान फार्मास्युटिकल मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने एक मामला डाला था उसका निर्णय किया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय यह दिया, उसी सन्दर्भ में 1989 में नियमों में तब्दीली की गयी थी। जिसके तहत क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब किये गये थे। उन्होंने 14 फरवरी, 1992 को कहा "Necessary steps be taken in the reasonable time for appointment of the licencing authority in accordance with the notification issued by the Government.'

माननीय सभापति जी, यह 14 फरवरी, 1992 की बात है। उसके पश्चात् दिनांक 26 फरवरी, 1992 को इस सदन में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री चतुर्वेदी जी ने एक आश्वासन दिया वह 1992 को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के एकदम बाद 10-12 दिन बाद दिया और उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति को औषध लाइसेंसिंग और कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, माननीय सभापतिजी, राजस्थान उच्च न्यायालय 14 फरवरी, 1992 को कहता है। रीजनेबल टाइम और उसके 12 दिन में इस सदन में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री पूरे प्रान्त को सदन के माध्यम से आश्वासन देते हैं, कि तीन महीने में यह कार्य हो जाएगा दो वर्ष हो गये हैं। मंत्री जी ने आज भी नहीं कहा है कि यह कब हो जाएगा माननीय सभापति जी, यह मामला अत्यन्त गम्भीर इसलिए है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना हुई है और उस अवमानना में इस सदन को इसलिए भागीदार बनाया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के 12 दिन के अन्दर ही चतुर्वेदी जी ने कहा कि मैं तीन महीने में ही ऐसा कर दूंगा। दो प्रश्न उठते है, सदन में कही गयी बात की क्या सैंक्टिटी है? संसदीय परम्परा के कितना

(९४)

(श्री जगदीप धनखड़)

प्रतिकूल कार्य इन्होंने किया है उस पर भी सदन को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब न्यायालय के आदेश की इतनी स्पष्ट अवमानना हुई है और जब न्यायालय ने रीजनेबल टाइम कहा और 12 दिन में इन्होंने रीजनेबल टाइम्स को इन्टरप्रेट कर दिया तीन महीने में करेंगे। यह प्रकरण है जिसमें नकली और घटिया दवाई बेचने वाले लोग जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है जिनका एक गिरोह बन गया है और उनको फायदा क्या है? माननीय सभापति जी, उनको फायदा यह है, आप उनको पकड़िये, उनको चिन्ता नहीं है क्योंकि जो आप मुकदमा न्यायालय में करेंगे वह मुकदमा उनके खिलाफ निर्मित नहीं हो इस प्रकार की भूमिका और आचरण राज्य सरकार का बन रहा है।

श्री सभापति : ठीक है, आ गयी बात।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, मैंने कही ही नहीं, यह बात यहां तक ही नहीं है माननीय सभापति जी, देश के अनेक न्यायालयों ने इस बात की व्याख्या की है राज्य सरकार अब एक नया इन्टरप्रिटेशन लेकर सदन के समक्ष आ रही है। सभी हाईकोर्ट्स ने, आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा है, पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप इन क्वालिफिकेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आखिर कानून में तब्दीली का अर्थ क्या है? माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से अन्य निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा परन्तु जो बात पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने कही है Since on April 12, 1989 An embargo was placed that no person shall be qualified to be a licencing authority under the act unless he was the requisite qualifications'. It would follow that no person could excercise the powers of discharge the function or act as a licencing authorithy after the said date,unless he has qualifications mentioned under rule 49 (A) of the rules.

इतनी स्पष्ट व्याख्या की गयी है, मुझे समझ में नहीं आता माननीय मंत्री जी, किस प्रकार के इन्टरप्रिटेशन की यहां बात कर रहे हैं। दूसरी बात, माननीय सभापति जी, जो ज्यादा गम्भीर है, पहले तो सदन को धोखा दिया है हम उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करेंगे, दो साल तक नहीं की। अब सदन को फिर गुमराह किया जा रहा है । कि यह ऐसी बात है जिससे कोई खास नुकसान नहीं होगा माननीय सभापति जी, आप स्वयं विद्वान है रुल 51 में लिखा हुआ है।

Duties of Inspectors of premises licensed for sale. Subject to the inspections of controlling authority .

माननीय सभापति जी, जो अधिकार इन्स्पेक्टर्स को दिये गये है, रूल 51 का मैं [illegible]ा दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड : माननीय सदस्य इन्स्ट्रक्शन है ये।

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिये , सुनिये। मैं बताता हूँ।

(श्री जगदीप धनखड़)

"Subject to the instructions of the controlling authority...."

जैसा अधिकारी ने कह दिया वैसा ही बोलने लग गये है ! विद्वान मंत्री है, मेरी तो इनमें भारी आस्था है, मैं समझता हूँ.....

श्री सभापति : पहले बात कहिये, बहुत एडजेक्टिव में जा रहे हैं आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, नहीं नहीं गम्भीर मामला इसलिए है, रुल 51 में प्रावधान है, "subject to the instructions of the controlling authority it shall be duty of an Inspector authorized to inopert premises licensed for the sale of drugs."

और सब रूल 5 में लिखा हुआ है।

"to institute prosecutions in respect of breaches of the act and rules thereunder."

सबजेक्ट टु दी इन्स्ट्रक्शन्स के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी इन्स्ट्रक्शन नहीं दे सकती ? क्या कण्ट्रोलिंग आथोरिटी नहीं दे सकती इन्सपेक्ट को कि that do not institute prosecution ? और मैं इसलिए कह रहा हूँ।

श्री सभापति : क्लियर हो गयी आपकी बात।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं माननीय सभापति जी, में इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने करप्शन के केसेज के ऊपर चर्चा करते हुए कहा था कि जांच हो गयी तो क्या हो गया, एक-एक बात मुझे देखनी पड़ेगी। वह भी बात इन्स्ट्रक्शन तक ही आती है। दूसरी बात माननीय सभापति जी, इसी प्रकार का प्रावधान आपको रुल 52 में में मिलेगा मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है,एक तो राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो नकली दवाइयों का ज्यादा बोलबाला है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा है, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उस खिलवाड़ की खुली छूट इस बात की मिल रही है कि आप उनको प्रोसीक्यूट करेंगे तो क्या होगा ?

Such cases are decided on technical points.

अब जब एक के साथ एक उच्च न्यायालय निर्णय दे रहा है कि इन्स्ट्रक्शन देने वाले, अधिकारी का कोई काम्पीटेंस ही नहीं है। माननीय सभापित जी, आज आप और हम सब को यह चिन्तन करना है कि आखिर दो साल में इस प्रकार की अनुपालना क्यों नहीं हुई ?

श्री सभापति : हर बात को आप रिपीट कर रहे है बार बार।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि जिन अधिकारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं की है उस बात की सूचना सरकार-उच्च न्यायालय को दे ताकि उन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही हो सके। दूसरा माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी

(96)

(श्री जगदीप धनखड़)

सदन को अपना स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने राजस्थान की जनता को सदन के माध्यम से क्यों गुमराह किया कि मैं तीन महीने में यह कार्य कर दूंगा तीसरा माननीय मंत्रीजी राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें कि इन नियमों की अनुपालना में वह आदेश कब तक जारी कर देंगे और कौन सी निश्चित तिथि है, जब तक यह कार्यवाही हो जाएगी माननीय सभापति जी मुझे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, नकली दवाओं का मामला सब को पता है, प्रोसीक्युशयन्स कितने होते हैं ?

श्री सभापति : आप यह बात कह चुके, बार-बार क्यों कहते हैं, सब बात कह चुके और दूसरी दूसरी के नाम पर बारहवीं बार कह चुके।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति जी, इन तीनों मामलों पर सरकार को निश्चित भावना व्यक्त करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति जी, यह वास्तव में बहुत गम्भीर मामला है और हम भी उपेक्षा करते थे कि मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह कहेंगे कि 1989 में जब केन्द्रीय सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया और 26 फरवरी, 92 को सदन में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि तीन महीने में हम योग्य लोगों को लगा देगें और उच्च न्यायालय का भी निर्णय आ गया उसके बाद भी यहां यह जवाब देना कि कार्यवाही विचाराधीन है, वित्तीय साधनों का अभाव है, जो केसेज चल रहे है उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह पूछना चाहता हूँ कि 317 केसेज कोर्ट में चल रहे है, 1989 में केन्द्रीय सरकार के अमेण्डमेंट के बाद राजस्थान में नकली दवाओं और मिलावटी दवाइयां बेचने वाले कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की? जिन न्यायालयों में मामले विचाराधीन है, वह अलग चीज है लेकिन न्यायालय में फैसला उनके खिलाफ हुआ और कितने लोगों को आपने प्रोसीक्यूशन किया? एक तो आप यह बतायें। दूसरा 26 फरवरी, 1992 को जब यह आश्वासन दिया कि केवल तीन महीनें में हम यह जो अमेण्डमेंट हुआ उसके हिसाब से नियुक्तियां कर देगें, ऐसे कौनसे कारण रहे हैं कि आप अभी तक नियुक्ति नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो नकली दवाइयां और मिलावटी दवाइयां बनाने वाले लोगों का गिरोह है, इससे आपके विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं और वह कोई न कोई कारण इस प्रकार का बताकर आपको भी गुमराह कर रहे हैं और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिन्होंने अमेण्डमेंट की अनुपालना में अपने अपने कानूनों में संशोधन करके योग्य व्यक्तियों को नहीं लगाया। केवल राजस्थान एक इस प्रकार का प्रान्त है कि जहां अभी तक मामला विचाराधीन है, कार्यवाही अपेक्षित है, वित्तीय साधनों का अभाव है, इसलिए हम नहीं कर रहे है। आखिर क्या करना चाहते है प्रदेश की जनता के साथ ? जब पूरे हिन्दुस्तान के स्टेट्स में वित्तीय साधनों का अभाव नहीं हुआ

(श्री कालीचरण सर्राफ)

और सारे काम हो गये वहां सब लोगों की नियुक्तियां हो गयीं, तो ऐसा क्या कारण है कि मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया, हाई कोर्ट का निर्णय हो गया, 1989 में अमेण्डमेंट हो गया और उसके बाद भी आपके यहां कार्यवाही अपेक्षित है, विचाराधीन है? आखिर आप हमें स्पेसिफिक टाइम बताइये कि कितने दिनों में आप अमेण्डमेंट के अनुसार और जो सरकार ने आश्वासन दिया है सदन में उसके मुताबिक आप कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही अपेक्षित है, विचाराधीन है, इससे काम नहीं चलेगा। आप टाइम बताइये कि 15 दिन में एक महीने में डेढ़ महीने में दो महीने में हम कर देंगे।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय, से दो-तीन सवाल पूछने हैं। एक तो क्या यह सही है कि इस सरकार के पास ड्रग टेस्टिंग की सिर्फ एक ही लेबोरेट्री है और कई प्राइवेट लेबोरेट्रीज को लाइसेंस दिये हुए हैं। वहां भयंकर भ्रष्टाचार होता है, फर्जी सर्टिफिकेट बिना दवाई भेजे हुए ही प्राप्त कर सकते हैं।

नम्बर दो, अन्य स्टेट में सब जगह ड्रग कन्ट्रोलर की पोस्ट बिल्कुल अलग से बनी हुई है। राजस्थान में ड्रग कन्ट्रोलर का एडीशनल चार्ज क्यों दे रखा है?

नम्बर तीन, क्या यह सही है कि कई दवाइयां जो होल सेलर को पांच रुपये में मिलती हैं, उन पर कीमत 32 रुपये या 35 रुपये लिखी होती है और गरीब आदमियों को वह दवाई 35 रुपये में बेचते हैं। पांच रुपये की चीज 35 रुपये में बिके, यह बीच वाला जो मामला है 30 रुपये का, यह किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? इसके बारे में यह सवाल यह है कि कई कम्पनियाँ चूंकि उनकी दवाई टेस्टिंग में नहीं जाएं, लेबोरेट्री में नहीं जाएं, इसलिये आयुर्वेदिक मेडिसन लिख देते हैं और वह धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिसका न तो कोई टेस्टिंग हो सकता है, न उस पर कोई कम्पोजीशन लिखा हुआ है, न उस पर कोई केमिकल एनालाइसिस लिखी हुई है, इन सबको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं तो मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, बहुत अस्पष्ट है इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नकली और मिलावटी दवाइयां बनाये जाने से जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़, तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप क्या तजवीज करना चाहते हैं? अगर एक लेबोरेट्री कम पड़ती है तो दूसरी लेबोरेट्री आपको स्थापित करने में क्या दिक्कत आ रही है?

दूसरा, यह कि आप इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था करें, कि मिलावटी दवाइयाँ बिक नहीं सकें, बिके तो उनके ऊपर छापे पड़े, उनको पकड़ा जाए और पकड़कर सजा दिलवायी जाए। सजा में कोई दिक्कत आती हो, तो कानून का सरलीकरण किया जाएं, विशेष अदालतें गठित की जाएं।

९४

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अपराध यदि कोई दुनिया में है, वह नकली दवाओं की वजह से है, गरीब आदमी या पैसे वाला आदमी उस दवाई को अच्छी समझकर खरीदकर लाता है और वह नकली होती हैं वह मर गया, दवाई का कोई असर नहीं हुआ। उसको तो पानी का इंजेक्शन लग रहा है, दवा का उसको वहम हो रहा है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में इन सबको रोकने के लिए आप राजस्थान सरकार की तरफ से क्या मुनासिब कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ? यह हम आपसे जानना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय उच्च न्यायालय के जिस फैसले के बारे में चर्चा की, वास्तव में 14.2.92 को फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें यह फैसला उच्च न्यायालय ने दिया था कि भारत सरकार के द्वारा एक्ट में जो संशोधन किये गये हैं, उनके अनुसार क्वालिफाइड लोगों को जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को ड्रग कंट्रोलिंग के लिए लगाना चाहिए। सभापति महोदय, एक चर्चा यहां बार-बार उठी कि वर्तमान में जो ड्रग कन्ट्रोलर के द्वारा जो सैम्पल लिए जाते हैं, या चालान किये जाते है, उसमें वह सारे के सारे न्यायिक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण लाभ उठाकर बरी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत विश्लेषण एवं सैम्पल लेने एवं न्यायिक कार्यवाही किये जाने के अधिकार औषधि निरीक्षकों के पास में हैं। यह सारे के सारे क्वालिफाइड हैं। सभापति महोदय, जो अमेण्डमेंट आया है, उसके अनुसार जो क्वालिफिकेशन दी है, 49 'ए' और 50 'ए' के अंदर, उसके अनुसार सारे क्वालिफिकेशन रखते हैं और यह फिलहाल राजस्थान में 26 लोग काम कर रहे हैं । यह सारे के सारे गजिटेड ऑफिसर हैं, निर्धारित योग्यता रखते हैं और इनके द्वारा जो नमूने लिए जाते हैं, न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : जो अमेंडमेंट हुआ, उसके अनुसार कितने पद होने चाहिए ?

श्री राजेन्द्र राठौड : मैं बताऊंगा।

श्री कालीचरण सराफ : 120 पद होने चाहिए और आपके 29 आदमी काम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बताऊंगा।

श्री कालीचरण सराफ : मतलब आप यह बताओ ना (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको समझा रहे हैं ना (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनको न्यायालय में चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने, निरीक्षकों को नियमों के अनुसार विक्रेता के यहां से दवाई के नमूने लेने, जांच करने के पूरे-पूरे अधिकार हैं। इसके बारे में एक बार भारत सरकार की जो ओ. एस. डी. सलाहकार समिति बनी, उसमें भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस तरह की चर्चा आयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रग कास्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत गठित ओ.एस.डी. सलाहकार समिति की नई दिल्ली में दिनांक 14 व 15 सितम्बर, 1989 को बैठक सम्पन्न हुई, उसमें कन्ट्रोलर आथोरिटी की औषधि निरीक्षकों द्वारा न्यायिक कार्यवाही से पूर्व स्वीकृति बाबत अधिनियम में प्रावधान हेतु प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर निर्णय लिया गया कि अधिनियम में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस नियम की आप चर्चा कर रहे थे, नियम 51 के बारे में इस बैठक में चर्चा हुई। नियम 51 में प्रावधान है कन्ट्रोलिंग आथोरिटी औषधि निरीक्षकों पर नियन्त्रण रख सकती है। इस नियम में नियन्त्रण के लिए इन्स्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। सभापति महोदय, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रोसीक्यूशन सैंक्शन लेनी पड़ेगी, यह दोनों में फर्क है, या तो यह होता कि ड्रग इन्स्पेक्टर ने कोई नमूना लिया और उसका चालान करने से पहले उसको अनुमति की जरुरत होती। यह जरूर है कि कन्ट्रोलिंग पॉवर औषधि नियन्त्रक का है परन्तु इसमें प्रोसीक्यूशन के लिए उसको किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान में न्यायालय में जो चालान प्रस्तुत किये हैं, उसके अन्तर्गत, अभी जिस तरह जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने लोगों को सजा हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, छः लोगों को कारावास हुआ। इस अमेण्डमेंट के वाद की वात निवेदन कर रहा हूं और चार लोगों को फाइन हुआ और जो मामले लम्बित हैं, जिनकी संख्या मैं पूर्व में बता चुका हूं.....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, 317 केस चल रहे हैं और पांच साल में 1989 से 1994 तक छः लोगों को कारावास हुआ और चार लोगों को फाइन, कमाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह एक प्रक्रिया है, इसके अनुसार किसी भी दवाई का सैम्पल लेते हैं उसको चार भागों में विभक्त करके उसका परीक्षण करवाया जाता है। अभी सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ सवाल किये हैं, इन्होंने यह कहा कि पूर्व में पूर्व मंत्रीजी ने आश्वासन दिया, उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, यह पूरे सेवा नियमों में संशोधन का मामला था। सभापति महोदय, राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के शिडयूल में उप औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक तथा लीगल टैक्नीकल ऑफिसर के पदों को सम्मिलित करने के लिए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 17.10.90 को प्रस्ताव भेजे, मुख्य मंत्री महोदय ने इनको दिनांक 24.8.91 को अनुमोदित किया, तत्पश्चात् इसे मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। मैं वह पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं, माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने आश्वासन दे दिये और उसके बाद भी कार्यवाही नही हुई...

श्री जगदीप धनखड़ : तारीख क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 24.8.91 । यह जो तिथि आप बता रहे हैं उससे पहले ही इसकी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी थी।

श्री सभापति : आश्वासन फरवरी, 1992 में दिये थे तो इससे पहले कार्यवाही चालू हो गयी थी, यह बता रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : उसके बाद कार्यवाही चालू हुई।

(100)

श्री सभापति : अब आप सुनिये। अभी से प्री-कन्क्लूजन क्यों ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और सभापति महोदय, इस संशोधन का नोटिफिकेशन डी.ओ.पी. द्वारा जारी किया जाना था जिसके द्वारा परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि ड्रग कन्ट्रोलर आर्गेनाइजेशन के कुछ अन्य शिड्यूल भी इसमें शामिल किये जाने से छूट गये हैं। इसके अलावा विधि विभाम द्वारा इसकी विविक्षा मीटिंग भी नहीं करवायी गयी थी। इसके अलावा इन पदों की योग्यता, पदोन्नति हेतु पात्रता इत्यादि के संबंध में भी स्पष्ट नहीं थी।

दो बात थी, या तो पदोन्नति द्वारा इन पदों को भरें या सीधी भर्ती से भरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने डी.ओ.पी. के परामर्श से इस संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रुप 24.12.1993 को दिया तो इस पर डी.ओ.पी. से औपचारिक सहमति प्राप्त हो गयी और अब इस प्रस्ताव पर आर.पी.एस.सी. से सहमति लेकर मंत्रिमण्डल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना था, इसी बीच में आर.पी.ए.सी. ने पुनः इन प्रस्तावों का, संशोधन का परीक्षण कर कुछ अतिरिक्त सूचना चाही है, कुछ क्वेरीज खड़ी कर दी तथा अन्य सुझाव भी दिये। इन आब्जेक्शन्स का जवाव देने हेतु पुनः विभाग के पास विचाराधीन है। आर.पी.ए.सी. का मुख्य आक्षेप सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में है, तथा पदोन्नति हेतु पात्रता आदि के सम्बन्ध में था। आर.पी.एस.सी. ने फरवरी माह के अन्दर पत्र द्वारा कुछ सूचनाएं चाही। सभापति महोदय, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा और उन्हें बताना चाहूंगा कि सारी प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सेवा नियमों में संशोधन हुए बिना हम औषधि नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, उप नियंत्रक के पदों को भर नहीं पायेंगे। सभापति महोदय, क्योंकि दूसरे क्वालिफाइड लोग जिनको हम सीधी भर्ती से भी करें तो उसमें भी एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि यह सारी प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करके और सभी पदों पर जिन-जिन लोगों की आवश्यकता है उनकी योग्यता के अनुसार उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। सभापति महोदय, वास्तव में मिलावटी दवाइयां, नकली दवाइयां प्रदेश में बिके, लोगों के साथ खिलवाड़ हो तो विभाग भी सजग है और मैं भी इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लूंगा और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में एक सामयिक चीज को उठाया और...

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : रोकने का क्या उपाय करेंगे ?

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : और अगर तीन महीने में नहीं करेंगे तो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो मैंने सदन को आश्वासन दिया, अगर तीन महीने में यह सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायेगी तो उसका जवाब तीन महीने पश्चात् पुनः अपन मिलेंगे तव मैं दूंगा कि क्यों नहीं हो पाया।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापतिजी, मेरा एक क्लेरिफिकेशन है... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया एक एक करके पूछ लें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक क्लेरिफिकेशन है। माननीय मंत्रीजी, आप उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे जिन्होंने दो साल तक राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का ध्यान नहीं दिया, उसकी पालना नहीं की ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने सब स्पष्टीकरण दे दिया। चर्चा समाप्त हुई।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, माननीय सभापतिजी, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है...

श्री सभापति : सब स्पष्टीकरण दे दिया है। किसी का कसूर नहीं है। मामला प्रक्रिया में चल रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : दूसरी बात, माननीय चतुर्वेदीजी मंत्रीजी ने हमें भ्रम में डाला है, माननीय हमारे चतुर्वेदीजी ने राजस्थान की जनता को... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। आप कुछ भी शब्द यूज करें। माननीय मंत्रीजी ने सब मामला स्पष्ट कर दिया है। चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री. अर्जुनदास मदान, कोटा बैराज की दायीं नहर से छोड़े जाने वाले पानी से कॉलोनी के लोगों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोटा बैराज की दायीं नहर से छोड़े जाने वाले पानी से असुविधा

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री सिंचित क्षेत्रीय विकास) : सभापति महोदय, वर्ष 1960 में कोटा बैराज का निर्माण हुआ। तदुपरान्त दायीं व बायीं मुख्य नहर निकाली गयीं। दायीं नहर के किलोमीटर 11 पर रायपुरा तालाब स्थित है जिसके द्वारा उक्त मुख्य नहर गुजरती है। इस तालाब में नहर का बायां बैंक बना हुआ है। इस रायपुरा तालाब के खसरा नं. 418 व 420 में शनैः शनैः श्री रामनगर आवासीय कालोनी विकसित हुई। खसरा नं. 418 गैर मुमकिन नहर है तथा 420 जंगलात में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज है तदुपरान्त भी उक्त कालोनी आबादी के रूप में विकसित हो गयी है एवं 1981 में सर्वे के पश्चात् कोटा नगर सुधार न्यास ने इसका नियमन किया एवं पट्टे जारी किये।

सामान्यतयाः गैर मुमकिन नहर वाले रकबे में कोई भी मकान निर्मित होना खतरे से खाली नहीं है फिर भी आबादी के दबाव के कारण इन दोनों खसरा नम्बरान में कुछ कच्चे व पक्के मकान बने हुए हैं। वैसे नहर पहले बनी हुई थी एवं लोगों ने मकान बाद में बनाये। जैसा कि माननीय विधायक महोदय द्वारा बताया गया है कि इन मकानों में से 157 मकान नहर संचालन के कारण इस वर्ष 1993-94 में पानी के भराव से ग्रस्त थे। इनमें से कुछ मकानों का निर्माण यहां के निवासियों के द्वारा नहर बन्दी के दौरान कर लिया गया एवं कुछ अन्य मकानों

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

का निर्माण हो जाने पर नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे जारी कर इन्हें वैद्य कर दिया गया। नगर विकास न्यास द्वारा कुल 276 पट्टे जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मकानात, झौपड़ियाँ वतौर अतिक्रमण अवैध रुप से निर्मित किये गये हैं जिनके न्यास द्वारा पट्टे जारी नहीं किये गये हैं अतः वे नाजायज रुप से बनाये गये हैं।

दायीं मुख्य नहर पर जो भी कार्य संचालित कराये जाते हैं उनका 75 प्रतिशत व्यय मध्य प्रदेश एवं 25 प्रतिशत व्यय राजस्थान सरकार वहन करती है। दायीं मुख्य नहर में पानी वर्तमान स्तर से कम चलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों के किसानों की हजारों बीघा भूमि असिंचित रह जाएगी एवं अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार भी ऐसा सम्भव नहीं है, साथ ही अन्ता विद्युत परियोजना पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

यद्यपि पानी के निरन्तर भराव, मिट्टी के कणों के जमाव के परिणामस्वरूप नीचे के लेवल में मिट्टी का भराव नहर के निरन्तर बहाव को रोकता हो, ऐसा नहीं है लेकिन नहर में काजी होने के कारण नहर के प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है जिसके लिए नहरबन्दी के समय उचित कार्यवाही की जाती है।

इस समस्या को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इससे श्री रामनगर कालोनी में बने मकान एवं उनके निवासियों के लिये असुरक्षा व खतरा हमेशा मौजूद रहता है। क्योंकि ये सारे मकान गैर मुमकिन नहर वाले रकबे में अतिक्रमण कर निर्मित हैं। अतः ख़तरा तो हमेशा ही रहेगा। इसके लिए नहर के दायीं ओर बैंक निर्माण करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह नहर मध्य प्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराती है। अतः उनकी अनुमति के पश्चात् ही कार्य धनराशि की उपलब्धता पर लिया जाना संभव हो सकेगा। हालांकि कोई तखमीना नहीं बनाया गया है किन्तु अनुमान है कि बैंक बनाने पर 80 लाख से 100 लाख रुपये तक की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही ऐसा कार्य करने हेतु नहर को कई माह अथवा वर्ष तक बन्द करना पड़ सकता है। जिससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों को काफी नुकसान होगा जो शायद सम्भव न हो। यह एक अन्तरराज्यीय मामला भी बन सकता है।

अतः इसके लिये स्थानीय प्रशासन एवं नगरीय विकास विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि वह रामनगर कच्ची बस्ती के अवैध निर्माण को तुरन्त हटाये और पूर्व में जिन मकानात में पानी का भराव रहता है एवं यदि वह नगर सुधार न्यास द्वारा नियमित किये जा चुके हैं तो न्यास उन व्यक्तियों को अन्य वैकल्पिक व सुरक्षित स्थानों पर बसायें।

श्री सभापति : माननीय अर्जुनदास जी मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि नहर का निर्माण, बैराज का निर्माण 1960 में हुआ था। माननीय, 1982 में सबसे पहले यहां पर जल का प्रवाह प्रारम्भ हुआ था। 1982 से लेकर 1990 तक किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर पानी के भराव की थी नहीं और यदि होती तो मैं थोड़ा सा

(श्री अर्जुनदास मदान)

प्रश्न करना चाहता हूं कि कोई भी संजीदा आदमी जहां पर पानी का भराव होता है वहां पर मकान बनाने की क्या कभी सोचता? इस पर मंत्री महोदय चिन्तन करेंगे।

दूसरा, मेरा प्रश्न सबसे बड़ा यह आता है कि अगर वहां पर पानी का भराव होता और उसमें पानी इतना इकट्ठा हो गया होता तो किसी भी स्थिति में वहां का जिला प्रशासन उसका नियमन नहीं करता और नियमित करने के बाद उसके पट्टे नहीं देता और अगर पट्टे भी दे तो वहां पर मकान के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं करता। पानी था नही। पानी का निरन्तर यदि जमाव होता तो कोई भी संजीदा आदमी पानी के बीच में जाकर अपने मकानों का निर्माण करवाना चाहता यह मेरी बुद्धि से परे की बात लगती है।

तीसरा, प्रश्न यह उठता है मान्यवर, कि यदि वहां पर पानी का जमाव होता तो क्या प्रशासन कोटा, कोटा के जिलाधीश महोदय नियमन करते? यू.आई.टी. क्या पट्टे देती? यहां कहा गया है कि 257 पट्टे दे दिये। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 257 पट्टे निश्चित रुप से दे दिये गये होंगे लेकिन कुछ पट्टे अभी भी ऐसे हैं जिनके पैसे जमा हो गये हैं? किन्तु पट्टे नहीं दिये गये हैं। लगभग 257 के तो आप दे ही चुके हो, आप मानते हो।...

एक माननीय सदस्य : 257 नहीं हैं 276 हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : शायद 276 होंगे। मेरा अनुमान है कि लगभग सौ-सवा सौ लोगों के पैसे जमा हैं जिनको पट्टे नही दिये गये। 400 लोगों को पट्टे भी दे चुके हैं। कारण केवल मात्र इतना है, मान्यवर कि अपनी कमी को छिपाने के लिए विभाग धीरे-धीरे उस पानी के भराव में जो निरन्तर 20 वर्षों से बहता चला जा रहा है, पानी के भराव के नीचे मिट्टी के कण इकट्ठे हो गये, मिट्टी जमा होती चली गयी और मिट्टी जमा होने पर इतना लेवल आ गया कि उस नहर के दोनों किनारों पर छूता हुआ पानी आगे प्रवाह होता है। तो आप कल्पना कीजिये, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरी विधान सभा का क्षेत्र है, मैंने भी अपने जीवन के साढ़े पच्चीस साल, जब मैं नौकरी में था, तो उसी क्षेत्र में बिताये हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खास कर सिंचित विभाग के प्रशासन ने पूरा ध्यान नही दिया और ध्यान न देने के के कारण आज स्थिति यह हो गयी।

मान्यवर, मैं एक दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि मान लीजिये घनफुट 1962 का जो रिकार्ड है और आज 1990 का रिकार्ड होगा। अगर आपने पानी का लेवल अपर लेवल तक छोड़ दिया, आप ज्यादा छोड़ेंगे तो पानी दोनों तरफ बहेगा। घनफुट पानी पहले ज्यादा जाता था तब आप नीचे लेवल पर बहाते थे और आज इतना बहाने के बाद अगर घनफुट पानी कम जाता है तो निश्चित रुप से वह अपने आप अपरोक्ष भाषा में बोलता है कि नीचे की तह ऊपर आ गयी इसलिये आप ऊपर की तह तक का पानी ले गये और इस कारण से आज पानी का भराव, आज स्थिति इतनी दूभर है कि उन लोगों के घरों में, मकान तो बना लिये उन्होंने, रहने लग गये गरीब लोग हैं, सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ अपना थैला, अपनी छैनी, हथौड़ी लेकर मजदूरी पर जाते हैं,

(१०५)

(श्री अर्जुनदास मदान)

आज उनकी व्यवस्था यदि नहीं की गयी, जैसे यह कह दिया गया कि किसी दूसरी जगह पर बसाया जाए, मंत्री महोदय, समझ में नहीं आता कि अगर तांगा नहीं चलेगा तो क्या घोड़े को कत्ल करके चलाना चाहेंगे आप। प्रश्न यह है कि यह समस्या है और उस समस्या के निदान की वृत्ति हमको सोचनी होगी। चार सौ लोगों को आपने पट्टे दे दिये। तीन सौ लोग और बचे होंगे। कम से कम सात सौ, आठ सौ लोगों की बस्ती है। पानी निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। साल के पांच महीने वह लोग खटिया बिछाकर यदि ऊपर बैठे रहें; खाना भी बनाना हो तो किसी स्टूल या मेज के ऊपर बनाते हैं और जब आप पानी को निरन्तर अबाध गति से पूरी तेजी के साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से पानी का इतना भराव हो जाता है कि एक समस्या का कारण हो जाता है। कोई भी संजीदा सरकार, कोई भी संजीदा मंत्री, कोई भी संवेदनशील प्राणी निश्चित रूप से यह सोचेगा कि किसी का सम्मान करके अगर मुझे अपमान मिलता है, किसी का आदर करके दूसरे का निरादर होता हो, किसी की प्रतिकूलता दूसरे की अनुकूलता का कारण बनती हो तो उसके कारणों पर कौन विचार विमर्श करेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को केवल मात्र इतना सा कहना चाहता हूँ कि यदि आप सोचते हों कि दूसरी जगह पर बसायेंगे तो भी आपका इतना खर्चा निश्चित रूप से आयेगा जितना आप इसके ऊपर खर्च करना चाहते हो आज आठ सौ, हजार लोगों के घरों को आप ले कहां जाएंगे? बस्ती आप छोड़ नहीं सकते। दूसरी जगह वह जा नहीं सकते। मेरा केवल मात्र इतना निवेदन है कि पानी का भराव मात्र छः इंच से लेकर एक फुट तक मकानों के बीच में आता है और अगर आपने केवल बायीं तरफ तो किनारा बना दिया, उधर तो आपने पक्की दीवार बना दी, और उस चौराहे पर जो उस नहर की चौड़ाई लगभग तीस फीट रहती है, वहां वह डेढ़ सौ, दो सौ फीट हो गयी क्योंकि आपने पानी को तालाब में मिला दिया और तालाब को यदि आप उसकी गति को दीवार बनाकर छोटा कर दें तो तालाब की गति भी बढ़ेगी, पानी भी ज्यादा गति के साथ बढ़ेगा। इसलिए मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर थोड़ा चिन्तन कीजिये। लम्बी चौड़ी दीवार नहीं बनानी है। जो 80 लाख रुपये बताये गये, बिलकुल गलत है। पानी केवल मात्र छः इंच से लेकर एक फीट तक रोकना है ताकि लोगों के घरों में नहीं जाए। पानी का बहाव, इतना फैलाव है, इतनी गति के साथ बहता नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि लोगों की कठिनाइयों को, उनकी परेशानियों को, उनकी दुविधाओं को देखते हुए आप उनके ऊपर थोड़ा विवेकशील हों, थोड़ा चिन्तित हो और संवेदनशील होकर उस पर विचार करें और एक दीवार बना दें ताकि उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह जलदाय विभाग से सम्बन्धित है। वहां जो पट्टे दिये हुए हैं, वह यू. आई. टी. ने दिये हैं तो वहां एक बस्ती बस गयी है। समस्या बड़ी कम्प्लीकेड है। एक नहर है जिसका पानी मध्य प्रदेश को जाता है। नहर का पानी रोक नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट है उसके हिसाब से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इतना पानी तो देना पड़ेगा। इतना पानी देते हैं तो जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि उसका भराव इतना होता है कि वह ओवर फ्लो करता है। जब ओवर फ्लो करता है तब यह समस्या खड़ी होती है। तो मैंने मंत्रीजी से बातचीत की है और माननीय विधायक से मैंने बात की है। यह समस्या तो गंभीर है और निश्चित रूप से हमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो नहर की जो दीवार है वह ऊँचीं की जाए, या वह सम्भव नहीं हो, वह ज्यादा खर्चे की हो तो जो लोग उसके प्रभाव से पीड़ित हैं, उनको दूसरे स्थान पर बसाया जा सकता है। यह तो इसलिए कहा है कि यह सम्भव है तो यह भी किया जाना चाहिये और यह सम्भव नहीं है तो उस खर्चे पर अगर उससे कम खर्चा लगता है और मध्य प्रदेश से कोई विवाद खड़ा नहीं होता है तो दीवार ऊँची करनी चाहिए। फिर माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसमें पक्की दीवार की जरूरत नहीं, यदि कच्ची दीवार करेंगे तो भी काम चल जाए, मिट्टी की भी करेंगे तो काम चल जाएगा मैंने मंत्रीजी से विचार विमर्श किया है कि यदि यह सम्भव है तो इस पर भी सरकार को करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको किसी प्रकार से राहत मिले इसके लिए मंत्री महोदय के साथ में भी बैठ जऊँगा, माननीय विधायक भी बैठ जाएं और क्या उसका रास्ता निकाल सकते हैं, वह हम करना चाहेंगे। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है।

श्री सभापति : इससे बढ़िया क्या समाधान हो सकता है। विराजिये समाधान कर दिया मंत्रीजी ने कि दीवार बना देंगे, कच्ची दीवार बना देंगे। दूसरी जगह पट्टे दे देंगे। इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं बचा।

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदय, निवेदन तो सुन लीजिये। आप ही यह कह देंगे, दे देंगे। कब दे देंगे, कब तक कर देंगे? मैं तो निवेदन करूंगा कि दोनों महानुभव आप पधारें, आप भी पधारें कोटा और इसी परिस्थिति के आधार पर___

श्री सभापति : कह तो रहे हैं माननीय मंत्रीजी कि तीनों बैठकर कर लेंगे इसका समाधान।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : सभापति महोदय, भंवरलाल जी ने इससे सम्बन्धित बात बतायी और मैं इसके सार में यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि हम कम पैसे से, कच्ची मिट्टी से पानी रोक सकते हैं और भंवरलाल जी से भी मैंने बातचीत की कि किस प्रकार से इस बस्तियों को शिफ्ट करने का प्रश्न, या किस प्रकार_

श्री सभापति : मंत्रीजी, हालैण्ड ने तो सारे के सारे समुद्र का पानी रोक रखा है पूरे देश के लिए। तो रुक सकता है। कोई बात नहीं है। वह संतुष्ट है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : मैं खुद भी जाऊंगा अगले महीने और इंजीनियर्स को भेजकर मैं यह देखूंगा कि किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है और मंत्रीजी से विचार विमर्श करके निश्चित रूप से इस बस्ती में पानी नहीं आये, यह व्यवस्था हम राज्य सरकार की ओर से करेंगे।

डूंगर सारन एवं खड़लई (सागवाड़ा) आश्रम स्कूल बंद करने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भीखा भाई, सदस्य विधान सभा सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में

(106)

(श्री सभापति)

डूंगरसारण व खड़लई आश्रम स्कूल विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में समाज कल्याण राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर 8 आश्रम स्कूल संचालित किये जा रहे हैं। आश्रम विद्यालयों की स्थापना एक विशेष वैचारिक अवधारणा के आधार पर की गयी थी जिसके अनुसार आश्रम विद्यालयों में छात्रों के रहने, भोजन आदि के साथ-साथ आश्रम स्कूल परिसर में ही सम्बद्ध स्कूल में अध्ययन की व्यवस्था भी की जाती है। यही नहीं विद्यालयों में रहने वाले छात्रों को कुछ विशेष प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान होता है जिससे छात्रों में स्वावलम्बन की भावना विकसित हो सके। आश्रम विद्यालय स्थापित करने हेतु कुछ शर्तें प्रतिपादित की गयी हैं जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं :

1. जहां पर आश्रम विद्यालय खोला जाएगा उसकी तीन मील की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए।

2. आश्रम स्कूल में कम से कम 25 विद्यार्थी होंगे।

3. आश्रम विद्यालय में एक प्राथमिक विद्यालय होगा जिसका पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग या समाज कल्याण विभाग के अनुरूप होगा।

4. आश्रम विद्यालय में रहने वाले छात्रों का चयन आस-पास के गांवों से किया जाएगा।

5. आश्रम विद्यालय में केवल 7 से 9 वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

आश्रम विद्यालय के पास 5 बीघा तक की एक कृषि भूमि, कुआ, दो गाय, एक जोड़ी बैल, कृषि यंत्र आदि होंगे जिससे कृषि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिस समय आश्रम विद्यालयों की अवधारणा की गयी थी उन परिस्थितियों एवं वर्तमान परिस्थितियों में काफी अधिक परिवर्तन आ चुका है।

वर्तमान में डूंगरसारण में 6 राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा खड़लाई में 5 प्राथमिक विद्यालय तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। इतनी संख्या में राजकीय विद्यालयों के खुल जाने के कारण अधिकतर अभिभावक 7 से 9 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को पूर्णकालिक रूप से छात्रावासों जो कि आश्रम स्कूल के हिस्से होते हैं, में नहीं भेजना चाहते हैं क्यों इस उम्र के बच्चों को अपने पास रखकर ही स्कूलों में शिक्षण हेतु भेजना ज्यादा सुविधाजनक होता है। तदनुरूप 7 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र जिन्हें पूर्व में आश्रम विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था अब सीधे ही प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जैसा कि उनके द्वारा आश्रम स्कूल में प्रवेश लेने के उपरान्त भी पूर्व में किया जाता था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों आश्रम स्कूलों में वर्ष 1987-88 से ही स्कूल नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सन् 1993-94 में

(श्री मदन दिलावर)

छात्रों को प्रवेश न दिये जाने के कारण इच्छुक छात्र शिक्षण सुविधाओं से वंचित नहीं हुए हैं वह राजकीय स्कूलों में पूर्ववत् शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संदर्भित दोनों स्थानों पर, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में आश्रम स्कूलों की, अवधारणा के अनुसार चलाने में काफी अधिक प्रशासनिक कठिनइयाँ आ रही थीं एवं प्रवेश लेने के उपरान्त भी इतनी छोटी उम्र के अधिकतर बालक आश्रम स्कूलों में निवास नहीं करते थे। अतः स्थानीय स्तर पर विचार किया गया कि एक शिक्षा सत्र में छात्रों को उपरोक्त आश्रम स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाकर समस्त परिस्थितियों का आंकलन किया जाए एवं ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि आश्रम स्कूल अवधारणा अनुसार संचालित हो सकें व आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को वास्तविक एवं व्यवहारिक लाभ मिल सके। इसलिये वर्ष 1993-94 शैक्षणिक वर्ष में उक्त आश्रम स्कूलों में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, परन्तु प्रवेश न देने के बावजूद इन आश्रम स्कूलों को बन्द नहीं किया गया है एवं न ही ऐसे कोई आदेश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि शिक्षा सुविधाओं को राज्य में तीव्र गति से बढ़ाने एवं आश्रम स्कूल की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात् आदिवासी क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों के स्थापित करने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी है। आवासीय

(14.00)

विद्यालय के माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किये जाएंगे। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक एवं गैर पाठ्यक्रमीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार का यह भी विचार है कि वर्तमान में संचालित आश्रम स्कूलों की अवधारणा में बदलते हुए परिवेश के अनुरूप आवश्यक सुधार भी किये जावें।

अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आश्रम विद्यालय बन्द नहीं किये गये हैं एवं मात्र वर्तमान सत्र के लिये बालकों के प्रवेश को स्थगित किया गया है। इन आश्रम स्कूलों में प्रवेश लेने वाले व पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र पूर्व की भांति ही राजकीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं व उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर, शैक्षणिक सत्र 1994-95 से उपरोक्त आश्रम स्कूलों में बच्चों को पुनः प्रवेश देने व समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। तदनुसार इन आश्रम स्कूल में अगले सत्र से छात्रों को प्रवेश देकर शिक्षण का बेहतर प्रबन्ध किया जाएगा। साथ ही विभाग का यह प्रयास भी रहेगा कि इन आश्रम विद्यालयों का संचालन आश्रम विद्यालय की अवधारणा के अनुरूप हो, जिससे अधिक से अधिक आदिवासी बच्चों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने यह जो स्टेटमेंट पढ़ा, वह स्टेटमेंट इस प्रकार का है कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है। It has got no meaning at all and I request that

(108)

(श्री भीखाभाई)

this letter should be circulated to all the Hon'ble members of the House so that they may understand what is what.

श्री रामनारायण चौधरी : क्या गड़बड़ की है बताओ।

श्री भीखाभाई : इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। उन्होंने लिखा है कि पुरानी अवधारणा। कौनसी अवधारणा? कब थी अवधारणा? यह अवधारणा कब पैदा हुई थी, माननीय मंत्री महोदय, और यह स्कूल कब स्थापित हुऐ थे 7 स्कूल, 8 स्कूल जो बताए हैं? कौन-कौन से सन् में हुए उसकी तारीख आप बता दीजिये और इसके पीछे क्या भावना थी? नम्बर एक।

नम्बर दो आज की आधुनिक अवधारणा में जो आवासीय स्कूल खोलने जा रहे हैं उसमें आपने दो जगह आवासीय स्कूल खोलने की बात कही है तो कहां आवासीय स्कूल खोलेंगे? तीसरी बात जो मैंने कही है, मैं कभी पूछता ही नहीं यह सवाल, न पूछने की हिम्मत रखता हूँ, न इच्छा ही रखता हूँ लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने इसके पीछे जो लिखा है। उसका तो अभी लिखा है नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ ब्यौरा क्या है। यह वह भूमि है, वह वनस्थली है जिसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसके अन्दर सन् 1932 से लेकर के 1935-36 तक राष्ट्रीय स्तर के स्वतन्त्रता सेनानी, माणिक्य लाल जी. वर्मा और उसके बाद में दुर्गा प्रसाद चौधरी, उसके बाद रामनारायण चौधरी और उसके बाद भोगीलाल पण्ड्या और उसके बाद में शोभालालजी गुप्ता, जो सहायक सम्पादक थे हिन्दुस्तान के, बैठे हैं। तीस साल तक तपस्या की हैं वहां। वह राजनैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, सामाजिक चेतना के स्तम्भ रहे उस भूमि पर मैंने कालेड़ा में होस्टल स्थापित किया था सन् 58 के दशक में वह 30 के दशक में वहां बैठे हुऐ थे आज से 60 साल पहले। उन्होंने तपस्या की, इस तपस्या के कारण से मुझे सवाल पूछना पड़ा। बाकी आपके ऐसे आश्रम स्कूलों के बारे में मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। यह पुराने आश्रम स्कूल हैं। 1987-88 में क्यों बंद हुआ? फिर 1988 के बाद में अभी 1992-93 में आपने प्रावधान किया फिर प्रतिबन्ध क्यों रहा? यह कोई नीचे लेवल की बात है या ऊपर लेवल की बात है या वैचारिक मतभेद की बात है? समाज कल्याण और ट्राइबल सब प्लान के मंत्री के बीच की बात है। आखिर में यह अन्याय क्यों हुआ? गरीबों का पैसा क्यों लैप्स हो जाए? अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि कितना, करोड़ों रुपया, जो है, लैप्स हो गया आदिवासियों का। तो यह क्यों हुआ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह महान् पुरुष जो रहे वहां पर पांच-पांच साल तपस्या करके बैठे, उनकी स्मृति में कोई अच्छा सा काम हो, बढ़िया काम हो, नवोदय विद्यालय हो, कोई आवासीय स्कूल हो या कोई ऐसा बड़ा आश्रम स्कूल हो जिसके अन्दर यह काम हो सके। ऐसा मेरा निवेदन था। वहां आप कुछ खोलें। इसे पढ़कर मुझे लगा, कुछ भी नहीं है। यह तो एक ऐसा जवाब है जिसके दो मीनिंग हैं। कुछ भी मीनिंग नहीं है। 1987-88 में बंद किये हैं आपने। इसके बाद में जोर लगाया दो साल

(श्री भीखाभाई)

तक 64 आदिवासी विधायकों ने, राज्यपाल के सामने गये कमिश्नर साहब के पास गये, दूसरे स्थानों पर जाकर कहा। और यह ही बंद नहीं हुआ है अभी तो, लड़कियों का स्कूल जो मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सेज ट्रेनिंग का था वह भी बंद कर दिया दो साल से। यह दो-दो साल से बंद करने का कारण क्या है? इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा कोई रिप्रजेंटेशन नहीं है, हमारी कोई वोइस नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं है और कोई आदिवासियों को लाभ पहुँचाने वाली बात नहीं है। आपने बात कही थी, अभी एक विधायक बोले, वह खनिज के बारे में बोले थे उस प्रकार की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब जगह पर उपेक्षा है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा था कि सब जगह उपेक्षा ही उपेक्षा है आदिवासियों की। हमारे नेतृत्व की कमी हो गयी है और कमी होने के कारण साथ-साथ बोलने वाले लोग नहीं हैं हमारे सम्भाग के स्तम्भ थे जो, मोहन लाल सुखाड़िया, वह आज नहीं रहे, माणिक्यलाल जी वर्मा नहीं रहे। हमारे हरिदेवजी जोशी इस वक्त हाउस में मौजूद नहीं हैं। इस कारण हमारे नेतृत्व को, उदयपुर के नेतृत्व को कमजोर करके सारे उदयुपर में जितना ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर कार्यक्रम हैं उस सारे को विकृत कर दिया गया है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्पष्ट जवाब दीजिये।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इस वात से तो सहमत हूँ कि आदिवासी बालकों को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिये। निश्चित रूप से मिलनी चाहिये और आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले बालकों का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिये। परन्तु इसमें मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां हमारी घोर उपेक्षा की है, नेतृत्व नहीं रहा है और यह सरकार आदिवासियों को पता नहीं क्या करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, जिन दो आश्रम स्कूलों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे डूंगरसारण और खड़लाई क्यों लम्बित किये हैं एक वर्ष के लिये, उसका मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता था इस सदन में लेकिन जब माननीय सदस्य ने इतनी जोर से यह बात कही है तो मुझे कहना आवश्यक हो गया है। इस आश्रम स्कूल में सन् 87-88 से स्कूल नहीं चल रहा है। आज तक स्कूल नहीं चल रहा है सन् 87-88 से माननीय सभापति महोदय, आश्रम स्कूल का तात्पर्य यह होता है कि स्कूल उस जगह चले और बालकों के आवास की व्यवस्था भी वहीं हो। और इसलिए नहीं चल रहे हैं कि इन दोनों छात्रावासों के जो क्षेत्र हैं यह एक रेवेन्यू विलेज है और रेवेन्यू विलेज के आठ किलोमीटर के रेडियस में गांव हैं, छोटी-छोटी ढाणियाँ बनी हुई हैं उन ढाणियों में पाँच-पांच, छह- छह प्राथमिक विद्यालय और एक-एक प्राथमिक विद्यालय खुल गये हैं। हम इन आश्रम स्कूलों में सात से नौ वर्ष के बालकों को अध्ययन करने के लिए रखते थे। छोटे बालक इन स्कूलों में आते नहीं थे। नाम तो लिख दिये जाते थे, आते नहीं थे। भोजन एक टाइम करते थे और वह चले जाते थे। जब स्कूल नहीं चल

(110)

(श्री मदन दिलावर)

रहा और उसका नाम आश्रम स्कूल है तो उसको केवल छात्रावास की भांति चलाने का प्रयास किया जा रहा था। केवल चालीस पचास बच्चों की जगह 8-10 बालक वहां रहते। रहते भी एक टाइम, एक टाइम भोजन करके वह चले जाते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कि क्या....

श्री रामनारायण चौधरी : यह किस आधार पर बोल रहे हैं? चले जाते हैं, यह आप किस आधार पर बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : मैं आधार पर कह रहा हूँ, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास वहां के समाज कल्याण अधिकारी की जांच रिपोर्ट है, मेरे पास जोइंट डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट है, मेरे पास_

श्री रामनारायण चौधरी : वह पढ़िए जांच रिपोर्ट।

श्री मदन दिलावर : मैं पढूंगा, आप रुक जाएं। मैं एक-एक पढूंगा। मेरे पास वहाँ के गांव वालों का लिखा हुआ एक आवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र का जो विकास में पैसा लगने वाला था उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह मांग की, माननीय सभापति महोदय, कि क्यों न इन आश्रम स्कूलों को आप छात्रावास में बदल दें ताकि कक्षा एक से आठ तक के बालक इसमें छात्रावास की सुविधा लेते रहें। इस प्रकार की मांग वहां के लोगों ने की है और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके राजस्थान सरकार यह चाहती है कि उनको बदल दिया जाए ताकि कक्षा एक से आठ तक के पढ़ने वाले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। यदि माननीय सभापति महोदय यह चाहते हैं कि वह पत्र पढ़ना है_

श्री सभापति : आवश्यक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : आवश्यक नहीं है?

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, जहाँ पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार हो रहा हो आश्रम स्कूल की जगह केवल छात्रावास चलाने का प्रयास किया जा रहा हो और छात्रावास भी नहीं चल रहा है और स्कूल का पैसा ऐसे का ऐसा ही उठाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, सन् 87 से आज तक पैसा उठता रहा है। तो क्या हमारे यहां आने के बावजूद भी वह पैसा उठता रहे। मेरा इस प्रकार का सोच है कि आदिवासियों के विकास के लिये लगने वाले पैसे का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं हो। मैं इस सदन को कह देना चाहता हूँ कि आज आदिवासी क्षेत्र उपेक्षित है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उनके उत्थान के लिये सरकार ठीक प्रकार से सोच रही है और यह पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा माननीय सभापति महोदय, यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भीखाभाई : I have asked one supplementary. I have got right to ask another supplementary. माननीय मंत्री जी ने जो कुछ जवाब दिया है उसमें कुछ तथ्य हो सकते हैं लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आश्रम स्कूल की स्थापना क्यों की गयी?

(श्री भीखाभाई)

आश्रम स्कूल का मतलब है, सुसंस्कार। यह आश्रम स्कूल तीस साल पहले से चल रहे हैं गुजरात के पेटर्न पर, उड़ीसा के पेटर्न पर, मध्यप्रदेश के पेटर्न पर। जो आदिवासी लोग 50 साल पहले नहाना-धोना नहीं जानते थे उनके लिए इस प्रकार के आश्रम स्कूल खोले जा रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, परिस्थितियाँ बदल गयी। इस बीच में गंगा में बहुत पानी वह गया। वह कह रहे हैं कि एक से आठवीं क्लास तक के बच्चों के लिए छात्रावास के तरीके से चलाना चाहते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर इसको निलम्बित क्यों कर रहे हैं? इनको कन्वर्ट कर दो।

श्री सभापति : आप सुने। आसपास के क्षेत्र में बहुत स्कूल खुल गये हैं। इसलिए वहां बच्चे नहीं जाते। इसलिए वह छात्रावास बनाना चाहते हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं वहां। माननीय ताम्वी जी, आप बिराजें।

श्री भीखाभाई : आदिवासी आश्रम स्कूल आठ हैं। आठ में क्या व्यवस्था होगी यह जवाब दे दें। आश्रम स्कूल तीन स्तर के हैं। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और कालेज स्तर के आश्रम बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में सब जगह बने हुए हैं। यहां भी एक दो जगह हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने केवल मात्र डूंगरसारण और खड़लाई के वारे में ध्यानाकर्षण दिया है। उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। माननीय मंत्री जी से आप मिल लें, आपको सन्तुष्ट कर देंगे। चर्चा समाप्त हुई।

माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल, (ऊर्जा मंत्री) राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा जोखा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 तथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भीखाभाई : कमिटमेन्ट दिलवा दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी से मिल लें, वह आपको सन्तुष्ट कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, दोनों आश्रम स्कूल बन्द कर दिये और आप कहते हैं कि सन्तुष्ट कर देंगे।

श्री सभापति : उन्होंने घोषणा यह की है कि वहां पर एक से लेकर आठवीं तक के स्कूल के छात्रावास चलाने का प्रयास करेंगे। एक से आठवीं तक के बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे केवल मात्र घोषणा कर देने से तो काम नहीं चलेगा। तो प्रयास करेंगे वह।

श्री रामनारायण चौधरी : आप घोषणा करवा दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? माननीय चौधरी साहब, फिर दुबारा ध्यान से सुने। उन्होंने यह कहा है कि क्योंकि पास में कई प्राइमरी स्कूल खुल गये है...

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो बहाना है। पास में छोटी-छोटी ढाणियां हैं वहां पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्राइमरी स्कूल खुल गये यह तो सब बहाना है। यह तो आदिवासियों के अधिकारों पर और उनकी शिक्षा पर सीधा कुठाराघात है। उनके दो आश्रम स्कूल चल रहे थे और अनादि काल से चल रहे थे उनको बन्द कर दिया। आप क्यों नहीं उनको अपग्रेड करके हायर सैकण्डरी स्कूल बना देते हैं? आपका आदर्श कदम तो यह होता कि यह आउट डेटेड हो गये थे और लड़के नहीं आ रहे थे तो आज की नीड और नेसेसिटी के मुताबिक उनको क्रमोन्नत कर देते। दूसरी जगह भी तो चल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो ज्यादती की है। अन्याय किया है। सात वर्ष से बच्चे आ नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीरसिंह जी कौशल। (व्यवधान) मंत्री जी, आप कुछ कह रहे है?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के विकास के लिये संस्कारिक, बौद्धिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिये सरकार वचनबद्ध है इसलिए इस वित्तीय वर्ष में दो ऐसे आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं जिनकी स्ट्रेन्थ 400 बालकों की होगी। विद्यालय 400 बालकों के लिये होगा और मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, क्षेत्र हैं जैसे बारां है एक तो वहां खोला जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र अध्ययन करेंगे, माननीय सभापति महोदय, दूसरा टोंक में खोला जा रहा है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उसको कालेज स्तर का बना दिया जाए तो, माननीय सभापति महोदय, जहां के लिये आश्रम स्कूल खोले गये थे सन् 87 से जो आश्रम स्कूल नहीं रहे हैं वहां तो आठवीं तक का और विद्यालय है और हम यह विचार कर रहे हैं कि यदि वहां पर्याप्त संख्या में बालक मिले, ठीक तरह की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से उसको छात्रावास में तब्दील किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : पूर्ण आश्वासन तो दे दिया है, माननीय सदस्य। कुछ चर्चा नहीं रही।

श्री रघुवीर सिंह जी कौशल।

मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन। राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा-जोखा 1989-90 एवं 1990-91 तथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90.

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लेखे (1989-90), (1990-91) एवं वार्षिक (1989-90) प्रतिवेदन

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, यह इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है आपके माध्यम से, क्या इस सदन को इस तरह से फारग्रान्टेड लिया जाऐगा कि आप यह देखिये कि 89-90 का प्रतिवेदन मंत्री जी पेश करने जा रहे हैं——

श्री सभापति : कई बार आपके आब्जेक्शन्स आ चुके हैं और कई बार इस मामले में क्षमा प्रार्थना हो गयी। बात वहीं की वहीं है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, इसमें मामला यह है कि जैसे मान लो मंत्री महोदय आज रख रहे हैं धारा 75 के अन्तर्गत 89-90 की उपलब्धियां और अगले साल क्या करने जा रहे हैं वह इसमें अंकित होगा और उसमें आप धारा 75 का हवाला दे रहे हैं। उसमें यह व्यवस्था है कि इस प्रतिवेदन में यह होगा। अगली साल में क्या करना चाह रहे हैं वह इसमें कवर होगा। यह अब कैसे कवर होगा? इसको रखने का क्या अर्थ हुआ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री हरजी राम बुरडक : यह प्रोविजन है।

श्री सभापति : यह बात पहले भी आ चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो बड़ा मेंडेटरी है।

श्री हरजीराम बुरडक : बात आ चुकी है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। यह प्रतिवदेन जो रखेंगे, ठीक है रखना चाहिये लेकिन इस साल की गतिविधियाँ और अगले साल में क्या करना चाहते हैं यह आना चाहिये। दूसरा, धारा 75 में जो प्रतिवेदन रख रहे हैं उसके पहले इसकी धारा 61 का रखना चाहिये। इसमें स्पष्ट यही प्रोविजन है। पिछली बार मैंने हाउस में यह मामला उठाया था, धारा 61 में साफ लिखा है : Annual Financial Statement : In February of each year the Board shall submit to the state Govt. statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue expenditure of the ensuing year. The said statement shall include a statement of the salaries for members of officials. The State Govt. shall, as soon as may be, after the receipt of the said statement, lay on the table of the House. आगे इसमें लिखा है कि इस पर डिस्कशन होगा। बोर्ड का जो अगली साल का प्रोग्राम है उस पर विधायक सुझाव देंगे, उस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : रखेंगे तब विचार होगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी को रखने तो दीजिये। फिर प्रश्न हो तो पूछ लेना।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं रख भी देता हूँ और जवाब भी दे देता हूँ जवाब दूंगा तब सवाल कर लीजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं मेरी बात एक सैकण्ड में ही पूरी करता हूँ। यह स्टेटमेंट रखने का मतलब यह है कि अगली साल आप क्या करना चाहते हैं_

श्री सभापति : यह आपने बता दिया। मंत्री जी को सुनें तो सही।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री जी इसमें क्या सुनायेंगे ?

श्री सभापति : सदन की मेज पर रख रहे हैं वह उनको रखने दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : रखने का अर्थ क्या हुआ? अगली साल के प्रोग्राम का विचार करेंगे तो क्या......

(115)

श्री सभापति : वे बता देंगे कि वे क्या कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : 1990 का अगली साल में गिना जाएगा क्या ?

श्री सभापति : नहीं रखें क्या इसको ? यह स्टेच्युटरी प्रोविजन है, रख रहे हैं। आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना आप इसके बाद में।

श्री हरजीराम बुरड़क : 1990 का अगली साल में माना जाएगा क्या, यह बताओ आप।

श्री विष्णु मोदी : बात यह नहीं है कि नहीं रखें, बात यह है कि इस हाउस को "फार ग्राण्टेड" नहीं लिया जाना चाहिये। यह 1989-90 का प्रतिवेदन है जब कि अगले साल की बात उसमें आनी चाहिये, डिस्कस होना चाहिये। जहां तक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल है, यह 6955.85 लाख के घाटे में चल रहा है।

श्री सभापति : माननीय मोदी जी, आप विराजिये। यह प्रश्न बहुत दफा आ चुका है, सदन के नेता जी ने बताया है। बराबर लम्बे 40 वर्षों से चल रहा है। इसमें प्रयास किया जा रहा है अपडेटिंग का। सभी प्रयास कर रहे हैं। आप माननीय मंत्री जी को सुनिये.. (व्यवधान).. बिराजिये अब आप।

श्री विष्णु मोदी : आपके माध्यम से हम तो चाहते हैं..

श्री सभापति : पहले मंत्रीजी को सुनिये, समझायेंगे आपको।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति जी, मंत्रीजी जवाब दें उससे पहले का प्रश्न करूंगा।

श्री सभापति : आप पहले बिराजेंगे। मैं घोषणा कर चुका, सदन की मेज पर रखेंगे इसको।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति जी, सदस्यों के हितों की रक्षा आपको करनी है।

श्री सभापति : आप जरूर पूछियेगा, मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं पूछना चाहता था ताकि मंत्री जी जवाब दे दें। 1989-90 का तो आप कर रहे हैं, हम चर्चा जिस डाकूमेंट पर कर सकते हैं उस डाकूमेंट को कब तक सदन के पटल पर रख देंगे ?

श्री सभापति : वे कह चुके, अब जोर से बोलने से दूसरा अर्थ निकलेगा क्या ? माननीय हरजीराम जी बुरडक कह चुके हैं उस बात को। सुन लीजिये अब आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1989-90 और 1990-91 सदन की मेज पर रखता हूँ।

सभापति महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवदेन 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूँ।

यह वह है जब विधान सभा भंग थी और प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके वाद अगले साल 1991-92 का चूंकि विधान सभा नहीं थी इसलिए पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

माननीय बुरडक जी ने जो बजट अनुमान के लिए कहा है, 1993-94 का पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया गया। 1994-95 में विलम्ब हुआ है, जहां तक मैं समझता हूँ कल या परसों में वह प्रस्तुत कर दिया जाएगा। परसों जब डिस्कशन उस पर होगा, उस पर चर्चा का अवसर मिलेगा। मैं, माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ध्यान आकर्षित किया। सचमुच कई रिपोर्टस में विलम्ब हो रहा है। मैंने बोर्ड को हिदायत दी है, मैं पिछले 15-20 दिन से लगातार पीछे पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मामला काफी लम्बा-चौड़ा है। आंकड़े आने में विलम्ब हो रहा है इसलिए विलम्ब हुआ है। यह विलम्ब न हो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और उनको हिदायत दी गयी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो यह बिजनेस था नहीं, अब आपने यह तय तो कर लिया है कि परसों आप डिस्कस करोगे विद्युत बोर्ड की रिपोर्ट पर ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बीएसी की मीटिंग होकर तय हो जाएगा तो कर लेंगे।

विद्यायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1994

श्री सभापति : माननीय श्री अनंग कुमार जैन, वित्त राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री वित्त) : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, इसमें नाम तो लिख रखा है श्री भैरोंसिंह शेखावत प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी आज्ञा से कह दिया न उन्होंने।

श्री सभापति : उन्होंने अनुमति ले ली है।

श्री रामनारायण चौधरी : किस से, आपसे ली है ?

श्री सभापति : हां, आसन से ली है। अभी ली है इन्होंने। मैंने इसीलिए तो उनका नाम पुकारा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी ने अध्यक्ष जी को यह सूचना दी है क्या ?

श्री सभापति : लिखित में आवश्यक नहीं है। यहां पर हिदायत दे दी जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : ये कैसे ले सकते हैं ? इनको कोई अधिकार नहीं है। आज का बिजनेस श्री भैरोसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री जी के नाम से बुक है।

श्री सभापति : ये वित्त राज्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री इनको_

श्री रामनारायण चौधरी : वित्त राज्य मंत्री हैं, मुझे मालूम है। जिसके नाम से बिजनेस होता है वह रखता है यह व्यवस्था हो चुकी है। एक बार नहीं अनेक बार हो चुकी है। स्वयं माननीय भैरोंसिंह जी की आपत्ति के ऊपर।

(14.23)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने मेरे से अनुमति ले ली है।

श्री रामनारायण चौधरी, आप अपना भाषण शुरू करिये एप्रोप्रियेशन बिल पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : एप्रोप्रियेशन बिल पहले इधर से शुरू होता है, नियम यही है। मांग पर वे शूरू करते हैं और एप्रोप्रियेशन बिल पर हम।

श्री रामनारायण चौधरी : आप राज भी कर रहे हो और बोल भी आप लोगे, यह कैसे होगा? बोलना हो तो इधर आइये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, खर्च करने का अधिकार विधेयक द्वारा सदन से सरकार चाहती है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि इन चार महीनों में, मैं पहले के ढाई-पौने तीन साल की बात नहीं करता, कोई इस प्रकार की रूपरेखा राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत नहीं की जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के शासन ने, प्रशासन ने राजस्थान के विकास के लिये कोई संकल्प लिया है, कोई इरादा बनाया है कि राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को, भाई-भतीजावाद को और धांधली को रोकेंगे, उस पर कोई रोक लगाऐंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी 3-4 रोज पहले राजस्थान के विधि मंत्री जी बता रहे थे कि जोधपुर के अन्दर 43 हजार मुकदमे लम्बित हैं और राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच में 50 हजार से ऊपर लम्बित हैं। नीचे की अदालत में, सैशन कोर्ट में, उनके नीचे की अदालतों में, रेवन्यू कोर्ट्स में, रेवेन्यू बोर्ड में, तहसील और एस.डी.ओ. कोर्ट्स में कितने ही मुकदमे लम्बित है। कितने मुकदमे कितने सालों से चल रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी है तो उनको निपटाने के लिए राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा है। राज, मान्यवर, अकेले विकास से ही नहीं होता। विकास की बातें, पढ़ाई की बातें, शिक्षा की बातें आप करते चले जाएंगे और इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे कि राजस्थान की गरीब जनता को, राजस्थान के श्रमजीवी लोगों को, राजस्थान के किसानों और मजदूरों को इन्साफ मिले तो वह विकास और वह शिक्षा किसी काम की नहीं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी के प्रतिनिधि से यह जानना चाहता हूँ कि आपने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की? कोई व्यवस्था आपने न पहले बतायी और न आपने यह विधेयक पेश करते समय कोई खुलासा किया है। मैं तो आपके द्वारा यह चाहता हूँ, मान्यवर, कि राजस्थान के गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिले, अदालतों में जो मुकदमे बरसों बरस से पड़े हुए हैं उनका फैसला हो। आप तो स्वयं कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से गरीब आदमी अदालतों के अन्दर पिसता रहता है। अदालतों के अन्दर उसके कोई फैसले नहीं होते। सरकार का सीधा उत्तर

(श्री रामनारायण चौधरी)

है कि अदालतों में विचाराधीन हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते फिर कौन करेगा? मैं मानता हूं कि सरकार, जुडीशियरी और लेजिस्लेचर अलग-अलग विंग्स हैं, उनके अलग-अलग अधिकार हैं। इन सबके बावजूद सरकार एक ऐसी एजेंसी है, सरकार वह आर्गेनाइजेशन है जो आम जनता और गरीब, सब लोगों को देखकर इस प्रकार का कानून बनाती है ताकि गरीब लोगों को उससे मदद मिले और लोग खुशहाली से रह सकें, आगे बढ़ सकें। इस सम्बन्ध में इन चार महीनों के अन्दर कुछ भी नहीं किया गया है।

बजट जो हमारे सामने पेश हुआ है,मान्यवर वह 400 करोड़ घाटे का है। 400 करोड़ के अन्दर मुख्य मंत्री जी उत्तर में कह रहे थे कि यह तो मैंने जान बूझकर रखा है, इसका खुलासा मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं खर्च में मितव्ययता करुंगा और टैक्सेज की वसूली के अन्दर रियाइजेशन में सख्ती करुंगा, सर्तकता करूँगा और उस वसूली के अभियान से मैं आमदनी बढाऊँगा। यह नहीं होगा, मान्यवर। होगा यह कि खर्चा 400 करोड़ का कम करेंगे और इसकी सबसे बडी गाज एजूकेशन पर गिरेगी । मान्यवर, आज अरबों रुपये के बजट की इस विधेयक के द्वारा हम स्वीकृति दे रहे है। उसमें जो स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं वह सब दिसम्बर में खुलेंगे और जुलाई से लेकर दिसम्बर तक का सारा बजट काम में नहीं आयेगा और स्कूलें खाली पड़ी रहेंगी, अध्यापक लगायेंगे नहीं। कुछ मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी बना देंगे सैकण्डरी को सीनियर सैकण्डरी बना देंगे और सीनियर सैकण्डरी को कालेज बना देंगे। स्टाफ उसके अन्दर देंगे नहीं होगी। वाह- वाह हो जाएगी, लड़कों की पढ़ाई नहीं होगी। आज ही मान्यवर, आपके माध्यम से सूचना मिली कि झुन्झुनू जिले के अन्दर सैंकड़ों अध्यापकों के स्थान खाली पड़े हैं। सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं, हैडमास्टर नहीं है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं, अध्यापक, अध्यापिकाएं नहीं है, हैडमास्टर, हैडमिस्ट्रेस नहीं हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वह इस बात के लिये हैं, मान्यवर, कि किस प्रकार से खर्चे को बचाया जाए और खर्चा बचा कर के बजट घाटे की पूर्ति की जाए। सरकार का यह दृष्टिकोण इसमें रहता है, प्रचार अधिक हो जाए, काम कम हो। लेकिन यह, अध्यक्ष महोदय, उसूल नहीं है, कुसूल है। लोगों के साथ में सीधी धोखा-धड़ी है, लोगों के साथ में प्रवंचना है ; लोगों के साथ में सीधा विश्वासघात है। कहते कुछ हैं, होता कुछ है। तो सरकार से मैं यह चाहता हूं कि आप जो कहें वैसा करें। मान्यवर, शिक्षा के बाद में गृह विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय होम मिनिस्टर साहब की व्यक्तिशः मैं इज्जत करता हूं लेकिन जिस आर्गेनाइजेशन का वह संचालन करते हैं, आज ही आपके सामने प्रश्न आया था, एक प्रश्न नहीं अनेक थे, जगह-जगह पर, मान्यवर, लोगों की आस्थाएं प्रशासन पर से, सरकार पर से उठती जा रही हैं। उठने का कारण यह है कि लोगों को इन्साफ नहीं मिलता। लोगों को इन्साफ नहीं मिलता तो लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होती है। विद्रोह की भावना पैदा होती है तो अशांति फैलती है। तो जो व्यवस्था समाज

(श्री रामनारायण चौधरी)

में हम कायम करना चाहते हैं, जो अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं उसके प्रति लोगों का आकर्षण पैदा नहीं होता है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री महोदय का जो पुलिस का प्रशासन है, उसके बारे में पहले भी काफी जिक्र किया था। मैं यह नहीं कहता कि आप जांच नहीं करवायें। अन्वेषण ब्यूरो आपके अधिकार में नहीं है लेकिन वहां से जांच हो जाने के बाद सैंकड़ों उच्च अधिकारियों के मामले सरकार के विचाराधीन पड़े हुए हैं और विचाराधीन पड़े रहने का कोई कारण नहीं है। कारण यह बताते हैं कि हम उसकी जांच कर रहे हैं कि वह केस चालान के लायक है भी या नहीं है। मान्यवर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी कोई भी सरकार नहीं होती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी सरकार ने बना रखी है और वह जो इन्वेस्टीगेशन करके एक निर्णय पर पहुंच जाती है उसके बाद में सरकार से फार्मल सैंक्शन जो ली जाती है उसका तात्पर्य यही है कि जो इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी के जो रिजल्टस हैं उसके आधार पर वे कार्यवाही करें। किसी भी मंत्री को, किसी भी होम सैक्रेटरी को, किसी भी चीफ सैक्रेटरी को, किसी भी अधिकारी को इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी की जांच को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जांच से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसकी जांच दुबारा करवा लीजिये। जिस एजेन्सी से, जिस अधिकारी से आपने जांच करवायी उस पर आपका विश्वास नहीं है तो दूसरे सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी से उसकी जांच करवा लीजिये और जो रिजल्ट आयें उसके आधार पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये। सैंकड़ों मुकदमें उच्च अधिकारियों के आज इसलिए पड़े हुए हैं कि उनकी सैंक्शन सरकार की तरफ से जारी नहीं हो रही है।

मान्यवर, झुन्झनू जिले में साढ़े 6 सौ गांवों में अकाल है और अकाल के अन्दर पीने के पानी की, लोगों की मजदूरी की समस्या है। आये वर्ष अकाल पड़ते हैं। चूरु जिले से, मान्यवर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,जैसी स्थिति आपके यहां अकाल की है, वैसी की वैसी स्थिति हमारे झुन्झनू जिले में है और मेरे क्षेत्र, जहां से मैं आता हूं, तो पीने के पानी की भी वही हालत है जो रतनगढ़ में, चूरु में, सरदारशहर में और डूंगरपुर में हैं, जो खारे पानी के गांव हैं। ऐसी की ऐसी स्थिति मेरे यहां भी है। होली के दिन और होली के दूसरे दिन धुलंडी थी। उस दिन, मान्यवर, लोगों को पीने का पानी, रात को भोजन बनाने के लिए पानी नहीं मिलसका रीजनल स्कीम चल रही थी उनका पानी गांवों के अन्दर नहीं पहुंच सका क्योंकि जो काम करने वाले आदमी थे, जो इंजीनियर थे, टैक्नीशियन थे, इलेक्ट्रिशियन थे वह सब होली की वजह से अपने-अपने घर चले गये और गांव वालों की जो पानी की योजना थी उससे सप्लाई ठप्प हो गयी। मान्यवर, यही स्थिति जयपुर की थी। जयपुर सिटी के अन्दर ही लोग ज्यादा आवाज उठाते हैं क्योंकि मानस यह बन गया कि जयपुर की चारदीवारी के भीतर जो चार फीट की महिलाएं और साढ़े चार फीट के जवान रहते हैं वही जयपुर है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जयपुर किसी जमाने में 50 हजार की जनसंख्या में बढ़ा था, और फिर एक लाख पर पहुंचा। आज परकोटे के भीतर लाख, दो लाख होंगे, चार लाख होंगे, 25 लाख आदमी आज जयपुर में हैं, मान्यवर, और जिस बस्ती में मैं रहता हूं, मानसरोवर स्कीम जो हिन्दुस्तान की ही नहीं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

एशिया की एक आवासीय योजना है कि इतनी बड़ीसंसार में, एशिया में कहीं नहीं है। 50 हजार मकान जहां बने हैं और बन रहे हैं, मान्यवर, वहां नीचे के मकानों में ही पानी सप्लाई नहीं होता। 4-4 मंजिल के, 3-3 मजिलों के मकान बने हैं वहां तो एक-एक बूंद भी नहीं पहुंचती। मान्यवर, आप अन्दाज लगाइये कि 3 मंजिलें मकान हैं उसमें किस तरह की आबादी होगी। महिलाएं भी हैं, वृद्ध पुरुष भी हैं। त्यौहार के दिन कहां से तो पानी लायें, कैसे उपर चढ़े। तो यह हालत दोनों दिन, होली के दिन और होली के दूसरे दिन थी। यह स्थिति उस जगह पर है जहां पर में रहता हूं और यही स्थिति मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की आप व्यवस्था करें। अनेक घोषणाएं करते जा रहे हैं लेकिन व्यवस्था एक भी सुचारु रूप से काबू में नहीं आ रही है। न बिजली की आ रही है। गांवों के अन्दर, मान्यवर, बिजली की कटौती हुई। 5 बजे से लेकर रात के साढ़े 10 बजे रात तक झुन्झनू जिले के अन्दर किसी भी गांव में बिजली नहीं आती है, 800 गांव हैं उनमें से किसी भी गांव के अन्दर बिजली नहीं पहुंचती। किसानों के बच्चों के पास में दूसराकोई साधन नहीं है। केरोसीन तेल मिलता नहीं और मिले तो, मान्यवर, भयंकर त्रासदी हुई। इस कोटा की भयंकर त्रासदी के बाद कैरोसीन तेल को उपयोग करने में लोग डरने लग गये। लालटेन वहां है नहीं, चिमनियां खत्म हो गयीं और केरोसीन तेल वहां मिलता नहीं और परीक्षा के दिन। मान्यवर, इस पिछले एक-डेढ़ महीने के अन्दर और आज वह की वह स्थिति चल रही है। मैंने मंत्री महोदय से वात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि वह व्यवस्था करेंगे। वे सीनियर हैं, मैं उनके बोनाफाइडस में कोई डाउट नहीं करता लेकिन व्यवस्था नहीं हो रही है व्यवस्था नहीं हो रही है इसका मतलब दोष सारा सरकार के ऊपर है। सरकार ही वह एजेन्सी है, जो सब जगह व्यवस्था करे। लेकिन न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, अकाल के काम खोले नहीं जा रहे हैं, खोल रहे हैं वहां पर 50 आदमी से ज्यादा लगाते नहीं। 50 आदमियों के अन्दर भी परिचय पत्र, बनते नहीं।हिदायत ऐसी लोगों को दे रखी है कि धीरे चलो और आवाज तेज लगाओ। हमारे कहावत है, मान्यवर कि धीरे चलो, आछी बीख ओर लम्बा हेला। बीख चलने को बोलते हैं। कि लम्बा हेला करो, धीरे-धीरे चलो। तो, मान्यवर अकाल, पानी और बिजली इन चीजों के लिए धीरे चलो, ओछी बीख और लम्बा हेला, यह किसी भी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

यह, मान्यवर विधेयक पर विचार है, आप कहेंगे भाषणबाजी इसलिए मैं सीधा ही आताहूं। आपकी इस मामले में व्यवस्थाएं हैं, सीधा आप प्रश्न रख सकते हैं कि इसको स्वीकार किया जाए। लेकिन चूंकि आपने परम्परा डाल रखी है। तो मैं मंत्री महोदय, मंत्रिमण्डल और मुख्य मंत्रीजी से उनके प्रतिनिधियों के मार्फत निवेदन करूँगा कि झुन्झनू जिले में बिजली की समुचित व्यवस्था करवाइ जाए, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, अकालग्रस्त गांवों के अन्दर काम जो आपने खोले हैं उनके ऊपर आदमियों की संख्या वढायें और पाइन्टस जो आपने कम खोल रखे हैं उनको वढ़ाएं, सड़कों के काम

(श्री रामनारायण चौधरी)

ज्यादा लिए जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और स्कूलें खोलने का जो आपने आश्वासन और वादा हमसे किया है कटमोशन के वक्त में मांग पारित करवाई उस वक्त में, यह तमाम स्कूलें जुलाई से खुलनी चाहिये। यह नहीं कि दिसम्बर में स्कूलें खोल दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग (संख्या 5) विधेयक पर आज यह सदन विचार कर रहा है। हमने प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के रुप में मांगों को पास कर दिया। संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार जब तक एप्रोप्रियेशन बिल सदन पास नहीं कर दे तब तक राज्यकी समेकित निधि से सरकार को एप्रोप्रियेशन करने का, पैसे निकालने का अधिकार नहीं मिलेगा। उस संवैधानिक आवश्यकताओं के लिए इस विषय पर यहां चर्चा हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा में दो महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने और सत्तारुढ़ दल के माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। मैं कोई इस मत का नहीं हूं कि 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया और 3 साल में हमने सारा काम कर दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि घाटे की अर्थ व्यवस्था पर यहां पर चर्चा हुई और राजस्थान के कर्जे के बारे में यहां पर चर्चा हुई, घाटे की अर्थ व्यवस्था की चर्चा कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में बैठ कर करती है तो घाटे की अर्थव्यवस्था की आलोचना करती है, कर्जे की आलोचना करती है और जिस समय भारतीय जनता पार्टी लोक सभा में विपक्ष में बैठती है उसमें वह घाटे की अर्थ व्यवस्था की आलोचना करती है और कर्जे की आलोचना करती है। इस सदन में अगर सबसे अधिक बजट किसी ने पेश किये हैं तो वह माननीय श्री चन्दनमल जी बैद ने प्रस्तुत किये हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिकांश बजट घाटे के थे। साथ ही, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1980-81 में जो उन्होंने बजट पेश किया था वह 348 करोड़ के घाटे का बजट था। राजस्थान में आज तक इतने बड़े घाटे का बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह माननीय श्री चन्दनमलजी बैद ही थे जिन्होंने बाजरा, ग्वार, मोंठ इन सब पर टैक्स अभी हटाया है, इन मोटे अनाज पर टैक्स लगाया था। इसी प्रकार से जब कर्जे की बात आती है तो श्री चन्दनमलजी बैद के कार्यकाल में कर्जा राजस्थान का बढ़कर दुगुना हो गया, आज भी कर्जा बढ़ा है। इसी प्रकार से हम भारत सरकार के कर्जे की आलोचना करते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा पड़ गया है कि जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो हम घाटे की अर्थ व्यवस्था की आलोचना करते हैं और कर्जे की अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं और जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठती है तो घाटे की अर्थव्यवस्था और कर्जे की अर्थव्यवस्था की आलोचना करती है। अध्यक्ष महोदय, इससे मूलभूत प्रश्न सारे राष्ट्र के सामने और प्रदेशों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के सामने उपस्थित हो गया कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बजट की सैंक्टिटी खत्म कर दी है। बजट के पूर्व हम आर्डिनेंस के द्वारा टैक्स लगादेते हैं औ बजट को हम इस प्रकार से पापुलराइज करके पेश करते हैं कि बजट में कुछ नजर नहीं आता है। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाये हैं, अन्य राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार के कदम उठाए हैं और उठा रही है तो क्या हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सारी राजनैतिक पार्टियां मिल कर ऐसा नहीं कर सकती हैं, जिससे घाटे और कर्जे की व्यवस्था को सीमित किया जासके। जनता आज इन सब बातों को समझती है।जिस समय भारतीय जनता पार्टी कर्जे की आलोचना करती है दिल्ली की ओर जिस समय आप घाटे की आलोचना करते हैं उस समय लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंहजी ने जो घाटे का बजट पेंश किया है उसका आप स्वागत कर रहे हैं और यहां पर जो घाटे का बजट आया है इसका आप विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार एक मांग की है और इस मांग को मैं फिर दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये कि घाटे की ओर कर्जे की व्यवस्था जिससे सीमित की जा सके। उदाहरण के लिए हमने कहा है कि इसका प्रतिशत तय होना चाहिये। अमेरिका के संविधान में आज प्रतिशत तय है। भारत में यह प्रतिशत तय क्यों नहीं है? भारत सरकार का 10 हज़ार करोड़ का बजट होगा तो एक हजार करोड़ या 500 करोड़ से अधिक का घाटा नहीं होगा और राजस्थान का 88 अरब का बजट होगा तो उसमें 8 अरब से ज्यादा का घाटा नहीं होगा, इसका पर्सेण्टेज संविधान में संशोधन करके तय करना चाहिये ताकि घाटे की अर्थ व्यवस्था किसी प्रकार से सीमित कीजा सके। उसी प्रकार से कर्जा लेने की सीमा पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। आज अगर राजनैतिक कारण से कोई सरकार इतना बड़ा कर्जा एक साथ ले ले जिससे कि उसके आगे आने वाली सरकारों के लिये ब्याज़ चुकाना मुश्किल हो जाय, तो वह भी एक समस्या है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है और भारतीय जनता पार्टी सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत है कि घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में संविधान में संशोधन

(14.45)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

करके इसकी एक व्यवस्था की जानी चाहिये, एक लिमिटेशन से अधिक घाटे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये और उसी प्रकार कर्जे की व्यवस्था के बारे में भी संशोधन किया जाना चाहिये और एक लिमिट के आगे कर्जे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन की जहां तक बात है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि अर्थ व्यवस्था की वात को हम राजनीति से जकड़ते जा रहे हैं और राजनीतिक दुष्चक्र में फंसने के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था आज गड़बड़ा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के टाइम में जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और एक पापूलर नारा उन्होंने दिया। मैं उन पर कोई दोष नहीं डाल रहा हूं, हमारे ऊपर भी दोष है, जब हम चुनाव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जीत कर आये तो कर्जा माफी करने की बात कही। इसके बाद में मध्य-प्रदेश जब आगे बढ़ रहा है उसने 5 हार्सपॉवर तक का बिजली का बिल ही माफ करने की घोषणा कर दी। इसके बाद में जिन-जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उन उन राज्यों द्वारा अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं की घोषणाएं की जा रही हैं। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था और बीमा कम्पनियों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उससे कांग्रेस पार्टी खुद पीछे हट रही है।

नरसिंहराव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट सैक्टर में दी जानी चाहिये। आज इस बात की मांग उठ रही है कि अनुदान समाप्त किया जाना चाहिये। आज इस बात की मांग उठ रही है कि देश हाई कास्ट इकोनोमी की ओर जा रहा है तो जितनी लागत है, कम से कम उपभोक्ताओं से उतनी वसूल की जानी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने अर्थव्यवस्था को राजनीतिक नारों के आधार पर संचालित करने की कोशिश की। चाहे इसका परिणाम घाटे की अर्थ व्यवस्था हो, चाहे इसका परिणाम कर्जे की अर्थ व्यवस्था हो। उसका दुष्परिणाम सारे भारत को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले सब पार्टियों को मिलकर संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि कर्जे और घाटे की व्यवस्था का कुछ प्रतिशत लिमिट हो। ताकि कोई पालिटिकल पार्टी राजनैतिक कारणों से उसका उल्लंघन नहीं कर सके।...(व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की पार्टी तो डंकल प्रस्तावों को लेकर राजनैतिक आधारों पर ही तो विरोध कर रही है, जो अच्छा कदम उठायाहै सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने। ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरा कराने दीजिए पहले इनको।

श्रीमती कमला : बोल चुके ना वह तो।

श्री सभापति : नहीं, वह अभी बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : अभी और थोड़े ही बोलेंगे?

श्री घनश्याम तिवाडी : अभी तो मैंने शुरुआत की है।

श्री सभापति : बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : बैठ गए ना वह तो।

श्री सभापति : वह शिष्टाचार में बैठगये।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो भूमिका बना रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी तो मैंने शुरुआत की है, साहब।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिये। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, योजनाओं के बारे में, यहां पर बहुत डिस्कशन हुआ और सदन के सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी योजना बनी है, योजना का व्यय भी खूब बढ़ा है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया मैं उस पर बाद में आऊंगा, जो डंकल प्रस्ताव आ रहा है, ये डंकल के आने के बाद में जो प्लाण्ड इकोनोमी है, इस प्लाण्ड कलोनोमी पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा की योजनावद्ध विकास के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचारा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह पंचवर्षीय योजनाएं हैं। समय आ गया है जब सारे देश में इन पंचवर्षीय योजना के ऊपर दुबारा विचार करना चाहिये। माननीय श्री चन्दनमलजी बैद ने कहा था कि पूंजीगत खाते का पैसा रेवेन्यू खाते में भेजकर हम रेवेन्यू घाटे की पूर्ति करना चाहते हैं,यह खतरनाक प्रवृत्ति है। पूंजीगत खाते में अधिकांश जो आय होती है सरकारों को होती है वह कम से कम भारत सरकार की सहायता और कर्जे से होती है। यह सबसे बड़ा कारण है इस प्लाण्ड इकोनोमी का। इस प्लाण्ड इकोनोमी के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के समय एक जगह मैं वोट मांगने चला गया। वहाँ एक किसान ने 2-3 प्रश्न पूछे जिनका जवाब न मेरे पास है, न सरकार के पास है और न विपक्ष केपास है। वह कहते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, सैल डीड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी सरकार आ जाए उस पैसे से हमको नहीं बचा सकती है। इसी प्रकार से आर. टी.ओ. दफ्तर में जाएंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, कोई भी सरकार उस पैसे से नहीं बचा सकती है। सैल्स टैक्स के जो सारे काम हैं उनमें सैल्स टैक्स के इंस्पेक्टर और अधिकारियों को पैसे दिये बिना काम नहीं होता है, इनकम टैक्स में जाएंगे तो पैसे के बिना काम नहीं होता है। इस बात को मैं ही नहीं सारा सदन जानता है लेकिन जिस समय हम सत्ता में होंगे तब हम और जिस समय वो सत्ता में होंगे तब वो इस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यह निश्चित रुप से मानना पड़ेगा कि किसी भी दफ्तर में चले जाएं चाहे पुलिस में चले जाएं चाहे तहसील में चले जाएं, चाहे एक्साइज में चले जाएं चाहे इनकम टैक्स में चले जाएं आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। आज पटवारी से हम किसी किसान को नहीं बचा सकते। किसान का नामान्तरण का काम जो है 45 साल बाद में हम उसको बचा नहीं सकते। यह भ्रष्टाचार जो राष्ट्र जीवन की जड़ों में चारों तरफ फैल गया है, इसका कारण क्या है ? अगर एक सर्वे किया जाए जयपुर का, जयपुर के बारे में कहते हैं कि जयपुर की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, मैं कहना चाहूंगा, जयपुर में नयी बसी हुई कालोनीज का सर्वे करा लीजिये, इन नयी बसी हुई कालोनीज में चाहे एक्साइज का इंस्पेक्टर हो, चाहे सैल्स-टैक्स का इंस्पेक्टर हो, चाहे इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो, जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर या आर. टी.ओज.लोग हैं के बंगले बने हुए हैं। उनके बंगलों की चर्चा कहीं नहीं होती। यह पैसा कहां जाता है.? कहते हैं कि राजस्व का घाटा हो रहा है। यह राजस्व का घाटा इसलिए हुआ है। सब जानते हैं कि सैल्स टैक्स का असैसमेंट अगर 20,000 में आता है तो आपके अफसर 5,000 में असैसमेंट कर देंगे, 2500 रुपये आप उस अफसर को दे दीजिये। इस लीकेज का पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से जो अन्य दफ्तर हैं, उन दफ्तरों में जाऐंगे तो इस प्रकार कासाफ सिस्टमहै कि टैक्स की चोरी का सबसे बड़ा आधार व्यापारी नहीं है, टैक्स देने वाला नहीं है, टैक्स की चोरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का सबसे बड़ा आधार सरकारी मशीनरी है। सरकारी मशीनरी लीकेज कराती है और सरकारी मशीनरी के आधार पर सारा का सारा लीकेज होता है। आज घनश्याम तिवाड़ी कहीं मकान बना लेगा, चला जाएगा 20-25 साल बाद तो उसकी फोटो छप जाएगी लेकिन उसके जैसा तीन मंजिला मकान अगर पुलिस का डीवाई.एस.पी. बनालेगा तो उसकी फोटो नहीं छपेगी, उसकी चर्चा भी नहीं होगी। हमलोग आपस में खींचतान करके इसको एक स्वरुप प्रदान कर देते हैं और जो सरकारी प्रशासनिक मशीनरी है, वह प्रोटेक्ट हो गयी है। जो राज करने का साहस लीडर के पास होना चाहिये वह राज करने का साहस भी पोलिटिकल लीडर में धीरे-धीरे समाप्त होकर ब्यूरोक्रेसी में केन्द्रित होता जा रहा है। इस ब्यूरोक्रेसी को कन्ट्रोल करने का जब तक कोई काम नहीं किया जाएगा, तब तक किसी प्रकार से टैक्सेज के लीकेज को रोकना या टैक्सेज की पूरी वसूली होना सम्भव नहीं है। आज जिस प्रकार के स्टेज पर भारत की अर्थ व्यवस्था और उसके आधार पर राज्यों की अर्थ व्यवस्था पहुंचती जा रही है, इससे ऐसा लगता हैकि कई बार हम कहते थे कि "जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार" इसकी जगह आज "सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों की सरकार" है।

आज माननीय विधायक सब वैठे हैं। आज माननीय विधायकों के पास 90 प्रतिशत काम स्थानांतरण के हैं। कोइ चाहे कहे या नहीं कहे, आज राजस्थान में 4 करोड़ 40 लाख जनसंख्या में 8 लाख आदमी सरकारी सेवाओं में हैं। मंत्रियों का, वड़े अधिकारियों का अधिकांश समय भी उनके ट्रांसफर-पोस्टिंग में जाता है, तो मैं यह मांग करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान कासदन, सारे कर्मचारी संगठन और प्रशासनिक मशीनरी मिलकर स्थानान्तरण की परमानेंट पॉलिसी तय नहीं कर सकती क्या? अगर स्थानान्तरण की परमानेंट पालिसी आप भी तय नहीं कर पायेंगे, हम भी तय नहीं कर पायेंगे तो आपका और हमारा सारा समय इन सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में खर्च होता रहेगा ओर यह टैक्सेज का लीकेज कभी नहीं रुकेगा। इसलिये सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा की राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देनाचाहिये। इसको मार्केट वैल्यू असेस कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की मार्केट वैल्यू आजकल दहेज के बाजार में असेस की जासकती है। इंजीनियर के दहेज की वैल्यू क्या? कोई लड़की की शादी करेगा तो एक लाख ! आई.ए.एस. की क्या? दो लाख ! डाक्टर की क्या? तीन लाख ! (व्यवधान) कहीं पर 50 लाख और इस आधार पर तय होती है कि इसकी तनख्वाह तो 8,000 रुपये है लेकिन ऊपर की कमाई कितनी है। इसलिए समाज में जिनकी दहेज की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, आप समझिये वह सबसे ज्यादा करप्टेड डिपार्टमेंट है इस देश में। यह सारी स्थिति समाज में बनती जा रही है। इस सारी स्थिति को चेंज करने के लिए–

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : एम.एल.ए. की दहेज की वैल्यू कितनी है?

श्रीमती कमला : बेशकीमती नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वता रहा हूं। एम.एल.ए. की दहेज की वैल्यू तो ज्यादा नहीं है लेकिन एम.एल.ए. की चर्चा सदन में जयादातर दो पत्नियां या तीन पत्नियां रखने में होती है, उस मामले में एम. एल. ए. की वैल्यू ज्यादा हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकती है लेकिन दहेज के मामले में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दहेज की मार्केटवैल्यू है वह मार्केट वैल्यू करप्शन का थर्मामीटर या मापदण्ड है। सभी राजनैतिक दलों को मिलकर इस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और लीकेज को रोकने के बारे में कोशिश करनी चाहिये।

यहां सदन में बार-बार चर्चा हुई है कि राजस्व व्यय में कटौती की जानी चाहिये। राजस्व व्यय और प्रशासनिक व्यय को अलग करके देखना पड़ेगा। जो तीन साल की प्लांड इकोनोमी है, तीन साल के प्लान खतम होने के बाद में खर्चा जो प्लान का था वह सारा का सारा रेवेन्यू हैड में आ जाएगा। उनकी तन्ख्वाह देने में हम मना नहीं कर सकते। राजस्व व्यय में तो कटौती नहीं हो सकती लेकिन प्रशासनिक व्यय में कटौती की जा सकती है और हर वित्त मंत्री ने सदन में घोषणा की कि प्रशासनिक व्यय में कटौती की जायेगी। आज तक कटौती नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी को। माननीय भैरोंसिंह जी ने ललित किशोर जी चतर्वेदी की अध्यक्षता में प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति के गठन की सभी वातों पर तो मैं नहीं जानाचाहूंगा लेकिन एक तथ्य सदन के ध्यान में लानाचाहूंगा। राजस्थान सरकार के पास 8,000 कारें एवं गाड़ियांईं। एक गाड़ी पर एक माह में खर्चा 12,000 का है यानीराज्य सरकार 9 करोड़ 60 लाख रुपये प्रतिमाह उन कारों के रख-रखाव और पैट्रोल पर खर्च करती है। साल में यह खर्च 100 करोड़ रुपये होता है और इतना ही खर्चा टेलीफोन का है, इस प्रकार यह 200 करोड़ रुपये होता है। इसी प्रकार कुछ निगम या कार्पोरेशन हैं जिनमें एक्सेस भर्ती की गयी है जो पूर्णतया घाटे में हैं, जो बंद के कगार पर खड़े हैं, उन पर 60 करोड़ रुपये का खर्चा है। ये 200 करोड़ रुपये का अनाप-शनाप प्रशासनिक व्यय है, इस प्रशासनिक व्यय के बारे में माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को काम करना चाहिये और निश्चित रूप से इन खर्चों में कटौती करनी चाहिये। आज आपके पास साधन अगर नहीं हैं तो आप इन 12-12 हजार की कारों पर 200 रुपया लेते हैं प्रति माह। कोई अधिकारी 200 रुपये महीने में अगर जमा करा दे तो वह घर खर्चे में काम में ले सकता है। इस प्रकार के जो प्रशासनिक व्यय हो रहे हैं, इन प्रशासनिक व्यय में जब कटौती की नहीं जाएगी तब तक इस बात का कोइ मतलब नहीं निकलेगा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि 340 करोड़ रुपये का घाटा है, उस घाटे की पूर्ति करने के लिये प्रशासनिक व्यय में कटौती करने का प्रयत्न निश्चित रूप से राज्य सरकार को करना चाहिये।

सभापति महोदय, इस समय हम संक्रमण काल में हैं। आजादी को 46 साल हो गये और 46 साल के बाद भी हम गांवों में यह कहना चाहते हैं, मैं एक मूलभूत प्रश्न रखना चाहता हूं आज इण्डस्ट्रियल सैक्टर में कोई कनेक्शन माँगता तो उसको एक मिनट में कनेक्शन मिल जाता है, अगर और कोई कनेक्शन मांगता है तो उसको कनेक्शन मिल जाता है। क्या दुर्भाग्य है किसान का कि मार्च, 1983 के कनेक्शन उसको आज दिये जा रहे हैं। इसके लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, कांग्रेस की सरकार भी दोषी है और जो

(126)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी सरकार में रहा है, वह व्यक्ति इस बात का दोषी रहा है। उसने कभी नहीं सोचा इस बात को। इसलिए मैं कहता हूं, समय बदल रहा है, जब आप कहते हैं विश्व छोटा हो गया है, डंकल प्रस्तावआ रहा है और इलेक्ट्रोनिक युग आ गया है, आज इलेक्ट्रोनिक युग में किसान इस बात के लिये इंतजार नहीं करेगा कि आज मांगे हुए बिजली के कनेक्शन को आगे आने वाले 10 सालों बाद देंगे। आज पानी के लिए लोग इंतजार नहीं करने वाले हैं, आज सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के लिये इंतजार नहीं करने वाले हैं।

माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी जो खड़े होते हैं, मुझे उनकी एक बातयाद आती है, उनकी मजबूरी है, उन्होंने 350 करोड़ रुपये की योजना बनाईहै, उनका एक प्रश्न का जवाव था कि 2000 तक 1971 की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और अब चेंज करके 1981 कर दिया। उसके बाद जब हम जोर से मांग करेंगे ता कहेंगे कि मैं इधर-उधर से कटौती करकेउसमें कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करुंगा । तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता, चाहे किसी भी स्टेट की हो, आज जिस द्रुत गति से समाज बढ़ रहा है, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती और आपके पास साधन नहीं हैं तो मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार से एक डिपार्टमेंट मंत्रालय बनाया जानाचाहिये जो सिर्फ एक काम करेगा, प्राइवेट लीजिंग एण्ड फाइनेंसिंग कम्पनी से इस बात का समझौता करेगा, सारी दुनिया भर में जाएगा, आज लोगों को अगर सीवरेज लाइन की आवश्यकता है तो वह आपको उप्लब्ध करानी पड़ेगी, आज लोगों को बिजली की आवश्यकता है तो वह उपलब्ध करानी पड़ेगी, आज पानी की आवश्यकता है तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, अकाल का टाइम है तो अकाल की पूर्ति करनी पड़ेगी। आज सरकार से जनता की आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ गयी हैं। इतना भारी बजट होने के बार भी, इतना प्रयत्न करके 11500 करोड़ रुपये का बजट लाने के बाद भी हम उस बात को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समय आ गया है, हमको सोचना पड़ेगा।

आज मैं खेतसिंहजी से कहना चाहूंगा, उन्होंने तो 1952 से लेकर आज तक बहुत भाषण दिये हैं, लेकिन नयी पीढ़ी के सामने संकट पैदा हो गया है और यह पीढ़ी के संक्रमण का संकट है, यथास्थितिवाद को तोड़ना पड़ेगा इस बात के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। 1983 वाला किसान आज 1994 में कनेक्शन मांगता है और 1994 वाला किसान 2005 में कनेक्शन मांगेगा।

(15.00)

यह कहां का न्याय होगा? इसलिए हमको बिजली का एश्योर्ड उत्पादन करना पड़ेगा। हमको बिजली का पैसा बढ़ाना चाहिये तो बढ़ाना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर यह दुविधा उत्पन्न होती है कि जब सारे देश को हम हाई कोस्ट इकोनोमी की ओर बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार माल भाड़ा बढ़ा रही है, भारत सरकार कोयले का पैसा बढ़ा रही है, भारत सरकार ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बढ़ा रही है, भारत सरकार इसमें मिलने वाली सब्सिडी खतम कर रही है तो फिर बिजली का पैसा क्यों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं बढ़ना चाहिये ? और कांग्रेस पार्टी को बिजली का पैसा बढ़ाने का विरोध करने का कोई हक और अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खूब बढ़ाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस से कांग्रेस पार्टी को भी बाहर निकलना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर हिम्मत हो तो बढाओ। इतना बढ़ाओ कि 5 दिन में ही आपके बीटे गोल हो जाएं।

श्रीमती कमला : कर्जा माफ करने के बारे में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बोल चुका। मैं राष्ट्रीयकरण पर भी बोल चुका और कर्जा माफ करने पर भी बोल चुका। जो मुझे सही जंचती है वह बात मैंने कही है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से इसके लिए हमको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी चाहे प्राइवेट लीजिंग एण्ड फाइनेंसिंग कम्पनी से लें। आज राजस्थान नगर पालिकाओं की, पंचायतों की हालत जिस प्रकार से हैं उसको देखते हुए हमें इस तरह के नये-नये काम करने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं दो-चार बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी तो एक बात के लिये दोषी है ही, हम भी कुछ बातों के लिये दोषी हैं। जिस समय हमारे साथ के जो देश आगे बढ़े थे उन देशों की तुलना में हम पीछे रहे। दो विश्व-युद्ध में ध्वस्त होने के बाद भी जापान आज दुनिया का एक नम्बर देश हो गया। चीन पर दुनिया के सारे प्रतिबंध लागू होने के बाद भी चीन आज दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। इजरायल जो 1948 में छोटा सा प्रान्त था, प्रान्त क्या कागज पर स्याही पड़ जाए उतना सा था, 1800 साल तक बिना भूमि का राष्ट्र रहा है वह इजरायल आज हमको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रहा है। आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देश हो गये। हमारी परिसम्पत्तियां इतनी नहीं बढ़ीं जितना हमारा कर्जा बढ़ गया/ इसकी जिम्मेदारी लेने से मुकरना नहीं है और जो-जो केन्द्र में सत्तारुढ़ रहे हैं, चाहे वी.पी. सिंहजी रहे हों, चाहे मोरारजी रहे हों और चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, जिन पार्टियों की सरकार रही हों वे सारी सरकारें इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने 1952 से लेकर आज तक राज किया लेकिन इस समय जो दूसरी पीढ़ी है उस दूसरी पीढ़ी पर उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है। वह इसके लिए मना नहीं कर सकती।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, सरकार ने दो-तीन बातें कहीं। एक डंकल प्रस्ताव की सुरक्षा के लिये हमको कवच अपनाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से साफ निवेदन करना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है और हम उसके विपक्ष में अभियान चला रहे हैं। आज इसके लिए मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि इस मुद्दे पर दस्तख्त करने से पहले राष्ट्रीय बहस करायी जानी चाहिए। आज इस बात की जरुरत है कि इतने बड़े मुद्दे पर दस्तख्त कर रहे हैं तो भारत की जनता की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए ? अगर कांग्रेस पार्टी उसको सही मानती है और ठीक मानती है तो कांग्रेस पार्टी को हिम्मत करके कहना चाहिये कि हम लोक सभा के चुनाव कराते हैं और डंकल प्रस्ताव पर हम जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज बहस चल रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहस आप पार्लियामेंट में करा रहे हो। जनमत संग्रह कराइये इस पर। सभापति महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और जिस प्रकार एग्रीकल्चर पर चोट हो रही है, बिना राज्यों से पूछे एग्रीकल्चर पर समझौता करने का अधिकार भारत सरकार को प्राप्त नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी कोई नीति नहीं है। आज भूमि सम्बन्धी हमने कोई नीति घोषित नहीं की है। बढ़िया-बढ़िया जो उपजाऊ जमीन है उस जमीन पर हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है। आज ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ गया कि अगर जयपुर से 10 किलोमीटर दूर पठारी जमीन पर, ऐसी जमीन जहां पर कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता उस पर अगर आवासीय कालोनियां बनायी जाएं या इंस्टीट्यूटस बनाये जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मांग करुंगा कि राजस्थान सरकार कृषि के सम्बन्ध में नीति-पत्र जारी करे और इनके बारे में नीति बनाकर इनका निश्चित रुप से विकास किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो राज्य में बराबर उठता रहा है और जिसका राज्य सरकार ने एक सिस्टम लागू किया है, वह है ग्रीन चैनल सिस्टम। टैक्सेशन के बारे में है। यद्यपि मैं जिस पाइंट पर कह रहा था यह तो टैक्स सिस्टम के फेल्योर होने के कारण से ही है। यह कर्मचारियों और प्रशासनिक मशीनरी के भ्रष्टाचार के कारण से है। लेकिन ग्रीन चैनल सिस्टम जो राजस्थान सरकार ने टैक्स का लागू किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने जिसको लागूकिया है इस ग्रीन चैनल सिस्टम को गोल्ड लाइन मानकर सभी तरह के व्यापारियों और व्यावसायियों और टैक्स देने वालों पर लागू करना चाहिये ताकि वे अपनी मर्जी से अधिक से अधिक टैक्स दे सकें। इससे राज्य सरकार के वजट की घाटे की पूर्ति हो सकेगी।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। प्राइवेटाइजेशन को राजस्थान में द्रुत गति से लागू किया जाना चाहिये। प्राइवेटाइजेशन के बिना राज्य में काम नहीं होगा। मैं तो इस विचार का हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो पेयजल योजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा सकता है और आवश्यकता पड़े तो सड़कों को भी प्राइवेट सैक्टर में दिया जा सकता है, अन्य क्षेत्रों को भी प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिये। राज्य सरकार को इस ओर निश्चित रुप से ध्यान देकर कम से कम आवास व्यवस्था का समाधान करने के लिये प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अनुबन्धात्मक सेवाओं को लागू करके एक चेंज करना चाहिये। राजस्थान में कांट्रेक्चुअल सर्विसेज का एक्सपेरीमेंट राजस्थान सरकार को करना चाहिये। 3 साल का या 5 साल का कांट्रेक्ट करके कुछ सेवाओं में भर्ती करनी चाहिये और उनकी परफारमेंस देखकर उन सेवाओं के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिये ताकि उनकी विशेष सेवाओं के आधार पर इस मामले का निपटारा किया जाए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाडी : सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। मैं एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह मुद्दा है अन्तरराज्यीय सम्बन्धों का। राज़स्थान में जब हम उधर बैठते थे तो हमने इधर के नेताओं के भाषण सुने। जब हम इधर बैठे हैं तो उधर के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मैं 1952 से लेकर आज तक जो भी सत्ता में रहे हैं, 52 की पीढ़ी के लोग, उनसे पूछना चाहता हूँ कि राज्य की कौनसी समस्या का समाधान उन्होंने करा दिया। भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की चर्चा यहां हजार बार हुई। रोपड-हरिके और फिरोजपुर के हैड वर्क्स जो बी.एन.बी. के कब्जे मेंजाने चाहिये थे वे आज तक कब्जे में आये? क्या सतलज और रावी-व्यास का पूरा पानी राजस्थान को मिलना चाहिये था वह मिला? क्या टिहरी डेम में हमने मांग की थी वह पानी हमारे पास आया? क्या नाथपा-झाकड़ी का या कौल पार्वती का जो समझौता किया था वहां से हमने प्राप्त किया? क्या साबी नदी का जो बेस वाटर था वहां पर हमने प्राप्त किया? क्या शाहपुर कांडी आनन्दपुर साहिब और थीन डैम से जो हमको बिजली का हिस्सा मिलना चाहिये था वह हमने प्राप्त किया? क्या सतपुड़ा का पूरा हिस्सा हमने प्राप्त किया? क्या नर्मदा में जो हमारा विवाद था उस विवाद को समाप्त किया? क्या गांधीसागर के कैचमेंट में जो मध्यप्रदेश ने बांध बना लिये थे उनको हमने तोड़ने की कोशिश की? राजस्थान की विधान सभा को एकमत होकर इस बात का फैसला करना चाहिये कि राज्य सरकार निश्चयात्मक कदम उठाकर इंटरस्टेट मैटर्स को जब तक तय नहीं करायेगी तब तक राजस्थान की बिजली और पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए हमको काम करना चाहिये।

मुझे बहुत कुछ कहना था, फिर कभी अवसर आएगा तो कहूंगा। आप आसन पर आने के बाद बहुत कठोर हैं इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा जिस बात से मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है और मैं चाहूंगा कि सारा सदन उससे सहमत होगा। सभापति महोदय, राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र पुरुषों के चरित्र से होता है और हमारा सौभाग्य है कि इस देश में महापुरुषों की एक श्रृंखला पैदा हुई जो संघर्ष करती रही और देश को आजादी प्रदान कर गई। उसमें सर्वोच्च नाम महात्मा गांधी का है। हम उनको राष्ट्रपिता के रुप में, राष्ट्र के पुत्र के रुप में और हमारे मार्गदर्शक के रुप में देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दिनों राजनीति के जंजाल में फंसकर बहुजन समाजवादी पार्टी की महामंत्री श्रीमती मायावती ने महात्मा गांधी के लिये बहुत ही गलत और निम्न शब्दों का प्रयोग किया उसकी मैं सदन के माध्यम से निन्दा करता हूं।

सभापति महोदय, मुलायमसिंह जी जब राजस्थान में आये तो उनसे पत्रकारों से प्रश्न पूछा उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मेरा कसूर नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का भी कसूर है। जितना बहुजन समाजवादी पार्टी को में समर्थन कर रहा हुं उतना कोंग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है मुझे और भी दु:ख हुआ जब उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैंनें केबिनेट रेंक दे रखी है, एम.आर.रिजवी और प्रमोद कुमार तिवारी को अगर वे बहुजन समाजवादी पार्टी पर इतने नाराज हैं तो कम से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम उन्हें दो सीट तो अपनी छोड़ देनी चाहिए मुझे दुःख है कि महात्मा गांधी का अपमान जितना बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया है उससे ज्यादा अपमान महात्मा गांधी के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसकी मैं घोर शब्दों में निन्दा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार का समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है और महात्मा गांधी के अपमान के लिए और महात्मा गांधी के विचारों की वास्तविक हत्या के लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो कांगेस पार्टी है इन्हीं शब्दों के साथ मैं एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान

श्रीमती कमला : मैं भी अपनी बात कहना चाहूँगी।

श्री सभापति : आपको बोलना है इसी पर।

श्रीमती कमला : हां।

श्री सभापति : तो आपका नाम, भिजवाया नहीं है।

श्रीमती कमला : नहीं, नाम तो नहीं भिजवाया है मैंने, लेकिन मैं दो बात कहना चाहती हूँ।

श्री सभापति : मैं आपको मौका देता हूँ।

श्रीमती कमला : फिर मीटिंग है, मैं तो जा रही हूँ, इसलिए चाह रही थी।

श्री सभापति : मैंने इनको बुला लिया है।

श्रीमती कमला : तीन बजे एक मीटिंग रखी हुई थी इसलिए कर रही थी।

श्री सभापति : आप मीटिंग से होकर आइये, मैं आपको इमीजियेट मौका दूँगा।

श्रीमती कमला : वह लम्बी चलेगी श्रीमान।

श्री सभापति : मैं आपके लिए इन्तजार करुंगा।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : आरदणीय सभापति महोदय,चुनाव के दौरान जब गांवों में गये तो एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे से भी सवाल पुछा, कि श्रीमान कि आपने रजिस्ट्री कराने की रेट तय कर रखी है उसी के अनुसार स्टाम्प खरीदते हैं, फिर भी जब तक तहसीलदार के पैसे नहीं पहुँचाओ रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री कराली वह रजिस्ट्री लेकर जाओ पटवारी के पास अब म्युटेशन में क्यों फर्क होना चाहिए। जब तक पटवारी की फीस नहीं दो तो म्युटेशन नहीं होगा। अस्पताल में जाओ तो डाक्टर बिना फीस देखता नहीं चपरासी खड़ा रहता है वह कहता है कि डाक्टर साहब को घर पर दिखाओ और स्कूल में मास्टर के पढाने का सवाल ही नहीं टयुशन पर बुलाता है और मार खाकर थाने में जाओ तो बिना पैसे के एफ.आई.आर भी दर्ज नहीं होती। तो श्रीमान, हमको यह बताओ कि जब सारे वाजिब काम के ही पैसे देने पडते हैं तो आप फिर वोट किस बात के मांग रहे हो। इतना गम्भीर सवाल है, गैर वाजिब काम के पैसे तो लगे जो लगें ही सारे वाजिब काम के पैसे भी लग रहे हैं और हम वोट मांगने गये थे मैंने कहा कि

(श्री माधवसिंह दीवान)

वोट तो और पहले भी तो दिये होंगे। कहा कि हां, पिछली बार यह फूल वाले आये थे और कहा कि हमारे को वोट दो, सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और वह वोट दिये, राज बन गया। मैंने कहा कि कुछ फर्क पड़ा क्या। तो कहा कि हां श्रीमान, फर्क पड़ा। मैंने कहा कि अपने यहां तो फर्क पड़ा ही नहीं, यहां कैसे फर्क पड़ गया। मैंने पूछा कि क्या फर्क पड़ा तो कहा कि आपके राज में पाचं रुपये लगते थे जो दस लग रहें हैं। यह फर्क जरूर पड़ा।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : पांच तो लगते थे ।

श्री माधवसिंह दीवान : लगते थे, कह रहे हैं, इसमें कहां बात है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लगते थे। पहले नोट गिनकर लेते थे अब तोल कर ले रहे है बनिये।

एक माननीय सदस्य : इतनी महंगाई बढ़ गयी न। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : मंहगाई बढ गयी, हर चीज महंगी हो गयी।

श्री माधवसिंह दीवान : अब उसने यह कहा, श्रीमान कि हमको यह बताओ कि फिर आपको वोट वापस दे दें तो क्या इस रेट में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? हमको तो वोट दिये पर अधिकाशं लोगों ने वोट उधर ज्यादा दे दिये तो कम से कम जो यह दस रुपये वाली रेट है, भ्रष्टाचार तो माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जैसे कहा, शायद मिटा सको या नहीं मिटा सको, पर दस रुपये की रेट पांच पर ले आवोगे तो ही आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायेगी यह भ्रष्टाचार बढ़ा।

सभापति महोदय, पिछली बार रेवेन्यू अभियान चलवाया था माननीय भैरोंसिंहजी ने कि रेवेन्यू अभियान में जो म्युटेशन करवाने हैं,जो पटवारी पैसे लेकर करता है, वह म्यूटेशन हो जाएंगे। अभियान चला, गांव-गांव बड़े-बड़े अफसर गये, टी.एडी.ए. बना, गाडियां गयीं जिसने पटवारी से पैसे तय कर लिये थे, उसका भी म्यूटेशन हुआ और जिसने तय नहीं किये थे उसका भी हुआ और जब दोनों का ही म्यूटेशन हुआ तो फिर लोग पैसा क्यों दे? फर्क सिर्फ इतना ही था कि जिसने पैसे तय कर लिये थे उसके तो फोदगी का म्युटेशन लड़कों के नाम ही हुआ और जिसने पैसे नहीं दिये थे उसमें लडकियों के नाम भी एड कर दिये। घर घर में झगड़ा डाल दिया, एक पटवारी ने जिसके पास पैंसे नहीं पहुँचे। आप देखो कोई अभियान चलाकर इस भष्ट्राचार का निवारण हो सके, इसका कोई तरीका आपको सोचना पड़ेगा। हम जब उधर बैठते थे तब हमने जरूर एक बार कहा भी था, माननीय भैरोसिंहजी शेखावत जब विपक्ष के नेता थे कि कम से कम अच्छे कामों में तो आप हमारा सहयोग दो। उन्होंने कहा नहीं, हमको पैसे ही विरोध करने के मिल रहे हैं हम तो आपकी हर' बात का विरोध करेंगे।

श्रीमती तारा भंडारी : क्या कह रहे हैं माननीय सदस्य आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये। प्लीज । प्लीज सिट डाउन। इन्टरप्ट न करें, सुनिये आप।

श्री माधवसिंह दीवान : आप उस टाइम वहां म्युनिसिपैलिटी की चेयरमेनी करती रहीं।

श्री सभापति सुनिये।

Please, hear him.Please ,have the capacity to hear. प्लीज,सुनने का माद्दा रखें।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं आप जैसे वरिष्ठ आदमी गुमराह न करें कम से कम।

श्री सभापति : सुनने का माद्दा रखिये, माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती तारा भंडारी : लाखों की संख्या में म्युटेशन हुए हैं, पता तो करो फील्ड में जाकर।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, विधान सभा की जो कार्यवाही है वह किताबों में लिखी हुई है। माननीय सदस्य नहीं थी। फिर भी कांगेस ने अपना,जब आपके कर्मचारियों की हड़ताल हुई और आपने कहा कि हम बजट समय पर पास नहीं कर पायेंगे और यह कर्मचारी हमारे पर हावी होकर सरकार को ब्लेकमेल करेंगे, कांग्रेस ने अपना विरोधी दल का रवैया छोड़ते हुए पूरा सहयोग देकर आपका बजट एडवांस में पास करवा दिया,वोट आन अकाउन्ट पास करवा दिया ताकि आप इन कर्मचारी नेताओं के साथ सख्ती से निपट सकें। जो आपके नेता इधर बैठे हुए नहीं करनें को तैयार थे, कांग्रेस आपको भ्रषटाचार निवारण में पूरा सहयोग देने को हर जगह तैयार है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आप कितना ले सकते हैं और आप खुद कितना इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तैयार हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : आप सुझाव दो।

श्री माधवसिंह दीवान : लोगों को उम्मीद थी कि शायद यह प्रजातांत्रिक सरकार कर्मचारियों पर कंट्रोल कर नहीं पाती। राजस्थान के इतिहास में सबसे लम्बा गर्वनर शासन पहली बार पिछली बार चला।

श्री देवी सिंह भाटी : रुला दिया।

श्री माधवसिंह दीवान : और जब लोगों से पूछते कि कैसा रहा, कैसा नहीं, आम आदमी चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, कहा कि इनसे तो आपके चुने हुए आदमी अच्छे थे। गवर्नर रुल से भी लोगों की आशाएं समाप्त हो गयीं। सरपंच हो चाहे. एम.एल.ए. हो,आम जनता का जितना दुख दर्द जन प्रतिनिधि पूरा कर सकते हैं उतना नौकरशाही कभी नहीं कर सकती। यह सबक आम जनता ने इस गवर्नर शासन में ले लिया। तो इसका तरीका एक ही हो सकता है कि आप जन प्रतिनिधियों को हर जगह इन्वाल्व करिये।

मैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का आभार मानता हूँ कि जिस तरह से हर अस्पताल के साथ इन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाने का निर्णय लिया हर स्कूल में समाज में, समाज कल्याण के छात्रावास में आप जनप्रतिनिधियों की पार्टी लेवल से उपर उठकर चार-चार, पांच-पांच आदमियों की कमेटी बना देंगे तो हर जगह पर इस पर काबू पाना सम्भव

(श्री माधवसिंह दीवान)

है चाहे तहसील हो, पुलिस थाना हो,चाहे समाज कल्याण के छात्रावास हो, जहां -जहां पर आपकी ढिलाई है। आप समझो कि कोई जयपुर में बैठा हुआ डायरेक्टर वहां जाकर समाज कल्याण के होस्टल में जाकर देखे कि उन छात्रों को समय पर खाना मिलता है या नहीं मिलता आटा कैसा है, इल्लियां पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई हैं, अधीक्षक महोदय, के घर पर ही यह सारा सामान चला जा रहा है यह सम्भव नहीं है। इसके लिए आप वहां पांच-पांच सात-सात आदमियों की कमेटी बना दीजिये ,साल दो साल में उसको चेंज करते रहिये, वही निगरानी समिति हो जिसमें जन-प्रतिनिधि हों, जिनके ऊपर आपको विश्वास हो, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर आप काम करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप इस भ्रष्टाचार पर काफी हद तक काबू पा सकेंगे। तहसील के अन्दर आप कमेटी बनाइये। आज सरकार के सामने जो हड़ताल है, वह क्यों फेल हो रही है उसका कारण यही है कि कई जगहों पर ऐसे बाबू बैठे हुए हैं जिनकी रोज की आमदनी तीन सौ से पांच सौ रुपये है, लेकर ही उठते है। उनके लिए तो हड़ताल बहुत नुकसान दायक हो जाती है। वह हड़ताल पर जाएं तो पांच सौ रुपये, हजार रुपये रोज की जो इनकम है इसका घाटा पड़ जाता है वह अपनी कुर्सियों पर डटे हुए हैं। वह तो रोज शाम को उठे नहीं कि पांच सौ रुपये तैयार। ऐसी अगर कमेटी आपकी तहसील स्तर पर भी होगी तो कम से कम वह बाबू डरेगा। बाकी तो क्या है,बाकी तो सव जगह पर उसका बंटवारा हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेन्ट पोजीशन है अगर एस.पी और कलेक्टर आपके ईमानदार होगें, आधा भ्रष्टाचार समाप्त होता है। परन्तु कुएं में ही भांग पड़ गई है।

मेरा एक दोस्त पटवारी था, रिटायर हो चुका मेरे साथ क्लास फैलो था, मैने उसको कहा भई, भ्रष्टाचार कैसे खत्म करें जैसे माननीय भाटी साहब ने सुझाव मांगे मैं जब मंत्री बना तो मैंने भी उससे कहा बता भई, पटवारी से ही लोग दुखी है। उसने कहा साहब मैं तो जिस दिन पटवारी बना उस दिन ही जो पटवारी गया वह मुझे रेट बताकर गया था कि म्युटेशन की यह रेट है, नकल देने की यह रेट है और देख भाई तुम इसकी रेट मत बिगाड़ना।

श्री अमराराम (धोद) : आपने तो भाटीजी को नहीं बताई कोई रेट ?

श्री माधवसिंह दीवान : परन्तु पहले ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा हमसे आर.आई कुछ चार आने ले लेता था, तहसीदार, एस.डी.ओ. का तो सवाल ही नहीं था और अब धीरे धीरे तहसीलदार भी शुरु हुआ, एस.डी.ओ. शुरु हुआ, अब तो कलक्टर डायरेक्ट ट्रांसफर करनें में हमसे पैसे खाता है कौन से लेवल पर आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे है तो कलक्टर और एस.पी. आप सही निगरानी रख पाओगे तो आपके जिले का जो गरीब आदमी से इफेक्टेड भ्रष्टाचार है उस पर काफी हद तक काबू पा सकते है। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है और सौ दिन आपके करीब करीब पूरे हो चुके है। अभी तक जो उम्मीद प्रजातंत्र के प्रति जो लोगों ने आस्था रखी है अगर आपने उसमें कहीं कोई पोजीटिव स्टेप नहीं लिया तो ढांचा तो बिखरे या नहीं परन्तु प्रजातंत्र के अन्दर लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी टाइम बाउंड प्रोग्राम करें और माननीय भाटी साहव को तो पता हीं है, आप तो खुद इन्दिरा गांधी नहर मंत्री है, इन्दिरा गांधी नहर पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। वह

(श्री माधव सिंह दीवान)

जे. ई. एन., उसका भाई ठेकेदार और अपने ही रिश्तेदारों को जमीन अलाट हो रही है। माफिया बना हुआ है, जो इन्दिरा गांधी नहर का फायदा उठा रहा है। आम राजस्थान की जनता का पैसा लग रहा है और वही के वही लोग......

श्री देवी सिंह भाटी : आपके पास भी यह विभाग रहा है, कुछ अनुभव तो मुझे भी बताइये।

श्री माधवसिंह दीवान : आदरणीय भाटी साहब, आप तो वहां के बाशिन्दा है। और किस तरह की माफिया वहां पर लगा हुआ है, मंत्री यहां पर जयपुर में बैठा हुआ या बोर्ड जयपुर में बैठा हुआ उस माफिया से डील विद कर सके,आप जरुर सक्षम हैं इस बात में और मुझे उम्मीद है कि आपके रहते हुए कम से कम इन्दिरा गांधी नहर में तो कुछ सम्भव हो सकता है। परन्तु सबसे बड़ी समस्या है ब्युरोक्रेसी पर हावी होने कही जब तक मंत्री अपने आपको सक्षम नहीं बनायेंगे, उनसे ज्यादा होंशियार होना आवश्यक है आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं परन्तु अगर पांच सात दिन की कहीं ट्रैनिंग में भेजना पड़े तो भेजें जब तक आई.ए.एस आफिसर का कान खीचने ,गलतियां निकालने के लिये मंत्री सक्षम नहीं हो पायेंगे तब तक कोई चीज और आज की इस परम्परा में परिवर्तन नहीं हो सकता सब तरीकों को अपनाना पड़ेगा। दूसरा आऊट डेटेड सिस्टम हो गया है, सभापति महोदय, इस आडिटिंग का जो आडिटर जनरल रिपोर्ट बना रहे है , पिछले 50-100 साल से वह बहुत आउट डेटेड हो गयी। हमारे जो इन्जीनियर्स हैं, उन्होंने ऐसे रास्ते निकाल लिये हैं कि कहीं कोई एक नया पैसा भी पकड़ में नहीं आता। अगर टेक्नीकल आडिट, उसके साथ इन्ट्रोडयूस नहीं करते हो तो यह भष्ट्राचार तो आप इस प्रजेंट आडिट सिस्टम से बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते।

दूसरा जो सबसे गड़बड़ महकमा है, म्यूनिसिपिलिटी, पंचायत समिति लोकल फण्ड आडिट करता है। महीनों-महीनों तो आडिट नहीं होता। आडिट हो गया तो उसके अन्दर जो ड्राफ्ट पैरा बने, जो आब्जेक्शंस हुए उसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है और वही हाल है को-ओपरेटिव का। चीफ आडिटर के यहां लाखों की संख्या में पैराज पड़े हुए हैं, गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आडिट पैराज की, आडिट रिपोर्ट की किसी को चिन्ता नहीं है कि उसके बारे में भी कुछ करें। या तो आप, सभापति महोदय, निर्णय लीजिये आसन से कि जिस तरह से पब्लिक अकाउण्ट् कमेटी है, ऐसी कोई सदन की एक कमेटी बने और लोकल फण्ड आडिट रिपोर्ट बनती है वह यहां पेश हो और उसके ऊपर वह कमेटी विचार करे ताकि कम से कम इनके अन्दर जो पैंडिंग पैराज हैं वह पूरे हो सकें।

खर्चे कम करने की बात माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने कही। आज से तीन साल पहले सचिवालय में कम्प्यूटर सैक्शन की स्थापना हुई। लोगों को वहम हुआ कि कम्प्यूटर लग जाऐगा तो शायद स्टाफ की कमी हो जाएगी। कुछ आन्दोलन भी हुए, कुछ कर्मचारियों की तरफ से रिप्रजेंटेशन भी हुए कि कहीं कोई कर्मचारियों की संख्या नहीं घटेगी, एफीशियेंसी बढ़ेगी। कम्प्यूटर आ गये। करोड़ों रुपयों के कम्प्युटर आ गये उसके लिए

(श्री माधव सिंह दीवान)

डायरेक्टर, कम्प्यूटर अलग बन गये, उसके लिऐ स्टाफ की नियुक्ति और हो गयी। आज दो हजार आदमी कम्प्यूटर डायरेक्टोरेट में लगे हुए हैं और कम्प्यूटर के पर्दे लगे हुए हैं और उन पर खोला पहनाया हुआ है। एक भी स्टाफ घटा नहीं और कार्य का प्रतिशत, एफीशियेंसी बढ़ी नहीं, स्टाफ का खर्चा दो हजार आदमियों का बढ़ गया। यह कम्प्यूटर का अपने यहां पर उपयोग हुआ। और यह कम्प्यूटर से एफीशियेंसी आयी। किसी तरह से आप एक बात को कर दीजिये, खास करके जो यह बैकडोर एण्ट्री है, वर्क चार्ज्ड स्टाफ के मार्फत उसको बन्द कर दें इन्दिरा गांधी नहर पर भाटी साहब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कम से कम 30 हजार आदमी वर्क चार्ज्ड स्टाफ के नाम पर लगे हुए हैं। एक धेले का काम करते नहीं हैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। 30-40 हजार आदमी पी.डब्ल्यू.डी. में लगे हुए हैं।

इर्रिगेशन में कम से कम 100-200 करोड़ रुपये इनकी तनख्वाह पर जा रहे हैं जो बजट से ही आते हैं, जो काम प्लान्स में हम मंजूर कराते हैं उनके अन्दर से इनकी तनख्वाह निकलती है। एक धेले का काम करते नहीं, दादागिरी और करते हैं। इनका ट्रान्सफर हो नहीं सकता। या तो इनको परमानेंट करके कहीं न कहीं ट्रान्सफर करके भेजिये। नहीं तो कम से कम यह एक लाख जो सरकार के ऊपर जवाई बने बैठे हुए हैं इन पर जब तक पाबन्दी नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार सक्षम रूप से नहीं चल सकती।

अब तो सभापति महोदय, अपने गृह मंत्री अनुसूचित जाति के हो गये। यह जो शिड्यूल्ड कास्ट एट्रीसिटीज एक्ट बना है इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, लड़ाई तो होती हैं सवर्णो में आपस में और उपयोग करते हो किसी अनुसूचति जाति के गरीब व्यक्ति का। एक मेरे यहां भी सरपंच महोदय है। आपस में दो सरपंचों का कोई झगड़ा था, यह खड़े नहीं हो जाएं तो दूसरे सरपंच ने एक आदमी से रिपोर्ट करवा दी कि साहब, जब भी सरपंच साहब मेरे घर के पास से निकलते हैं तो गाली बकना शुरू कर देते हैं और उन्होंने गन्दी-गन्दी तीन, चार दस गाली लिख दी और कहाकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। वह दूसरे सरपंच साहब भागे फिर रहे हैं। पुलिस उनके पीछे भागी फिर रही है। हालांकि यह एक्ट अपने यहां का बनाया हुआ नहीं है पर इस एक्ट के कारण गांवों में भंयकर रूप से दुर्भावना बढ़ रही है और लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं मेहरबानी करके इसके ऊपर कोई न कोई एडवाइजरी कमेटी जिला लेबल पर आप बनाइये। डिप्टी भी इसमें एफ.आर. देते हुए घबराते हैं कि हमारा यह होगा कि आपने इसमें एफ.आर. दे दी। झूठे मुकदमें स्वर्ण जाति वाले लोग इसका एक्ट का फायदा उठाकर बनवा रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं इससे गांवों में दुर्भावना बढ़ रही है। इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है।

अन्त में मैं एक बात ही अर्ज करना चाहता हूँ कि कृषि उपज मण्डी जो सड़कें बनाती हैं उसकी सड़के सबसे रद्दी होती है क्वालिटी के हिसाब से। जमीन एक्वायर करते नहीं, जो पुराने एरिया बने होते हैं उसी के अंन्दर डामर डालकर बना देती है। मोड वही के वही रहते हैं। वह जमीन एक्वायर होती नहीं और दो-तीन साल में टूट कर खत्म हो जाती है। या तो सरकार यह निणर्य ले कि यह कृषि उपज मंडी की सड़कों को पी. डब्ल्यू. डी. को

(श्री माधव सिंह दीवान)

ट्रान्सफर कर दे, और पी.डब्लयू.डी.उन सड़कों को बनाये, ताकि सिस्टेमेटिकली राजस्थान के विकास में उन सड़कों का उपयोग हो सके और वह जो पैसा लगा हुआ है,उसका उपयोग हो सके। बहुत बहुत ध्न्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापति महोदय, बजट पारित करने की प्रकिया में हम तीसरे चरण पर हैं और आज सदन पूरे विनियोजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहा है। अभी मेरे विपक्षीय बन्धुओं ने कुछ आक्षेप लगाये कि घोटाले बढ़ते चले जा रहे हैं.. व्यवधान और उन्होने भी लगाये,आपने भी लगाये मैं यह थोडे ही कर रहा हूं। साहब, सबने लगाये, लेकिन इतना तो यह मानेंगे विपक्षी बंधुवर कि माननीय राजीव गांधी इस बात को कह गये हैं कि जब मैं एक रुपया केन्द्र से भेजता हूँ तो 15 पैसे गरीब के हाथ में जाते हैं तो यह तो निश्चत रुप से मान सकते हैं कि 15 पैसे से कुछ पैसे तो अब ज्यादा ही जाते हैं, गरीब के हाथ में, उससे कम पैसे तो नहीं जाते। तो इसके उपर एक कर्ब करने का, इसके उपर एक नियंत्रण करने का, इसकी एक लक्ष्मण रेखा बनाने का हमने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में चलने वाली जो सरकार है मैं यह मानता हूँ कि हमारी नीयत में कहीं अन्तर नहीं रहा जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी सोचा उसको करने का प्रयास किया और इस बात का मैं एक नहीं अनेक प्रकरण बता सकता हूँ। मान लीजिए, राजीव गांधीजी ने कहा था कि हम 100 दिन के भीतर-भीतर मंहगाई वन्द कर देगें वढ़े मूल्यों के उपर नियन्त्रण करेगें। अभी यह राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 92 की बात है, उसमें माननीय नरसिम्हाराव ने यह कहा कि हम दो हजार तक सारे लोगों को साक्षर कर देंगे, सारे लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन मेरी ऐसी कल्पना है, मान्यवर, यह सारी की सारी बातें जो वह कहते हैं शायद नहीं कर पायेंगे। किन्तु भारतीय जनता पार्टी की साकार ने जो कुछ भी कहा वैसा किया कहा कि 60 प्रतिशत पैसा हंम गांव की धरती पर खर्च करेंगे, उसके एवज में हमने 62 प्रतिशत खर्च किया। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से 1991-92 में सारे देश में सर्वोपरि स्थान यदि किसी संरकार ने रखा तो राजस्थान की सरकार ने रखा। गरीवों के कर्जे माफ करने की वात थी वह सही थी या गलत थी, यह अलग से विचार करने का प्रश्न है मैं उसके ऊपर नहीं जाता। किन्तु जो कहा वह किया। आज जो सारी स्थिति इस समय में आ गयी है,मेरी धारणा यह है कि जो भ्रष्टाचार आज समाज में बढ़ा है वह केवल मात्र इस कारण से बढ़ा है कि आज संसार में लोगों को यह विश्वास नहीं रहा कि मेरे घर वाले मेरे पड़ौसी मेरी रक्षा कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे। पहले के समाज में आदमी बिल्कुल निश्चिंत, आजाद पंछी की तरह उड़ता था, फुदकता था उसको किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। यदि वह गरीब भी होता तो सोचता मेरा बड़ा भाई सम्भाल लेगा। वह यह भी सोचता कि मैं यदि गरीब हो जाऊंगा तो मेरे घर के लोग बैठे हैं जो मेरी रोजी रोटी का इन्जताम करेंगे, मुझे चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम यह हुआ, ज्यों-ज्यों पैसों की बहुलता वढ़ती चली गयी और ज्यों-ज्यों समाज

(श्री अर्जुनदास मदान)

के व्यक्ति विशेष ने यह सोचा कि समाज का व्यक्ति मेरे प्रति ज्यादा चिन्तित नहीं है तो उसके मन में यह चिन्ता उत्पन्न होने लगी कि आज कौन करेगा ? तो उसने कहा, समाज का आदमी तो चिन्ता करता नहीं, मेरी चिन्ता करेगा तो केवल पैसा करेगा।

इसलिए हमारे समाज के बन्धनों से धीरे-धीरे वह टूटता चला गया और उसके बन्धन धीरे-धीरे पैसे की तरफ दिन-प्रतिदिन आगे होते चले गये। समाज के प्राणी को हम यह विश्वास सौंप पाते कि भईया, आप चिन्ता मत करो आपकी चिन्ता समाज करेगा, मैं बैठा हूँ आपके पिताजी हैं, भाई हैं, समाज के और जाति बन्धु हैं जो आपकी चिन्ता करेंगे। लेकिन आज व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना सीमित हो गया, अपने परिवार की परस्थितियों में एक छोटे से छोटे कुनबे में बंटता चला गया और उसे भाई की चिन्ता नहीं, मां की चिन्ता नहीं, बाप की चिन्ता नहीं, समाज की चिन्ता नहीं, केवल मात्र चिन्ता है तो पैसे की, उसकी बहुलता प्राप्त करने की। उसे विश्वास हो गया कि मेरे कष्ट के, दु:ख दर्द के दिनों में कोई मेरा सहायक है तो, व्यक्ति नहीं, यह मेरा पैसा है। इसलिए व्यक्ति के प्रति जो आस्था पहले बढ़ी हुई थी समाज में वह धीरे-धीरे न्यून होती चली गयी और पैसे के प्रति उसका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। समाज में हम जब तक वह स्थिति नहीं लायेंगे जब तक समाज समाज के लोगों की चिन्ता करना प्रारम्भ नहीं करेगा जितनी वह करता था, उसकी न्यूनता जो आ रही है उसको कम नहीं करेगा तब तक मान्यवर, यह पैसे के प्रति चिन्तन और मन्थन, पैसे को बटोरने की लालसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि समाज को इस बात की चिन्ता करनी चाहिये कि जो कुछ भी पैसा हमारे पास है हम समाज को किस प्रकार से उससे उपयोगी बना सकते हैं, किस प्रकार से ऐसे खर्च करें कि समाज का कोई भी वर्ग विशेष उससे अछूता न रहे। उसी के ऊपर मैं अपने थोड़े से विचार प्रकट करना चाहूंगा।

मान्यवर, आज सैल्स टैक्स की बात हुई। हमने जीप पर कम कर दिया, हमने कारों पर कम कर दिया, हमने तीन पहिये पर कम कर दिया, दो पहिये पर कम कर दिया लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उस गरीब आदमी ने क्या बिगाड़ा है जो साइकिल चलाता है। उसका सैल्स टैक्स भी निश्चित रूप से हमको कम करना चाहिये, समाप्त करना चाहिये। जब हमने दूसरे लोगों को सुविधाएं दीं जो आज मोटर साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, जीप चलाते हैं तो आज उस साइकिल वाले की चिन्ता भी समाज को करनी चाहिये। मैं यह मानता हूँ कि कहीं-कहीं पर यह सरकार चूकी है।

मैंने जैसा उद्योगों के बारे में आपसे निवेदन किया, आज औद्योगीकरण की हम बात करते हैं, मान्यवर, औद्योगीकरण हमारे प्रान्त का है क्या ? उद्योग का पैसा जितना आज केन्द्र सरकार ने खर्च किया उसका 19 प्रतिशत तो महाराष्ट्र लेकर बैठ गया, 14 प्रतिशत का विनियोजन गुजरात के अन्दर हुआ और हमारे प्रान्त में केवल मात्र तीन प्रतिशत आया। मैं

138

(श्री अर्जुनदास मदान)

उद्योगों के उत्पादन की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूं तो मान्यवर यह निवेदन कर दूं कि आज सकल उत्पादन में पौने तेरह प्रतिशत की बढ़ोतरी महाराष्ट्र ने की, तेरह प्रतिशत तक की बढ़ोतरी गुजरात ने की और एक प्रतिशत की बढ़ोतरी सिर्फ राजस्थान ने की मेरा एक पूरक प्रश्न था उद्योग मंत्री उसके ऊपर जबाव दे रहे थे उसमें उन्होंने यह कहा कि जितने भी पब्लिक सैक्टर में चलने वाले उद्योग हैं ज्यादातर आज घाटे में चल रहे हैं। घाटे में क्यों चलते हैं? आज आप किसी भी पूंजीपति को ले लीजिये मान्यवर, चाहे टाटा हो, बिड़ला हो, डालमिया हो, पोद्दार हो, सिंघानिया हो, मोदी हो, जितने भी लोग हैं, सारा पैसा समाज से लेकर उद्योगों के ऊपर यह खर्च करते हैं, अपनी गांठ का पैसा कोई नहीं लगाता। मैंने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था आज के लगभग डेढ़ साल पहले, हो सकता है। आंकड़े बढ़ गयें हों, केवल मात्र मफतलाल एक ऐसा ग्रुप है आज इस देश में जो सौ रुपये के ऊपर एक रुपया, 95 पैसे अपनी जेब का खर्च करता है। जितने भी आज पूंजीपति नजर आते हैं यह सारे के सारे 100 रुपये के विनियोजन में अपनी गांठ का एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं।

मान्यवर, क्यों चिन्ता करेंगे वह उद्योगों के प्रति? जब मैं यह मानता हूँ कि एक लाख रुपये का आज मुझे नुकसान हो गया और मेरी जेब से हजार रुपया भी नहीं जाने वाला है तो मैं क्यों चिन्ता करूंगा। चिन्ता तो वह करेगा जो विनियोजनकर्ता है, जो शेयर के माध्यम से आज उद्योगों में पैसा लगाता है। आज उद्योगों में पैसा लगाने के बावजूद भी जितने उद्योग धंधे हम चला रहे हैं वह घाटे की प्रक्रिया में चलते चले जा रहे हैं इसके बारे में भी चिन्ता करनी पड़ेगी मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उद्योग मंत्री जी की तरफ से आज यह जबाव आया कि सरकार घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता, उन्नत जीवन की सम्भावना और श्रमिकों के हितों आदि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। इस पर कोई सीमा नहीं दी जा सकती। आखिर सीमा हमने बांधी नहीं कि हम इसकी चिन्ता साल में करेंगे, दो साल में करेंगे। उद्योग कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। निश्चित रूप से कल-कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की हमको चिन्ता करनी चाहिये। समाज के हित में उपादेयता के ऊपर भी हमको चिन्ता करनी चाहिये। यदि वह पुनर्जीवित हो सकते हैं तो उसकी भी हमें चिन्ता करनी चाहिये। किन्तु आक्सीजन दे देकर हम इस मरीज को कब तक जिन्दा रखेंगे जो आज जीवित तो है पर उसका स्वयं का शरीर यातना शरीर देने वाला बन चुका। स्वयं तो कष्ट पाता ही है परिवार के जन-जन को भी कष्ट देता है। यदि व्यक्ति का शरीर एक यातना शरीर में परिवर्तित हो गया है तो, मान्यवर, मैं तो यह समझता हूँ कि जिन्दा रहने से मर जाना ही बेहतर है। मैं समाज के प्रति कोई उपयोगी नहीं हूँ, मैं अपने लिये उपयोगी नहीं हूँ, परिवार के लिऐ उपयोगी नहीं हूँ तो समाज में जी कर के मैं करूंगा क्या? किन्तु आज ऐसे उद्योग जो सामाजिक जीवन के प्रति उपादेयता रखते हैं हमें उसकी चिन्ता करनी चाहिये और वह चिंता एक समय बद्ध कार्यक्रम लेकर के हमको करनी चाहिये कि हम साल में, दो साल में उसके ऊपर चिन्तन करेंगे।

(श्री अर्जुनदास मदान)

इसी प्रकार से जो विनियोजन की बात है उसके ऊपर भी चिन्ता करें। जो उद्योग बीसों सालों से बिलकुल निकम्मे पड़े हैं आप उनको घर बैठे तनख्वाह देते हो। छंटनी की स्थिति आपने देख ली। अभी जे.के. सिन्थेटिक्स के बारे में माननीय न्यायमूर्ति सिंघल जी ने दस दिन पहले ही जजमेंट दिया है। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, इस कारण से यदि कोई घाटे में चलने वाले विभाग हैं, यदि कोई पूंजीपति उनको बन्द भी कर देता है तो ठीक है वह उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। यदि यह अधिकार आज पूंजीपति को मिल गया तो जो कल-कारखानों में काम करते हैं उनके जीवन के संरक्षण की चिन्ता निश्चित रूप से उद्योगों को करनी चाहिऐ लेकिन उनकी कीमत पर उद्योगों की चिन्ता भी निश्चित रूप से हमको करनी चाहिऐ। क्योंकि उद्योग रहेगा तो मजदूर भी जीवित रहेगा और उद्योग नहीं रहेगा तो मजदूर भी अधिक समय तक उसके साथ बंधा नहीं रह सकता। इसलिए मेरा निवेदन है आज इस सरकार से कि जो भी औद्योगीकरण की हम नीति अपनाते हैं, सरकार के आंकड़े दे कर के मैंने अपने विचार प्रकट करने का प्रयास किया और आपको बता ही दिया कि हम खड़े कहाँ हैं, हम किसी सोलिड जमीन पर खड़े हैं या चिकनी धरती पर खड़े हैं कहीं हम फिसल तो नहीं जाऐंगे, रिपस तो नहीं जाऐंगे, यह विचार हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा।

मान्यवर, एक निवेदन मैं और कर देना चाहता हूँ शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, 119 प्रतिशत हमने शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही लेकिन शिक्षा के विकास के साथ-साथ मेरी ऐसी मान्यता है कि नियोजन हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे दे पायेंगे, यह चिन्तन भी हमको करना चाहिये। मान्यवर आज नासिक के अन्दर सिक्के बनते हैं, चवन्नी भी बनती है, अठन्नी भी बनती है, रुपया भी ढलता है। वह नासिक से चलकर के बाजर में आता है। आज ठेले वाला, तांगे वाला, बीड़ी वाला, होटल वाला उसको स्वीकार करता है। किन्तु आज इन महाविद्यालयों से यह बालक रूपी जो सिक्के बनते हैं, जो ढलते हैं जब वह बाजार में आते हैं कहीं वह तिरस्कृत न हों, अपमानित न हों, उपेक्षित न हों लोग उसको भली प्रकार से स्वीकार करें, यह चिन्ता किसको करनी होगी? केवल मात्र शिक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व है यह मैं मानता हूँ किन्तु निश्चित रूप से सोचना होगा कि नासिक से ढलने वाला सिक्का, उस मुद्रणालय से निकलने वाला सिक्का बाजार में चलता है तो इन विद्यालय रूपी मुद्रणालयों से चलने वाले यह बालक रूपी सिक्के भी जब बाजार में जाएं तो उनको लोग तिरस्कार की दृष्टि से न देखें। मान्यवर, मेरी ऐसी मान्यता है कि हमको निश्चित रूप से चिन्ता करनी पड़ेगी।

आज 119 प्रतिशत तो हमने शिक्षा के ऊपर बढ़ा दिया और नारी शिक्षा के ऊपर तो हम और ज्यादा खर्च करने की बात करते हैं यह निश्चित तौर पर एक शोभा की बात है, क्रेडिट की बात है आज हम नारी की शिक्षा के और उसके अधिक विकास की बात करते हैं। नारी जब तक शिक्षित हो जाऐगी तो निश्चित मानिये कि पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। अभी कोठारी साहब ने एक सर्वे किया था परिवार नियोजन के ऊपर उनकी ऐसी मान्यता थी कि जो पापूलेशन बढ़ती है, 2.6 प्रतिशत पापूलेशन की बढ़ोतरी नगर में होती है, शिक्षित

(१५०)

(श्री अर्जुनदास मदान)

नारियों में होती है और आठ प्रतिशत पापूलेशन ग्रामीण अंचल में बढ़ती है। जो इस बात की तरफ निश्चित रूप से हमको इंगित करती है ज्यों-ज्यों शिक्षा का विकास होगा, ज्यों-ज्यों शिक्षा की प्रगति होगी परिवार के प्रति सजगता बढ़ेगी कि किस प्रकार से परिवार को रखना है, किस प्रकार से परिवार को बनाना है, उसको निभाना है। यह चिन्ता वह नारी अपने आप करती चली जाऐगी।

मैं तो यह निवेदन करता हूँ कि आप परिवार नियोजन की भी चिन्ता न करें। क्योंकि परिवार नियेजन के ऊपर मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि बहुत बड़ी विकट समस्या आज हमारे सामने है। आज मैं यह मानता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या है तो परिवार नियोजन की है, यदि मकानों की समस्या है तो परिवार नियोजन की है, यातायात की समस्या है तो परिवार नियोजन की है क्योंकि 16.6 प्रतिशत आबादी आज सारे देश में बढ़ी है पिछले आंकड़ों में जबकि 22 प्रतिशत राजस्थान में बढ़ी है 0.96 लाख पापूलेशन की बढ़ोतरी केवल मात्र राजस्थान में हुई है। राजस्थान सारे संसार का पहला सूबा है जिसके अन्दर प्रतिशत आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। सारे संसार में यदि कहीं आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है तो बांगलादेश में, दूसरे नम्बर पर भारत में और भारत में सबसे ज्यादा आबादी का प्रतिशत बढ़ा है तो पहले राजस्थान में।

एक तरफ औद्योगीकरण की यह स्थिति है। धरती की यह स्थिति है, कि आज दस प्रतिशत उपजाऊ सिंचित क्षेत्र है और उसके ऊपर पानी हमारे पास केवल एक प्रतिशत है जिस का उपयोग हम करते हैं। उस पर भी नहरों की जो स्थिति है, मान्यवर, मैं उस पर आपका ध्यान नहीं ले जाना, चाहूंगा। मैं भी ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित हूँ जहां नहरें चलती हैं। मैं यह मान सकता हूं कि आज उनका जितना रख-रखाव होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। नहरों के पैरेलल, बराबर नहरें चलती है। कोई आदमी जिसको लेना होता है पानी ले लेता है और घर जाकर के सो जाता है चाहे पानी बहता रहे। उसको कोई चिन्ता नहीं है समाज की, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की चिन्ता है।

तो मैं केवल मात्र आपसे यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा पर जो ज्यादा पैसा खर्च किया यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसके साथ-साथ नारी शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार ने जो ज्यादा पैसा खर्च करने की बात सोची है बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा की बात है। क्योंकि ज्यों ज्यों नारी शिक्षा बढ़ती चली जाऐगी त्यों-त्यों समाज का अपना विवेक भी जागृत होगा। नारी यदि आगे बढ़ेगी तो परिवार का विकास होगा।

और कई बातें हैं, माननीय, मैंने उद्योगों के बारे में आपसे निवेदन किया, अव स्वास्थ्य सेवाऐं हैं। उनके बारे में कहूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर मैंने पिछली बार कहा था, ठीक है, हमने 48 प्रतिशत तो बढ़ोतरी कर दी किन्तु एक कासलीवाल कमेटी बनी 1988-89 में और 1991-92 में हमने एक बेरी कमीशन बिठाया उसकी। रिकमण्डेशन्स भी थीं, 88-89 में कासलीवाल की रिपोर्ट आयी थी उसको आज भी हमारी सरकार लागू नहीं कर पायी। न कांग्रेस की सरकारों ने किया, न और किसी सरकार ने किया, न आज हम उसके प्रति चिन्तित हैं। आज हर रोगी को शैया मिलनी चाहिये। आप देखिये, मिलती है क्या? आज

(श्री अर्जुनदास मदान)

जितने भी प्रिन्सिपल हैं, जितने भी सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं हॉस्पिटल में, उनको प्राइवेट प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। हरियाणा ने कह दिया, पंजाब ने कह दिया, दिल्ली ने कह दिया तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? केवल मात्र एक आदमी जो शिक्षा देता है उसकी मनोधारणा को आपने समाज के विकास के प्रति यदि नहीं लगाया, पैसे के प्रति यदि उसका आकर्षण बढ़ता चला गया तो जितनी शक्तियों का वह धनी है वह शक्तियाँ समाज में अर्पित नहीं कर पायेगा। मान्यवर, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सेवा है। कोई तन से धनी है, कोई मन से धनी है कोई धन से है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता और क्षमता भी हर आदमी में एक जैसी नहीं होती। किन्तु इन क्षमताओं का उपयोग हम सामाजिक जीवन में कितना अधिक कर सकते है इसका हमको निर्णय करना पड़ेगा।

मान्यवर, अन्तिम बात कहूंगा। जब आपने मेरे को निर्देश दे दिये हैं तो मैं इतना निवेदन कर दूं कि हमारी पहले वाली सरकारे और हम किसानों के प्रति बहुत बड़ी बात करते हैं। आज देश की 65-70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। जो दूर तलहटी में रहने वाला आदमी हैं। आज अगर उसको आप देखें तो उसके विकास की चिन्ता 4 प्रतिशत से ज्यादा कांग्रेस ने नहीं की। विनियोजन गांव में केवल मात्र 4 प्रतिशत हुआ जब कि हमारी सरकार ने 20प्रतिशत सारे विकास की जिम्मेदारी कोई हमारी नहीं है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी काम किया है और दुश्मन में भी यदि कोई खूबी हो तो मानना पड़ेगा कि भई, दुश्मन तो है लेकिन ताकतवाला है। (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन में यह बिलकुल नहीं मानता कि दूसरों की बुराई करने से मैं अच्छा बन जाऊंगा। मैं तो, मान्यवर, यह मानता हूँ कि मेरे कर्मों से मैं अच्छा बनूंगा, मेरे परिश्रम से मैं अच्छा बनूंगा। दूसरे की बुराई करने से या दूसरों का अपमान करने से समाज में सम्मान मिला करता, मान्यवर, तो इन्सान शायद घड़ी के हाथ में जूता बांध कर चलता। आज उसके प्रति चिन्ता करने का यदि मूल रूप में किसी ने काम किया है और उसके प्रति ऐसी दृष्टि से किसी ने निहारा है तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है और इसके पहले उसके तत्वावधान में चलने वाली सरकार है।

अब परिवहन के ऊपर, मान्यवर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। दो चार शब्द और कहूं, आज आप देखियेगा कि सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रोड ट्रान्सपोर्ट एक पूना में है वह सारी सरकारें जितनी भी चलती हैं उनकी ट्रान्सपोर्टस कितनी चलती हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करता है। हमारी 265 कि.मी. एक बस चलती है और दूसरे प्रान्त में उसके सर्वे के मुताबिक, आप देखियेगा, 370 कि.मी. चलती है। अब हमारे यहां 265 कि.मी. एक बस चले, दूसरे प्रान्त में 370 कि.मी. एक बस चले इसका मतलब यह कि एक बस की क्षमता 105 या 110 कि. मी. और चलने की है लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं और चला क्यों नहीं पा रहे हैं? आज हमें कहा जाता है कि रोडवेज तो मुनाफे में है मैं यह कहता हूँ कि मुनाफे में नहीं है। आज कम से कम 17 सौ कण्डक्टर ऐसे हैं जिनके कैसेज अदालतों में चल रहे हैं। जो लोअर कोर्ट से जीत गये सेशन कोर्ट से जीत गये हाई कोर्ट से जीत गये और सरकार चली

(श्री अर्जुनदास मदान)

गयी अपील में सुप्रिम् कोर्ट में और आज स्थिति यह हो गयी कि उस आदमी, जो एक कण्डक्टर है, उसको सस्पैण्ड करके हमने बैठा दिया। वह लोअर कोर्ट से जीत गया, अपर कोर्ट से जीत गया, हाई कोर्ट से जीत गया। अगर हम जाते हैं तो क्या मेरिट के ऊपर कोई डिसीजन होना है। इस तरह से 13 करोड़ की लायबिलिटी आज हमारे माथे पर लेकर बैठे हैं। जब भी वह जीतकर आएँगे निश्चित रूप से 13 करोड़ की मांग करेंगे और हमको देना पड़ेगा।

यह मुनाफा कहां जाऐगा ? निश्चित रूप से यह मुनाफा परिवर्तित होकर घाटे में जाएगा। अब डेली सैल्स अकाउण्ट की किताब होती है उसे हम ड्राइवर के जिम्मे देते हैं, कण्डक्टर नहीं है, साहब। चलिये, बस कोटा से आऐगी जयपुर, कण्डक्टर नहीं है उसके साथ अब डेली सैल्स अकाउण्ट हम ड्राइवर के हाथ में पकड़ा देते हैं। ड्राइवर यह सोचता है कि बूंदी में मेरे को सवारी मिलेगी, तो बाई पास से निकल आता है। वह चाहता है कि अगर आदमी आऐगा तो टिकिट मुझे काटना पड़ेगा। आज कण्डक्टर आप भेजते नहीं। किसी अप्रेन्टिस को भेज देते हो, किसी चपरासी को भेज देते हो, किसी मैकेनिक को भेज देते हो कण्डक्टर का काम करने के लिये। तो सारी की सारी अव्यवस्थायें जो आज प्रचलन में हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर , मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि रोडवेज के बारे में और भी कई सुझाव मेरे पास हैं मैं दे सकता हूँ पर समय का अभाव है। मैं तो आज के दिन केवल मात्र इतनी ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि समाज के प्रति चिन्तन करने की आवश्यकता सरकार को है, चाहे वह किसी की भी सरकार हो। हमारा ध्येय एक है और रास्ते अलग-अलग हैं। मान्यवर यदि आज पांच आदमियों को आप कह दें कि जौहरी बाजार में आपको मिलना है फलां चौराहे पर, बड़ी चौपड़ पर आपको मिलना है तो चाहे एक आदमी कोई रामगंज से आऐगा, एक ज्योतिनगर से आऐगा, चाहे चांदपोल से आऐगा तो निश्चित रूप से वह मिल जाऐगा। उनका उद्देश्य एक है, मिलने का स्थान एक है। आज हमारे रास्ते चाहे अलग-अलग हों, ध्येय हमारा एक है समाज की प्रगति, समाज का उत्थान, जन-जन का जागरण उसके लिये हमारा समाज चिन्तित है और चिन्तन के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) माननीय सभापति महोदय, अप्रोप्रियेशन बिल पर जो चर्चा चल रही है उसमें मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जो कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की किताब 92 की रेवेन्यू रिसीट्स की सदन में रखी गयी है वह बताती है कि 1727 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, 5017 आडिट आब्जेक्शन्स जिसमें 71 करोड़ रुपये और 100 लाख रुपये और 250 करोड़ रुपये की रिसीट्स के मामले अभी तक जिनमें रिकवर होने हैं, पैण्डिग हैं। माननीय सभापति महोदय, कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल का जो कान्स्टीट्यूशनल दायित्व हैं उसमें कुल मिलाकर कर ऐसी परिस्थिति बनी है, वह कोई सारा आडिट नहीं करते वह सिर्फ टैस्ट चैक

(श्री विष्णु मोदी)

करते हैं। टैस्ट चैक जिस-जिस विभाग में उन्होंने किया सब जगह टैक्स की लीकेज मिली, टैक्स के ऊपर वसूली करने में अनियमितताऐं थीं। जो आडिट रिपोर्टस हैं उनके बारे में यह है कि पांच-पांच, आठ-आठ साल, दस-दस साल से जो आडिट आब्जेशन्स भेजे हैं उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल का ऑडिट है उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं और यह समझते हैं कि यह एक ख्वामख्वाह की एक कवायद है। इसके बारे में एक बहुत बड़े इकानोमिस्ट हैं उन्होंने कहा है :—

"In all recognized democracies, audit is not just tolerated as necessary evil but it is looked upon as valued ally which brings to notice procedural and technical irregularities and lapses on the part of individuals whether they be errors of judgment, negligence or acts and intents of dishonesty. The complementary roles of audit and administration are accepted as axiomatic being essential for toning up machinery of government. Unfortunately, in India, this conception of complementary relationship has yet to be evolved. Audit continues to be considered as something alien, something extraneous and something of the nature of an impediment. A natural resistance has, thus, come to be developed in this administrative system to the absorption of the suggestion of audit. This trend has become more and more pronounced in recent years. With the advent of independence and acceptance of the conception of welfare state..."

(15.50)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आडिट में आब्जेक्शन्स लगते हैं, जो पैराग्राफ बनते हैं इसमें रेवेन्यू इन्वाल्व्ड है चाहे वह सैल्स टैक्स की हो, चाहे वह एक्साइज की हो, चाहे वह माइनिंग की हो। हमें उस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि एक रास्ता इस तरह का अख्तियार करना चाहिये कि इस तरह की एक हम कमेटी बनायें जो कि हर साल इस बात का ध्यान रखे कि जो आब्जेक्शन्स क्रम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल के लगते हैं।

या दूसरे किसी ऑडिट के लगते हैं उस पर तुरन्त हम कार्यवाही कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हम हमारे रेवेन्यू को बढ़ा पायेंगे।

माननीय सभापति महोदया, हम बजट के आखिरी चरण में हैं। इसमें नान टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जहाँ हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जितना नान-टैक्स रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। मैं खाली लीकेज की बात करूं तो सैल्स टैक्स में जितनी लीकेज है, सबसे बड़ा इनकम का सोर्स स्टेट का सैल्स

(श्री विष्णु मोदी)

टैक्स है उसके ऊपर अभी सभी माननीय सदस्यों ने यह बताया कि सैल्स टैक्स के अन्दर भारी लीकेज है, जब हम इस बात को समझ रहे हैं कि सैल्स टैक्स में लीकेज है तो हम इसको किस तरह से दूर कर पायें, इस पर हमें बहुत गम्भीरता से सोचना होगा। उस लीकेज को रोकने से हमारी रेवेन्यू बढ़े उसके लिये हमें आवश्यक रूप से कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कार्यवाही करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, माईनिंग में 157 करोड़ रुपया हमारी रिसीट्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो दो सौ कुछ करोड़ का घाटा है वह खाली अगर एक इस डिपार्टमेंट की लीकेज को बंद कर दिया जाए, एक अनआथोइज माइनिंग को बंद कर दिया जाए, जो रायल्टी सरकार को नहीं मिलती है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो यह सरकार का घाटा पूरा हो सकता है। जब माइनिंग की अनुदान पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कोई भी सदस्य, जिसने उस डिमाण्ड में भाग लिया हो, ऐसा नहीं था कि उसने अपने यहां माइनिंग की चोरी का मसला नहीं उठाया हो मैं समझता हूँ कि इस विभाग में जितनी चोरी इस वक्त हो रही है और विभाग खुद समर्थ भी नहीं है कि उसको रोक सके तो हमें इस ओर विशेष रूप से कोई ध्यान देकर इसको रोकना चाहिये जिससे हम घाटे को पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, हम अगली सदी के अन्दर प्रवेश करने जा रहे हैं। भाई घनश्यामजी कह रहे थे कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है। वह पिछले राजनीतिज्ञों को भी दोषी करार दे रहे थे, सभी सरकारों को दोषी करार दे रहे थे और उनका यह भी मानना था, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अब लोग ज्यादा इन्तजार नहीं कर पायेंगे, अब लोग ज्यादा भुलावे में नहीं रह पायेंगे। लेकिन इन सब समस्याओं का निराकरण किस रूप से होगा, उसकी ओर हम विचार नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक सरकार का बजट नहीं बढ़ेगा तब तक डवलपमेन्टल एक्टीवीटीज होंगी ही नहीं और होंगी तो वह इतनी-सी होगी जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। हम नैक्स्ट सैन्चुरी के अन्दर जा रहे हैं, राजस्थान के अन्दर जो पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खुशी की बात है कि भारत सरकार का जो यूनी-गेजीफिकेशन रेलवे का है उसमें राजस्थान का अधिकांश हिस्सा आ गया, पहले खाली एक भरतपुर और कोटा का हिस्सा ब्राडगेज से लगता था लेकिन सन् 2000 तक राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जो कि ब्राडगेज से कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इंटीग्रेटेड डवलपमेंट की तरफ बढ़ें। आज नैचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में है, इन्फ्रास्टट्रक्चर डवलप होने वाला है लेकिन इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इस सदन में शायद ही कभी कोई चर्चा हुई है। जब तक इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू है वह या तो सैल्स टैक्स की है या एक्साइज की है या ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग की है या दूसरा वह पैसा है जो सैण्ट्रल सैक्टर से मिलता है, जो एक्साइज का शेयर है, जो इन्कम टैक्स का शेयर है और वह एक्साइज का शेयर और इनकम टैक्स का शेयर तक ज्यादा नहीं हो सकता जब तक कि हमारे यहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। इन्डस्ट्रिय-

(श्री विष्णु मोदी)

लाइजेशन के रूप में ही हम सड़कें बना सकते हैं, उसके रूप में ही हम पानी की स्कीम ला सकते हैं, स्वास्थ्य की स्कीम ला सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि न तो सरकार का इस ओर ध्यान है, न कोई इस तरह का प्रयास है कि यहां किस तरह से ज्यादा से ज्यादा विनियोजन हो, किस तरह से यहां ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो और इण्डस्ट्री लगे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, पानी की कमी है, राजस्थान में जल स्तर नीचे चला जा रहा है। एग्रो वेस्ड डवलपमेंट किस तरह से हो, जब तक हम हमारा क्राप पैटर्न चेंज नहीं करेंगे तब तक हम एग्रीकल्चर में भी कुछ नहीं पर पाएँगे और, सभापति महोदया, हमें इस बात का एक निर्णय तो लेना ही होगा चाहे आज लेंगे या कल लेंगे। सरकारें आती चली गयीं, निरन्तर जो डवलपमेंट हुआ उसके ऊपर हम उतना पैसा भी वसूल नहीं कर पाये जितना कि हम खर्च करते हैं। अभी पी.एच.ई.डी. की बात थी कि जितनी स्कीम्स हैं उसमें 33 करोड़ रुपया तो रिसीट है और 145 करोड़ रुपया उनका मेंटीनेंस का खर्चा है। आज हमने राजस्थान कैनाल के ऊपर करीब-करीब दो हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया, हम उससे कितना पैसा वसूल कर पा रहे हैं? आज हम बिजली के अन्दर सात हजार करोड़ रुपये के करीब नुकसान में हैं। बिजली उससे पैदा नहीं कर पाते और जैसा घनश्यामजी कह रहे थे कि सन् 1983 के जो एप्लीकेंट हैं उनको भी हम आज बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं। तो हमें यह नीतिगत निर्णय तो लेना ही होगा कि हम किस तरह से स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह प्राइवेटाइजेशन की बात करें लेकिन प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो उससे पहले तो यह नीतिगत निर्णय होगा जो सरकार डवलपमेंट पर पैसा खर्च करती है क्या उससे जो लोग बेनिफिटेड हैं वहां वह पैसा रख-रखाव पर खर्चा नहीं हो बल्कि उसे मिले जहां डवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां हम वह पैसा खर्च कर सकें।

माननीय सभापति महोदया, बिजली किसान की एक मूल आवश्यकता है और उसको हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हम बिजली के बारे में करते हैं। हमारी आदत पड़ गयी है कि हम इस तरह की लम्बी-चौड़ी बात करते हैं लेकिन इन-फैक्ट होता कुछ नहीं है। अभी बजट स्पीच में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ढाई सौ मेगावाट एन.टी.पी.सी. से हमें और मिल जाएगी दो साल में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बिजली राजस्थान को पहले मिल रही थी वही आज मिल रही है। ढाई सौ मेगावाट हम ओवर ड्रा कर रहे थे। ढाई सौ मेगावाट एन.टी.पी.सी. से कोई फालतू बिजली नहीं मिली है, आलरेडी जो हम ओवर-ड्रा कर रहे थे वह एक लीगलाइज हो गयी। तो हम इससे कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे? हमें बिजली के बारे में यह भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि कितना उत्पादन किस लागत में हमारा आ रहा है, क्या हमारे पावर लासेज हैं और हमें उसकी क्या टैरिफ तय करनी है। मैं समझता हूँ कि हम अगर समस्या से भागते रहेंगे, उससे कतराते रहेंगे तो उसका निदान नहीं कर पायेंगे।

146

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय सभापि महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाहर से आने वाली सहायता की बहुत लम्बी चौड़ी बात की। उस सहायता के बारे में कई तरह की स्कीम्स बनाने की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह जो भी स्कीम बना रहे हैं वह सब स्कीम हर छह महीने के दौरान एक कम्पोजिट रूप में अगर सदन में रखें तो जो माननीय सदस्य है वह अपना उसके ऊपर कंट्रिब्यूट कर पाऐंगे और वह यह बता पाऐंगे कि इस स्कीम में क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं है। लोक जुम्बिश की जो स्कीम है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ जो एजूकेशन की है। पीसांगन और श्रीनगर क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वह मिडिल स्कूल तक चलाते हैं, अच्छी स्कीम है। मैं तो समझता हूँ कि सरकार अगर उसको हायर सैकण्डरी लेवल, सैकण्डरी लेवल तक बढ़ाये आपकी व्यवस्था है उससे ज्यादा सुचारू ढंग से वह व्यवस्था कर रही है। तो इस तरह की जितनी स्कीम्स हैं उनके साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी वर्किंग कल्चर जो है वह किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज बाहर से सहायता प्राप्त करने की बात करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी आस्ट्रेलियन हाई कमीशन के आदमी पुष्कर में एक योजना चला रहे थे, वह मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम कितनी ही मर्तबा राज्य सरकार को कह-कह कर थक गये हैं कि स्कीम और आगे करना चाहते हैं गैम्स के बारे में, जो अरावली के गैम्स हैं, लेकिन हमाररी वहां कोई नहीं सुनता है। माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को सैंसिटिव होना होगा अगर हमें फोरेन एड लेनी है, फ़ोरेन लोन लेना है तो हमें अपने आप को टोन-अप करना होगा कि हम उन

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एजेंसीज को किस तरह से सैटिसफाइ कर सकते हैं और किस तरह से हम वह पैसा लेकर आ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस एप्रोप्रिएशन बिल से जो स्पेंडिंग की अथारिटी ले रहे हैं कृपा करके आप रैकलैस स्पेंडिंग को खतम करें और यह कोशिश करें कि यह पैसा डवलपमेंटल एक्टीविटीज में लगे, इसका कुछ फायदा लोगों को मिले उनका जीवन स्तर सुधारने में, तो ही यह सार्थक होगा।

धन्यवाद

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक, संख्या-पांच पर जो चर्चा चल रही है उसमें मैं अपने विचार व्यक्त करता हुआ इसका समर्थन करूंगा।

हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के पूर्व जिन लोगों ने आजादी का स्वप्न देखा था उन्होंने आजादी के बाद के भारत की भी एक कल्पना की थी जिन लोगों के हाथ में सत्ता आयी वह लोग स्वतन्त्रता के पूर्व महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष और सावरकर जैसे लोगों ने भगतसिंह और चन्द्रशेखर जैसे युवाओं ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार रूप

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नहीं दे सके। और इसलिए नहीं दे सके कि हमारे यहां पर जिन लोगों के हाथ में शासन आया उनमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन यहां के गांवों के जीवन मूल्यों का अभाव था। उन चिन्तकों के पास उस भारत की सोच का अभाव था और यूरोप की शिक्षा के कारण यूरोप की उनके मानस पर एक कल्पना बैठी हुई थी उस कल्पना के आधार पर उन्होंने न भारत को भारत रहने दिया, न भारत को सचमुच इण्डिया बनने दिया। हम ऐसे उलझकर रह गये हैं कि आज तक हम उस ऊहापोह से निकल नहीं पाये हैं। हमारा यह जो डिफेक्टिव प्लानिंग था, हमारी यह जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सफल हो सकते थे। जब हम स्वतन्त्र हुए थे, मैं भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कोटा से आने वाले माननीय विधायक ने जनसंख्या का आधार बताते हुए कहा था, 1951 में राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ 58 लाख थी उसके बाद 1971 में 2 करोड़ 67 लाख के करीब हुई, 1991 में 4 करोड़ 38 लाख हो गयी और इस तरीके से हमारी योजनाओं को यह जनसंख्या निगलती चली जा रही है। हमारा जो प्लानिंग था और जिस समय देश के कर्णधारों ने सोचा, उन्होंने शिक्षा के लिये सोचा, उन्होंने चिकित्सा के लिये सोचा, उन्होंने कल्पना की कृषि की, उन्होंने कल्पना की सिंचाई की, उन्होंने कल्पना की बड़े-बड़े उद्योगों की, उन्होने बड़े-बड़े बांध बांधने की कल्पना की और उनको देश के तीर्थ स्थानों का नाम दिया लेकिन वह जो डिफेक्टिव प्लानिंग था उस प्लानिंग के कारण से क्या हम उन सभी क्षेत्रों में सफल हो सके? हमने प्लानिंग किया कि हम उनका उद्धार करेंगे लेकिन हमारी मानीटरिंग ठीक रही क्या? हमने रिजल्ट ओरियंटेड स्कीम्स तैयार ही नहीं की जिससे हमें रिजल्ट मिलते। वह हमने किया ही नहीं। प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक खबर छपी कि जनजाति उप योजना क्षेत्र के विकास पर दो अरब व्यय होंगे। लेकिन दो अरब व्यय होने के बाद मे उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। इस तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसका परिणाम क्या है? परिणाम है कि आज हम जिस जगह खड़े थे उस जगह और अधिक गहरे कूप में उतरते चले जा रहे हैं।

माननीया सभापति महोदया, जनजाति क्षेत्र के अन्दर एक हजार करोड़ से अधिक रुपया आया लेकिन जनजाति क्षेत्र का जो आदिवासी है, जो बनवासी है उसका क्या इकानामिक डवलपमेंट हो सका? अगर सारा प्लानिंग क्षेत्र देखें तो उस रुपये की हमने इमारतें खड़ी कर दी हैं। इमारतों पर इमारतें बनाते चले गये। हमने उस रुपये को खर्च किया जल के ऊपर, हमने सिंचाई के बांध बाँध दिये लेकिन उसका क्या हुआ उससे जनताति के व्यक्ति की इकानामी पर प्रभाव पड़ा? हमने शिक्षा पर खर्च करने के लिऐ होस्टल तो बना दिये लेकिन वह बनवासी बालक जो उस छात्रावास में रहता है उसको पूरी रोटी मिल पाती है, उसे नाश्ता मिल पाता है, उसे चाय मिल पाती है? उसके लिऐ जिन होस्टल सुपरिटेंडेंट्स की व्यवस्था की उनकी क्या स्थिति थी? इस पर भी हमने कभी चिन्तन किया नहीं। उसकी लघु उपज जो वहां से उसे प्राप्त होती थी उस लघु उपज की तरफ भी हम ध्यान नहीं दे पाये। हमने हर तरीके से उसका शोषण किया और यही शोषण कारण है कि आज वह नक्सलवादी के रूप में सब जगह पैदा होता चला जा रहा है। उसे अब

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

यह ज्ञात हो चुका है कि यह मेरा शोषण वर्षों से हो रहा है और शोषण के खिलाफ आज वह संगठित होकर खड़ा हो रहा है।

सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर जो बजट रखा गया है उस बजट के आधार पर यदि हम देखें, केन्द्र ने शिक्षा के ऊपर पैसा तो बहुत दिया है, चिकित्सा पर पैसा तो दिया लेकिन प्लानिंग डिफेक्टिव है। उद्योग पर पैसा दिया लेकिन प्लानिंग डिफेक्टिव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बजट केवल आय-व्यय का ब्यौरा नहीं है, किसी सरकार की संकल्प शक्ति का भी उससे पता लगता है। उसकी राजनैतिक इच्छाशक्ति क्या है, उसकी पालिटिकल बिल क्या है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छाशक्ति है, जो पालिटिकल बिल है, जो भैरोंसिहजी की और उनके मंत्रिमण्डल की इच्छाशक्ति है वह इस बजट के माध्यम से प्रकट होनी है जो एक दिशा देती है राजस्थान को, जो पिछले 40-45 साल के अन्दर जो दिशा नहीं दे पाये। इस मुल्क में जब स्वतन्त्र प्राप्त हुई तो शिक्षा का पर्सेंटेज क्या था और आज 45 साल के बाद में पर्सेंटेज क्या है ? 30 प्रतिशत और 38 प्रतिशत में भी हमारी स्थिति यह है कि दस्तखत करने वाला साक्षर है। तो शिक्षा के प्रति अगर प्रतिबद्धता रही होती, आदमी समाज में पढ़ा-लिखा होता, महिलऐं भी समाज में पढ़ी लिखी होती। एक महिला पढ़ती है तो दो परिवार सुधरते हैं, दो परिवारों को सुधारती है। लेकिन हमने उसकी चिन्ता नहीं की इसलिए हमारे जीवन मूल्य गिरते चले गये और इसलिए राजस्थान में जो यह बजट है इस बजट में शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ भैरोंसिंह जी को, जब 77 के अन्दर आये थे, जब और उसके बाद अभी भी जो बजट उन्होंने रखे हैं उन बजट के माध्यम से एक पैठ उन्होंने स्थापित की है राजस्थान के अन्दर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और जिसकी सब जगह प्रशंसा की गयी है। सब तरफ से इस बात की प्रशंसा की गयी कि उन्होंने जो टैक्सेज की वसूली की है और जिस तरीके से वसूली की है तो नये टैक्सेज नहीं लगाने पड़े। विकास तो हुआ है, नये टैक्सेज नहीं लगाने पड़े। इसी तरीके से दिल्ली तक यह बजट बढ़ा है। सबसे बड़ी बधाई की बात तो यह है कि शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम 2 हजार तक सब को शिक्षा देना चाहते है। प्राथमिक शिक्षा के ऊपर 60 पर्सेंट का खर्चा होगा। नींव अगर कमजोर रह गयी तो आने वाली पीढ़ी फिर कमजोर होती हुई चली जाती है। इसलिए शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से ध्यान दिया गया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम यह जो पंचायत समिति के अन्दर शिक्षा है इस पर और इसके ढांचे पर पुनर्विचार होना चाहिये। अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो। लोक जुम्बिश के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से हम उन ग्रामीण लोगों को अपने पास ला रहे हैं। गांवों में चौपाल पर बैठकर, किसी पटेल के घर पर अथवा जानवरों के साथ बैठकर शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि एक स्कूल होगा जहां पर बैठकर वह बालक अध्ययन कर सकेगा। लेकिन शिक्षकों का भी ओरियेन्टेशन होना चाहिये। और शिक्षकों का

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ओरियेन्टेशन उसी स्थिति में हो सकता है जब इन सर्विस ट्रेनिंग का पूरा-पूरा प्रबंध हो। आज हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। केवल इसी क्षेत्र में नहीं,केवल रामकिशोर जी आपको ही सुनकर मेरा जो मन प्रसन्न हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : रामकिशोर नहीं हूँ मैं रामस्वरूप मीणा हूँ टोंडाभीम से मैं आपको सुन रहा हूँ ध्यान से।

श्री शिव किशोर सनाढ्य: मैं तो आपको सुनाकर ही प्रश्न कह रहा हूँ कि जनता हूँ कि टोंडाभीम आता है वाया सवाईमाधोपुर।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो आपने मुझे उसके लिए बाध्य कर दिया,सोजत से आने वाले माननीय विधायक बोल रहे थे तो उन्होने भ्रष्टाचार की बात कही यह भ्रष्टाचार भी यदि आदमी शिक्षत होता तो नहीं फैलता उससे ही सम्बन्धित है। और भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है। कल जब मैं उदयपुर से आ रहा था तो मेरे साथ दो बंधु अपनी पूर्व मंत्री रही है गिरजा व्यास उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, उनके यहां बैठकर कानुपर से लोट रहे और हमारे डिब्बे में थे। जब उनको पता लगा कि मैं विधायक हूं तो उन्होनें मुझसे प्रश्न पूछा आपके यहां एक विधायक के इलेक्शन में कितना समया खर्च होता है तो मैंने कहा कि बी.जे.पी के विधायक का लगभग चार-पांच लाख रुपया खर्च हो सकता है। मैंने कांग्रेस के विधायक का दस लाख रुपया खर्च हो जाता है।

श्री रामस्वरूप :आपने बताया शेपन कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य :कार्यवाही भेजी जाएगी ।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : उसका ही जवाब में आपको दे रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश के वह थे उन्होने कहा हमोर यहां तीस -चालीस लाख रुपया खर्च होता है तब मैंने कहा कि अगर इतना रुपया खर्च होता है यह रुपया सब आता कहां से है? यह सारा ब्लैकमनी है, ने 1957 के शासन से पहले से राजनैतिक दलों का जो चंदा दिया जाता था, राजनैतिक दल उसका हिसाब रखते थे। + + + कांग्रेस को यह सेठ चलाते रहे। लेकिन आज 1957 में जो निर्णय किया कांग्रेस ने और केवल.....

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंदिर निर्माण की राशि में से खर्च हुआ है क्या?

श्री रामस्वरूप : जो चन्दा आपने इक्टठा किया था मंदिर के लिये,वह चन्दा कहां गया,माननीय सदस्य, आप कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस तो त्याग और तपस्या है। आप बताइये आपका चन्दा कहां गया? चन्दे के पैसे को खा गये आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप हिसाब नहीं दे पा रहे। मंदिर निर्माण की राशि का आप हिसाब नहीं दे रहे है जनता को।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, आपके सामने असत्य बोल रहे हैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मेरे समय का ध्यान रखें यह तो व्यवधान डाल रहे है। मेरे समय का ध्यान रखें यह तो व्यवधान डाल रहे है। मेरे समय का भी ध्यान रखें। मेरा आरोप.....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

150

श्री रामनारायण चौधरी : आपने महात्मा गांधी के लिए क्या कहा ? मालूम है आपको ? महात्मा गांधी न केवल देश के राष्ट्रपिता ही थे, जिन्होने देश को.... (व्यवधान)

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं केवल इतना ही (व्यवधान) आप मेरे शब्दों को सुनेंगे तो मैंने कोई लांछन नहीं लगाया। मैं कांग्रेस पर बोला। मैंने केवल सिद्धान्त की बात.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम आपसे जानना चाहते है भारतीय जनता पार्टी कौन चलाता है ? कम्युनिस्ट पार्टी कौन चलाता है ? सब बताओ ना, पूरी जानकारी दो।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं केवल सिद्धान्त की बात, आपको कह रहा हूँ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : मंदिर का पैसा कहां गया ? यह बता दो।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, उसका जवाब तो उनसे पूछना जिनके पास वह पैसा है। मैं तो सिद्धान्त की बात कर रहा हूँ यदि 1957 में यह कानून नहीं बदला गया होता तो सारी राजनैतिक पार्टियों को जो भी चन्दा देते हैं, उनका हिसाब प्रकाशित होता और शायद इस कालेधन का अभी उदय नहीं होता। लेकिन जो शासन में उस समय थे, उन लोगों ने देखा कि यह जो पूँजीपति हैं, हमारी पार्टी को पैसा देंगे ही क्योंकि हम शासन में है और जो शासन में नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा तो हम जीत के आते रहेंगे और इस तरह से पार्लियामेंन्ट और विधान सभाओं पर हमारा कब्जा रहेगा। यह जो राजनैतिक सोच थी, इस सोच के कारण से यह ब्लैकमनी बढ़ी आज जो कालाधन चुनावों में खर्च होता है तो चुनावों की आचार-संहिता को बनाते समय केन्द्र इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर लेता है। चुनावों की आचार-संहिता जिस तरह से बनायी गयी, चुनावों के कानून जिस तरीके से बनाये गये हैं और चुनावों के कानून के बारे में जनता पार्टी की सरकार में गोस्वामी जी की अध्यक्षता में जिस तरह का चिन्तन हुआ है, तो कांग्रेस सरकार उसे क्यों नहीं स्वीकार कर लेती है ?

यह कालाधन और जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार की बातें अपने यहां पर हो रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि हम सचमुच में भ्रष्टाचार मिटाना चाहतें है तो आज शासन चलाने वाली जो मशीनरी है उस मशीनी पर चाहे आप आरोप लगायें चाहे हम आरोप लगायें। लेकिन आरोप लगानें वाले और शासन में जो हम लोग बैठे हुए हैं उसके सहयोगी हैं। क्योंकि जनता ने हम जन-प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। मैं माननीय सभापति महोदया, कहना चाहता हूँ

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि शासन चलाने वाले जो अधिकारी है, जिस तरीके से वह शासन चला रहे हैं, वह किसी भी बात के लिये जिम्मेदार नहीं है। यदि मुकदमा हार जाए तो वह सरकार हार जाएगी। हमारे जैसे लीडर जो आज है

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

लेकिन जो बरसों तक पैंतालीस साल तक राज में रहे यहां अनेक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मंत्री रहे हैं उन मंत्रियों ने भी कभी सोचा था मैं तो केवल एक उदाहरण देता हूँ आपको राज्य कर्मचारी की सुविधा के लिये एक टिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे भाव क्या था? राज्य कर्मचारी की छोटी- मोटी जो अपनी समस्या होगी विभाग की, वह ट्रिब्यूनल में चला जाएगा,स्वयं अपनी वकालत कर लेगा और उसका इन्क्रीमेन्ट नहीं रुकेगा, उसका प्रमोशन नहीं रुकेगा, उसका प्रमोशन नहीं रुकेगा,उसके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ट्रिब्यूनल बनाकर आपने जयपुर में रख दिया और आज उसमें हाईकोर्ट के जो एडवोकेट है,वह अपीयर हो रहे हैं। कहां ठहरेगा एम्पलाई?

हम लोगों ने सुविधा के लिये ट्रिब्युनल बनाया था लेकिन क्या हम उसका लाभ आज एम्पलाई को दे पा रहे हैं? क्यों नहीं उसके उपर दुबारा चिन्तन होना चाहिये। यदि एम्लाइज की दृष्टि से देखते है,वह तो शासन में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके हम जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते? एक उद्योग की बिजली काटने के लिए, एक उद्योग बन्द करने के लिए अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे कि यह उद्योग चलना चाहिये तो उस अधिकारी ने क्यों बिना सोचे समझे इस बात का फैसला लिया कि उस उद्योग को बंद कर देना चाहिये? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जिनके माध्यम से शासन चल रहा है हम भ्रष्टाचार सचमुच में मिटाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यह जो शिक्षा है जो जीवन मूल्य भी देती है इस शिक्षा के आधार पर उनको तैयार तो करें और अगर हम लोगों ने जीवन मूल्य की तरफ ध्यान दिया तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को मिटा पायेंगे। आज डलीगेशन लगता है, राजनैतिक प्रदूषण है, राजनैतिक भ्रष्टाचार है। जब तक राजनैतिक भ्रष्टाचार रहने वाला है तक तक हम भ्रष्टाचार मिटाने की केवल कल्पना करें तो यह भ्रष्टाचार कभी मिट नहीं सकता।

(समय - समाप्ति - सूचक घण्टी)

इसलिए सबसे पहले राजनैतिक दलों को ही प्रारम्भ करना होगा। कि राजनैतिक दल स्वयं अपना हिसाब रखें। दल स्वयं चाटर्ड अकाउन्टेंट से हिसाब बनावाये कि कहां से पैसा आया, किसमें खर्च हुआ? यदि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो सचमुच में हमको राजनैतिक दलों से यह प्रारम्भ करना होगा। जिम्मेदिरयों स्थापित करनी होंगी और जो हमारा डिफेक्टिव प्लानिंग रहा है और खास कर के जनसंख्या का जिस तरीके से फैलाव हो रहा है,इस तरह हम सबको लगना होगा, तभी हम कर सकेंगे। मैं अपने यही विचार रखता हुआ इस विधेयक का समर्थन करता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती कमला। (अनुपस्थित) श्री शांतिलाल खोईवाल। कमला जी नहीं हैं।

श्री हरीसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदया, हमारी पार्टी का कोई माननीय सदस्य नहीं है तो आप दूसरे का....

श्री सभापति : ठीक है, श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : धन्यवाद दे दूं, साहब, बोले इसका।

श्री सभापति : आप सचेत रहें, समझ जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदया, विनियोग संख्या-5 विधेयक पर आज चर्चा हो रही है। इसके अन्तर्गत प्रश्न यह हैं

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि राजकोष से जितनी वांछित राशि गवर्नमेंट मांग रही है, उतनी दे दी जाए, उसके देने की स्वीकृति की जाए।

सबसे पहले, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट शिक्षा के लिये समर्पित है। मैं इसका विरोध करता हूं। शिक्षा के लिये समर्पित बजट अवश्य होना चाहिये। लेकिन राजस्थान की जनता के लिये शिक्षा से ज्यादा महत्व का कोई प्रश्न है, और वह है पेयजल। काश, राजस्थान की जनता जो पेयजल से त्रस्त है, उसके लिये पेयजल को सर्वोपरिता देते हुए, प्रथम वरीयता पर मानते हुए पेयजलोन्मुखी बजट होता और उसके अनुसार ही मांगें होती तो ज्यादा अच्छा होता। शिक्षा का भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के बगैर भी समाज में क्रान्ति और आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता। यह मेरी मान्यता है लेकिन आज जिस संकट से, जिस जंजाल से हमारा राजस्थान गुजर रहा है उस स्थिति में पेयजल सर्वोपरि है। आज राजस्थान के अन्दर पेयजल की बहुत ही भीषण समस्या है। ऐसी स्थिति है कि दो-तीन किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता और मिलता भी है तो उसके लिये लड़ाई झगड़े होते हैं। आज राजस्थान सरकार यह भी बताने में सक्षम नहीं है कि प्रत्येक पंचायत को कितने हैण्डपम्प अलाट किये गये हैं, कितने हैण्डपम्प लगेंगे, कितने ट्यूब वैल लगेंगे।

इस बारे में एक शब्द भी इस सरकार की तरफ से, नहीं आया क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। न ही पेयजल की समस्या के निवारण के लिये सरकार कुछ सोचती है। मेरी ऐसी स्थिति में यह कहना है कि इस बजट में हैण्डपम्प के लिये और एनीकट के लिये व्यवस्था होनी चाहिये जिससे की कुओं में पानी का धरातल ऊंचा आये। इसलिए सरकार इसमें परिवर्तन करे। सरकार पेयजल सम्बन्धी बजट के प्रावधान को बढ़ाये और आने वाली गर्मियों के दिनों में जो संकटकालीन योजना है उसके अन्तर्गत बहुत जल्दी कार्य करें।

आज सरकार अपने आप में इतनी असमंजस की स्थिति में है, माननीय सभापति महोदया, कि जून तक तो पी.एच.ई.डी. हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की व्यवस्था करेगा लेकिन जुलाई से लेकर आने वाले अप्रेल तक कौनसा विभाग करेगा। इस बारे में राजस्थान सरकार की कोई योजना नहीं है। न तो पंचायती राज को पता है और मेरा यह दावा है कि न ही पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी आज इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आने वाली जुलाई से लेकर अप्रेल तक कौन व्यवस्था करेगा। नौ महीनों में जनता को पानी चाहिए। यह नहीं है कि जून खतम हो गया तो जुलाई में पानी की किल्लत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपकी स्पष्ट घोषणाएं होनी चाहिये। इतना बजट पास हुआ पेयजल के लिये उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हुई।

इसके अलावा शिक्षा की बात है। माननीय सभापति महोदया, इस देश में कोठारी कमीशन, और कई ऐसी कमेटियां बनी, कमेटियों के अलावा 20 कमीशन बनें और शिक्षाके लिये एक से एक अपने-अपने सुझाव आये हैं। आज राजस्थान सरकार ने शिक्षा के लिये जो बजट बढ़ाया है, बजट केवल इस बात के लिये बढ़ाया है कि 5 जगह 10 स्कूल खोले जाएंगे,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

स्कूल क्रमोन्नत होंगे, महिला शिक्षा का प्रसार होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि गुणात्मक वृद्धि हो, इसकी क्वालिटी बढ़े। स्कूल जोब-ओरियेंटेड हो। इसके अलावा आपने नयी क्या विचारधारा पनपाई ? इस बजट में भारी भरकम राशि रखकर शिक्षान्मुखी किया उसमें नयी शैली क्या थी ? राजस्थान शिक्षा जगत को नये आयाम क्या दिये ?

आपकी ऐसी कौनसी प्लानिंग है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि जो भारी भरकम बजट आया है इससे हम जोब ओरियेंटड शिक्षा दे सकेंगे। राजस्थान के युवक, शिक्षक और बेरोजगारी के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। आप शिक्षान्मुखी बजट पेश करके किस तरीके कितने हजार लोगों को रोजगार दिलाने में इस शिक्षा को सहायक बनायेंगे ? क्या ऐसी शिक्षा आपकी है, क्या ऐसा कोई बजट है ? अगर ऐसा बजट है तो निश्चित तौर पर यह सकारात्मक बजट है और उससे निश्चित तौर पर जो स्थिति बनेगी वह राजस्थान के युवक और शिक्षकों के लिये सुखदायी होगी और उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण से उचित होगी। अन्यथा मात्र स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ा दें या बिल्डिंग बना दें या उनके लिये सुविधा मुहैया कर दें। इससे मैं नहीं समझता कि कोई अद्‌भुत परिवर्तन होने वाला है। आपकी घोषणा थी कि आप भारी भरकम बजट देकर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे लेकिन मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि यह आमूलचूल परिवर्तन करने में आप आमूलचूक रहे हैं, आपने टोटल ही चूक की है। इसमें कोई भी नयापन, कोई भी नयी बात नहीं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रोटेक्शन सिविल एक्ट बना है, प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसटीज एक्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार निवारण की व्यवस्थाहै। माननीय सभापति महोदया, इस तरह की विसंगतियां और उदाहरण रोजाना हमारे सामने आते हैं कि कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति से किसी दूसरे के खिलाफ शिकायत करवा सकता है और उस शिकायत को कोई भी इलाज नहीं है। अनक्यूरेबल है। उसकी एन्टीसिपेटरी बैल का भी कोई प्रोवीजन नहीं है। 438 सी.आर.पी.सी. में उसके लिए केवल हाई कोर्ट में एक स्पेशल रिट करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जितना एक्ट का यूज हो रहा है उससे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वह इन दोनों एक्ट के कारण कम से कम डी.वाई.एस.पी. लेवल के अधिकारी को अधिकृत करें और उन्हीं के द्वारा ही चालान पेश हो और एस.पी. लेवल पर जब तक सहमति नहीं हो जाए तब तक गिरफतारी नहीं हो।...

एक माननीय सदस्य : नियम तो बने हुए हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लेकिन पालना नहीं की जा रही है, एन्फोर्समेंट एक्चुअली नहीं रहा है। आज ऐसा भी अधिकार है कि चालान पेश करने के लिये अनुमति ली जाती है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि जिस तरीके से आज राजस्थान प्रान्त में बिजली की व्यवस्था है, 1983 में जिस कुएं में, माननीय

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सभापति महोदया, पानी था, किसी ने 1985 में पानी के लिए, विजली के कनेक्शन के लिये एप्लाई किया, आज उन कुओं में पानी नहीं है, आज वे कुएं बिल्कुल खाली हो गये और यह कहा जा रहा है कि आप इसी पर ही कनेक्शन लेंगे। आपको

(16.25)
(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन।)

दूसरा खसरा नम्बर या दूसरा चक है तो उसके लिये नया नंबर डालिये। ऐसी विसंगतियां हैं जिससे वास्तव में किसानों को परेशानी हो रही है। दस साल पहले कोई आदमी बिजली के लिये आवश्यकता महसूस करता था, अपना नम्बर लगा दियाऔर 12 साल बाद यदि हम उसको विजली देते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी जिन्दगी के 1/3 हिस्से से ज्यादा से हम खिलवाड़ करते हैं। ऐसी स्थिति में विजली के लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को हटाना नहीं चाहती है। 113 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ चालान की तैयार हो गयी परन्तु चालान की अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही, पंचायतों में भूतपूर्व सरपंच की जगह प्रशासनिक इकाइयां स्थापित हैं और सैक्रेटरी प्रशासक बनें हैं। आज यह हर आदमी को विदित है कि वह बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पंचायतों में जा नहीं रहे हैं, अपने अपने कस्बों के मुख्यालय पर बैठे रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था से यह स्पष्ट इंगित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पंचायतों में सैक्रेटरी के शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार पनपा है इतना कभी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, सरपंच, भूतपूर्व सरपंच को ही यदि रखा जाता आगामी इलेक्शन तक तो भ्रष्टाचार में बहुत कमी होती। लेकिन इस तरह का निरंकुश शासन राजस्थान की सरकार देना नहीं चाहती और उसका उदाहरण आपके सामने है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि इस बजट में इस तरह कीव्यवस्था की गयी है कि मितव्ययता की जायेगी सरकारी खर्चे में। लेकिन पूरे बजट को पढ़ने के बाद यह कहीं नहीं है कि मितव्ययता के क्या स्वरुप होंगे, क्या आयाम होंगे, कौन कौन से ऐसे रख रखाव के आयाम होंगे जिन पर कटौती की जायेगी और कटौतियों का परिणाम इतने करोड़ की बचत होगी। ऐसी स्थिति में यह जो बजट है इसमें कोई भी चीज का खुलासा नहीं किया गया है।

इसके अलावा, मेरा यह भी निवेदन करना है कि जूडिशियरी न्यायपालिका का फर्ज है कि वह आम आदमी को बहुत ही कम फीस पर न्याय प्रदान करें। उसको भी एक रेवेन्यू अंग मान लिया गया। आज राजस्थान की न्यायपालिका हर दृष्टि से लाभ की व्यवस्थामें चल रही है। किन्तु ज्यूडिशियरी का पैसा ज्यूडिशियरी पर ही खर्च किया जाए ऐसा दृष्टिकोण नहीं बनाया गया जिसके कारण आज ज्यूडिशयल सिस्टम कोलेप्स हो रहा है। आम जनता की लोक अदालतें लग रही हैं वह अपने आप में जो ज्यूडिशियरी का सिस्टम है उसके फैल्योर होने का इंडिकेशन है। माननीय सभा-

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पति महोदय, आज स्थिति यह है कि 50 हजार तक के मुकदमें मुन्सिफ कोर्ट में आ गये और एक लाख तक के सिविल जज में है जिसके कारण मुन्सिफ कोर्ट में केसेज की भरमार है। चार-चार पाँच-पाँच हजार मुदकमें आ गये हैं और पेशियां तीन-तीन चार-चार महीने की पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा स्वच्छ न्याय की जो आशा है वह धूमिल हो गयी है। "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" वाली कहावत है वह पूर्णतः चरितार्थ हो गयी है। ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन करना है कि सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था में सुधार लायें। न्यायपालिका की जो स्थिति टूटने की और चरमराने की है उसको बचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा न्यायालय खोले जायें, पीठासीन अधिकारियों की भर्ती की जाए, उनको ज्यादा सुविधा दी जाए, ज्यादा वेतनमान दिये जाएं। सुविधाएं देकर राज्य सरकार किसी पर मेहरबानी नहीं करेगी क्योंकि न्यायपालिका का पैसा जो कि फीस से और रेवेन्यू स्टाम्प से आता है उस पर कोई अधिकार नहीं है एक्जीक्यूटिव पर या किसी लेजिस्लेचर पर खर्च किया जाए। न्यायपालिका को बढ़ाने के लिये कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है महज कुछेक बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है। आज स्थिति यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट में हजारों मुकदमें पेंडिंग हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट में जजेज की पोस्ट वैकेंट हैं लेकिन उनको भरने के लिये कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट में भी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक मुकदमें पेंडिंग रहते हैं और उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई भी हल नहीं निकलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है रोड्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बारे में कि आज यदि रोडवेज की बस से किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उसका लाखों का क्लेम केस बनता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। इंश्योरेंस के अभाव में हजारों मुकदमों में करोड़ों रुपये की अदायगी राज्य सरकार को करनी पड़ती है। इसके इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पब्लिक फाइनेंसेज को बचाने के लिये स्टेट इंश्योरेंस रोडवेज की जो बसें हैं उनका भी किया जाना चाहिये।

साथ ही स्वास्थ्य सेवा के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जनता की स्वास्थ्य सेवायें भी बढ़ायी जानी चाहिये। आज राज्य सरकार के जितने भी चिकित्सालय हैं उसमें मात्र कोई पट्टी या इमरजेंसी का कोई कार्य होता है तो उसकी सुविधाएं होती हैं अन्यथा डाक्टर लोग अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी निवेदन किया कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर चैक लगायी जाए, इस पर बैलेंस हो, इस तरह की कोई व्यवस्थाहोनी चाहिये। लेकिन राज्य सरकार का जो दायित्व है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है, उसकी जनता को प्राप्ति कराने में यह असफल रही है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें कोई भी सुविधा नहीं है। सभापति महोदय, उसका जो बजट है उसमें वर्तमान में कोई अभिवृद्धि नहीं की गयी है। नाम मात्र का बजट है। आज भी पट्टी, रुई, ट्यूब, यह सब चीजें एक बैंडेज कराने

(156)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वाला व्यक्ति आता है तो हॉस्पिटल में डिमाण्ड की जाती है। कहा जाता है कि बजट तो अप्रेल में ही खत्म हो गया, यह तो अक्टूबर का महीना है। ऐसी स्थिति में यह लोक कल्याणकारी सरकार कोई भी ऐसा नयापन इस बजट में नहीं दिखा पायी है जिससे यह कहा जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं में अभिवृद्धि होगी।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि हमारा जो दौसा जिला है, उसको बने हुए आज दो साल से भी ज्यादा हो गये लेकिन उस दौसा जिले में शासन की व्यवस्था को एक उदारता देने के लिये उप जिले की कोई घोषणा नहीं की गयी है। बांदीकुई को उप जिला करने का मेरा निवेदन है। उप जिला नहीं बनने से कई तरह की प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं लेकिन इस संवेदनशील सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह संवेदनशील सरकार कोई भी कारगर कदम नहीं उठाना चाह रही है और किसी भी तरह प्रभावकारी क़दम उठाकर जनता को वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नही करा पा रही है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, आज बजट पारण के अंतिम चरण में विनियोग विधेयक के बारे में इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्य इस तरह के प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिससे हमारे राज्य की आय बढ़े और जो आय बढ़ेगी उससे राज्य का चहुमुखी विकास होगा।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कारागार विभाग की स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री परसादी लाल मीणा : कारागार में रहे हैं आप।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 14 साल तक कारागार में रह चुका हूं। आई कमिट इन दी हाउस।

श्री सभापति : 'पर' रह चुके हैं, या 'में' रह चुके हैं?

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह बात मैं तब एक्सप्लेन करुंगा जब आवश्यकता होगी। मेरी ड्यूटी करेक्शनल और रिफार्मेटिव एक्टीविटीज की थी, न कि वहां पर सजा भुगतने की। इसलिए मैं कारागार विभाग के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष उस विभाग की गतिविधियों के बारे में, उस विभाग की कार्य प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसकी सलाह से राज्य सरकार निर्णय लेती है और उसके निर्णय के अनुरुप उस विभाग का संचालन होता है। लेकिन इसके बारे में कारागार विभाग का दुर्भाग्य है। किसी भी विभाग में विभागाध्यक्ष होता है तो उसको उस विभाग को संचालित करने के लिये उसके अनुरुप प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण का लाभ उस विभाग को मिलता है। एजेंसीस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चार मुख्य एजेंसीज हैं। पुलिस, ज्यूडिशयरी जेल और सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट। इन चारों एजेंसीज का अलग-अलग कार्य क्षेत्र है। किसी भी एजेंसीज के कार्य क्षेत्र में दूसरी एजेंसीज का ओवरलेपिंग नहीं होता।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

पुलिस का काम है कि लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करें, क्रिमिनल्स की गतिविधियों पर रोक लगाये, क्राइम्स में बढ़ोतरी न हो। ज्यूडिशरी का रोल है कि पुलिस कर्मचारियों ने या पुलिस विभाग ने जिन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके सजा दिलाने के लिये उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, उचित न्याय करते हुए यदि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है तो उसको मुक्ति दें या अपराध किया है तो उसको सजा दें। तीसरी एजेन्सी जेल है। जब पुलिस और ज्यूडिशरी का काम समाप्त होता है तब जेल का काम आरम्भ होता है और ऐसी स्थिति में जेल का सीधा सादा काम है कि जिस क्रिमिनल ने क्राइम किया है उसको किस तरह सुधारा जाए ताकि समाज में उस क्रिमिनल की पुनर्स्थापना हो सके और वह अपनी जीविकोपार्जन कर सके। अब जेल का काम प्रमुख रह गया रिफार्मेटिव और करेक्टिव वर्क्स यदि किसी विभाग में हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट पुलिस विभाग का आई.जी. लगा दें आप, आर.ए.एस. केडर का व्यक्ति लगा दें तो, सभापति महोदय, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। उस विभाग की गतिविधियों को वह तो पुलिस की तरह चलायेगा, आर.ए.एस. अधिकारी प्रशासन की तरह चलायेगा। जिन बातों का उसको प्रशिक्षण नहीं है, रिफार्मेटिव और करेक्टिव एक्टीविटीज का, क्या वह सही मायने में उस विभाग के काम को अंजाम दे सकते हैं ?

मेरी ऐसी मान्यता है कि वह नहीं दे सकते है। ऐसी स्थिति में कारागार विभाग के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है और इस बारे में यदि कोई सोच विकसित नहीं किया, उचित निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में जिस तरह के दायित्व इस विभाग को मिले हैं वह दायित्व निभाने में समर्थ नहीं रहेगा। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करुं कि राजस्थान के अतिरिक्त हिन्दुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका आई.जी. आर.ए.एस. केडर का व्यक्ति हो। आप किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए। किसी स्टेट में इस तरह नहीं है। तो फिर राजस्थान में ही क्यों ? क्या आपकी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान के अधिकारी उपयुक्त नहीं हैं या काम्पीटेंट नहीं हैं या वह डिजर्व नहीं करते। यदि आपकी ऐसी धारणा है तो यह सरकार की कमजोरी है। सरकार को चाहिये कि उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उन पर उचित नियंत्रण किया जाए और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए ताकि वह इस तरह का व्यक्तित्व डवलप कर सकें और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट या आइ.जी. के पद पर आसीन रह करके उस तरह के दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

एजेंसीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चौथी रोल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है और इस विभाग का दायित्व होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अपराधी जो अपराध किया है उसकी सजा भुगती है तो समाज में पुनर्स्थापना के लिये भी कोई न कोई सरकारी एजेन्सी ऐसी होनी चाहिये जो उसको मदद दे सके। तो मेरा आशय यह है, श्रीमन्, कि कारागार विभाग को यदि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भी आप उस स्तर पर लाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप गम्भीरता से विचार करें और यदि विचार नहीं करेंगे तो इसके परिणाम जिस तरह के आप चाहते हैं उस तरह के नहीं मिल पायेंगे।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मैं निवेदन कर रहा था कि कारागार का मुख्य दायित्व करेक्शनल एण्ड रिफार्मेटिव एक्टीविटीज होता है। मुझे मालूम है कि आज के दस साल पहले एक कारागार में सजा भुगत रहे कैदी को लगभग 500 से 1000 रुपये तक की मजदूरी मिल जाती थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज कितने कैदियों को इस कदर राशि मजदूरी के रुप में मिलती है? वह इसलिए नहीं मिलती है कि कारागार के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का इस तरह का सोच ही नहीं है। उनका तो यह है कि उनको किसी तरह से चारदीवारी में बंद कर दीजिये और बंद करने के बाद में वह कहीं भाग नहीं जाएं, उनकी चाहे मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, चाहे उनकी शारीरिक हालत खराब हो जाए, इस बात की चिन्ता नहीं है। पुलिस का सोच, पुलिस के सोच की तरह रहेगा, कारागार का सोच, कारागार का जो सुधारवादी तौर तरीका है उसकी तरह रहेगा। ऐसी स्थिति में मैं बार-बार निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि इस बारे में गम्भीरता से विचार करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर कॉलेज खोलने की घोषणा की है और मूल रुप से बजट में इसका प्रावधान नहीं होते हुए भी उन्होंने अहसास किया है कि राजस्थान में एक मात्र जिला है जिस जिला मुख्यालय पर कॉलेज नहीं है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का लेकिन जब बजटरी प्रोविजन नहीं था उसके बावजूद कॉलेज खोलने की घोषणा की है और लगभग 50 हजार रुपया सालाना मेरे क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान रख दिया है तो ऐसी स्थिति में मेरा दायित्व हो जाता है कि स्टेट की रेवेन्यू किस तरह से बढ़े की उस पर कुछ सुझाव दूं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले एक्साइज़ डिपार्टमेंट को लूंगा। माननीय तिवाड़ीजी ने बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है यह। आप किसी भी पॉशकॉलोनी में चले जाइये, वह तो एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कह रहे थे मैं यह कह रहा हूं कि वहां चपरासी होगा एक्साइज डिपार्टमेंट का या कोई गार्ड होगा उसका भी मकान मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में यह जो चन्द महकमे हैं उन पर नियन्त्रण कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि स्टेट की रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगी।

आज स्थिति यह है कि लाइसेंस एक स्पेसिफिक नम्बर ऑफ शाप्स के लिये मिलता है लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से, कर्मचारियों की मिलीभगत से, पुलिस डिपार्टमेंट की मिलीभगत से कई सब काउण्टर्स अन-अथोराइज्ड तरीके से खोल देते हैं। मेरी जिस तरह की रिपोर्ट है आज राजस्थान में लगभग 10 हजार अन-अथोराइज्ड सब काउण्टर्स इन टेकेदारों ने खोल रखे हैं जिनके लिये इनके पास कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं है। यदि सरकार कड़ाई से इस तरह के अन-अथोराइज सब काउण्टर्स को रोके तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी। यदि इस तरह आप नियन्त्रण करने में समर्थ नहीं हैं या नियन्त्रण नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं उसको लिगलाइज कर देते और हर एडीशनल काउण्टर के लिये पांच-पांच हजार रुपये अतिरिक्त लाइसेंस का इम्पोज कर दीजिये। दस हजार यदि सब काउण्टर्स अतिरिक्त खुलते हैं पांच-पांच हजार रुपये

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

हरेक एडीशिनल सब काउण्टर पर इम्पोज करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की अतिरिक्त आय लगभग 10 करोड़ हो जाएगी। वह दस करोड़ रुपये की आय अधिकारियों और कर्मचारियों की और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की जेबों में जा रही है। वह जेबों में जाने वाला पैसा सरकार के कोष बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं यदि इस तरह के आप निर्णय ले लें। इसी तरह, मान्यवर अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कम टैक्सेशन किया है बीड़ी पर, सिगरेट पर, दो पैसे प्रति यूनिट बिजली पर। मेरी ऐसा मान्यता है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो भी नये टैक्स इम्पोज किए हैं उनको सब को समाप्त कर दें, एक भी पैसा नहीं बढ़ायें, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें सुदृढ़ीकरण ले जायें तो निश्चित तौर पर जो आप उम्मीद करते हैं उससे बीस गुना इनकम आपकी बढ़ जाएगी और आने वाले दस साल तक....

श्री टीकम चन्द कान्त : बीस गुणा इनकम !

श्री शांतिलाल खोईवाल : यस, बीस गुणा इनकम बढ़ जाएगी और आने वाले दस साल तक आपको कोई नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है, रेवेन्यू मंत्रीजी निकल गए दिखते हैं, उनके विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को पूछें, रजिस्ट्रेशन में किस तरह का घपला हो रहा है। यदि रजिस्ट्रेशन के घपले को रोक पायें सरकार तो निश्चित तौर से रजिस्ट्रेशन वर्क से जो पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में जा रहा है वह पैसा सरकार की जेब में जा सकता है। एक्साइज के लिये मैंने निवेदन किया है आपको। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगा राजसमन्द जिला मुख्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहाँ का प्रमुख व्यवसाय मार्बल का है। मैं चन्द सुझाव दूँगा और इस बारे में आप विचार करें तो निश्चित तौर से यह भी आपकी इनकम बढ़ाने का प्रमुख स्रोत बन सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज स्थिति यह है कि डिफेक्टिव पॉलिसी के कारण और विशेष रूप से इस बार जो केन्द्र सरकार ने उत्पादन शुल्क दुगुना कर दिया है मार्बल पर इस कारण मार्बल व्यवसायी को मजबूरी में, मजबूरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मजबूरी में उत्पादन शुल्क, करों में चोरी करनी पड़ती है। यह प्रेरणा की स्रोत हमारी डिफेक्टिव नीति बन रही है। केन्द्रीय सरकार के भी और हमारी जो एग्जिस्टिंग तौर तरीके हैं राजस्थान सरकार के उससे भी आज स्थिति यह है कि एक ही स्टेट में रॉयल्टी जो वसूल की जाती है दो तरीके से वसूल की जाती है। राजसमन्द, मकराना में तो स्लेब्स पर रॉयल्टी वसूल की जा रही है और मकराना से अतिरिक्त अन्य स्थान हैं वहाँ पर ब्लॉक्स पर रॉयल्टी वसूल की जा रही है। अब इसमें ब्लॉक्स पर जब रॉयल्टी वसूल की जाती है तो निश्चित तौर से मार्बल व्यवसायी क्या करेगा, भाई ब्लॉक्स का क्या ठिकाना, उसमें से कितने पाटे निकलेंगे, कितने साफ सुथरे निकलेंगे क्या पता केवल वजन से जिसमें सारे ही खराब निकल जाएं उसकी भी उसको रॉयल्टी देनी पड़े। ऐसी स्थिति में मार्बल व्यवसायी की मजबूरी है कि कम से कम इसमें सारी की सारी रॉयल्टी नहीं दे। अब इस मजबूरी को मिटाने के लिए आप चाहें तो इसको स्लेब्स पर रॉयल्टी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इम्पोज कर दीजिये। स्लेब्स पर रॉयल्टी इम्पोज करने से अधिकारियों को घाटा हो रहा है। इसलिए जब कभी इस तरह की कमेटी का गठन किया है, अधिकारियों ने एडवर्स रिपोर्ट दी है कि यह फिजीबल नहीं है। मेरा एक सुझाव है, मान्यवर और मेरा दावा भी है कि यदि आप ब्लॉक्स से स्लेब्स में रॉयल्टी इम्पोज करना तय कर देते हैं तो कम से कम राजसमन्द जिले से मैं आपको रॉयल्टी की राशि दुगुना करने का वादा करता हूँ। इसमें आपको कराना यह होगा कि कुछ व्यवसायियों को भी लेना पड़ेगा उस कमेटी में ताकि वह कुछ सुझाव दे सकें कि किस तरह से आपकी इनकम बढ़ायेंगे और वह लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। जैसे मेघवाल जी बता रहे हैं कि यह डबल डिलिंग के कारण जो ब्लॉक्स पर राजसमन्द में रॉयल्टी लगती है वह ब्लॉक यदि मकराना में कोई व्यापारी परचेज करके लाता है तो वहाँ पर जब पाटे निकलते हैं तो उस पाटे पर उस गरीब को दुबारा रॉयल्टी पड़ती है। यह डबल डिलिंग से भी इनको मुक्ति मिल जाएगी तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि कमेटी का गठन करना चाहें तो कुछ तो व्यवसायियों को लीजिये, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को लीजिए, कुछ आपके जो माइन्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लीजिए और कुछ जन-प्रतिनिधियों को लीजिए और उसमें निचोड़ निकाल करके ऐसा तय करिये कि किस तरह सरकार की रेवेन्यू भी बढ़े और व्यवसायियों को इसका लाभ भी मिले। यदि आप ऐसा कर पायेंगे तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा उपकार का काम करेंगे। यह स्टेट के लिये करेंगे क्योंकि स्टेट की इनकम इससे बढ़ेगी।

मैं एक छोटा-सा सुझाव और निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्रीजी ने बड़ी उदारतापूर्वक दुपहियों का टैक्स कम कर दिया, कार का कर दिया, ट्रक का कर दिया। वह इसलिए किया कि हमारे पड़ौसी प्रदेशों में हमारी तुलना में कम बिक्री टैक्स था और हमारे यहाँ के राजस्थान के निवासी वहाँ से वाहन क्रय नहीं करके राजस्थान से करें। इस तरह का वातावरण बनाने के लिए कम किया वह बहुत अच्छा किया है, वह बधाई के पात्र हैं। इससे हमारी इनकम घटेगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसा अभी मदान साहब ने फरमाया कि साइकिल वालों ने क्या कसूर किया, ट्रेक्टर वालों ने क्या कसूर किया, क्या अपराध किया? यह तो किसान के काम में आता है। ट्रेक्टर भी आप देखिए कि प्रदेश के पड़ोस में जो जिले हैं वहाँ पर आपको हरियाणा के नम्बर वाले ट्रेक्टर मिल जाएंगे, उसमें पंजाब के ट्रेक्टर मिल जाएंगे। आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जाइये, गुजरात के नम्बर वाले ट्रेक्टर मिल जाएंगे। चित्तौड़ और कोटा वगैरह में एम. पी. के नम्बर वाले ट्रेक्टर मिल जाएंगे। मेहरबानी करके, जब आपने इतनी उदारता व्यक्त की है अपने बजट में तो क्यों नहीं ट्रैक्टर्स पर जो टैक्स है, बिक्री कर है उसको आप सीधा समाप्त कर दें। अन्त में यह जो टैक्स वसूली की कार्यवाही है उसमें थोड़ा सुदृढ़ीकरण ले आयें तो निश्चित तौर पर यह सरकार पर छाप भी लग जाएगी कि हमने एक भी नया कर नहीं लगाया और हमारा जो टोटल रेवेन्यू बढ़ा दिया हमारे प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से। आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिसिंह, कुम्हेर। (अनुपस्थित) श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो भी सरकार आती है जनता को यह कहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी। 40-45 साल से सब बराबर कह रहे हैं। यह सब बातें काफी होती हैं। आज जब हम इस सारे बजट पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था की दृष्टि से बहुत कुछ सोचा गया हो। प्रावधान थोड़ा-थोड़ा सब में है लेकिन वह ऐसे प्रावधान है जिससे प्राथमिक आवश्यकताएँ जो हमारे समाज की हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती।

मैं मेरी बात इससे शुरू करना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से नयी भर्ती पर रोक लगा रखी है। नियोजन नहीं हो रहा है। उद्योगों में नहीं हो रहा है, सरकारी सर्विसेज में आपने रोक लगा रखी है और जमीन सिकुड़ती चली जा रही है कहीं उद्योगों के नाम से, किसी योजना के नाम से किसानों की जमीन हमेशा सिकुड़ती जा रही है और दूसरी ओर मुझे बहुत खुशी है, 1977 के अन्दर परिवार नियोजन का जिस तौर-तरीके से विरोध किया गया था, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था और उस समय ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे देश के लिये अभिशाप है लेकिन मुझे खुशी इसलिए है कि वह व्यक्ति, वह विचारधारा, वह चिन्तन आज बदलकर सब लोग यह स्वीकार करते हैं ; इधर से भी मैं सुन रहा हूँ, उधर से भी सुन रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक है और इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। यह सब स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम एक सुनियोजित ढंग से चले। जितना बड़ा विकास हम बढ़ा रहे हैं, विकास बढ़ता नहीं है और हम यथास्थिति की तरह चल रहे हैं। जितना विकास बढ़ता है उतनी ही जनसंख्या बढ़ जाती है इसलिए समाज को इन योजनाओं को पूरे ढंग से लाभ नहीं मिलता है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि विशिष्ट योजना संगठन का कार्यक्रम चाहे राजीव गांधी ने दिया हो, चाहे इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम से दिया हो, यह कार्यक्रम आप लोगों को, गरीबों को सुविधा देने की दृष्टि से, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो उस दृष्टि से बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन दुर्भाग्य से इतनी अच्छी योजना होते हुए भी, सभापति महोदय, आप भी अपने क्षेत्र में इस बात का अहसास करते होंगे कि इन योजनाओं का पैसा वास्तव में उन लोगों के पास नहीं पहुँचता है। ग्राम सभाओं में एक फार्मेलिटी होती है, बैठकर कुछ लोग चयन कर लेते हैं उसमें, गरीब है वह ग्राम सभा में आता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि क्या ग्राम सभा है और कहाँ पहुँचना है, कहाँ क्या होता है। समाज में कुछ चालाक लोग होते हैं और हमेशा हर जगह हाजिरी देने वाले लोग होते हैं वह किसी न किसी तरह उन योजनाओं में अपना नाम चयन सूची में पंजीकृत करवा लेते हैं और उनको उसका लाभ मिल जाता है।

अभी कुछ दिनों पहले मेरा प्रश्न था और समाज कल्याण मंत्री जी ने उत्तर दिया था। मैंने एक प्रश्न पूछा कि जहाजपुर और कोटड़ी पंचायत समिति में पेंशन किन-किन लोगों को दी गयी और उनके पास क्या-क्या जमीन थी। यह समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं, 60 बीघा जमीन वालों को पेंशन, 50 बीघा जमीन वालों को पेंशन, 40-30 और 20 बीघा जमीन वालों को पेंशन। मैंने कहा कि नियम बने हुए हैं लेकिन इन नियमों को कौन देख रहा है?

(162)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मूल्यांकन विभाग पता नहीं क्या मूल्यांकन करता है और वैसे ही आपके विशिष्ट योजना के मंत्री हैं। मैं इनको भला व्यक्ति मानता हूँ। मैं इनसे पूछना चहाता हूँ कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके विभाग की योजनाएँ अच्छी हैं लेकिन नीचे क्या हो रहा है उसका क्या देख रहे हैं? इसलिए अच्छे की जगह बुरे की गिनती में आप चले जा रहे हैं। मैंने कई बार प्रश्न पूछे हैं और मंत्री महोदय आपने उत्तर तैयार करवाये होंगे इसलिए उत्तर भी गोलमाल हैं। नीचे से वही लोग उत्तर बना रहे हैं जो गड़वड़ घोटाले कर रहे हैं। पम्पिंग सैट के नाम से यह सामूहिक पम्पिंग सैट कहां जा रहे हैं, कौन उपयोग कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि योजनाओं का सही ढंग से मूल्यांकन हो और वास्तव में जो व्यक्ति नीडी है उसको योजनाओं का लाभ मिले इस बारे में सरकार कुछ कर सकती है तो निश्चित रूप से राजस्थान के गरीब लोगों का भला होगा वरना सब लीपापोती है। भारत सरकार से दुनिया भर का पैसा इन योजनाओं में आ रहा है और नीचे जा रहा है पर गरीब की कहीं आर्थिक स्थिति सुधर रही हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि गरीबी की रेखा के आंकड़े आपके समाने हैं। इतने बरसों में इन योजनाओं में इतना रुपया खर्च करने के बाद गरीबी की रेखा से कितना उभर पाये हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में देखा जाना चाहिये।

अब मैं एक-एक योजना की बात आपको बोलना चाहता हूँ और अपनी बात कहूंगा। मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ पानी की व्यवस्था का मामला। माननीय सभापति महोदय, इन दिनों में पानी की समस्या विकराल रूप से है। चाहे वह अकालग्रस्त क्षेत्र हो या बिना अकाल के हों, बहुत गम्भीर बन गयी है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में या वित्त मंत्री के भाषण में यह कहा गया है कि 31 मार्च को राजस्थान में पेयजल के जो हैण्डपम्प हैं उनका व्यापक अभियान चलाकर सब दुरुस्त करा दिये जायेंगे। माननीय चतुर्वेदी साहब, आप कोटा से आये हैं, आपके यहां पानी बहुत है लेकिन आपके जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर लें कि 31 मार्च से पहले-पहले क्या हैंडपम्प दुरुस्त हो गये? कहीं-कहीं हुए। उल्टे लोग पाइप निकालकर ले गये और आज गम्भीर स्थिति में लोग गांवों में परेशान हैं। यह हालत गम्भीर है। यही हालत योजनाओं की है। कहीं नलकूप सूख रहे हैं, कहीं पानी का स्तर नीचे चला गया है, कहीं कई योजनाएँ विभाग में लम्बित हैं। 4 साल पहले 89-90 की स्वीकृत योजनाएँ जो एक वर्ष में पूरी होनी चाहिये वह आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो गम्भीर स्थिति पेयजल की है। आपने इस बजट में प्रावधान रखे और आज आपने हमको स्वरूप दिया है उससे कुछ होने वाला नहीं है और आने वाले अप्रेल, मई, जून में राजस्थान में सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वह पीने के पानी की समस्या होगी। इसको आज गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप बनास से टौंक को पानी भी पिला रहे हैं, आप बनास से अजमेर, ब्यावर और जयपुर को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं और कुछ पिला भी देंगे थोड़े बहुत समय में लेकिन उसके बाद बनास के किनारे बसे हुए चाहे वह भीलवाड़ा जिला हो या टौंक जिला हो उसके लोग प्यासे रह रहे हैं। उसका सोचा क्या है आपने? कोई व्यवस्था नहीं है। उसका इन्तजाम करो आप।

163

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पीने के पानी का मास्टर प्लान राजस्थान सरकार नहीं बना रही है, इसके लिये गम्भीर नहीं है और इन योजनाओं को किस तरह से सम्पादित किया जाना चाहिये, ऐसा कुछ नहीं है और भ्रष्टाचार, इस विभाग में मैं कहता हूँ कि जघन्य है। आप अपराध और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। इतना रुपया आप नीचे दे रहे हैं योजनाओं में, वास्तव में वह पैसा लग नहीं रहा है और उल्टे घोटाले हो रहे हैं। कई बार पाइप ले जाते हैं और सामान ले जाते हैं। रोज मोटरों की रिवाइन्डिंग के बिल आ रहे हैं और उसके बाद नीचे समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो आप इस वात का मूल्यांकन करा लें ताकि गरीव की रेखा के लोगों का सही चयन हो। योजनाओं की वात मैंने कही, पानी की वात मैंने कही।

राजस्थान में आपने सब जगह नई भर्ती पर रोक लगा रखी है, यह आपकी प्रगति की निशानी है। आप समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनाकर कुछ लोगों को नियोजित कीजिये। गांवों में वेरोजगारी भयंकर रूप से है, भुखमरी बहुत बढ़ती चली जा रही है। उद्योग धंधों के नाम से राजस्थान में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आप कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं और बहुत लम्बे चौड़े भाषण देते हैं, चतुर्वेदी ज़ी, आप भी गये थे और वहाँ उद्योगपतियों को बहुत वादे करके आये थे कि एक विन्डो पर सब कुछ मिल जाएंगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, आप अपने यहाँ पर हाथ रखकर देखें मिल रहा है? मैं आलोचना जैसी कोई वात नहीं कर रहा हूँ तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि सवाल इस वात का है, सभापति महोदय कि इधर बैठते हैं तो दूसरी वात कह देते हैं और उधर बैठते हैं तो दूसरी वात हो जाती है। मैं यह कहूंगा कि जो आपने कहा इन 30-40 सालों में उसे आप देखें लें ओर उसके माफिक इधर बैठकर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह आज सबसे बड़ा सवाल है तो यह विश्वसनीयता आपकी समाप्त हो रही है, विधान सभा की हो रही है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में खनिज दोहन का मामला है, राजस्थान में खनिज सम्पदा अपूर्व है और राज्य सरकार इस बारे में बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से खनिज का दोहन नहीं हो रहा है और मनमाने अतिक्रमण हो रहे हैं, नाजायज खनन हो रहा है और राजस्थान सरकार इसको देख रही है या पता नहीं इनका वरदहस्त है या क्या है यह सब कुछ गड़बड़ मामला है। इससे करोड़ों रुपयों की आय राजस्थान के खजाने में हो सकती है, वह नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बिक्री कर के बारे में बहुत सुन्दर निर्णय लिया है। आपको मैं बताऊं, मैं राजस्थान सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ के बिक्री कर का आप अध्ययन कीजिये। आप व्यापारियों और सबके हितचिंतक हैं, समाज में भ्रष्टाचार मिटे यह आप सब चाहते ही हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के बिक्री कर का अध्ययन कराकर राजस्थान में उसको लागू करने की कोशिश कीजिये। इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। आप इस बात की चिन्ता मत कीजिये। वहाँ के कांग्रेस के मुख्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह जी हैं। अच्छे कामों में नकल करने में कोई दिक्कत नहीं है करनी चाहिए।

164

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अब अनुरोध यह करना चाहता हूँ कि वैसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का जो उस दिन मैंने जवाब सुना उससे मुझे लगता है कि वह काफी चिन्तित हैं राजस्थान में शिक्षा का स्तर ठीक से बढ़े प्रचार और प्रसार भी बहुत बढ़े पर माननीय सभा पति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे मैंने अभी कुछ प्रस्ताव तैयार किये थे अपने इलाके के लोगों के शिक्षा के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 30 मार्च 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे दिनांक 30 मार्च, 1994 बुधवार के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

165

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 666 की तालिका

चूरू एवं लाडनूं मिलों को बंद होने के उपरान्त भी कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर व्यय वेतन-भत्ते इत्यादि की वर्षवार तालिका

क्र.सं.	वर्ष	चूरू	लाडनूं	कुल
1.	1989-90	8.47 लाख	8.46 लाख	16.93 लाख
2.	1990-91	15.72 लाख	10.03 लाख	25.75 लाख
3.	1991-92	16.36 लाख	9.81 लाख	26.17 लाख
4.	1992-93	18.04 लाख	10.35 लाख	28.39 लाख
5.	1993-94 दिसम्बर 93 तक	14.90 लाख	8.18 लाख	23.00 लाख
	कुल	**73.49 लाख**	**46.83 लाख**	**120.32**

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 672 का विवरण

क्रम.सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती	अनु.जाति/जनजाति के आरक्षित पद		अन्य पिछड़ी जाति
			अनु.जाति	अनु.ज.	अन्य पि.जाति
1	2	3	4	5	6
1.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप A-2 (जिला परिवीक्षा) एवं स.क्र. अधिकारी एवं समकक्ष पद)	19	4	2	4
2.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप-बी (परिवीक्षा एवं कारा-गृह कल्याण अधिकारी एवं समकक्ष)	16	3	2	3
3.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप-सी (अन्वेषक)	2	1	–	–
4.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप-डी (क. निरीक्षक)	11	3	1	2
5.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप-ई (अन्वेषक)	2	1	–	–
6.	अधीनस्थ सेवा ग्रुप-जी	115	19	14	24

1	2	3	4	5	6
	(कल्याण कार्यकर्ता/ छात्रावास/ अधीक्षक/ अध्यापक)				
7.	केयर टेकर	18	–	–	4
8.	क्राफ्ट टीचर	7	–	–	3
9.	वार्डर	12	2	2	2
10.	स्टेनोग्राफर	5	1	1	–
11.	कनिष्ट लिपिक	47	7	5	10
12.	वाहन चालक	3	–	–	1

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 673 की सूची

भिनाय विधान सभा क्षेत्र :

चिकित्सालय :
1. भिनाय
2. बादनवाडा
3. सराना
4. देवलिया कलां

औषधालय :
1. बोराडा
2. आकोडिया
3. कासीर

केकडी विधान सभा क्षेत्र :

चिकित्सालय :
1. केकडी
2. सरवाड
3. बघेरा
4. देवगढ़
5. सावर
6. कादेडा
7. नागौला
8. बाजटा

औषधालय :
1. घटियाला
2. बिसुन्दनी
3. प्रान्हेडा

उपकेन्द्र :
1. मेहरुकलां
2. जूनियां

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 675 की सूची

आइडेन्टीफाइड साइटो की सूची

1. अन्पूर्णा
2. वाकया का नया गांव
3. दरा का नया गांव
4. धोबड़ा
5. किशनपुरा
6. जलौदी
7. पायला
8. करौंदी
9. तुमीपुरा
10. रामेश्वर
11. गरदानी
12. पीपलियाँ
13. सगोदिया-I
14. देवगढ़
15. लक्ष्मीपुरा
16. परेता
17. कंजारी सीलोर
18. मरड़िया हद्दा
19. पलका
20. खरीपुर
21. हरीपुरा
22. गोपालपुरा
23. कुम्हारी का नाका
24. बसोल
25. देहरी का खाल
26. नलीपुरा
27. सन्डीला
28. कोराखाल
29. देवरी
30. गुजर खेडी
31. नाथ नाथड़ी
32. बांसी
33. खेरूला
34. बड़ी पड़ाव
35. छोटी पड़ाव
36. टेहला
37. दान्ता
38. पानीडाल
39. आकोलिया-I
40. आकोलिया-II
41. रामेश्वर
42. लक्ष्मीपुरा
43. देवरी बंजारी
44. गंवार
45. माण्ड गांव
46. संगाठिया-II
47. बैन्थली
48. भैरूपुरा-II
49. केशोपुरा
50. विषधारी
51. कोलाहिड़ा
52. पंगारा
53. प्लास्तुनी
54. जावरा
55. गुरजानिया
56. सलावलिया
57. नानकसागर (वड़फू)
58. शाहीपुरा
59. डादून्दा
60. माछली
61. गरडदा

168

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 683 की सूची

विन्दु संख्या एक की सूची

जयपुर नगर निगम की सीमा में झोटवाड़ा, आमेर एवं सांगानेर पंचायत समिति के निम्न विद्यालय नगरीय सीमा में आ गये हैं—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम विद्यालय
1.	आमेर	1. हरमाड़ा
		2. जोडला
		3. नींदड
		4. ढाणी रामबाग
		5. मांचड़ा
		6. बढारण्व
2.	सांगानेर	1. जोतडावाला
		2. मदरामपुरा
		3. कोकावास
		4. सायपुरा
		5. गोविन्दपुरा
		6. हरिपुरा
		7. लोरी
		8. लखेसरा
		9. रोपाड़ा
		10. भावगढ़बन्धा
		11. रामनगरिया
		12. उदयपुरगिलारिया
		13. खातीपुरा
		14. मेडला
		15. किश्या
		16. मुरलीपुरा
		17. पीलावाला
		18. मनोहरपुरा
		19. महल नरसिंगपुरा
		20. श्योपुर
		21. बम्बाला
		22. चक गेटोर
		23. नगरियावाला

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम विद्यालय
		24. टीबा श्योपुरा
		25. दहलावास
		26. सुखपुरिया
		27. चेतरीवाला
		28. जसरपुरा
		29. श्रृंगारपुरा
		30. रामपुरा
		31. मायावास
		32. गणपतपुरा
		33. भॉकरोटा
		34. बोयथावास
		35. हसनपुरावास भॉकरोटा
		36. कल्याणपुरा
		37. खजडाका वास
		38. धोलाई
		39. सलिया
		40. मेवाऊ
		41. सलालपुरा
		42. खोज्यावाला
		43. चिमनपुरा
3.	झोटवाड़ा	पॉचय
		1. पॉचयावाला
		2. शिवावाला
		3. गोकुलपुरा
		4. झूंथवाली
		5. बजैयपुरा
		6. किशोरपुरा
		7. सिरसी (छात्र)
		8. सिरसी (छात्रा)
		9. महर्षि आश्रम
		10. गण्डीमेराबाढ़
		11. गोविन्दपुरा
		12. नांगलजैसा बोरा
		13. चरणनदी प्रथम

(170)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम विद्यालय
		14. चरणनदी द्वितीय
		15. महापुरा खेड़ा
		16. हरनाथपुरा
		17. बेरिया
		18. हीरापुरा
		19. बालखुरा
		20. ढावास
		21. गिरधारीपुरा
		22. गजसिंहपुरा
		23. गुडावास
		24. जैसिंपुरा खोर
		25. रीवनगढ़
		26. मानपुरा सडवा

परिशिष्ट-6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

छात्रावासों में नियुक्त अंशकालीन कर्मचारी

686. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना), श्री रूपाराम (मकराना) एवं श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों एवं छात्रावासों में 350 रुपये प्रति माह पर अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी कब से कार्यरत है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन कर्मचारियों को समय पर भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों और छात्रावासों में 350/-रुपये प्रति माह पर नियुक्त अंशकालीन कर्मचारियों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है। इन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। सामान्यत : दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन कर्मचारियों को समय पर भत्ता दिया जाता है।

वर्षवार कार्य आरम्भ अंशकालीन कर्मचारियों की सूची

क्र.स.		कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की संख्या
1.	1982 से पूर्व	4
2.	1982	40
3.	1983	8
4.	1984	9
5.	1985	13
6.	1986	17
7.	1987	21
8.	1988	28
9.	1989	35
10.	1990	30
11.	1991	64
12.	1992	33
13.	1993	313
14.	1994	97
	योग	762

विशेष नोट :— इसमें जिला जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, और बांसवाड़ा की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं है। उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

राज्य में घाटे पर चल रहे सार्वजनिक उपक्रम

687.**श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) :** — क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौन से उपक्रम कब-कब से घाटे में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि का घाटा हुआ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले 5 वर्षों में राजकीय उपक्रमों में रहे घाटे का विवरण दिनांक 31-3-92 को संचित हानि सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) सरकार घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता, पुनर्जीवन की संभावना, श्रमिकों के हितों आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। इसमें निहित जटिल व्यावहारिक समस्याओं को देखते

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

हुए समय सीमा का निर्धारण सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(3) राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में गत पांच वर्षों में हुए घाटे का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सोम कमला आम्बा सिंचाई परियोजना

688. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयसमन्द एवं लघु सिंचाई योजना के रख-रखाव और नहरों व नहर प्रणाली की सफाई की क्या व्यवस्था है ?

(2) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के किसानों हेतु सरकार की सिंचाई विस्तार की कौन-कौन सी योजनायें लम्बित हैं ? अब तक योजनाओं में क्या प्रगति हुई ?

(3) सोम कमला आम्बा योजना की हाई कैनाल में कितने गांव सिंचित क्षेत्र में आते हैं ? यह सिंचाई परियोजना कब से आरम्भ की गई तथा कब तक पूर्ण की जायेगी ?

(4) इस योजना के डूब क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के पुनः स्थापित की अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सामान्यतयाः जयसमन्द एवं लघु सिंचाई योजनाओं और इनकी नहर प्रणाली के रख रखाव एवं सफाई की व्यवस्था रख रखाव मद में उपलब्ध सीमित धनराशि के अनुरूप की जाती हैं। आवश्यक मरम्मत के कार्य राहत विभाग द्वारा आवंटित धनराशि के अन्तर्गत करवाये जाने के प्रयास भी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ सम्भव हो पाता हैं छोटी नहरों की सफाई का कार्य काश्तकारों की भागीदारी एवं सहयोग से भी किया जाता है।

(2) सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विस्तार हेतु विशिष्ठ योजना संगठन एवं अकाल राहत में प्रारम्भ की गई अम्बामाता, गोपालपुरा, साजेला, धावडी-मगरी एवं खरका अपूर्ण लघु सिंचाई योजनायें अधूरी हैं। इनमें से अम्बामाता, गोपालपुरा एवं खरका की योजनाओं का कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत प्रगति पर हैं। अम्बामाता सिंचाई परियोजना जर्मन सहायता के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। शेष अपूर्ण योजनाओं का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(3) हाई लेवल कैनाल के सिंचित क्षेत्र में 24 गांव आते हैं इस सोम कमला आम्बा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ हुआ हैं तथा वर्ष 1997 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) सोम कमला आम्बा परियोजना के डूब क्षेत्र के विस्थापित कृषकों को पूर्ण स्थापित करने की अब तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैं :—

(I) विस्थापितों को 1610.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(II) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नार्म्स के अनुसार ग्रान्ट-इन-एड का भुगतान किया जा रहा है।

(III) विस्थापितों के पुनर्वास के स्थानों पर सामान्य सुविधाओं जैसे पटवार घर, स्कूल, भवन, बीज गोदाम, पंचायत भवन, डिस्पेन्सरी भवन, सड़क, पेयजल हेतु हैडपम्प इत्यादि के कार्य करवाये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापनरत शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के समकक्ष सुविधाएं

689. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) अभी तक किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्रामीण पंचायत हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को शहरी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के समकक्ष सुविधायें प्रदान करने की नीति रखती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

वर्ष 1994-95 में सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है।

(2) किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है :—

1. किशनगढ़ (छात्र)
2. किशनगढ़ (छात्रा)
3. हरमाड़ा (छात्र)
4. रूपनगर (छात्र)
5. अराई (छात्र)

(3) जी नहीं।

राजसमंद जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

690. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमंद जिले के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में कहां-कहां पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद सृजित हैं ? सूची चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में वर्तमान में विभिन्न पदों पर कौन-कौन चिकित्सक कब-से कार्यरत है ?

(3) विभिन्न चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(4) रिक्त पदों को विभाग द्वारा कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग एक के लिए संलग्न सूची में चाहा गया विवरण अंकित है।

(3) प्रश्न के भाग एक के लिए संलग्न सूची में चाही गई सूचना उपलब्ध है।

(4) चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है, अन्य वर्ग के रिक्त पद प्रशिक्षित पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

राज्य वन सेवा के पदों पर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को लगाया जाना

691. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :

(174)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में राजस्थान को अधिक आवण्टित भारतीय वन सेवा के 10 अधिकारियों को राज्य से वापस भेजने हेतु सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा था? यदि हां, तो क्यों और क्या इन अधिकारियों को राजस्थान राज्य में वापिस समायोजित कर लिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(2) पिछले 10 वर्षों में राजस्थान वन सेवा के कितने अधिकारियों को हटाकर उन्हीं पदों को अतिक्रमित कर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को लगाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भी राजस्थान वन सेवा के पदों को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में भारतीय वन सेवा के पहले से पदस्थापित अधिकारियों को भी कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति नहीं दी जा सकी थी, क्योंकि वरिष्ठ पदों में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो रही थी। वर्ष 1989-90 बैच से अधिकारी स्वीकार करने पर इस स्थिति का और भी विषम हो जाना सुनिश्चित था, अतएव भारत सरकार को लिखा गया था कि राज्य सरकार प्रस्तावित 11 अधिकारियों के बजाय एक या दो अधिकारी स्वीकार कर सकेगी, परन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को नहीं माना, अतएव राज्य सरकार के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। भारतीय वन सेवा में नियुक्ति व संवर्ग आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। इस प्रकार का आवंटन संवर्ग संख्या (कैडर स्टैंथ) के अन्तर्गत ही होता है और किसी अन्य संवर्ग अर्थात् राज्य सेवा संवर्ग आदि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अतएव समायोजन की इसमें कोई बात नहीं है।

(2) राजस्थान वन सेवा संवर्ग एवं भारतीय वन सेवा संवर्ग दोनों अलग-अलग है और दोनो ही संवर्गों हेतु पद भी अलग-अलग स्वीकृत हैं। भारतीय वन सेवा में कुल 105 विभिन्न पद स्वीकृत हैं जिनमें 15 पद असंवर्गीय (एक्स. कैडर) भी सम्मिलित हैं। राजस्थान वन सेवा में कुल 126 विभिन्न संवर्ग (कैडर) पद स्वीकृत हैं। दोनों सेवाओं में स्वीकृत पदों में से उप वन संरक्षक के क्रमशः 40 व 43 पद हैं। उप वन संरक्षक के किसी भी पद पर भारतीय वन सेवा अथवा राजस्थान वन सेवा के अधिकारी को पदस्थापित किया जाना नियमों में मान्य है, अतएव किसी पद विशेष को अतिक्रमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं।

राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

692. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शान्ति कुमार धारीवाल)

(1) राजस्थान में विद्यमान किन-किन सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है ?

(2) उनमें से किस-किस योजना को योजना आयोग एवं सेन्ट्रल वाटर बोर्ड को विचारार्थ भेजी गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है, उनकी सूची प्रपत्र-I में दर्शायी गई है।

(2) उक्त योजनाओं में से केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग को विचारार्थ भेजी गई, योजनाओं की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र "II" में संलग्न है।

प्रपत्र—I

राजस्थान में विद्यमान जिन-जिन सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की स्कीम बनाई गई, उनकी सूची

	सिंचाई सम्भाग	जिला
(अ)	उदयपुर सम्भाग	
	1. मेजा-मेजा फीडर	भीलवाड़ा
	2. जय समन्द	उदयपुर
	3. गम्भीरी	चित्तौड़गढ़
	4. राज समन्द	राज समन्द
(ब)	जयपुर सम्भाग	
	1. मोरेल	सवाई माधोपुर
	2. माशी	टौंक
	3. छापरवाड़ा	जयपुर
	4. कालख सागर	जयपुर
	5. जग्गर	सवाई माधोपुर
	6. जय समन्द	अलवर
	7. गलवा	टौंक
	8. पार्वती	धौलपुर
(स)	उत्तर सम्भाग हनुमानगढ़	
	1. गंग कैनाल-लिंक चैनल	श्री गंगानगर
	2. भाँखड़ा नहर प्रणाली	श्री गंगानगर
(द)	कोटा सम्भाग	
	1. गुढ़ा	बूंदी

	2. आलनिया	कोटा	
	3. परवन	कोटा	
	4. पार्वती	बांरा	
(ई)	जोधपुर सम्भाग		
	1. जसवन्त सागर	जोधपुर	
	2. बाँकली	जालौर	
	3. जवाई/बीठीया	पाली	पर्वू में जवाई नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी बीठीया के आधुनिकीकरण की अलग से योजना स्वीकृत हुई थी। जिसे अब जवाई आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।
	4. आखेलाव मान सरोवर	सिरोही	

प्रपत्र-II

केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग को भेजी गई आधुनिकीकरण योजनाओं की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

1. मेजा-मेजा फीडर (जिला भीलवाड़ा)

जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.3.91 में परियोजना (लागत 31.62 करोड़ रु.) की स्वीकृत योग्य पाया गया किन्तु योजना आयोग से वित्तीय निवेश की अनुमति आपेक्षित है, जिसके लिए प्रयास जारी हैं।

2. जय समन्द (जिला उदयपुर)

योजना आयोग की वित्तीय निवेश की अनुमति के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (12.40 करोड़ रु.) जारी कर दी गई है।

3. गम्भीरी (जिला चित्तौडगढ़)

परियोजना का प्रतिवेदन (लागत 449.32 लाख रु.) जनवरी, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था।। वर्ष 1984 में 1485.80 लाख रु. का संशोधित परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया है। मई, 1993 में केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना प्रतिवेदन वर्तमान मूल्य पर बनाने के लिए कहा है, जो तैयार किया जा रहा है।

4. गंग कैनाल-लिंक चैनल (जिला श्री गंगानगर)

परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति (लागत 87.50 करोड़ रु.) राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1983 में जारी की गई थी। परियोजना का संशोधित प्रतिवेदन लागत 250.84 करोड़ रु. का मुख्य अभियन्ता, उत्तर सम्भाग, हनुमानगढ़ द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को फरवरी, 1993 में प्रस्तुत किया गया है। माह नवम्बर, 93 में कुछ आक्षेपों की पूर्ति हेतु मुख्य अभि. उत्तर हनुमानगढ़ को भिजवाया गया। आक्षेपों की पूर्ति की जा रही है।

5. मोरेल (जिला-सवाई माधोपुर)

परियोजना का प्रतिवेदन (लागत 1000.00 लाख रु.) केन्द्रीय जल आयोग को वर्ष 1981 में प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार इस परियोजना की हाइड्रोलोजी इत्यादि

का विस्तृत अध्ययन कराया गया तथा परियोजना पर प्राप्त अन्य आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है।

6. भाखड़ा नहर प्रणाली (जिला-श्री गंगानगर)

भाखड़ा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना (लागत 34.05 करोड़ रु.) केन्द्रीय जल आयोग को दिसम्बर 1979 में प्रस्तुत की गई। केन्द्रीय जल आयोग के आक्षेपों के निराकरण उपरान्त वर्तमान मूल्यों पर परियोजना का प्रतिवेदन मुख्य अभियन्ता, उत्तर सम्भाग, हनुमानगढ़ द्वारा तैयार किया जा रहा है।

7. गलवा (जिला टौंक)

परियोजना का प्रतिवेदन (लागत 258.54 लाख रु.) वर्ष 1980 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था। पुनः 681.20 लाख रु. की लागत की परियोजना वर्ष 1990 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई। केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार परियोजना प्रतिवेदन वर्तमान मूल्यों पर तैयार किया जा रहा है।

8. पार्वती (जिला-धौलपुर)

वर्ष 1981 में परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था, जो पत्राचार में रहा। तत्पश्चात् वर्ष 1989 में बांध के आधुनिकीकरण का प्रतिवेदन (स्टेज-I) (लागत 510.63 लाख रु.) केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया। अब इस कार्य को विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत चल रही बांध सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है।

9. परवन (जिला-कोटा)

परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा (लागत 93.302 लाख रु.) मार्च 1981 में जारी की गई। तत्पश्चात् दिसम्बर 1988 में परियोजना का अपडेटेड प्रतिवेदन लागत 264.39 लाख रु. केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया, जो पत्राचार में है।

10. पार्वती (जिला-बांरा)

वर्ष 1991 में परियोजना का प्रतिवेदन (लागत 1095.00 लाख रु.) केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया। किन्तु पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति व अन्तर्राज्यीय सहमति के अभाव में परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित है।

11. गुढ़ा (जिला-बूंदी)

वर्ष 1980 में केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग के चाहेनुसार परियोजना का वर्तमान मूल्यों पर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

12. राज समन्द (जिला- राज समन्द)

परियोजना का प्रतिवेदन वर्ष 1986 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया किन्तु जांच के दौरान पाया गया कि बांध स्थल पर पानी की आवक प्रतिवेदन में दर्शाई गई आवक से काफी कम है। अतः परियोजना को ड्रोप कर दिया गया है।

13. आलनिया (जिला कोटा)

वर्ष 1988 में परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया था। (लागत 277.00 लाख रु.) किन्तु केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना का टेक्नों-इकोनोमीकली वायबल नहीं पाया है।

(178)

विकलांगों के लिए शिक्षा नीति

693. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में दिनांक 1 अप्रेल, 1993 से गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि नियम, 1993 में राज्य में समस्त प्रकार की गैर सरकारी मूक बधिर विकलांग आदि संस्थाओं तथा विद्यालयों पर भी लागू है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नियम में विकलांगों से सम्बन्धित विद्यालय/संस्थायें भी परिधि में लेने से कई विसंगतियां तथा कठिनाइयां खड़ी होने पर ऐसी संस्थाओं के प्रतिवेदन एवं ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो ज्ञापन कितनी संस्थाओं ने किस आधार पर सरकार को प्रस्तुत किये और सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

(3) क्या सरकार विकलांगों की सेवा जो मानव कल्याण है, की संस्थाओं के लिए अलग विकलांग शिक्षा नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नए नियमों में विकलांगों की शिक्षा के लिए वर्गीकरण नहीं है ? यदि हां, तो विकलांग शिक्षा एवं संस्थाओं पर कौन से नियम लागू होंगे ? विवरण सहित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विकलांग शिक्षा के लिए निजी संस्थाओं पर बनाये नियमों से मुक्त कर अलग नियम एवं नीति नियमों से मुक्त अलग नियम एवं नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब से किस प्रकार से लागू किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हाँ

(2) जी हाँ। बधिर बाल कल्याण समिति, भीलवाड़ा से इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में ऐसे विद्यालयों के लिए नये नियम बनाने एवं उनके बनने तक नवीन अनुदान नियम, 1993 लागू न करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में नियमों में आवश्यक प्रावधान करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार विकलांगों से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में सजग है। इन नियमों में विकलांगों से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में अलग से प्रावधान किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(4) जी हां। नवीन अनुदान में सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए समान रूप से लागू होने वाले प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं यथा मूक बधिर अन्ध एवं विकलांग संस्थाओं के सम्बन्ध में इन्हीं नियमों के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

5. जी नहीं। इन संस्थाओं के लिए नये अनुदान नियमों के अन्तर्गत ही आवश्यक प्रावधान किये जावेंगे।

रेडियो थैरेपी यूनिट के तहत काम में आने वाली मशीनें

694. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) एवं श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) राज्य में रेडियो थैरेपी यूनिट के तहत अलग-अलग मेडिकल कालेज व चिकित्सालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मज पर रखें।

(2) रेडियो थैरेपी यूनिट के तहत कौन-कौन सी मशीनें काम में ली जाती है एवं उनमें से कौन कौनसी मशीन किस-किस जगह लगाई हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितनी मशीनें चालू हालत में हैं तथा कौन कौनसी मशीनें कब से खराब पड़ी है या मंगाने के बाद लगाई ही नहीं गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कलेजवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रेडियो थैरेपी यूनिट के तहत निम्न मशीनें काम में ली जाती हैं—

1. कोबाल्ट इकाई
2. लीनियर एक्सेलेटर
3. रिमोट आफ्टर लोडिंग बेक्रीथैरेपी
4. ट्रिटमेन्ट प्लानिंग
5. सिमुलेटर
6. मोल्ड रूम सिस्टम

इनमें से लगाई गई मशीनों का कालेजवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कालेजवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

पदनाम	मेडिकल कालेज, जयपुर	जोधपुर	उदयपुर	बीकनेर	'अजमेर	कोटा
आचार्य	1	1	1	1	–	–
सह आचार्य	1	1	1	1	1	–
सहायक आचार्य	1	3	2	2	1	–

उपरोक्त पदों के अलावा प्रत्येक रेडियो थैरेपी यूनिट में पर्याप्त संख्या में रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स आदि के पद स्वीकृत हैं।

क्र.सं.	कालेज का नाम	लगाई गई मशीनों के नाम
1.	मेडिकल कालेज, जयपुर	1. कोबाल्ट मशीनें 2 (इनमें से एक कोबो-थैराट्रोन 780 सी. मशीन एम.एल.सराफ रूम में लगी हुई है)
2.	मेडिकल कालेज, उदयपुर	1. कोबाल्ट थैरेपी यूनिट 2. बेक्री थैरेपी यूनिट 3. डीप थैरेपी यूनिट
3.	मेडिकल कालेज, बीकानेर	1. कोबाल्ट-60 टैली थैरेपी यूनिट 2. कोबाल्ट 780 सी. टैली थैरेपी यूनिट 3. बेक्री थैरेपी बी.ए.आर.सी.आफ्टर लोडिंग सिस्टम।

(180)

क्र.सं.	कालेज का नाम	लगाई गई मशीनों के नाम
4.	मेडिकल कालेज, अजमेर	1. कोबाल्ट मशीन
5.	मेडिकल कालेज, जोधपुर	1. कोबाल्ट टैली थैरेपी मशीन 2. बेक्री थैरेपी मशीन
6.	मेडिकल कालेज, कोटा	रेडियो थैरेपी यूनिट की स्थापना नहीं हुई है।

क्र.सं.	कालेज का नाम	चालू/खराब पड़ी मशीनों का विवरण
1.	मेडिकल कालेज, जयपुर	दो कोबाल्ट मशीनें है जिनमें से एक चालू हालत में है, दूसरी मशीन 1985 में क्रय की गई थी जो कि सीर्स के अभाव में चालू नहीं की जा सकी है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
2.	मेडिकल कालेज, उदयपुर	दो मशीनें चालू हैं। तीसरी डीप थैरेपी मशीन लगभग 20 वर्ष पुरानी है एवं वर्ष 1985-86 से खराब पड़ी है। यह मरम्मत योग्य नहीं है।
3.	मेडिकल कालेज, बीकानेर	कोई मशीन खराब नहीं है। दोनों मशीनें काम कर रही है। तीसरी कोबाल्ट 780 सी. मशीन लग चुकी है। रेडियो एक्टिव सोर्स व एयर कण्डीशनर की व्यवस्था होते ही चालू कर दी जाएगी।
4.	मेडिकल कालेज, अजमेर	कोबाल्ट मशीन उपलब्ध है। अभी स्थापित नहीं की गई है भवन निर्माण कार्य चल रहा है। इस वर्ष इसकी स्थापना हो जाएगी।
5.	मेडिकल कालेज, जोधपुर	बेक्री थैरेपी मशीन चालू है। कोबाल्ट थैरेपी मशीन दिनांक 12.3.94 से खराब है। मरम्मत हेतु कम्पनी से इंजीनियर बुलाया जा रहा है।
6.	मेडिकल कालज, कोटा	इस कालेज में रेडियो थैरेपी यूनिट स्थापित नहीं है।

पाली जिले में डार्कजोन में आने वाले गांव

695.श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में डार्क जोन में कौन-कौन से गांवों को लिया गया है और किन-किन कारणों के आधार पर उन्हें डार्क जोन घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 में जैतारण विधान सभा क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त कर श्वेत जोन कर दिया गया था? यदि हां, तो राष्ट्रपति शासन में वापस डार्क जोन किन कारणों से घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार जैतारण क्षेत्र का पुनः सर्वे करवाकर श्वेत जोन घोषित करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पाली जिले में डार्क जोन के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। जिन क्षेत्रों में भू-जल विकास का स्तर 85 प्रतिशत से अधिक होता है वे क्षेत्र डार्क जोन में वर्गीकृत किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। वर्ष 1991-92 में किये गये भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर जैतारण पंचायत समिति में कुल चार जोन निर्धारत किये गये है। जोन "ए" व जोन "बीएन" ग्रे की श्रेणी में व जोन "एओ" व जोन "एलएस"/एसएस"। डार्क श्रेणी में वर्गीकृत है।

(3) वर्ष 1993 के आंकडों के आधार पर तैयार प्रतिवेदन भूजल आंकलन समिति के स्तर पर विचाराधीन हैं। किसी क्षेत्र में परिवर्तन पाया गया तो उसका पुनर्निधारण तदनुसार सम्भव होगा। श्वेत जोन या डार्क जोन की घोषणा विभाग की इच्छा पर नहीं होती, यदि पानी की कमी हैं तो डार्क जोन घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। यदि ऐसे मामलों में विभाग द्वारा तात्कालिक कदम नहीं उठाये जाते है और अतिरिक्त पानी का दोहन होता रहता है तो काश्तकारों के मौजूदा कुओं का जलस्तर और अधिक गिर जायेगा जिससे उन्हें अत्यधिक क्षति होगी। अत : डार्क जोन क्षेत्रों में पानी के अतिरिक्त दोहन को रोकना जनहित में हैं।

भाग-1 से सम्बन्धित सूचना

पाली जिले में "डार्क जोन" के अन्तर्गत आने वाले गावों की सूची :

1. पंचायत समिति जैतारण

जोन ए.ओ. 1 (ओल्डर ऐल्यूवियम)

1. आगेवा	2. आकोड़िया	3. बालारा
4. बलूपुरा	5. बलून्दा	6. बाकांस
7. बस्सी	8. भाकरवास	9. बूम्बलिया
10. चक-पाटुस	11. चावन्डियां	12. डागला
13. देवरिया	14. धनेरिया	15. फाल्का
16. गंगालीया	17. ग्यास	18. हिगोनिया
19. जनासनी	20. जैतारन चक्र	21. जोधावास
22. झुझन्डा	23. कानावास	24. कावंलिया कंला
25. कावंलिया खुर्द	26. खाती खेड़ा	27. काटमोर
28. कालू	29. कारोलिया	30. काकीनडेरा
31. खराड़ी	32. खारचिया	33. कानेचा
34. खीन्डावास	35. खेड़ा-रामगढ़	36. खेड़ा-देवगढ़
37. खीनावड़ी	38. खेड़ा मोलावास	39. का कुरकी
40. लाम्बिया	41. लिखमानिया	42. लिलेरा

182

43. लूम्बरावास	44. हुनावास कलां	45. हुनावास खुर्द	
46. मानपुरा	47. निमाज	48. निम्बेड़ा खुर्द	
49. ओडावास	50. पाटुस	51. पीपारा	
52. प्रतापपुरा	53. राबड़िवास	54. राजादण्ड	
55. रामावास कलां	56. रामावास खुर्द	57. रानीवाल	
58. रतनपुरा	59. साजावास	60. समोखी	
61. सामावास	62. टूंकरा	63. टिगारा	64. विजयगारा

कुल गांव :64 (चौसठ)

जोन एल.एस.एस.एस. (लाइमस्टोन-सेन्डस्टोन)

1. भाकरवासनी	2. बेड़ कलां	3. बेड़ खुर्द
4. बागसनी	5. डिगरना	6. गरनिया
7. जगनवास	8. लखासनी	9. लौटोती
10. लितरिया	11. निम्बोल	12. पाटवा
13. पृथ्वीपुरा	14. सूड़ला	15. टीबरी

कुल गांव-15 (पन्द्रह)

2 पंचायत समिति रायपुर

जोन पी.एच. (फाइलाइट)

1. बांसिया	2. बासनी डाडवारियान	3. बासनी कवियां	
4. देवलीकलां	5. करमावास	6. मोहरा कलां	
7. निम्बेरा कलां	8. नोख	9. रामपुरा कलां	10. सिंगला

कुल गांव : (10) दस

जोन जी.आर. 1 (ग्रेनाइट)

1. आकेली	2. बागीयारा	3. बाली	
4. बिराटियां कलां	5. बोगासनी	6. बिराटिया खुर्द	
7. देवाला	8. धोली धर	9. गुरीया	
10. झुंठा	11. काली कांकड़	12. खीवाल	
13. कुशालपुरा	14. लीलाम्बा	15. पीपलिया	16. रायपुर

कुल गावं-16

जोन जी.एन. (नाइसीस)

1. अमरपुरा	2. असन तिलोरिया	3. बावरा
4. वर	5. बीरबासनी	6. विसावन कलां
7. विचारड़ी	8. विसावन खुर्द	9. वावरिया

10. बूटीवास	11. चैनपुरा	12. चक दीपावास	
13. चावडियाकला	14. चावडियां खुर्द	15. दीपावास	
16. देवली खुर्द	17. धूलकोट	18. फाटा खेड़ा	
19. गिरी	20. गोपालपुरा	21. हाजीवास	
22. जैतपुरा	23. झालामन्ड	24. कांचा उदावतान	
25. काया भीला	26. केसरपुरा	27. कोलपुरा	
28. खेड़ा मामावास	29. लालपुरा	30. लवचा	
31. लावामाली	32. माकड़वाली	33. मालनी	
34. मेघ धारा	35. मेसियां	36. मोहरा खुर्द	
37. मोहरा	38. नानाना	39. नाइपुरा	
40. नाहरगढ़	41. नाहरपुरा	42. पालन	
43. पीलपाया	44. प्रतापगढ़	45. राणावास	
46. रामगढ़	47. रातड़िया	48. रेलरा	
49. सबलपुरा	50. सराधना	51. सेन्दड़ा	
52. सेलपुरा	53. शाहपुरा	54. सोडपुरा	55. सुमेल

कुल गांव : 55 (पचपन)

(3) पंचायत समिति सुमेरपुर

जोन पी.एच. 1 (फाइलाइट)

1. अकाडरा	2. बांगडी	3. वीरामी
4. देवातरा	5. कांगड़ी	6. खीमाना
7. सान्डेराव	8. वेनपुरा	

कुल गांव (आठ)

खनन कार्यों से जवाहर सागर बांध को खतरा

696. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सागर बांध के करीब चम्बल नदी के किनारे हो रहे खनन कार्यों से बांध को खतरा पैदा हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मिट्टी के कटाव के कारण धीरे-धीरे इस बांध में पानी के भराव की क्षमता घट रही है जिससे आगे जाकर विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्षा ऋतु में बांध के ऊपर जंगल से बहकर आने वाली लकड़ी व कचरा आकर जमा हो जाता है व धीरे-धीरे काफी मलवा नीचे बांध में बैठ जाता है ?

(4) क्या इससे पानी की भराव क्षमता कम हो रही है? यदि हाँ, तो उसको रोकने का सरकार क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। लेकिन बांध की उपयोगी जल भराव क्षमता में कोई कमी नहीं होने से निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इससे भराव क्षमता कम हो रही है। भराव क्षमता में कमी को रोकने हेतु खनन विभाग व वन विभाग द्वारा वांछित उपाय किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद

697.**श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थाई पद नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 1990 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थाई पद स्वीकृत किया जा रहा है।

रैफरल अस्पताल व सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में एम्बुलेंस व्यवस्था

698.**श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माण्डलगढ़ रैफरल अस्पताल एवं बिजौलिया सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी?

(2) बिजौलिया सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में क्या कोई एक्सरे मशीन लगी हुई है? क्या वह चालू है? यदि नहीं, तो कब तक चालू कर दी जायेगी?

(3) क्या उक्त चिकित्सा केन्द्र में आपरेशन थियेटर चालू है और क्या इसमें आपरेशन के समस्त उपकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो आवश्यक व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) रैफरल अस्पताल, माण्डलगढ़ में एम्बुलेन्स की व्यवस्था है। बिजौलिया में नहीं है, योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उपादेयता के आधार पर एम्बुलेन्स उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां, जो चालू हालत में है।

(3) जी नहीं, समुचित भवन व्यवस्था न होने के कारण आपरेशन थियेटर कार्यरत नहीं है तथा इसी कारण से आपरेशन हेतु काम आने वाले समुचित उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराये गये है योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उदयपुर के पास खनिज रॉक फास्फेट संयंत्र की स्थापना

699.**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. द्वारा खनिज रॉक फास्फेट के परिशोधन हेतु उदयपुर के पास एक संयंत्र लगाया गया है ?

(2) इस संयंत्र की स्थापना में अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

(3) यह संयंत्र कब स्थापित किया गया था और इसकी परिशोधन क्षमता कितनी थी ? उस क्षमता के अनुरूप स्थापित होने से अब तक संयंत्र द्वारा कितना खनिज परिशोधन किया गया ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संयंत्र द्वारा किया गया उत्पादन इसकी क्षमता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. (आर. एस. एम. डी. सी.) द्वारा रॉक फास्फेट खनिज के परिशोधन हेतु उदयपुर के पास कोई संयंत्र नहीं लगाया गया है। राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर. एस. एम. एम.) द्वारा रॉक फास्फेट खनिज के परिशोधन हेतु उदयपुर के समीप झामरकोटड़ा में एक संयंत्र स्थापित किया गया है।

(2) कुल 118.61 करोड़ रुपये।

(3) झामर कोटड़ा परिशोधन संयंत्र के विभिन्न कार्य भिन्न-भिन्न समय पर पूरे किये गये हैं।

यह संयंत्र माह अक्टूबर, 1993 में निर्माण पूर्ण होने पर स्थापित घोषित किया गया है।

संयंत्र की कुल परिशोधन क्षमता 4.3 लाख टन निम्न श्रेणी रॉक फास्फेट खनिज प्रतिवर्ष है। वर्ष 1993-94 में (31 जनवरी, 1994 तक) कुल 1,35,205 टन निम्न श्रेणी खनिज का परिशोधन किया गया है।

(4) यह उत्पादन क्षमता के अनुरूप तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु संतोषप्रद है। इस प्रकार के किसी भी बड़े संयंत्र में स्थापना के बाद लगभग एक वर्ष तक धीरे-धीरे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है, तथा इस बीच संयंत्र में परिलक्षित कमियों को दूर किया जाता है। यह परिशोधन संयंत्र भी इसी दौर में हैं।

झुन्झुनूं जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

700. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झुन्झुनूं जिले के विद्यालयों में कितने अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा कितने दूसरे विषयों के अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? उनको भरने की सरकार की क्या नीति है ? इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

रिक्त पदों को विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के पद लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद 94-95 सत्र प्रारम्भ से पूर्व भरे जा सकेंगे। तृतीय वेतन श्रृंखला के 2 पद महिला आशार्थियों की सूची समाप्त होने से वर्ष 94-95 की भर्ती के समय भरे जा सकेंगे एवं शेष 11 पद भी 94-95 सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भरे जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सीकर में 100 शैय्याओं का जनाना अस्पताल

701.श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) सीकर के जनाना अस्पताल में 100 शैय्याओं की राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई थी ?

(2) क्या इसका निर्माण किसी संस्था द्वारा किया जाना था ? क्या निर्माण की कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी ?

(3) क्या संस्था व सरकार के बीच इस सरकारी जनाना अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर में 100 शैया-युक्त जनाना अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 22.9.1988 में जारी की गई थी।

(2) भवन निर्माण विभिन्न दान दाताओं के सहयोग से जन कल्याण समिति, सीकर के माध्यम से किया जाना था।

जी हां। निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में हुए इकरारनामें की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोष एवं लेखा विभाग में पदोन्नति एवं बैक लॉग को पूरा करना।

702.श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन), श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने कोष एवं लेखा विभाग में लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के क्रम में कोई जांच रिपोर्ट जारी की थी ? यदि हां तो रिपोंट में पाई गई कमियों को क्या दूर कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकारों/लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारयों के पदों का आरक्षित बैकलॉग है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ष 1990 से 1993-94 तक वर्षवार रिक्त आरक्षित बैकलॉग की पदवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/ जनजाति का लेखाकार/सहायक लेखाधिकारियों एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों का आरक्षित बैकलॉग भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, चार अधिकारियों की समिति गठित कर कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही विवरणों की जांच कर जांच प्रतिवेदन जारी किया गया है। जांच के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनु.जाति/जनजाति के सदस्यों को नियमानुसार लाभ देने में कोई त्रुटि नहीं रही है एवं किसी प्रकार से उनके हितों पर विपरित प्रभाव नही पड़ा है। इसके पश्चात् नियम सम्बन्धी बिन्दुओं पर महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर से राय मांगी गई थी जिस पर निर्णय अपेक्षित है।

(वित्त मंत्री)

(2) जी हां। वर्षवार आरक्षित पदों को अगले वर्ष स्थानान्तरित करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के अन्त में शेष बैकलॉग की स्थिति निम्न प्रकार है।

	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
क. पदोन्नति से								
1.स. लेखा- अधिकारी	46	35	41	31	41	31	48	36
2.लेखाकार	86	73	98	90	110	81	112	83
ख. सीधी भर्ती से								
1.लेखाकार	15	12	9	7	–	–	–	–
2.क.लेखाकार	347	276	134	245	137	135	150	124

(3) जी हां। कनिष्ठ लेखाकारों/लेखाकारों के अनु.जाति/जनजाति हेतु आरक्षित बैकलॉग के पदों को भरने हेतु विशेष परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर नियुक्तियाँ कर दी जावेगी।

परिशिष्ट-7

तारांकित प्रश्न संख्या 676 की सूची

राजस्थान शिक्षाकर्मी प्रायोजन योजनान्तर्गत जिलेवार पंचायत समितियों की सूची

	जिला		पंचायत समिति का नाम
1.	अजमेर	1	अराई
		2	किशनगढ़
		3	पीसांगन
		4	मसूदा
		5	केकड़ी
2.	बाड़मेर	1	सिवाना
		2	चौहटन
		3	बालोतरा
		4	बायतू
3.	बीकानेर	1.	लूणकरणसर
		2.	कोलायत
		3.	बीकानेर

	जिला		पंचायत समिति का नाम
4.	बारां	1.	किशनगढ़
		2.	शाहबाद
5.	बांसवाड़ा	1	आनन्दपुरी
		2	घाटोल
		3	गढ़ी
		4	पीपलखूंट
		5	तलवाड़ा
		6	कुशलगढ़
		7	बागीदोरा
6.	भरतपुर	1	बयाना
		2	वैर
7.	चूरु	1	रतनगढ़
		2	सरदारशहर
8.	दौसा	1	बांदीकुई
		2	लालसोट
		3	सिकराय
9.	धौलपुर	1	बसेड़ी
10.	डूंगरपुर	1	बिच्छीवाड़ा
11.	जालौर	1	आहोर
		2	भीनमाल
		3	जालौर
12.	जयपुर	1	चाकसू
		2	दूदू
		3	कोटपूतली
13.	झालावाड़ा	1	झालरापाटन
		2	पिड़ावा
14.	जोधपुर	1	फलौदी
		2	औसियां
15.	जैसलमेर	1	सांकड़ा
16.	नागौर	1	कुचामनसिटी
		2	नागौर

	जिला	पंचायत समिति का नाम	
17.	पाली	1	बाली
18.	राजसमंद	1	कुम्भलगढ़
19.	सवाईमाधोपुर	1	करौली
		2	खण्डार
		3	सपोटरा
		4	हिण्डौन
20.	सीकर	1	नीमका थाना
21.	सिरोही	1	आबूरोड़
22.	टौंक	1	मालपुरा
		2	टौंक
23.	उदयपुर	1	सराड़ा
		2	सलुम्बर
		3	झाड़ौल
		4	कोटड़ा
		5	भिण्ड्र
जिले		23	
पंचायत समितियां		58	

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 की सूची

राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज

प्रधान :

1. कॉपर-ओर
2. आईनर-ओर
3. गेलेना(लेड-ओर)
4. स्पेलेराईट(जिंक-ओर)
5. मैगनीज-ओर
6. वोलफ्रामाईटं(टंगस्टन-ओर)
7. एमेथिस्ट
8. एक्वामेरीन
9. एसबस्टस
10. बॉलक्ले
11. बैरायटीज
12. बैरियल
13. कैलसाईट
14. चाक
15. चाईनाक्ले एण्ड वाइटक्ले
16. फैल्सपार
17. कोरण्डम
18. डोलोमाईट
19. एमरल्ड
20. एपिडोट
21. फायरक्ले

१९०

22. फलोराइट
23. गारनेट(एब्रेसिव व जेम)
24. ग्रेफाइट
25. जिप्सम
26. जेस्पार
27. कायनाइट
28. लेटेराईट
29. लाईमस्टोन
30. मेग्नेसाइट
31. माईका
32. ऑकर्स
33. पायरोफिलाइट
34. क्वार्टज
35. रेड-आक्साइड
36. रार्क-फास्फेट
37. सेलेनाईट
38. शैल
39. सिलिकासेण्ड
40. सिलियस-अर्थ
41. सिलिमिनाईट
42. स्लेट-स्टोन
43. सोपस्टोन
44. वर्मिक्युलाईट
45. वोलेस्टोनाईट
46. सल्फर-ओर(आयरन पायरोइटिज)
47. लिग्नाईट
48. प्राकृतिक गैस

अप्रधान :

49. बेन्टोनाईट
50. ईट-मिट्टी
51. मुल्तानी मिट्टी
52. चर्ट
53. ग्रेनाईट
54. कंकर बजरी
55. लाईम कंकर
56. लाईमस्टोन(बिल्डिंग)
57. मार्बल ब्लाक/खण्डा/चिप्स पाउड़र
58. मेसेनरी स्टोन
59. मुरर्म
60. फिलाईट सिस्ट आदि।
61. कवार्टजाईट
62. साल्टपीटर
63. सेण्डस्टोन
64. सरपेन्टाईन
65. रायोलाईट
66. शैल
67. स्लेटस्टोन
68. मिलस्टोन

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 की सूची

:: अल्पावधि परमिट लेने वालों की सूची ::

क्र.स.	नाम परमिट लेने वाले का	परमिट जारी का दिनांक	स्थान	तहसील	मात्रा खनिज	परमिट अवधि समाप्ति तिथि	कार्यालय जहां जारी हुआ
1.	श्री सुखदेव थावला	24.1.94	गगराणा	मेड़ता	200 टन	15.2.94	नागौर
2.	श्री राधाकिशन खेण	24.1.94	खेरवाड़	नागौर	400 टन	15.3.94	"
3.	श्री अब्दुल मजीद मेड़ता	24.1.94	बीटन	मेड़ता	500 टन	28.2.94	"
4.	श्री महीपाल रातंगा	02.2.94	गगवाना	नागौर	200 टन	20.3.94	"
5.	श्री बाबुशाह थावला	15.2.94	गगराणा	मेड़ता	200 टन	17.3.94	गोटन
6.	श्री ओमप्रकाश थावला	17.2.94	"	"	100 टन	16.3.94	"
7.	श्री अहमद हुसैन मेड़ता	20.2.94	"	"	100 टन	19.3.94	"
8.	श्री वजीर खां थावला	19.2.94	"	"	100 टन	18.3.94	"
9.	श्री देवीलाल बग्गड़	21.2.94	"	"	100 टन	20.3.94	"
10.	श्री बाबुलाल कुमावत थावला	21.2.94	"	"	100 टन	20.3.94	"

(191)

परिशिष्ट-"अ"

परिशिष्ट-10

अतांराकित प्रश्न संख्या 1027 का विवरण

क्षेत्रवार लम्बित आवेदन-पत्रों की सूची
दिनांक 28.2.1994 तक

1.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,उदयपुर वृत, उदयपुर	179
2.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,जयपुर वृत, जयपुर	376
3.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,जोधपुर वृत,जोधपुर	112
4.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,बीकानेर वृत,बीकानेर	105
5.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,कोटा वृत, कोटा	33
6.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,भरतपुर वृत, भरतपुर	56
7.	अधीक्षण खनि अभियन्ता,भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा	177
		1038

परिशिष्ट "ब"

खनिजवार लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

दिनांक 28.2.94 तक

1.	लाइमस्टोन	200
2.	अन्य परिष्ठ खनिज	220
3.	सोपस्टोन	112 (प्रतिबंधित तहसील सहित)
4.	क्वार्टज व फैल्सपार	246
5.	मायका,केल्साईट	134
	सिलिसियस– अर्थ और जैसपार	
6.	क्लेज़ एण्ड सीलिका	92
7.	ओकरस व अन्य	26
	योग	1038

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 का विवरण

अवैध खनन के मामलों मे पिछले 5 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. स.	नाम	खनिज का नाम	वसूल की गई राशि
1.	कालूराम/कंवरला	मेसेनरी स्टोन	400.00
2.	गोपालाल/देवीलाल	" "	1600.00
3.	परमानंद/देवीलाल	" "	250.00
4.	दुर्गालाल/विजयसिंह	" "	400.00

क्र. स.	नाम	खनिज का नाम	वसुल की गई राशि
5.	इगनियास/पियूष	सेंडस्टोन	1000.00
6.	गंगाराम/भुवाना	" "	4492.00
7.	नरसिंह/बद्रीलाल	मेसेनरी स्टोन	923.00
8.	नैनसिंह/बाबूसिंह	" "	827.00
9.	राजेश/भवानीसिंह	" "	850.00
10.	छुट्टन/नुरुद्दीन	" "	240.00
11.	रामदयाल	" "	250.00
12.	गोरधनसिंह	" "	250.00
13.	कालूराम/किशनलाल	मेसेनरी स्टोन	550.00
14.	छुट्टन/नुरुद्दीन	" "	240.00
15.	लालचन्द/मथुरालाल	सेंडस्टोन	260.00
16.	ओम/मोहन गूर्जर	" "	720.00
17.	शिवाजी नागर	" "	720.00
18.	ओम/किशनलाल	" "	540.00
19.	छीतर/भैरुं गूर्जर	" "	1080.00
20.	नन्दा/नारायण बंजारा	" "	900.00
21.	प्रभूलाल खटीक	" "	540.00
22.	उमरावसिंह/उदयसिंह	लाईमस्टोन	6300.00
23.	कदीरमोह/पीरमोह	" "	540.00
24.	अब्दुलरशीद/अब्दुल गफूर	" "	420.00
25.	कजोड़/रामनाथ कताल	" "	6300.00
26.	संगीरमोह/अली मोहम्मद	" "	2100
27.	कैलाश/मांगीलाल गुप्ता	लाईमस्टोन (बि.स्टोन)	6750.00

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 का विवरण

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1990 से 1993 तक जाखम जलाशय में मत्स्याखेट का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. स.	विवरण	वर्ष 90-91	91-92	92-93
1.	मत्स्याखेट उत्पादक सहकारी समिति 1 नकोर म.उ.सह समिति 2 अनुपपुरा म.उ.सह. समिति	1	2	23
2.	कुल आदिवासी सदस्यों की संख्या	122	157	157

१९५

क्र. स.	विवरण .	वर्ष 90-91	91-92	92-93
3.	कुल सक्रीय सदस्यों की संख्या	52	75	70
4.	मछली बिक्री राशि (लाखों में)	0.95	0.93	0.80
5.	मछली पकड़ाई भुगतान सदस्यों को (लाखों में)	0.32	0.30	0.37
6.	मत्स्य विभाग को चुकाई गई रायल्टी	1.32	1.45	0.05

जाखम जलाशय का मत्स्याखेट सितम्बर से मार्च तक ही किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय का जलस्तर आरक्षित वन क्षेत्र के सीतामाता वन अभ्यारण्य की परिधि में आने से वन विभाग द्वारा आपत्ति करने पर मत्स्याखेट बन्द कर दिया जाता है। जाखम जलाशय में मत्स्य बीज नहीं डाला गया।

परिशिष्ट "ख"

क्र.स.	जलाशय का नाम	जिला/तहसील	मत्स्याखेट हेतु मत्स्य कृषकों को प्रदान किये गये लेबर परमिट का विवरण
1.	बंध तलाया	चित्तोड़गढ़/प्रतापगढ़	1 दिनांक 28.2.89 को 2 दिनांक 24.4.91 को 3 दिनांक 24.2.92 को 4. क्रमांक 121-22 दिनांक 17.2.94 द्वारा।
2.	बंध बरडिया	चित्तोड़गढ़/प्रतापगढ़	1 क्रमांक 487 दिनांक20.11.93 द्वारा मत्स्याखेट कार्य किया गया। कार्य बन्द करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।
3.	बंध बोरिया	चित्तोड़गढ़/प्रतापगढ़	1 क्रमांक 1674 दि26.12.90 द्वारा लेबर परमिट जारी किया गया।

परिशिष्ट-"ग"

उपयोजना क्षेत्र के "अ" श्रेणी के जलाशय

(जयसमन्द झील में 9 समिति, माही बजाज सागर में 9 समिति एवं कडाना बेकवाटर में 10 समिति एवं जाखम जलाशय में 2 समिति)

मछली पकड़ाई के भुगतान की गई राशि, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हुई (राशि लाखों में)

1990-91	1991-92	1992-93
55.92	52.66	47.61

परिशिष्ट- 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1033 की सूची

डूंगरपुर जिले में स्वतन्त्रता सैनानियों की सूची :

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नि गोरीशंकर उपाध्याय
2. श्री सज्जन लाल चौबिसा पिता श्री मोतीलाल जी
3. श्रीमती जवली पत्नि स्व. नाना भाई खांट
4. श्री मोहन उर्फ दोला पिता सोमाजी
5. श्रीमती नवलबाई पत्नि सोमाजी
6. श्री भोगजी भाई पिता तेजा
7. श्रीमती लालीबाई पत्नि स्व. मंगला
8. श्रीमती होमली पत्नि बदा
9. श्रीमती नानी बाई पत्नि सोमा कटारा
10. श्री मणिलाल पिता जेठालाल
11. श्री भगवानदास पिता उधवदास
12. श्री घनश्याम शर्मा
13. श्री धूलजी भाई
14. श्री रतनजी पटेल
15. श्री शिवराज रोत पिता हिरा रोत
16. श्री चन्दुलाल जी गुप्ता स्व.
17. श्री सूरजलाल
18. श्रीमती श्याम कुंवर पत्नि सज्जन कुंवर
19. श्री खेंगा पिता नानाजी
20. श्री रेवा शंकर पिता पुरुषोतम लालजी पण्डया
21. श्री तुलसीराम पिता प्रेमजी उपाध्याय
22. श्रीमती फूली बाई पत्नि सेंगाजी
23. श्री वन्दनाशंकर पण्डया
24. श्री अमृतलाल परमार
25. श्री छगनलाल
26. श्रीमती फूलवन्ति पत्नि सूरजमल जडिया
27. श्री किशनलाल गर्ग

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	पिछले पांच वर्षों में कनिष्ठ अभियंता के पद पर की गई नियुक्ति	रिक्त पद
1	2	3	4
1.	मुख्य अभियंता, भूजल विभाग, जोधपुर	1	सूचना शून्य है-
2.	विद्युत निरीक्षणालय, राज., जयपुर	1 (निरीक्षण सहायक जूनियर इंजी. के समकक्ष)	6 (नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही की जा रही है)
3.	कृषि विभाग	122	सूचना शून्य है-
4.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	—	3 (पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने की कार्यवाही की जा रही है)
5.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग	18	सूचना शून्य है-
6.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	—	1 पद कनिष्ठ अभियंता का सृजित है जिसके भर्ती नियम बनाये जा रहे हैं।
7.	उपनिवेशन विभाग	—	अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, मंडी विकास समिति, हनुमानगढ़ जं. में एक कनिष्ठ अभियंता का पद 1.1.93 से रिक्त है।
8.	कृषि विपणन बोर्ड	149	37 पद कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत पूर्णतया अस्थाई स्वीकृत होने के कारण रिक्त हैं।
9.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	334	80 (सेवा निवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हैं)
10.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	22	6 (कुछ प्रतिनियुक्त जूनियर इंजीनियर अपने पैतृक विभाग में चले जाने के कारण विभाग में पद रिक्त हैं।)

1	2	3	4
11.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	8	12 (6 पदों को जनशक्ति विभाग से नाम मंगा कर भरने की कार्यवाही की जा रही है तथा 6 पद रिक्त हैं क्योंकि विभाग के कई कनिष्ठ अभियंता प्रतिनियुक्ति पर हैं जो कभी भी वापिस आ सकते हैं)
12.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	186	7 (वर्तमान में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जूनियर इंजीनियर्स के सात पद रिक्त हैं। भूतपूर्व सैनिकों के कोटा के विरुद्ध नियुक्ति देने हेतु एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है अतः याचिका के निर्णय होने तक 7 पदों को रिक्त रखना उचित समझा गया है।)

(१९८)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 का विवरण

दुग्ध संघ एवं उनके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का विवरण :

क्र.सं.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	कार्यक्षेत्र
1.	अजमेर	अजमेर
2.	सीकर-झुंझनूं	सीकर-झुंझनूं
3.	अलवर	अलवर
4.	भरतपुर	भरतपुर-धौलपुर
5.	बीकानेर	बीकानेर
6.	चूरु	चूरु
7.	गंगानगर	गंगानगर
8.	जयपुर	जयपुर-दौसा
9.	जालौर-सिरोही	जालौर-सिरोही
10.	जोधपुर	जोधपुर, नागौर-जैसलमेर-बाड़मेर
11..	कोटा	कोटा, बूंदी-झालावाड़-बारां
12.	पाली	पाली
13.	टौंक-सवाई माधोपुर	टौंक-सवाई माधोपुर
14.	बांसवाड़ा	बांसवाडा-डूंगरपुर
15.	उदयपुर	उदयपुर-राजसमंद
16.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-चित्तौड़

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 का विवरण

झालावाड़ जिले में विद्यमान सिंचाई योजनाओं द्वारा वर्ष 1992-93 में सिंचित की गई भूमि का विवरण :

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 92-93 में सिंचित भूमि हैक्टेयर में
(अ)	मध्यम सिंचाई परियोजना	
	1. भीम सागर	6563.06
	2. हरिश्चन्द्र सागर	1920.00
(व)	लघु सिंचाई योजनाएं	
	1. सारन खेडी	450.53

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 92-93 में सिंचित भूमि हैक्टेयर में
2.	मूडलिया खेडी	120.23
3.	मदन सागर	60.88
4.	चन्द्र सरोवर	42.40
5.	दुर्गापुरा	87.04
6.	किशन सागर	51.57
7.	गोवर्धनपुरा	69.60
8.	मंडावर	86.53
9.	कडीला	शून्य
10.	मोलकिया	62.20
11.	भीमली पिंक अप वियर	25.05
12.	राजपुरा	120.42
13.	जूना खेडा	शून्य
14.	सारोला	38.81
15.	गणेशपुरा	442.32
16.	जोल्पा	146.55
17.	बिलासरा	47.81
18.	क्यासरा	36.83
19.	रामनिवास छटोद	16.47
20.	महूडिया	8.38
21.	बिनायगा	91.28
22.	बिस्तुनिया	66.30
23.	सामन खेडा	81.57
24.	अमीन खेडा	शून्य
25.	निमोंदा	शून्य
26.	नाकासरना	66.30
	योग :-	10,702.13

200

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 की प्रति

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक : प.12 (23)देव/91 जयपुर, दिनांक : 11.3.93

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

विषय :- देवस्थान महोत्सव के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 16.2.93 से 18.2.93 तक आयोजित किये गये देवस्थान महोत्सव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
ह.
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 की प्रति

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/सांप्र/डी/2006/89/213 दिनांक: 2.7.91

समस्त मण्डल अधिकारी
(पुरुष/महिला)

समस्त जिला शिक्षाधिकारी
(छात्र/छात्रा)

विषय : शादी विवाह प्रयोजनार्थ शाला भवनों के उपयोग की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार केआदेश क्रमांक एफ 15 (1) शिक्षा-5/63 दिनांक 21.1.76 एवं प-9 (34) शिक्षा-5/81 दिनांक 14.12.81 तथा प.सी.-9 (5) शिक्षा-5/86 दिनांक 14.5.86 द्वारा राजकीय भवनों के निजी उपयोगार्थ स्वीकृति संबंधी नियम प्रसारित किये गये हैं।

पूर्व में निदेशालय के आदेश क्रमांक सशि/पुस्त/भवन/केम्प/जयपुर/2490/155 दिनांक 20.5.63 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे कि सभी राजकीय भवनों को शादी विवाह आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किराये पर नहीं दिया जावे। इस संबंध में आदेश क्रमांक सशि/पुस्त/भवन/केम्प/2490/150 दिनांक 6.1.91 द्वारा संशोधन प्रसारित किया जा चुका है जिसके अनुसार उक्त नियम केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा विद्यालयों में स्थित पुस्तकालय कक्ष पर ही लागू रहेगा।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि पुस्तकालय भवनों एवं विद्यालयों में स्थित पुस्तकालय कक्ष के अतिरिक्त समस्त शाला भवन पूर्व प्रसारित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार शादी विवाह एवं अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावे।

ह/-

(दामोदर शर्मा)

निदेशक,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 की प्रति

<u>तार</u> <u>राजकीय</u> <u>आवश्यक</u>

राज शिक्षा,

बीकानेर

मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने विधान सभा में दिनांक 24.2.94 को आश्वासन दिया है कि अध्यापकों की समस्त प्रतिनियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी अतः आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनके द्वारा की गई समस्त प्रतिनियुक्तियों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करें और पालना सुनिश्चित करें। पालना प्रतिवेदन 15.3.94 तक भिजवायें ताकि विधान सभा को अवगत कराया जा सके।

एडयूराज

तार में शामिल नहीं किया जावे।

ह.

(एल. एन. शाह)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प-9 (55)शिक्षा-2/86 जयपुर, दिनांक : 25.3.94

<u>तार की पुष्टित हेतु :</u>

(1) निदेशक, प्रा. एवं मा. शिक्षा, बीकानेर को पालनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) समस्त मण्डल अधिकारी/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (महिला/पुरुष/प्रा.शि)

(2) रक्षित पत्रावली।

ह.

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1059 की सूची

तहसील - छब्बड़ा

क्र.सं.	उच्चीकृत उपकेन्द्र (एड्पोस्ट)	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3	4
1.	निपानिया	1. श्री बदन सिंह	मेलनर्स-2
		2. श्रीमति श्यामलाई ई.वी.	प्रसाविका (आईसीडीएस)
2.	कडिया नोहर	1. श्रीमति प्रेमलता गोस्वामी	प्रसाविका (प.क्र.)
		2. श्रीमती मधुबाला गौड़	प्रसाविका (प.क्र.)
		3. रिक्त	मेलनर्स–2
3.	जरखेडी	1. श्रीमति पार्वती देवी	प्रसाविका (प.क्र.)
		2.रिक्त	मेलनर्स-2

उप-केन्द्र

1.	भुआखेडी	1. श्रीमती रामभरोसी बाई	प्रसाविका
2.	भीलवाडा नीवा	2. श्रीमति नगीना बेगम	"
3.	कोटडापार	3. एलसम्मा एन.टी.	" (प.क्र.)
4.	बापच्या	4. श्रीमती शकुन्तला देवी	" "
5.	तीतरखेडी	5. श्रीमती राधारानी	" "
6.	कडैयाहाट	6. श्रीमति मुस्तर बेगम	" "
7.	फलिया	7. सुश्री अनुपम्मा	" "
8.	मन्नेखेडी	8. श्रीमति कृष्णा जोय	" "
9.	अन्नाहेडी	9. श्रीमति सोसम्मा टी.एन.	" "
10.	पाली	10. श्रीमति नरेन्द्र कुमारी	" "
11.	दिलोद	11. श्रीमति सरोज सेम्यूअल	" "
12.	कोटडी	12. श्रीमति श्यामला पी.के.	" "
13.	गुगोर	13. श्रीमति रजिया सुल्ताना	" "
14.	रीझा	14. सुशीलअम्मा पी.के.	" (आईसीडीएस)
15.	कलियाबन्द	15. श्रीमति मरिअम्मा एम.टी.	" " " " " "
16.	चाचोडा	16. श्रीमति राधा यादव	" " " " " "

1.	प्रा.स्वा.केन्द्र कोटड़ी	1. श्रीमति अनम्मा टी.जे.	म.स्वा.द.
2.	" " गूगोर	2. श्रीमती आमना खातून	"

1	2	3	4
तहसील - छीपा बड़ौद			
उच्चीकृत उपकेन्द्र (एड पोस्ट)			
1.	बिलेन्डी	1. श्रीमती सुशीला गुप्ता	प्रसाविका
		2. श्रीमती प्रेम अग्रवाल	" (प.क.)
2.	अजनावर	3. लीजीमोर	"
3.	मोखमपुरा	4. सेमसन जे.पी.के.	"
4.	गगचाना	5. रिक्त	" (प.क.)
		6. रिक्त	मेलनर्स-2
5.	ढोलम	7. श्रीमति कमलेश सैन	प्रसाविका (प.क.)
6.	गोरधन पुरा	8. श्रीमती शान्तम्मा	" " "
7.	कालपा	9. श्रीमति दया मैसी	" " "
8.	पीपलहेडा	10. श्रीमति निर्मला मेवाडा	" " "
9.	खेडला	11. श्रीमति शचिकला	" " "
10.	खिजूरिया	12. कोमल खिलकी	" " "
11.	पन्जारी	13. कलावति पीटर	" " "
12.	सेतकोलू	14. वसुन्धरा पी.जे.	" " "
13.	झनझनी	15. श्रीमति सन्तोस गौतम	" " "
14.	सहजनपुर	16. मनजीत कौर	" " "
15.	दीगोद जागीर	17. लीलम्मा मैथ्यू	" " "
16.	पीपल्या चौकी	18. श्रीमति अनिता सिद्दु	" " "
17.	बडाय	19. ए.जी.अल	" " "
18.	बमोरी घाटा	20. जया कुमारी डी.	" " "
19.	टाच्या	21. श्रीमति प्रेम जैन	" " "
20.	राई	22. श्रीमति माधुरी श्रीवास्तव	" " "
21.	अमलावदा हाली	23. रिक्त	" " "

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 का विवरण

तहसील छबड़ा

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैपला
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ी
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली

तहसील छीपाबड़ौद

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनावदशाहजी
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतकोलू

(204)

उपकेन्द्र

1. युआखेडी
2. भीलवाडा नीचा
3. कडिया नोहर
4. कोटरापार
5. बापंचा
6. तीतरखेडी
7. कडेयाहाट
8. फलिया
9. मन्नाखेडी
10. हनेडी
11. पाली
12. जरखेडी
13. दिलोद
14. कोटड़ी
15. कडेयानोहर
16. नीपानिया
17. मूलोन
18. जेपला
19. चाचोडा
20. रीझा

उपकेन्द्र

1. ढोलन
2. गोरधनपुरा
3. गगचाना
4. मोकमपुरा
5. पिलन्डी
6. अजनावर
7. गोर्धनपुरा
8. कालूपा
9. पीपलहेड़ा
10. खेडला
11. खजूरिया
12. सेतकोलू
13. बनजारी
14. झनझनी
15. सेजनपुर
16. दीगोत जागीर
17. पीपल्या चोकी
18. ढोलम
19. बडाय
20. बमोरीघाटा
21. अमलावदा
22. राई

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 का विवरण

बांसवाड़ा जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में स्वीकृत पूर्ण एवं अपूर्ण कुओं का पंचायत समितिवार विवरण :-

क्र.सं.	नाम पं.समिति	योजना में स्वीकृत कुए वर्ष 91-92 व 92-93	कार्यवार विवरण		भुगतान किया गया	शेष	वि. वि.
			पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तलवाड़ा	23	9	14	22	1	कार्य की
2.	गढी	40	–	40	24	16	पूर्णता के
3.	बागीदौरा	82	28	54	82	–	आधार पर
4.	आनन्दपुरी	116	–	116	112	4	कुए का
5.	सज्जनगढ़	19	–	19	16	3	भुगतान
6.	कुशलगढ़	62	25	37	60	2	किया गया
7.	घाटोल	104	37	67	95	9	
8.	पीपलखूट	140	53	87	129	11	
	योग :	586	152	434	540	46	

ह.
अति.कलक्टर (विकास)
बांसवाडा।

२०५

परिशिष्ट-23

अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 का विवरण

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत में गत विधान सभा भंग हो जाने के बाद के कार्यों का विवरण :

क्र.सं.	नाम स्कीम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य		निर्माणाधीन अपूर्ण कार्य		कार्य पूर्ण कराने हेतु राशि की आवश्यकता	व्यय राशि	अवशेष राशि
				सं.	राशि	सं.	राशि.			
1.	अपना गाँव अपना काम	1	0.60	–	–	1	0.48	–	0.48	0.12
2.	ओ.बी.सी.	5	2.44	4	2.44	1	–	0.50	2.44	–
3.	जनरल ज.रो.यो.	153	60.60	95	40.01	58	16.00	6.75	56.01	3.99
4.	नवें वित्त आयोग	6	6.00	2	2.00	4	4.14174	2.50814	6.14174	–
5.	यू.एन.एफ.पी.ए.	1	1.15	–	–	1	0.85	0.30	0.85	0.30
6.	निर्बंध राशि	11	5.18	7	3.79415	4	1.00	1.00	4.79415	0.38585
7.	सु.रो.योजना	7	11.10	–	–	7	5.20	5.90	5.20	5.90
8.	माडा	1	2.29	–	–	1	2.00	0.35	2.00	0.29
9.	ज.रो.यो. 20%	3	3.05-	–	–	3	1.49615	2.04385	1.49615	1.55385
10.	वालमिकी	1	0.50	1	0.50	–	–	–	0.50	–
11.	जरोयो शिक्षा	1	1.00	–	–	1	0.51186	0.48814	0.51186	0.48814
		191	93.31	119	48.74415	81	31.67975	19.84013	80.4239	13.02784

ह.

अतिरिक्त कलक्टर (वि)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़

206